॥ श्री ॥

अखिल भारतवर्षीय वर्णाश्रम स्वराज्य संघ

का

पहली जनवरी सन् १९३२ ई० से २८ दिसम्बर

सन् १९३३ ई० तक

का

कार्य-विवरण

मिलनेका पता—प्रधान कार्यालय, अ० भा० वर्णाश्रम स्वराज्य संघ,

बुलानाला, काशी ।

दो शब्द

इस रिपोर्ट के जल्दी में तैयार होने के कारण इसमें भाषाकी अनेक अशुद्धियां रह गई हैं, इसके लिए खेद है। इसके दूसरे संस्करण में एक शुद्धिपत्र लगा दिया गया है।

यहां संघ के प्रधान कार्यालय के अध्यक्ष पं० श्री भगवती प्र० पाण्डे बी० ए०, विशारद का नाम उल्लेखनीय है, कि उन्हों ने इस रिपोर्ट की तैयारी के समय पूर्ण मनोयोग एवं परिश्रम से काम किया है और पं० श्री विश्वनाथ शास्त्री द्राविड़ का भी जिन्हों ने इसके प्रूफ संशोधन में श्रम उठाया है।

—प्र० मंत्री

This Report Printed at the Indu Prakash Printing Press,
Bombay No. 2.

विषय-सूची

[१] प्राक्कथन—

(१) मंगलाचरण

(२) पंचतत्व-प्राप्त आत्माओं के संस्मरण

(३) वर्णाश्रम स्वराज्य संघ की स्थापना के कारण

(४ संघ के कार्यों का संक्षिप्त परिचय

[२] मुख्य रिपोर्ट—

(१) विद्वत्परिषद्

(२) कार्यकारिणी समिति की बैठकें

(३) आवश्यक स्थानीय कार्य-कारिणी-समिति की बैठकें

(४) उप-समितिया और उनके कार्यविवरण

(१) मर्यादा-संरक्षण उप-समिति

(२) राजनीतिक उप-समिति

(३) प्रचार उप-सामिति

(४) अर्थ उप-समिति

(५) विशुद्ध संस्कृत विश्वविद्यालय उप-सामिति

(६) इमरजैंसी कमेटी

(७) व्हाइट-पेपर-कमेटी

(८) समाचार-पत्र कमेटी

(९) श्री० बद्रीनाथ-जांच कमिशन

(१०) देवालय-संरक्षण-समिति

(५) भावी शासन-विधान और संघ

(६) धर्मविरोधी बिल और संघ

(७) अस्पृश्यता-निवारण और संघ

(८) संघका प्रचार कार्य
- (१) अखिल भारतीय प्रचार
- (२) प्रान्तीय प्रचार

(९) संघके विशेषाधिवेशन
- (१) गुरुवायूर
- (२) देहली

(१०) श्री बद्रीनाथ धामके हस्तान्तरित होनेका प्रश्न और संघ

(११) देवालय-संरक्षण-समिति

[३] परिशिष्ट—

(१) आयव्यय विवरण
(२) सहायतार्थ चन्दा देनेवालोंकी नामावली
(३) वचनदान दाताओंकी नामावली
(४) गुरुवायूर विशेषाधिवेशन स्वा० समितिका हिसाब
(५) दिल्ली विशेषाधिवेशन „ „ „
(६) पण्ढरपूर शाखा सभा का हिसाब
(७) प्रचार मंत्री का हिसाब
(८) विविध उप-समितियोंके सदस्य
(९) आचार्य चरणोंके श्रीमुख

आवश्यक सूचना

निम्न लिखित पंक्तियां १८ पृष्ठ की आठवीं पंक्ति के बाद लगाकर पढनी चाहिएं ।

"Whether a particular Legislation interferes in the religious or socio-religious life or institution of any community should be investigated and reported by experts of that Community. Here by the word community, we treat Orthodox community as a separate communiry from the other Hindus amongst which are included the Arya Samajists, Bramhosamajists and various other Hindus who are known as Reformers. Therefore, in the case of the orthodox Hindu Community the experts to investigate, whether a particular legislation interferes with the religious or socio-religious life and institution of that Community, the experts shall be all Orthodox Hindus i. e. Sanatani Varnashramees, who accept the Shrutis, Smritis, Puranas, Itiashas, Sadacharas and Nibandhas as the final authority and who hold invastigation in accordance with the rules of Mimansa of Jaimini and Badarayan as interpreted by Kumarilbhatt and that their report shall be final."

निम्नलिखित पंक्तियां ५९ पृष्ठ की छटी पंक्ति के बाद लगाकर पढनी चाहिए:—

यदि इस प्रकारका नियम मिष्ठ शासन विधान में सीमाजित न किया गया, तो इसका फल बहुत बुरा होगा और ब्रिटिश सरकार को उसके लिए खेद प्रकट करना होगा।

और यदि प्रत्युत यह उपरोक्त अभीष्ट नियम शासन विधान में सम्मिलित कर दिया जायगा और प्रत्येक धार्मिक हिंदूको यह विश्वास करा दिया जायगा कि उसे अपने धार्मिक विश्वासों एवं कृत्यों के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त है, तो बहुत सम्भव है कि वह फिर ब्रिटिश सरकार से आजकाल की भांति अन्य छोटी छोटी बातोंके लिये न लडेगा.

यह पूछा जा सकता है कि इस बात का निर्णय कौन करेगा कि अमुक बिल अमुक जातिके धर्म तथा उसके धार्मिक कृत्यों तथा रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप करता है। इस प्रश्नका उत्तर हमारे उस मैमोरेंडम में निम्नलिखित पंक्तियों द्वारा दिया गया है, जो शिमलाके डेपूटेशन के समय वाइसराय महोदयके समक्ष उपस्थित किया गया था।

" इस सम्बन्धकी छानबीन कि अमुक बिल उसी जातिके धर्म एवं धर्मयुक्त सामाजिक जीवनमें हस्तक्षेप करता है उस जातिके ममज्ञोंके द्वाराही होनी चाहिये। यहाँ पर जाति से उस कट्टर जातिका अर्थ है जो उन शेष हिन्दुओं से भिन्न है, जिनमें आर्य समाजी, ब्रह्मसमाजी और विविध अन्य प्रकारके हिन्दू हैं, जो " सुधारक" के नामसे प्रसिद्ध हैं। इस लिये कट्टर हिन्दू जातिके विषयमें इस सम्बन्ध में कि अमुक बिल उसकी धार्मिक अथवा धर्म युक्त सामाजिक जीवनमें एवं उसकी संस्थाओंमें हस्तक्षेप करता हैं, उस जातिके ममज्ञ लोगों को निर्णय करना चाहिये। ये मर्मज्ञ सब कट्टर हिन्दू होंगे अर्थात ऐसे सनातनी वर्णाश्रमी जो श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास, सदाचार और निबंधको अन्तिम प्रमाण मानते हैं और जो बादरायणकी मीमांसाके सूत्रोंके उस अर्थ के अनुसार अपना निर्णय कार्य सम्पादन करते हैं, जो कुमारिलभट्ट के द्वारा व्यक्त किया गया है। और इन ऐसे लोगों का कथन अन्तिम निर्णय माना जायगा।"

नोट:—ऊपर की इबारत के अन्तिम पैरा को २० पृष्ठ के बाद लगाकर भी पढना चाहिए!

कृपया इस रिपोर्ट को पढ़ने से पहले इसमें निम्न लिखित शुद्धियों के बनाने का कष्ट करें:—

शुद्धिपत्र

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अध्याय
माप्नयात्	माप्नुयात्	१	६	प्राक्कथन
प्राणान्तिक	प्राणान्तक	५	१६	"
द्वारा	द्वारा	८	९	"
हिंदु	हिंदू	८	२१	"
धरधर	थरथर	९	२१	"
क़ेरर	क़ेरार	९	३	"
उटने	उठने	९	२७	"
एक	ऐक्ट	१२	१३	"
ये	×	१५	८	का० का० समिति
सांघणी	सांगाणी	१६	१५	"
धम	धर्म	१७	१	"
आगरो	आगरा	१७	१९	"
गोरवामी	गोस्वामी	१७	२३	"
नरेम्द्र	नरेन्द्र	१९	१६	"
म	में	२२	५	"
प्रयत्न	प्रयत्न	२२	७	"
लायलपुर	लायलपुर	२२	८	"

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अध्याय
श्रति	श्रुति	२२	२६	”
को	के	२४	१८	”
का	को	२४	१८	”
का	को	२५	१०	”
परीक्ष	परीक्षा	२७	८	”
अवथा	अथवा	२७	२२	”
प्रबम्ध	प्रबन्ध	२७	२४	”
उपर	उपरि	२८	६	”

नोट—२८ पृष्ठ के इन अन्तिम शब्दों–“ अतः........होगा ” को निकालकर पढ़नना चाहिए।

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अध्याय
राजानीतिक	राजनीतिक	३०	१९	”
सहाचता	सहायता	३५	३	”
अपना	अपनी	३६	२१	”
anomaly	anamoly	३	१४	भावी शासन और संत्र
uhe	the	३	१६	”
milliohs	millions	३	२१	”
Couutry	Country	३	२३	”
facied	fancied	३	३०	”
Confiict	Conflict	४	१२	”
अध्याथ	अध्याय	६	१९	”
Bless	Blessed	६	१५	”
पर	में	७	११	”
इंगलैण्ड	इंगलैण्ड	८	१२	”

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अध्याय
पाखण्डी	विभिन्न मतावलम्बी	९	१७	
Changs	Changes	११	११	"
इंगलण्ड	इंगलैण्ड	१३	१	"
सन् १९३३	सन् १९३२	१३	१५	"
राजनिति	राजानीति	१५	१३	"
nat	not	१६	३१	"
युवकोंका	युवकोंको	१८	२५	"
हिन्दुजन	हिन्दूजन	१९	४	"
स्वर्गीव	स्वर्गीय	१९	२५	"
शीघ	शीघ्र	२०	१३	"
उत्तरदाथित्व	उत्तरदायित्व	२०	२८	
की	को	२१	११	"
आवेटन	आवेदन	२१	१२	"
attaiument	attainment	२१	२५	"
practicest	practices	२२	१	"
Excelleucy	excellency	२२	१३	"
from	form	२२	२३	"
Nama5ati	Nanavati	२२	२७	"
Sicretry	Secretary	२२	२८	"
देवी	देश	२४	१८	"
ot	of	३०	२०	"

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अध्याय
wesstern	western	३०	२५	,,
ambitien	ambition	३०	२५-२६	,,
lasf	last	३०	२८	,,
Swraj	Swaraj	३१	१५	,,
francise	franchise	३२	१९	,,
respeact	repeat	३३	४	,,
Cental	Central	३३	१७	,,
समच	समय	३६	२२	,,
आर	और	३७	३	,,
आर	और	३९	६	,,
ा्वश्वास	विश्वास	३९	२९	,,
भौलिक	मौलिक	४२	६	,,
आश	आशा	४२	२१	,,
राजनिति	राजनीति	४२	२८	,,
विषयीं	इन विषयों	४२	२९	,,
त	देशही उपस्थित	४२	३०	,,
विधि-विधि	विधि-विधान	४३	४	,,
दी	दिया	४५	४	,,
ह	हैं	४५	७	,,
fina	final	४८	१५	,,
वाइराव	वाइसराय	४९	६	,,
कहता	कहा	४९	२३	,,
बहस-मुबाइस	सविस्तार वार्तालाप	५१	११	,,

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अध्याय
जिन, उनके	जिस, उसके	५१	१६	"
ते	ने	५२	२४	"
provisions	provision	५३	२	"
Supbort	Support	५३	१२	"
Lageslative	Legislative	५४	२	"
Lagislation	Legislation	५४–५५	१२,२८,६	"
aloso	also	५५	१५	"
withour	without	५६	१०	"
Stannch	Staunch	५७	१५	"
ईसाइयों	ईसाइयोंके	५९	२४	"
Lagislature	Legislature	६१	१०	"
Experience	Experience	६१	१९	"
short	sort	६२	१५	"
Thase	These	६२	२१	"
योग्य	योग्य	६४	८	"
हाइट	व्हाइट	६४	२३	"
अमवा	अलावा	६४	२६	"
देख	देखे	६६	८	धर्म विरोधी बिल औ. सं.
भलाइ	भला इस	६७	४	"
देसकर	देखकर	६७	२७	"
जावे	जाने	६९	१३	"
कानून	कानूनन	७१	९	"
यही	यहां	७२	३	"

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अध्याय
हिंदु	हिंदू	७२	७	”
समझ	समझे	७२	१२	”
दिवानी	दीवानी	७३	५	”
स्ठी	ट्रस्टी	७६	७	”
क	के	७६	११	”
घारा	धारा	७६	२३	”
बेटरों	वोटरों	७७	३	”
निम्न	निम्न	७९	४	”
arthodox	orthodox	७९	१२	”
this	this opportu-nity of	७९	१२	”
Excelleucy	Excellency	७९	१३	”
voat	vast	७९	१८	”
there	their	८१	१५	”
religion	religions	८१	१९	”
विद्रद	विद्वद्	८३	२५	”
और	और इतरे	८४	१०	”
प्रार्थन	प्रार्थना	८४	१२	”
बोषणा	घोषणा	८४	२९	”
महोदूय	महोदय	८५	४	”
और	ओर	८५	५	”
व्रिषय	विषय	८५	८	”
सुधारकों	सुधारकों	८५	९	”
बाध्य	बाध्य	८५	२१	”

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अध्याय
भाइयों	भाइयों	८५	२४	,,
चष्टा	चेष्टा	८५	२८	,,
हमारे	अपने	८६	६–७	,,
संख्याक	संख्यक	८७	२९	,,
चुका है	चुके हैं	९२	५	अस्पृश्यता नि. औ. संक
प्रतिनियों	प्रतिनिधियों	९५	७	,,
र	परन्तु	९६	२३	,,
निदित	विदित	९८	१७	,,
ओर	ओरसे	९९	२	,,
संख्याए	सभा	९९	३	,,
शास्त्रीनुकूल	शास्त्रानुकूल	९९	४	,,
सम्बन्धी	सम्बन्ध	९९	४	,,
काशि	काशी	९९	६	,,
फजनाया	पूजनीया	३९	१०	अस्पृश्यता नि. औ. सं.
लोकद्रष्ट्या	लोकदृष्ट्या	९९	११	,,
मुदक्या च	मुदक्यां च	९९	२४	,,
स्नाननेन	स्नानेन	९९	२५	,,
शुध्यति	शुद्धयति	९९	२५	,,
मेब	मेव	९९	२७	,,
स्नान	स्नानं	१००	१	,,
प्रकुर्वीत	प्रकुर्वीत	१००	१,२	,,
दवार्चानां	देवार्चानां	१००	११	,,
दशाध्याके	दशाध्यायें	१००	१३	,,

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अध्याय
शृङ्ला	शृङ्खला	१००	२१	,,
यागस्पृश्या	यामस्पृश्या	१००	२४	,,
जात्यायुमोगात्	जात्यायुर्भोगा:	१०१	२	,,
याद्वशी	यादशी	१०१	१८	,,
महार्षियों	महर्षियों	१०२	५	,,
करनेके	करनेको	१०२	२२	,,
चण्डाल	चाण्डाल	१०३	१८	,,
देना	देकर	१०५	२०	,,
भारत विद्या	शास्त्रविधि	१०५	२२	,,
मुत्सृज्य	मुत्सृज्य	,,	२२	,,
कामभारत:	कामकारत:	,,	,,	,,
न	न स	,,	२३	,,
भवाप्नोति	मवाप्नोति	,,	,,	,,
जतिम्	गतिम्	,,	,,	,,
तथा	ने	११३	१२	प्रचार–कार्य
ह	है	११४	४	,,
कौ	को	११४	८	,,
समारोपेह	समारोह	,,	९	,,
सकलता	सफलता	,,	१४	,,
यह हुआ	यह तै हुआ	११५	१२	,,
अपने	आपने	,,	१६	,,
सम्पन्न	सम्पन्न	,,	२६	,,
१८	१९	११६	१६	,,
मव्यक्त	में व्यस्त	,,	१९	,,

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अध्याय
कार	कर	„	२६	„
प्रान्तोंका	प्रान्तोंमें	११७	१४	„
सनातनीय	सराहनीय	„	२०	„
मासम	मासमें	„	„	जु. स. १९३२ ई.
विरोधनें	विरोधमें	„	२३	„
सघक	संघके	„	„	„
संयुक्त प्रान्तीय	स्थानीय	११८	१२	„
...को	जुला. १९३२	११८	१२	„
पुष्कृरराज	कानपुर	„	१५	„
स्थानमें	स्थानोंमें	„	१९	„
शास्त्रीका कार्य ना.	शास्त्रीका नाम	११९	५	„
म	में	„	१०	„
ऐसी	ऐसा	„	१४	„
कभी	अभी	„	२१	„
पानल	पालन	„	२७	„
अछूतें	अछूतों	१२०	७	„
कल्पताथ	वाल्पनाथ	„	११	„
भारीकर	भारीलाभ	„	१२	„
उदय	उच्च	१२१	६	„
और पं०	पं०	१२२	२	गुरुवायूरका विशेषा.
आपनी	अपनी	„	७	धिवेशन
प्रचार का	का प्रचार	„	१७	„
सर्वोच	सर्वोच्च	१२३	१४	„
बिमा	थिया	„	१६	„

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अध्याय
नासाडी	नायाड़ी	,,	,,	,,
ठै	है	१२४	६	,,
साइस	साहस	,,	८	,,
इस	इस	,,	१०	,,
सम्वत्ध	सम्बन्ध	,,	११	,,
कहता	कहना	,,	१४	,,
अनुमोद	अनुमोदन	,,	१५	,,
सनातनौ	सनातनी	,,	२०	,,
इर्म विरोधी	धर्म विरोधी	,,	२७	,,
इस	इन	,,	२८	,,
निर्णय	विशेष	१२५	४	,,
प्रमास	प्रभास	,,	१८	,,
मध्वकाचार्य	माध्वाचार्य	,,	२३	,,
नगीनदास	श्री० नगीनदास	१२६	३	,,
जिम्होंके	जिन्होंने	,,	७	,,
लफलता	सफलता	,,	,,	,,
करके	करने के	,,	१६	,,
प्रचलित	प्रचलित	,,	२७	,,
गुरुवयूर	गुरुवायूर	१२७	३	,,
ट्वारा	द्वारा	,,	७	,,
अनशक	अनशन	,,	,,	,,
रोकन	रोकने	,,	२२	,,
परिशिष्ठ	परिशिष्टमें	,,	२७	,,
कि एक तो यह	कि यह	१२८	१	,,

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अ[illegible]
पैकके	पैकको	,,	,,	,,
स्वाधीन	स्वाधीनताको	,,	,,	,,
अछूतोंने	अछूतों के	,,	१०	,,
अधर्मिक	अधार्मिक	,,	१३	,,
मांदरके	मंदिरको	,,	२२	,,
कार्यकता	कार्यकर्त्ता	१२९	७	,,
ममय	समय	,,	८	,,
अधार्धिक	अधार्मिक	१३०	१०	,,
गलेम	गलेमें	,,	११	,,
इस	इन	,,	१३	,,
oncy	one	१३१	११	,,
मूतकालका	भूतकालमें	,,	२१	,,
वर्तन	वर्तमान	,,	२२	,,
मिन्न	भिन्न	,,	२३	,,
एर्व	एवं	,,	२४	,,
एक	रोके	,,	२९	,,
देशों	देशोंकी	,,	३१	,,
तिसर-पैर	बेसर-पैर	१३२	४	,,
बहू-संख्याक	बहु-संख्यक	,,	९	,,
मा. भगीरथ मह	ला. भगीरथमल	,,	१६	,,
बाते	वाले	,,	१८	,,
पूज्यपार	पूज्यपाद	,,	,,	,,
अवाली	काली	,,	,,	,,
सेरठ	मेरठ	,,	२५	,,

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अध्याय
देहही	देहली	,,	,,	,,
कारियी	कारिणी	१३३	१४	,,
एसेम्बलीम	एसेम्बलीमें	,,	२३	,,
रूप	रूपमें	,,	२५	,,
अथवा	अन्यथा	,,	२६	,,
एसेम्ली	एसेम्बली	१३५	१०	,,
शील	प्रबल प्रयत्न किया है, जो संतोष—	,,	१६	,,
परिजय	परिचय	,,	१८	,,
घूकी	पूरी	,,	१९	,,
पार्वाश्चत्य	पाश्चात्य	,,	२५	,,
पौत्य	पौर्वात्य	,,	,,	,,
की	का	,,	२६	,,
बिन्यों	बिलों	,,	२७	,,
करना	करेंगे	,,	२८	,,
नि	से	१३६	३	,,
पक्षाधिकारियों	पदाधिकारियों	,,	१६	,,
प्रमझाने	समझाने	,,	१७	,,
किसे	किवे	,,	१८	,,
अन्त्यत	अन्त्यज	१३७	२०	,,
बनाकर	बताकर	,,	२२	,,
कार्यक्रमका	कार्यक्रमको	,,	२७	,,
प्रवान	प्रधान	,,	,,	,,
सिवे	लिये	१३७	२५	,,

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अध्याय
यू. पी. सी. ऍी.	यू. पी. सी. पी.	१३८	३	,,
साधारण	सभाओं द्वारा	,,	१९	,,
समातनी	सनातनी	,,	२४	,,
अपने का	अपने कर्तव्यका	,,	,,	,,
दौरा	व्यौरा	,,	२५	,,
कार्यका	कार्यको	,,	२८	,,
दौरा	व्यौरा	,,	,,	,,
अल्प	अलग	,,	२९	,,
पुकाशित	प्रकाशित	,,	,,	,,
उजड़	ऊजड़	२	२	बद्रीनाथ और संघ
अष्ठाको	अण्णा	४	१६	,,
संघके	संघकी	५	१५	,,
इन काम	काम इन	७	११	,,
रिपोर्टकी	रिपोटको	८	२	,,
संघ समक्ष	संघ के समक्ष	१	१०	उपसंहार
कार्यकी	कार्यको	१	१४	,,
अवश्यकताएं	आवश्यकताएं	१	१६	,,
में	मैं	२	३	,,
औरं	और	२	४	,,
बनाने रे	बनाने के	३	७	,,
क्षेमें	क्षेत्रमें	३	१३	,,
संगटित	संगठित	३	१३	,,
इगलैडे	इंगलैंड	३	१५	,,
व्याक्तिको	व्यक्तिकी	४	५	,,

विद्वद् परिषद–इस शीर्षक में, जो रह गया है, यह लेखनीय है कि आलोच्यगत दो वर्षोंके गुरुवायूर तथा देहली विशेषाधिवेशनोंके प्रस्ताव नियमानुकूल प्रथम विद्वत्परिषद के अधिवेशन करके उसके निर्णयोंके अनुसार ही पास हुए ।

धर्म-वीर दल—इस शीर्षक में, जो रह गया है, यह उल्लेखनीय है कि जहां तहां इस ओर कुछ हुआ है परन्तु इस दलका संगठन कार्य अभी अछूता ही सा पड़ा है ।

समाचार-पत्र उप-समिति—इस शीर्षक में, जो रह गया है, यह लेखनीय है कि इस उप–समितिने कोई कार्य नहीं किया।

१११ पृष्ठ की तीसरी पंक्ति के अन्तिम नाम के पीछे ये नाम और पढ़ने चाहिए–पं० श्रीहरिशंकर शास्त्री, पं० श्रीहरिकृष्ण शास्त्री ।

११६ पृष्ठपर " कुरुक्षेत्र " शीर्षकमें बड़गादी बम्बई के श्री १०८ श्री स्वामी देवनायकाचार्यजी महाराजका नाम उल्लेखनीय है ।

११७ पृष्ठ पर " बंगाल " शीर्षक में कार्य–संचालकों में ये नाम उल्लेखनीय हैं—म० म० पं० श्रीदुर्गाचरण सांख्य-वेदान्त-तीर्थ, श्री० सत्येन्द्रनाथ सेन एम० ए०, एम० एल० ए०, श्री० नरेन्द्रनाथ सेठ एड-वोकेट, पं. गोपेन्द्रभूषण सांख्य-तीर्थ, पं. श्री श्रीजीव न्याय-तीर्थ एम० ए० ।

११८ पृष्ठ पर " संयुक्तप्रान्त " शीर्षक में यू० पी० के कार्य–संचालकों में पं० श्री नन्दकिशोरजी वाणी-भूषण और वेदान्त-भूषण पं० श्री-धारादत्त शास्त्री के नाम उल्लेखनीय हैं ।

११८ पृष्ठ पर " संयुक्त प्रांत " शीर्षक में चंदौसीका २१ जुलाई सन १९३३ ई० का शास्त्रार्थ उल्लेखनीय है, जो आर्य–समाज से हुआ था । इस शास्त्रार्थ में अपने वक्ता पं० अखिलानन्द कवि-रत्न थे । यह प्रकाशित भी हो चुका है ।

११९ पृष्ठ पर " पंजाब प्रान्त " शीर्षक में कार्य-संचालकोंमें पं० गोस्वामी श्रीयदुकुलभूषणशास्त्री, और पं० श्रीरलियारामजी के नाम भी उल्लेख योग्य हैं।

१२० पृष्ठ पर " बम्बई प्रान्त " शीर्षक में सूरतकी वैदिक सनातन धर्म सभाका यह एक कार्य उल्लेखनीय है कि इसके द्वारा भारत-सचिवको वर्तमान धर्म-विरोधी बिलोंके विरोध में एवं धार्मिक संरक्षण की पुष्टिमें प्रो० दुरकाल के नेतृत्व में एक मैमोरियल करीब दस हजार हस्ताक्षरों के साथ गया है। और संघके जन्मदाता प्रातःस्मरणीय धर्मप्राण स्वर्गवासी श्रीलक्ष्मण-शास्त्रीजी द्राविड का स्मारक ग्रन्थ भी इसी सभाद्वारा प्रकाशित हुआ है।

१२८ पृष्ठ कीं १५-१६ वीं पंक्तियों में से ये सब शब्द-"इनसब.... सकती है" निकाल देने चाहिएं।

१३२ पृष्ठ पर उल्लेखनीय नामों में पं० श्री मोहनलाल अग्निहोत्री पं० श्री नन्दकिशोर वाणीविभूषण, पं० श्रीविष्णुदत्त शर्मा और पं० श्री-राधेश शास्त्री के नाम भी पढ़ने चाहिएं।

परिशिष्ट पृष्ठ २२ पर श्रीसंघवीजी के नाम के सामने केवल एक सौ एक रु० होना चाहिए, न कि एक हजार एक।

प्राक्कथन

नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च ।
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥
व्यवस्थितार्थमर्यादः कृतवर्णाश्रमस्थितिः ।
त्रय्या हि रक्षितो लोकः प्रसीदति न सीदति ॥

(कौटिल्य)

स्वर्गानन्त्याय धर्मोऽयं सर्वेषां वर्णिलिङ्गिनाम् ।
अस्याभावेहिलोकोऽयं संकरान्नाशमाप्नयात् ॥
समुत्पन्नेषु कृच्छ्रेषु दारुणेष्वप्यसंशयम् ।
आपत्प्रतरणं सम्यक् संघ-धर्म उदाहृतः ॥

(कामन्दक)

भगवानकी महती कृपासे आज हमें पूरे दो वर्ष के उपरान्त अखिल भारत-वर्षीय वर्णाश्रम–स्वराज्य–संघ के इस महाधिवेशन करनेका सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसलिये उस जगन्नियन्ताको कोटिशः धन्यवाद है और विशेष हर्ष है कि संघ अपनी उद्देश्य-प्राप्तिके निमित्त आज अपना छठवाँ महाधिवेशन बुलानेमें समर्थ हुआ है। परन्तु चूंकि इस सम्बन्धमें यह प्रथम आवश्यक है

कि इस महाधिवेशनमें उपस्थित संघ के सुयोग्य नेताओं, प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों तथा आमंत्रित सज्जनों के समक्ष संक्षेप में संघ के अबतक के किये गये समग्र कार्यका निरूपण उपस्थित कर दिया जाय, अत: मैं तत्ससम्बन्ध में संघ की कार्य कारिणी समिति की अनुमति प्राप्त कर उस सब की इस मुद्रित पुस्तक के रूप में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये प्रस्तुत हुआ हूं। यदि इस रिपोर्ट के उपयोगसे इस महाधिवेशन के विचार-विमर्श के कार्य में तनिक भी सहायता मिली, तो मैं अपनेको कृतकृत्य समझूंगा। परन्तु रिपोर्ट के इस मुख्य विषय पर आने के पूर्व मैं यहां संघ के उन विशेष सहयोगियों का स्मरण करा देना अपना कर्त्तव्य-कर्म समझता हूं, जो संघ की यथाशक्ति सहायता करते रहते थे और हमारा अभाग्य कि वे उच्च आत्मायें आज हमारे बीच से पृथक होकर स्वर्गवासी हो चुकी हैं।

स्वर्गगत आत्माओं का संस्मरण

सोई भौ जाके भये, ऊंच होत निज गोत।
जन्म—मरण संसारमें, मुए कोन फिर होत॥

इस कथन के अनुसार वस्तुत: संसारमें जन्म उसीका सार्थक है, जिसकी उत्पत्ति से अपने देश-धर्म का कुछ कल्याण हो। अत: वैसे तो गत दो वर्षों के अन्तर्गत संघ के अनेक सदस्य गतप्राण हुये होंगे, जिनके लिये भी हमें हार्दिक दु:ख है परन्तु यहां हमारे लिये उल्लेख योग्य विशेष रूपसे वे ही स्वर्गगत आत्मायें हैं, जिनके कारण हमारे संघके कार्यके अग्रसर होनेमें विशेष सहायता पहुँची है। अस्तु, इन स्वर्गवासी आत्माओंमें सर्व प्रथम स्मरणीय स्व० तोताद्रि मठाधीश जगत्गुरु श्री रामानुजाचार्य श्री १०८ जी महाराज हैं दूसरे स्मरणीय श्री अखण्ड-भूमण्डलाचार्य श्री १०८ जगद्गुरु गोस्वामी श्रीगोवर्द्धन लालजी महाराज नाथद्वाराधिपति हैं। तीसरे स्मरणीय हमारे अखिल भारतवर्षीय वर्णाश्रम स्वराज्य संघ के सुयोग्य सहकारी मंत्री, बम्बई प्रान्तीय वर्णाश्रम स्वराज्य संघके प्रधान मंत्री, संघकी राजनीतिक समिति एवं व्हाइट-पेपर सम्बन्धी उप-समितिके सम्पादक स्वनामधन्य बम्बईके सुप्रसिद्ध सालीसिटर स्वर्गीय श्रीहीरालाल डाह्या भाई नानावटी हैं। आपके वियोगसे संघको जो क्षति पहुँची है, वह सर्वथा

असहनीय है और ऐसी है कि जिसके अभावकी पूर्ति का होना कम से कम निकट भविष्यमें असम्भवही प्रतीत होता है। आप वास्तवमें देखा जाय, तो संघकी मूर्तिमान चैतन्यशक्ति थे, आप का इधर जब से संघको सहयोग प्राप्त हुआ, तब से संघ का कोई भी महत्वपूर्ण कार्य ऐसा न था, जिसमें आप प्रमुख रूपसे सम्मिलित न थे। संघका मुख्य कार्य राजसत्तामें प्रवेश कर वर्णाश्रम धर्मकी रक्षा करना—आपही को संघने सविश्वास सौंपा था। इस कार्यके करनेमें आप जिस प्रकार दत्तचित्त होकर सलग्न हुए, उसके विषयमें, मुझे विश्वास है कि संघ के सभी अंतरंग कार्यकर्ता पूर्ण रूपसे जानते हैं। उन्होंनें इस ओर कितना परिश्रम किया, वह सब संघके प्रधानकार्यालयकी फेइलोंसे पूर्ण रूपसे व्यक्त होता है और इस सबके अतिरिक्त उनके व्यक्तित्व के दिव्य गुणोंको मैं जानतां हूं। और यथार्थ बात तो यह है कि यदि संघको उनका सहयोग प्राप्त न होता, तो उसके बहुतसे कार्य शिथिल पड जाते। मेरे लिये तो वे विचारक, प्रबोधक एवं प्रदर्शक सब कुछ थे। उनके गत होनेसे संघको जो धक्का पहुँचा है, उसको मेरा हृदय ही जानता है। वे वास्तवमें पूर्ण सुशिक्षित, अनुभवी तथा बम्बई जैसी धन–कुबेर नगरी में गण्य–मान्य होनेके कारण संघ की एक महान् शक्ति एवं सम्पत्ति थे। उनके निधन होनेसे संघ इस समय निर्जीव–सा हो गया है, मेरी ऐसी सच्ची धारणा है, जिसमें वास्तव में तनिक भी अत्युक्ति नहीं है। मेरी यह सानुरोध अपील है कि बम्बई नगरकी सनातनी जनतामें से किसी योग्य व्यक्ति को आपके स्थानापन्न होने के लिए अवश्य अग्रसर होना चाहिये। यहां मैं आपके सन्मुख आपके विषयमें केवल एक बातकी ओर आपका विशेष ध्यान आकर्षित कर इस हृदय–विदारक शोक-समाचार के प्रसंगको समाप्त करतां हूं। जहां इस धर्मशील स्वर्गीय आत्मा का संघ की उद्देश्य प्राप्ति के सब साधनों में हाथ था, वहाँ उनकी यह हार्दिक इच्छा थी कि वर्तमान समयके सुधारक उत्पन्न करनें वाली मशीनरी के पुर्जों को शिथिल एवं उसे अपने पक्ष में प्राप्त करने के लिये हिन्दू–धर्म सम्बन्धी एक ऐसी पुस्तक–माला का निर्माण किया जाय, जो स्कूल की छोटी कक्षा से लेकर कालेज की उच्चश्रेणी तक काम आसके। मेरी यह इच्छा है कि संघको उनके इस महत्व-पूर्ण कार्यको उनकी पुण्यस्मृति में एक स्मारक के रूप में अवश्य सम्पादित करना चाहिए। आप के बाद

संघ की चौथी स्वर्गगत आत्मा बंगाल के सुप्रसिद्ध सनातनी नेता पं० श्यामसुन्दर चक्रवती की है। आप के वियोग हो जानेपर संघ के बंगाल-प्रान्त कार्य को जो क्षति पहुंची है, उसकी पूर्ति अबतक नहीं हो पाई है। आप देशकी प्रमुख राजनीतिक संस्था कांग्रेस के सुविख्यात नेताओं में भी रह चुके थे और कलकत्ता के लोक-प्रिय दैनिक अंग्रेजी के पत्र "सरवेंट" के सम्पादक भी थे। वास्तव में आप के अमूल्य सहयोग को प्राप्तकर संघ गौरवान्वित हुआ था। पांचवे स्मरणीय महानुभाव हमारे नेता पूना के सुविख्यात विद्वान् स्व० श्री विष्णु शास्त्री बापट हैं,। उन्होंने मराठी भाषा में अनेक पुस्तकों का प्रणयन किया है और आचार्य—कुल नाम के सुप्रसिद्ध पाक्षिक मराठी पत्र को प्रकाशित कर हिन्दूधर्म सम्बन्धी अनेक गम्भीर एवं रहस्य-पूर्ण विषयोंका स्पष्टीकरण किया है। और आपने स्व० लोकमान्य तिलक के लिखे हुए गीता—रहस्यका गीताके शांकर भाष्य के अनुसार निरूपण किया है। आरम्भ में महाराष्ट्र वर्णाश्रम स्वराज्य और संघ के आपही प्रधान मंत्री थे। छटे सज्जन काशीके सुप्रसिद्ध तीर्थ—पुरोहित पं० उमादत्तजी मिश्र हैं, जिनका सहयोग संघ को काशीके समस्त कार्यों में पूर्णरूप से समय समय पर प्राप्त होता रहता था। आप जैसे वयोवृद्ध, उदार एवं वीर आत्मा के वियोग से काशी को साधारण रूपसे और संघको विशेष रूपसे हानि पहुंची है। आप ही वे महानभाव हैं, जिन्होंनें सदल—बल संघकी ध्वजा—स्थापना में विशेष सराहनीय योगदान दिया था। अन्त में मैं इन सब महानुभावों की बैकुंठवासी उच्च एवं पवित्र आत्माओं के निमित्त भगवानसे यह प्रार्थना करता हूं कि वे उन्हें वहां शांति प्रदान करें। और साथ ही मैं इनके प्रियजनों के वियोग—दुखी परिवारोंके साथ हार्दिक समवेदना प्रकट करता हूं और उनसे यह आशा करता हूं कि वे इनकी अभाव पूर्ति के अपने कर्तव्य—कर्म को पालन कर संघको सहयोगदान देने के लिये अवश्य सचेष्ट होनेका उद्योग करेंगे।

महाधिवेशन के विलम्बका कारण

रिपोर्ट के मुख्य विषय को प्रस्तुत करने के पूर्व यहां इस विषय पर थोडासा प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है कि संघ का यह महाधिवेशन आज दो वर्ष पर पूरे एक वर्ष के विलम्ब के बाद क्यों हो रहा है क्योंकि गत कलकत्ता महाधिवेशन (दिसम्बर सन १९३१ ई०) में उपस्थित तत्सम्बन्धी निमंत्रण के कारण तो इसका सम्पादन दिस० सन् १९३२ ई० ही में होना आवश्यक था। परन्तु सरकार की ओरसे साम्प्रदायिक चुनाव के सम्बधमें एक घोषणा के प्रकाशित होने पर उसमें दिये हुए अछूत जाति के पृथक निर्वाचन के विरोध स्वरूप कॉंग्रेसके नेता श्रीगांधीजीने अनशन करने का निश्चय किया, जिसके कारण द्विजाति हिन्दुओं तथा अस्पृश्य हिन्दूओं के कुछ नामधारी स्वयम्भू नेतागण में समझौता हो जाने पर दोनों में पूना—पैक्ट नामक संधि की रचना हुई और उस संधि को प्राप्त कर देश के सुधारक लोग कांग्रेसवादी तथा आर्य—समाजी आदि अस्पृश्यता-निवारण आन्दोलन में अत्यधिक उत्साह के साथ प्रवृत्त हुए और उधर गांधीजी ने भी २ जनवरी सन् १९३३ ई० से गुरुवायूर मंदिर को अस्पृश्य जाति के लोगों के लिये खुलवाने के लिये एक और प्राणान्तिक अनशन करनेकी घोषणा करदी, अतः सनातन धर्मपर इस भयंकर संकट के आ उपस्थित होने के कारण संघ सर्व प्रथम गुरूवायूर क्षेत्र में अपना एक विशेषाधिवेशन बुलाकर सुधारकों के अस्पृश्यता—निवारण आन्दोलन को साधारणतः और उनके गुरुवायूर मंदिर सम्बन्धी सत्याग्रह को विशेषतः विफल बनाने के लिए सचेष्ट हुआ। क्योंकि जिस प्रकार श्रीगांधीजी की प्राणरक्षा करने की गुहार एवं दबाव को लेकर पूना—पैक्ट पास हुआ था और उससे सुधारक लोगों को अपना काम करने के लिए प्रोत्साहन मिला था, उसी प्रकार गुरुवायूर के कृष्णमंदिर के अन्त्यजों के लिये खुलने पर, जो श्रीगांधीजी के उसमें आसम्मिलित होने के कारण एक अखिल भारतीय प्रश्न बन गया था, उन्हें भारी बल मिल जाने की पूर्ण सम्भावना थी। अतः इसी सम्भावना के भय को समुपस्थित देख संघ के कर्णधारों ने सन १९३२ ई० की उन अन्तिम तारीखों में, जिनमें संघ का सर्वतोमुखी प्रतिभा सम्पन्न महाधिवेशन बम्बई

होने वाला था, मुख्यतः गुरुवायूर मंदिर की रक्षा तथा पुनार्पैक्ट के प्रश्न को लेकर जिसका महत्व समय को देख अति प्रधान था, एक विशेषाधिवेशन करना ही उचित समझा। और महाधिवेशन की पूर्व उद्घोषित तारीखों को १६ जनवरी १९३३ ई० को बम्बई में संघ की कार्य कारिणी समिति की बैठक बुला कर अगामी अप्रैल मास के इस्टर की तारीखों के लिये स्थगित कर दिया गया। परन्तु महाधिवेशन इन तारीखों में भी न हो सका। सन १९३३ ई० का आरम्भ होना था कि भारत वर्ष की वर्तमान नामधारी केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा (एसेम्बली) में विवाह विच्छेद और मंदिर प्रवेश आदि सनातन धर्म विरोधी बिल आउपस्थित हुये और मंदिर प्रवेश सम्बन्धी बिल के सम्बन्ध में श्रीगांधीजी जैसे कट्टर असहयोगी नेताने भी अपने अनन्य भक्त श्री राजगोपालाचारी आदि को एसेम्बली स्थान पर भेजकर उनके द्वारा अपना पूर्ण उद्योग प्रकाश किया। और इधर हमारे सनातन धर्म के एक मात्र नेता कहलाने वाले महामना पं. मदन मोहन मालवीयजीने भी अछूतो के मंदिर के प्रवेश के पक्षका समर्थन कार्य रूप में प्रदर्शन कर देशकी समग्र सनातनी जनता को आश्चर्यान्वित, चिन्ता-कुल एवं भयभीत बना दिया। इस पर संघ के कार्यपरायण नेताओं ने इस गुरुतर संकट एवं संक्रामक आक्रमण के समय संघकी कार्यकारिणी समिति को बुलाकर देहली में एक और विशेष अधिवेशन करने का निश्चय किया। और इस देहली के विशेषाधिवेशन के १५-१६ मार्च में होने के उपरान्त संघ की कार्य कारिणी समिति ने अपनी १८ मार्च की देहली की बैठक में समय की संकीर्णता को देखकर एवं उक्त दो विशेषाधिवेशनों के हो जाने पर आगामी अप्रेल मे (१४ से १७ अप्रेल) मे होने वाले महाधिवेशन की तत्काल में आवश्यकता न समझकर दिसम्बर के लिये स्थगित कर दिया। अस्तु, इस प्रकार विशेष परिस्थितियों के समय समय पर समुपस्थित होने के कारण इस अवश्यंभावी महाधिवेशन को विवश होकर दो बार स्थगित करना पडा। और आज यह बडे सौभाग्य की बात है कि संघ का यह महाधिवेशन अपूर्व समारोह के साथ मनाया जा रहा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि वह इसे सब प्रकार से पूर्ण एवं

सफल बनाकर हम चिर-पीडित सनातनियों को अपने सनातन धर्म की रक्षा करते हुए शान्ति एवं सुख प्रदान करें।

संघ के गत समग्र कार्य का सिंहावलोकन.

अब मैं रिपोर्ट के मुख्य विषय-संघ के गत समग्र कार्य के सिंहावलोकन की ओर आता हूँ। इस के दो विभाग हैं प्रथम भाग में सक्षेप में संघ-संस्थापना के मूलभूत कारणों से लेकर (नवम्बर सन् १९२९) गत कलकत्ता महाधिवेशन (दिस० १९३१) का इति वृत्त है और दूसरे भाग में उसके बाद के गत दो वर्षों में किये गये संघ के उस समस्त आलोचनीय कार्य का दिग्दर्शन है, जिसके उपस्थित करने के लिए मै नियमानुकूल बाध्य हूँ। मैं संघ के इस आद्यन्त विवरण को केवल इस लिए उपस्थित कर रहा हूं, जिससे इस भयावह संकट के समय संघ के पूर्व इतिहास का अवलोकन हो जाय और संघ अपने पूर्ण-स्वरूप का परिचय प्राप्तकर अपने कर्तव्यकर्म करने के लिए अत्यधिक उत्साह, आशा, सावधानी, तथा बुद्धिमत्ता, नीतिमत्ता एवं दूर-दर्शितासे प्रवृत्त हो।

संघ की संस्थापना के कारण

आप महानुभावों को यह व्यक्तही है कि "यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत आदि-" के अनुसार जब देश में इतर धर्मावलम्बियों, आर्य एवं ब्रह्म आदि समाजियों के आघात-प्रघातों के अतिरिक्त, जिनका संशोधन समाधान सनातन धर्मी जनता शास्त्रार्थ आदि के द्वारा करके संतुष्ट हो जाती थी, स्वर्गीय लोकमान्य श्रीबाल गंगाधर तिलक द्वारा निर्धारित धर्म में हस्तक्षेपन करने वाली अपनी नीतिका कॉंग्रेस ने त्यागना आरम्भ कर दिया, देशकी नामधारी एक मात्र हिन्दू महासभा में हिन्दुओं के हितोंकी रक्षा करनें के स्थानपर अपनी प्राचीन धर्म मर्यादाओं को हिन्दुओं की स्मृतियों में समयानुकूल परिवर्तन करने के प्रस्ताव पास होन लगे और सरकारकी ओरसे भी अपनी महामाननीया सम्राज्ञी स्वर्गीय श्रीमती विक्टोरिया की उनके उत्तराधिकारी सम्राट श्री स्वर्गीय एडवर्ड सप्तम तथा वर्तमान सम्राट श्री जार्ज पंचम

द्वारा समर्पित एवं अनुमोदित धार्मिक निरपेक्षता सम्बन्धी प्रतिज्ञाका भंग होने, एसेम्बली में हिन्दू-धर्म विरोधी बिलों के वाइसराय द्वारा स्वीकृति देने तथा उन बिलों के एक्टरूप में पास हो जाने से होने लगा, तब देशके कुछ सनातनधर्मी मनस्वी महापुरुषों का ध्यान अपनी धर्म रक्षा की ओर गया और उनके तत्सम्बन्धी विचार-मंथन का यह फल हुआ कि सर्व प्रथम कार्यरूप में खानदेश के प्रसिद्ध सनातनी महात्मा एवं नेता श्री-सन्तोजी महाराज की सनातन धर्मोज्जिविनी सभा ने अठारह सनातन धर्मी आवश्यक प्रश्नों को प्रकाशित कर देशके समस्त विद्वानों से लेख प्राप्त किये, जो सुसम्पादित करके एक कामिटी द्वारा सनातन धर्म प्रदीप नामकी एक पुस्तक के रूपमें प्रकाशित किये गये। परन्तु इस बृहत् शास्त्रीय पुस्तकके प्रकाशनके उपरान्त ही सुधारकोंने श्रीमहाराजा इंदौरकी एक पाश्चात्य देशनिवासिनी प्रेयसी मिस मिलर को हिन्दू–धर्म में दीक्षितकर उसको शर्मिष्ठा नाम से विभूषित करनेका महद्धर्म विरोधी कार्य किया। और उधर एसेम्बलीमें सारडा बिल नामक एक धर्मविरोधी बिल (सन १९२९ ई.) में प्रस्तुत किया गया। अब तो सनातनधर्मी नेताओं को बडी व्याकुलता हुई। इनमेंसे स्व० स्वनामधन्य प्रातःस्मरणीय धर्मप्राण पं. श्रीलक्ष्मण-शास्त्रीजी ने अग्रसर होकर वर्तमान उपरोक्त सम्पूर्ण अधार्मिक परिस्थिति पर पूर्णरूप से विचार करने के हेतु, काशी क्षेत्रमें एक ब्राह्मण महासम्मेलन करने का उद्योग किया। सम्वत् १९८५ के कार्तिक मास तदनुकूल सन १९२८ई. में यह महासम्मेलन पूर्ण सफलताके साथ भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुनको कहे गये निम्न श्लोकों को देशकी समस्त हिंदु-जनता को कहकर विसर्जित हुआ:—

यःशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परांगतिम्॥ तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्य्याकार्यव्यवस्थितौ। ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि॥ अर्थ—जो शास्त्र विधिको छोडकर अपनी मन मानी करता है, वह सिद्धिको नहीं पाता, न सुखको और न परम गति। इस लिये कार्य अकार्य की पहँचानके लिए शास्त्र प्रमाण है अतः शास्त्रविधिको समझ कर इस लोकमें तुझको कर्म करना चाहिए।

शिमला डेपूटेशन (१९२९ ई०)

और बादको इस ब्राह्मणमहासम्मेलनका एक डेपूटेशन केंद्रीय सरकार के उस समयके होम मेम्बर सर जेम्सक्रेरसे शिमलामें मिला इसके प्रति होम मेम्बरके सम्पूर्ण उत्तरका सारांश वर्तमान समयके लिए उपदेश वाक्य " संघे शक्तिः कलौ युगे " था। अर्थात् जाकर अपनी संघ-शक्ति का संचय करो तब किसी डेप्युटेशन आदिके फलाफलकी आशा करो। इस डेपूटेशनके प्रमुख सम्पादक स्व० धर्मप्राण पं० श्रीलक्ष्मणशास्त्रीजी को इन शब्दों का अर्थ पूर्ण रूप से हृदयंगम होगया। वे इसे कार्यान्वित करने के लिये सुअवसर देखने लगे।

चतुर्वेदीजी का पत्र

संयोग से ऐसा हुआ कि अक्टूबर सन् १९२९ ई० में उक्त सारडाबिल एक्ट रूप में पास होगया। बस इस बिल का पास होना था कि देश की समस्त सनातनी विद्वन्मंडली एवं जनता में क्षोभ उत्पन्न होगया, उसी समय देश के सुप्रसिद्ध सनातनी नेता एवं विद्वान् महामहोपाध्याय पं. श्रीगिरधर शर्मा चतुर्वेदी ने अपना एक प्रभावोत्पादक पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया, जिसका सारांश निम्नांकित है :—

" इस असाधारण घटना (सारडा कानून के पास होने) के अवसर पर भी सनातन धर्म के नेताओं को जो आज गहरी नींद आरही है, वह क्षीर-समुद्र शायी भगवान की प्रलय काल की नींद से कम दर्जे की किसी प्रकार नहीं कही जा सकती। जनता व्याकुल है। जिन्हें इस भयंकर बिल की कुछ भी खबर है, वे सर्प-बिल के समान ही इसके डर से थरथर काँप रहे हैं। बेचारे रस्ता ढूंढते है। कोई रस्ता बत लाने वाला नहीं। यदि सनातनधर्म के कोई नेता है और उनके चित्त मे इस संगठन युग में काम करनें का कुछ भी उत्साह शेष है, यदि सनातन धर्म की छीछाले-दार होती देख किन्हीं महानुभावों के हृदय में शोणितके अश्रु निकलतें हों, तो उन्हें इस अवसर पर आगे आना चाहिये। यह खास परीक्षा का समय है। इस समय गिरगये, तो फिर उठने का समय नही है! मेरे विचार से इस

समय सब पहला कर्तव्य यह है कि जितनी जल्दी हो सके, उतनी सब प्रदेशों के मुख्य मुख्य सनातनीधर्मी किसी स्थान पर एकत्र हो कर इस बातपर विचार करें कि इस समय धर्मरक्षा का उपाय क्या हो सकता है इस में कोई पार्टी भेद न रक्खा जाय सनातन धर्म की पार्टियों के समस्त मुखिया इसमें उपस्थित हों।

देहली महाधिवेशन और संघ की स्थापना (सन् १९२९ इ.

अस्तु, चतुर्वेदी जी का यह निकालना था कि स्व० धर्मप्राण श्री० लक्ष्मण शास्त्रीजी द्राविड महोदय ने भी इस विचार का समर्थन किया देश के समस्त सनातनी नेताओने भी तत्सम्बन्ध में अपनी सहमति दी और देहली में शीघ्र १, २, ३, नवम्बर सन १९२९ इ. को एक अखिल भारतीय सनातन धर्म सम्मेलन का आयोजन में किया गया :—

जिसमें निम्न लिखित वक्तव्य को अभिव्यक्त करते हुए अखिल भारतवर्षीय वर्णाश्रम स्वराज्य संघकी स्थापना की गई:—

" आज तक की समस्त सनातनधर्म संस्थाएं एवं मर्मज्ञ कार्यकर्त्तागण सरकार की धार्मिक निरपेक्षता की नीति एवं स्वर्गीय लोकमान्य बाल गंगाधर-तिलक की निर्धारित किसी धर्मपर हस्तक्षेप न करने वाली कॉंग्रेस की नीति पर विश्वास रखते हुए केवल इसाई, आर्यसमाज प्रभृति के प्रचार, उपदेश पुस्तक-पुस्तिकाओं द्वारा किये जाने वाले धर्म मर्माघात का वारण उन्हीं उपायों द्वारा करते हुए अपने को कृत कृत्य मानकर राजनीतिक क्षेत्रसे सर्वथा तटस्थ रहा करते थे। किंबहुना सनातन धर्म के नाम से होने वाली प्रत्येक सभा के नियमो में यह भी नियम रहता था कि इस का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। जिसके प्रति फल में आज एसेम्बली, कौंसिल, बोर्ड तथा कॉंग्रेस आदि किसी भी राजनीतिक संस्थाओं में सनातन धर्मियों के सच्चे प्रतिनिधि उचित संख्या में सम्मिलित नहीं हैं। और इसका यह परिणाम है कि सुधारक गण, जिन्हें देश ने अपना केवल राजनीतिक प्रतिनिधि बनाकर अपनी राजनीतिक सुधारों की कामना से उक्त क्षेत्रों में भेजा था, वे राजनीतिक कार्यों की ओटमें अपने चिरचिन्तित

धर्म-घातक स्वार्थोंकी सिद्धि का अवसर पाकर भारतवर्ष के प्राणभूत वैदिक वर्णाश्रम सनातन धर्म के गला घोंटने के लिये तरह तरह के प्रस्ताव पेश और पास किया करते हैं। इसपर सनातन धर्म मर्मज्ञों की तरफसे यदि पृथक रूपसे किसी प्रकार का अवरोध किया जाता है तो उसका कुछ फलहीं नहीं होता, जैसा कि उपरोक्त डेपूटेशन की गतिसे व्यक्त हो रहा है। अतः "संघे शक्तिः कलौ युगे" के सिद्धांत के अनुसार २२ करोड़ वैदिक वर्णाश्रम धर्मानुयायियों में संघ शक्तिके संचार द्वारा धार्मिक, तथा राजनीतिक आदि सर्वविधि आपत्तियोंके प्रतिकारके लिये "अखिल भारत वर्षीय वर्णाश्रम-स्वराज्य संघ" स्थापित किया गया। जो कि भारतवर्षमें हिन्दू-हितोंकी रक्षा करने वाली वर्तमान समयकी एक प्रमुख संस्था है।

इस प्रकार जब संघ की स्थापना होगई, तब वह अपने कर्तव्य कर्म की ओर अग्रसर हुआ। ओर शीघ्र ही उसे अपने अस्तित्व का परिचय देने एवं अपने पवित्र उद्देश्य को प्रकट करने के लिए दो प्रकार के सुअवसर मिले—एक तो डिसं. सन १९२९ ई. की लाहौर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन और दूसरा जनवरी फरवरी सन् १९३० ई. का प्रयाग का पूर्ण कुम्भ का महापर्व। लाहौर में संघ के नेताओं ने कांग्रेस के नेताओं को धर्म सम्बधी विषयों में हस्तक्षेप न करने की निम्न लिखित शब्दों में चेतावनी दी :—

"भारतीयों के महा—गौरवमय परम्परागत—वर्णाश्रमधर्म के विरुद्ध कांग्रेसी नेताओं का जो असह्य तथा विद्वेषमय भाव उसको नष्ट कर देने के लिये सुदृढतापूर्वक एवं विभिन्न युक्तियों द्वारा किया जा रहा है, उससे लोगों को बडी २ आशंकायें हो रही हैं॥ यह समझा जाता है कि जब उनके हाथों में किसी प्रकार की शक्ति नहीं है, तब तो उस धर्म के विरुद्ध इतना भयंकर षडयन्त्र रचे हुए हैं और यदि कहीं वे किसी प्रकार स्वराज्य द्वारा जरा भी अधिकार पा जायेंगें तब तो उस धर्मका सर्वान्त ही करके छोड़ेगें इस स्थिति में वर्णाश्रम-धर्मानुयायी हिन्दुओं को लाचारी से कांग्रेस से पृथक होकर यह घोषणा करनी पडती है कि कांग्रेस हिन्दुओं की सबसे बडी व भयानक शत्रु है और इस बातकी सारी जिम्मेदारी कांग्रेस के वर्तमान लीडरों के ही सिर पर है।

संघ और काँग्रेस में तभी से मत—भेद एवं विरोध चला आरहा है। काँग्रेस और संघ में बस संस्कृति का अन्तर है । संघ भारतकी प्राचीन संस्कृति अथवा वर्णाश्रम धर्म का रक्षण करते हुए स्वराज्य चाहता है और काँग्रेस के धीमानों की यह धारणा है कि भारत की स्वराज्य प्राप्ति में भारत की प्राचीन संस्कृति बाधक है अतः यह अवांछनीय एवं उच्छेदनीय है । परन्तु लाहौर में देशके राजनीतिज्ञोंको अपने जन्मोदय एवं तन्मूलक उद्देश्यका परिचय देकर संघके नेताओंने प्रयागके कुम्भमें अपना संदेश सुनाया और सब सनातनिनोंकी सहानुभूति एवं सहयोग प्राप्त कर १४ फर्वरी सन १९३० ई. से काशीमें अपना प्रधान कार्यालय स्थापितकर कार्य आरम्भ कर दिया ।

संघके जन्मका हेतु धर्मविरोधी कालाकानून सारडा—एक्ट था अतः वह जहां एक और देशमें अपनी शाखा एवं पोषक सभाओंके संगठनके सम्पादन में तत्पर हुआ, वहां वह दूसरी ओर एक के विरोधमें अपना प्रचण्ड कार्य करने लगा सनातनी जनताको हैंडबिल आदिसे शास्त्रानुसार इस एक्ट के अनर्थ प्रकट किये, सभाएं कीं, जलूस निकाले, एक्ट विरोधी विवाह रचाये और वाइसराय महोदयको इस समाचारसे सूचित किया।

(इस सम्बन्धमें अधिक जानकारी के लिये " धर्मविरोधी बिल और संघ " नामका अध्याय देखना चाहिये ।)

इसके उपरांत के दो वर्षों में संघ के सन्मुख दो राष्ट्रीय कार्य समुपस्थित हुए । एक तो भावी शासन सुधारमें धार्मिक संरक्षण प्राप्त करनेका उद्योग और दुसरा असेम्बलीद्वारा प्रस्तुत किये गये अनेक धर्मविरोधी बिलोंका विरोध । यद्यपि धार्मिक संरक्षण प्राप्त करनेसे बिलोंका आस्तित्व समाप्त हो जाता है, परंतु धार्मिक संरक्षण की सफल साधना इन बिलोंके विरोध—सूचक देश-व्यापी भारी आंदोलन के उपर निर्भर है । अतः संघने एक ओर भारत के भावी शासन विधान पर विचार करने के लिये बुलाई गई गोलमेज कन्फरन्सके सन्मुख, जिसके तीन बार अधिवेशन हुए है पहले तो उपरोक्त प्रयाग राज अधिवेशनके उपरांत जलगांवके महाधिवेशन (डि. स. १९३० इ.) में केवल यह प्रार्थनाकी कि, सनातनियों को भावी शासन पद्धतिमें धार्मिक संरक्षण मिलना चाहिए, परंतु बाद आगामी कलकत्ता महाधिवेशन (दिस० सन १९३१ ई०) में एक प्रस्ताव पास करके सनातानियोंके लिए प्रति-

निधित्व प्राप्त करने की मांग उपस्थित की । तदनुसार संघने इस रिपोर्ट के गत दो आलोच्य वर्षोंमें क्या उद्योग और किस प्रकार अन्ततः इसे प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ, उसका सम्पूर्ण वृत्तान्त इस रिपोर्टमें एक अलग अध्यायमें दिया हुआ है ।

दूसरी ओर संघ ने धर्म विरोधी बिलोंके विरुद्ध युद्ध आरम्भ किया। रिपोर्ट में गत दो वर्षोंमें आन्दोलन जितने धर्म विरोधी बिल एसेम्बली में उपस्थित हुए हैं, सब अबतक उपस्थित नहीं किये गये । ये सब चार थे, जो अब भी देशके सन्मुख हैं । इनमें से दो तो कांग्रेसवादियों तथा सनातन धर्म विरोधियों के अस्पृश्यता निवारण आन्दोलन से सम्बन्ध रखतें हैं । इनके नाम हैं मंदिर-प्रवेश बिल और अस्पृश्यता निवारण बिल । शेष दो बिल हैं । हिन्दू विधवा उत्तराधिकार बिल और विवाह-विच्छेद बिल इन उक्त सभी बिलोंके विरोध में संघ संग्राम कर रहा है । बस, इस रिपोर्ट में गत दोनों आलोच्य वर्षोंका समस्त विवरण मुख्यतः इन्हीं दो विषयोंसे सम्बन्ध रखता है । येही दोनो विषय अब भी संघके सन्मुख हैं और तत्सम्बन्धमें अब तक जो कुछकर चुका है वह सब आगे इस रिपोर्ट में सविस्तर अंकित है ।

संघकी कार्यकारिणी समिति की बैठकें

सन् १९३२ ई० की बैठकें

(१) कलकत्ता की बैठक

सन १९३१ ई० के दिसम्बर मास के अन्तिम सप्ताह में कलकत्ता में होने वाले संघ के महाधिवेशन की समाप्ति के उपरान्त संघकी कार्य कारिणी की प्रथम बैठक ३१ दिसम्बर सन १९३१ ई० को कलकत्ता में हुई इसमें कलकत्ता महाधिवेशन में स्वीकृत प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिये थे पांच उपसमितियां नियुक्त की गई । और निश्चय हुआ कि संघ के प्रधान कार्यालय की कार्यवाही के लिए मुख्य भाषा हिन्दी होगी और सहकारी रूप से संस्कृत और अंग्रेजी रहेंगी।

(२) नासिक की बैठकः—

समितिकी बैठक २५ फरवरी सन १९३२ ई० को नासिक क्षेत्रमें आचार्यवर श्री १०८ गोस्वामी गोकुलनाथ जी महाराजके सभापतित्वमें हुई। गत बैठकमें नियुक्त विभिन्न उप-समितियों की अपने अपने भावी कार्य-क्रमके सम्बन्धमें प्रस्तुतकी हुई योजनाएं स्वीकृत हुई । अर्थ-समितिके संयोजक श्री देवीदास माधवजी ठाकरसीके पद-त्याग करने पर उनके रिक्त स्थानकी पूर्ति का कार्य सभापति महोदय पर छोड दिया गया। निश्चय हुआ कि काश्मीर राज्यके पीडित हिन्दुओं की सहायतार्थ एकत्रित ७५०) रु० को बम्बई प्रान्तीय संघ--द्वारा यथा-स्थानमें शीघ्र भेज दिया जाय ।

(३)बम्बईकी बैठक नं० १

यह बैठक श्री १०८ गोस्वामी गोकुलनाथजी महाराजके सभापतित्वमें बम्बईमें २३ अक्टूबर सन् १९३२ ई० को हुई । इसमें ये प्रस्ताव पास हुए:—शास्त्रानुमत अछूतोंके परम्परागत अधिकार अवश्य उन्हें मिलने चाहिए, परन्तु अस्पृश्यता हटानेका कार्य हिन्दू--धर्म विरुद्ध है, और अछूतोंका मंदिर प्रवेश एवं उनके साथ सहभोज सनातन धर्मकी प्राणभूत वर्णाश्रम मर्यादाका उच्छेदक है । अतः संघ द्वारा ऐसे प्रयत्नको रोकने कालिये पूर्ण प्रयत्न होना चाहिए । गत २६ सित० सन् १९३२ ई० को सनातनियोंके डेपूटेशनको वाइसराय महोदयने धार्मिक संरक्षणके लिए जो आश्वासन दिया है, उसकी

ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए अनुरोध किया जाता है कि आगामी गोलमेज कान्फ्रेंसमें सनातनियोंकी मांगें अवश्य उपस्थितकी जायं और उसमें सम्मिलित होनेके लिये उनके प्रतिनिधि बुलाये जायं। धर्माचार्यों, सन्तामहन्तों, मठाधीशों एवं सनातनी राजा-महाराजाओं की सहायतासे शाखा सभाएं स्थापित करके स्थान स्थान पर संगठन किया जाय तथा कार्य-कर्त्ताओंको एकत्रित करनेके लिये एक मण्डलको नियुक्त किया जाय। और सब शाखा-सभाएं अस्पृश्यता-निवारण आन्दोलनके विरुद्ध मर्यादा-संरक्षण कमेटीके आदेशानुसार कार्य करें।

(४) बम्बईकी बैठक नं. २

यह बैठक ४ दिस० सन् १९३२ ई०को बम्बईमें आचार्यवर श्री १०८ गोस्वामी गोकुलनाथजी महाराज के सभापतित्वमें हुई। समितिकी यह बैठक गुरुवायूरके मंदिरमें अछूतों के प्रवेश करनेके विरोधी आन्दोलन को अग्रसर करनेके लिये बुलाई गई थी। तत्सम्बन्धमें पास हुआ कि एक दिग्विजय यात्रा का आयोजन होना चाहिए। जिसके कोषाध्यक्ष सेठ देवीदास माधवजी ठाकरसी रहें और उसके आय-व्यय का हिसाब सांघणीजीके पास रहे।

(५) पूना की बैठक

यह बैठक श्री १०८ गोस्वामी गोकुलनाथजी महाराजके सभापतित्वमें पूनामें ८ दिस. सन १९३२ ई. को हुई। पास हुआ कि पं. श्री श्रीजीव न्यायतीर्थ एम. ए. और श्री. प्रोफे. जयेंद्रराव भगवानलाल दुरकाल को गुरुवायूर विशेषाधिवेशन की तैयारीका काम आरम्भ करनेको भेजा जाय और वहां एक धार्मिक शिक्षण-सम्मेलन भी किया जाय। श्रीयुत नारायणजी पुरुषोत्तमजी सांगाणी का त्याग-पत्र स्वीकृत हुआ।

सन् १९३३ ई. की बैठकें

(१) बम्बईकी बैठक नं. १

समिति की सन १९३३ ई. की प्रथम बैठक गुरुवायूरके विशेषाधिवेशन के उपरान्त श्री १०८ गोस्वामी गोकुलनाथजी महाराजके सभापतित्वमें बम्बई में १६ जनवरी सन् १९३३ ई० को हुई। सर्व प्रथम गुरुवायूर दिग्विजय यात्राके सदस्योंके त्याग एवं उत्साह की प्रशंसा करके उन्हें धन्यवाद दिया

गया। पास हुआ चूंकि पं. मदनमोहन मालवीय एवं उनकी सनातन-धर्म सभा अछूतों के मंदिर-प्रवेशके पक्षमें है, इस लिए बहिष्कार किया जाय।

निश्चय हुआ कि काशीका "पंडित-पत्र" संघ द्वारा चलाया जाय। और इस विषयपर अगामी अधिवेशनपर विचार होना चाहिये, जो इस समय हो रहा है। आय-व्ययका प्रस्तुत व्यौरा स्वीकृत किया गया। और अंतिम प्रस्तावद्वारा यह निश्चय किया गया कि महाराष्ट्र प्रान्तीय संघ के लिए १५० रु. और एक मासके लिए मोटर देदी जाय, जिसके संचालक श्री विश्वासराव डावरे, श्री कवडे शास्त्री और श्री अण्णा शास्त्री रहें।

(२) देहलीकी बैठक नं. १

यह बैठक देहलीमें ९ मार्च सन् १९३३ ई. को बा. श्रीसत्येंद्रसेन एम्. ए. एम. एल. ए. के सभापतित्वमें हुई। यह बैठक वाइसराय महोदयके पास जानेवाले डेपूटेशन के वक्तव्यके ऊपर विचार करनेके लिए बुलाई गई थी। वक्तव्य तैयार हुआ, जो १७ मार्चको एक डेपूटेशन द्वारा वाइसराय महोदयके समक्ष एक मैमोरियल के रूप में उपस्थित किया गया।

(३) देहली की बैठक नं. २

यह बैठक देहली में १८ मार्च सन १९३३ ई. को जगद्गुरु श्री १०८ श्री रामानुजाचार्य प्रतिवादि भयंकर मठाधीश श्री १०८अनन्ताचार्य जी महाराज की अध्यक्षता में हुई। आगरा के गोस्वामी श्री बृजनाथ शर्मा के स्थान पर पं. घनश्याम शर्मा आगरे को निर्वाचित किया गया। पूना के पं. श्री. विष्णु शास्त्री बापट के स्वर्गवासी होने के कारण उनके स्थान पर वैद्य पंचानन पं. श्रीकृष्णा शास्त्री कवडे को निर्वाचित किया गया, श्रीयुत नारायणजी पुरुषोत्तम सांगाणी के त्याग-पत्र देने पर उनके स्थान पर प्रयाग निवासी पं. द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी को चुना गया। लाहोर के गोस्वामी गणेशदत्त जी के संघ-सिद्धान्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के कारण उनको हटा कर उनके स्थान पर अमृतसर के गोस्वामी जीवनदास जी चुने गये प्रचार समिति के संयोजक गोस्वामी भी जीवनदासजी बनाये गये और मर्यादा-रक्षण समिति के संयोजक श्री सांगाणी के स्थान पर कानपुर के श्री वृजलाल त्रिभुवनदास कामदार चुने गये। देहली के विशेषाधिवेशन में पास हुए समाचार-पत्र सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुसार एक उप-समिति बनाई गई। इस समिति

के सदस्यों के नाम परिशिष्ट में दर्ज हैं। और साथ निश्चय हुआ कि आगामी हरिद्वार और उज्जैन अर्द्ध कुम्भियों के अवसर पर प्रचार-समिति के मंत्री गोस्वामी जीवनदास जी की अध्यक्षता में प्रचार कार्य किया जाय और इसके लिये दो हजार रुपये मंजूर हुए। आगामी बम्बई में ईस्टर की छुटियों में होने वाला वार्षिक महाधिवेशन स्थगित किया गया क्योंकि इधर संघ जल्द जल्द गुरुवायूर और देहली के दो विशेषाधिवेशन कर चुका है और इन विशेषाधिवेशनों पर जो प्रस्ताव पास हुए हैं वे सब कार्यान्वित होने के लिये पडे हुए हैं। और अब आगे हरिद्वार और उज्जैन के प्रचारे कार्य में सर्व कार्यकर्त्ता एवं नेतागण फस जाएंगे। अत: तत्सम्बन्धी निर्णय आगामी बैठकमें हो। निश्चय हुआ कि व्हाइट-पेपर उप-समिति में पं. श्रीजीवन्याय तीर्थ एम. ए. को भी सम्मिलित कर लिया जाय। तदुपरान्त देहली के विशेषाधिवेशन के आय-व्यय का व्यौरा स्वीकृत किया गया और संघ के प्रधान मंत्री पं. श्री देवनायक आचार्य की तीन मास की छुट्टी स्वास्थ सुधारने के लिये स्वीकृत हुई और उनके स्थानापन्न पं. श्री ताराचरण जी भट्टाचार्य नियुक्त किये गये।

(४) बम्बई की बैठक नं २

यह बैठक ३० अप्रैल सन १९३३ ई० को बम्बई में श्री १०८ गोस्वामी गोकुलनाथ जी महाराज की अध्यक्षता में हुई। प्रथम राजनीतिक उपसमिति के मंत्री श्री हीरालाल डाह्याभाई नानावटी जी की व्हाईट पेपर सम्बन्धी रिपोर्ट पर विचार करने के लिये व्हाइट-पेपर उप-समिति का निर्वाचन किया गया. जिसके सदस्यों की नामावली परिशिष्ट में दी हुई है और यह भी निश्चित हुआ कि, आगामी वार्षिक महाधिवेशन बम्बई में किया जाय।

बद्रीनाथ-जाँच-कमीशन

इसके उपरान्त मई मास में संघ के स्थानापन्न प्रधान मंत्री पं० श्रीताराचरणजी भट्टाचार्य ने संघके प्रधान कार्यालय से एक सर्कुलर निकाल कर जिसका क्रमानुगत नं० २७ है, संघ की सदस्यों से श्री बद्रीनाथ धाम के हस्तांरित होने के वर्तमान आंदोलन के

विषय में पूर्ण छान--बीन करके एक जांच कमीशन नियुक्त करने के लिये अनुमति प्राप्त की । इस सब का आद्यन्त ब्यौरा आगे " श्री बद्रीनाथ धाम के हस्तांरित होने का प्रश्न और संघ " इस शीर्षक के अन्तर्गत दिया हुआ है।

(५) काशी की बैठक।

गत सूर्य--ग्रहण के अवसर पर तदनुसार १९-२० अगस्त, सन १९३३ ई० को पं० प्रवर पञ्चाननजी तर्करत्न की अध्यक्षता में समिति की बैठक काशी में हुई। सर्व प्रथम संघ के सहायक मंत्री स्वर्गीय हीरालाल डाह्याभाई नानावटी (बम्बई) की मृत्यु पर शोक प्रकट किया गया। तदुपरान्त श्री-बद्रीनाथ-जाँच-कमीशन के सदस्यों को धन्यवाद देकर उनकी रिपोर्ट स्वीकृत की गई।

पास हुआ कि समिति के स्वर्गीय सदस्य नानावटी जी का स्थान आगामी बैठक में पूर्ण विचार कर के भरा जाय। स्वर्गीय श्री श्यामसुन्दर चक्रवर्ती के रिक्त स्थान पर पं. बेचू मिश्र शास्त्री, वकील को चुना गया। संघ को कानूनी परामर्श देने के लिये काशी के वकील पं. बेचू मिश्र और कलकत्ता के एडवोकेट श्री नरेन्द्रनाथ सेठ तथा श्री चारुचन्द्र मित्र को संघ का लीगल एडवाइजर (कानूनी परामर्श दाता) नियुक्त किया गया। संघ के प्रधान कार्य्यालय के सम्पूर्ण कार्य्य के करने के लिये पंडित भगवती प्रसाद पाण्डे बी. ए., विशारद को सौ रुपया मासिक वेतन पर आफिस-इनचार्ज (कार्य्यालय-अध्यक्ष) नियुक्त किया गया। एसेम्बली में २९ अगस्त को विचारार्थ प्रस्तुत होने वाले धर्मविरोधी मन्दिर प्रवेश बिल तथा अस्पृश्यता निवारण-बिल-का विरोध करते हुये पहले बिल पर पण्डित रामकृष्ण झा द्वारा एसेम्बली में उपस्थित संशोधन को समस्त सनातनी जनता द्वारा समर्थन किये जानेके लिये व्यवस्था करनेका निश्चय पास हुआ। निश्चय हुआ कि लखनऊके I. D. T. पत्रके पुनः प्रकाशनके विषयमें संघको सम्मिलित होने से पूर्व अपने पक्षकी आवश्यकीय बातों को लेकर एक कानूनी पक्का शर्त नामा लिखा लेना चाहिये। परन्तु तत्सम्बन्धी कार्यवाही शुरूभी न हुई। देहली प्रान्तीय संघ के प्रधान मन्त्री पं० श्रीविश्वम्भर दत्त शास्त्रीके देहलीसे समाचार पत्र प्रकाशन करनेके पत्रके सम्बन्धमें निश्चय हुआ कि संघ की समाचार

पत्र--उप समिति देहली पहुँचकर तत्सम्बन्धमें उचित व्यवस्था करे, जो देहलीके विशेषाधिवेशनके तद्विषय सम्बन्धी मूल प्रस्तावके सर्वथा अनुकूल हो। (नोट—उक्त शास्त्रीजीके पत्रका मुख्य आशय यह था कि देहलीके विशेषाधिवेशनके अवसर पर जो चन्दा देहलीके लोगों से समाचार पत्र प्रकाशनार्थ लिखवाया गया, उसे देहली से निकलने वाले साप्ताहिक पत्र पर व्यय करने का अधिकार देहली प्रान्तीय संघकी कार्य्य कारिणी समितिको दिया जाय) निश्चय हुआ कि देवालय संरक्षण के लिए एक कोष स्थापित किया जाय।

निश्चय हुआ कि संघके इंगलैन्डसे लौटे हुये प्रतिनिधियोंके कार्य्यको प्रकाशन करनेका प्रबन्ध किया जाय और उनकी इस बातका पूर्ण समर्थन किया जाय कि वे हिन्दुस्तानकी ९५ फीसदी जनताके प्रतिनिधि हैं।

निश्चय हुआ कि बम्बईमें संघके होनेवाले आगामी वार्षिक अधिवेशनकी तैयारी शीघ्र होनी चाहिये, इसके लिए वहांके कार्य्यकर्ताओंको लिखा जाय। इन प्रस्तावोंके अतिरिक्त कुछ और भी प्रस्ताव हुये, जो कार्य्यालयके नित्य के कार्य्यसे सम्बन्ध रखते थ।

(६) कलकत्ताकी बैठक नं. १

२६–२७ सित० सन् १९३२ ई. को कलकत्तामें श्रीशिवकुमार-भवनमें समितिकी बैठक म. म. पं. श्रीदुर्गाचरणजीके सभापतित्वमें हुई। निश्चय हुआ कि मन्दिर–प्रवेश बिलपर सरकारद्वारा हिन्दू–जनताका मत लेनेकी जो घोषणा की गई है, उसका यथोचित उत्तर देनेका उद्योग होना और उसके लिये एक देश–व्यापी आन्दोलन बहुमतको अपने पक्षमें संग्रह करनेका प्रयत्न करना चाहिए जिससे यह बिल पास न हो सके। पास हुआ कि उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए संघके अन्तर्गत एक देवालय संरक्षण–समिति स्थापित की जाय जिसका प्रधान कार्यालय कलकत्ता में रहे और वहांसे तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण देशके आन्दोलनको प्रत्येक प्रान्तको संगठित करके चलाया जाय। इस सम्बन्धमें क्या काम किया गया, इसका वर्णन आगे देवालय–संरक्षण–समितिके शीर्षक मे दिया हुआ है।

(७) कलकत्ताकी बैठक नं. २

७ अक्टूबर सन् १९३३ ई, को ९७।१ मुक्ताराम बाबू—स्ट्रीट कलकत्ता में पं. श्री सत्येंद्रनाथ सेन एम. ए. एम. एल. ए. की अध्यक्षतामें आवश्यक कार्यकारिणी समितिकी स्थानीय बैठक हुई। यह केवल इस आशय के एक प्रस्ताव को पास करके विसर्जित हुई कि यह समिति ज्वाइंट-सिलेक्ट-कमेटीके सन्मुख संघके प्रतिनिधित्व प्राप्त सदस्य श्री एम० के० आचार्य, श्रीजितेन्द्रलाल बनर्जी तथा श्रीदेशपाण्डेने जो मैमोरेंडम उपस्थित किया है, उसका समर्थन करती है।

आवश्यक स्थानीय कार्य-कारिणी-समितिः—

संघ की अखिल भारतीय कार्य—कारिणी समिति के रहते हुए, आवश्यक स्थानीय कार्य—कारिणी समिति संघके ऐसे अति आवश्यक कार्यों पर विचार एवं निर्णय करने के लिए स्थापित की गई है, जिससे शीघ्रातिशीघ्र निर्णय कर कार्य करने की सुविधा हो। चूंकि गत दो वर्षोंमें संघका प्रधान कार्यालय काशीमें था, अतः इसमें संघ की कार्य—कारिणी समिति के सदस्योंमेंसे काशी के स्थानीय सदस्यही इसके सदस्य थे, जिनके नाम परिशिष्ट में दिये हुए हैं। इस समितिके गत दो वर्षों का कार्य—विवरण निम्नांकित है:—

सन १९३२ ई. की बैठकें:—

आवश्यक स्थानीय कार्य-कारिणी समिति की बैठकें स. १९३२ इ. में केवल दो हुईं। पहली बैठक जुलाई सन १९३२ इ० को मानससरोवर काशी में पंडित-प्रवर पं० श्रीपंचानन तर्करत्न महोदय के सभापतित्व में हुई। इसके प्रथम प्रस्ताव द्वारा निश्चय हुआ कि चूंकि श्री एम० के० आचार्य का इंग्लैण्ड को डेप्युटेशन में जाने का प्रस्ताव धार्मिक सिद्धांत के विरुद्ध था अतः डेप्युटेशन न भेजा जाय और तत्सम्बन्ध में भारत देशही में प्रचार किया जाय। दूसरे प्रस्ताव द्वारा निश्चय हुआ कि हिन्दी के साप्ताहिक पत्र "पण्डित पत्र" और संस्कृत की मासिक पत्रिका "संस्कृत—पत्रिका" का सम्पूर्ण भार एवं प्रबन्ध संघ अपने हाथ में ले और उन्हें सुचारुरूप से चलाने के प्रस्ताव को आगामी बम्बई के महाधि-

वेशन के सन्मुख उपस्थित करे। इन दोनों पत्रों का प्रवन्ध करने के लिये एक स्थानयि कमेटी भी बनाई गई जिसके सदस्यों के नाम परिशिष्ट में दिये हुए हैं।

इस वर्ष (सन १९३२ ई०) की दुसरी बैठक १२ अगस्त सन १९३२ ई० को काशी ब्राह्मण-सभा केदार घाट पर पंडितप्रवर श्रीपंचानन तर्करत्न जी के सभापतित्व म हुई। इस कमेटीके पूर्व निश्चयानुसार पास हुआ कि पण्डित-पत्र और "संस्कृत-पत्रिका" को संघको संचालित रखना चाहिए और तत्सम्बन्धी आर्थिक कष्ट को दूर करने का प्रयत्न होना चाहिए। तदुपरांत पास हुआ कि गोस्वामी गणेशदत्त के विषयमें लायलपुर लिखकर पता लगाया जाय कि ये वास्तवमें धर्म-विरुद्ध प्रचारकर रहे है या नहीं।

सन् १९३३ ई० की बैठकें

सन १९३३ ई० में संघकी आवश्यक स्थानीय कार्य-कारिणी-सामितिकी प्रथम बैठक २१ अप्रेल को पंडितप्रवर पं० पञ्चानन तर्क-रत्नके सभापतित्व में हुई। इस बैठकमें स्व० श्री हीरालाल डाह्याभाई नानावटी के १४ अप्रेल सन् १९३३ के इस आशय के पत्र पर कि ज्वाइंट-सिलेक्ट कमेटीके सन्मुख गवाही देने के लिए संघ के प्रतिनिधि जाने चाहिए निश्चय हुआ कि समुद्र यात्रा सम्बन्धी शास्त्रोक्त निषेधाज्ञाको दृष्टिगोचर करते हुए संघ इंग्लैण्ड जाने के लिये केवल स्वतःप्रवृत्त हुए लोगों को अपना प्रतिनिधित्व दे सकता है, और इस सम्बन्ध में ऐसे प्रतिनिधित्व प्राप्त प्रतिनिधि को इस प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करना होगाः--

प्रतिज्ञा-पत्रः--

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय।

अ. भा. वर्णाश्रम स्वराज्यसंघ,

(१) मैं धर्म-रक्षा के सद्भावसे प्रेरित होकर विलायत जाने के लिये स्वतः प्रस्तुत हुआ हूं। मैं वर्णाश्रम स्वराज्य-संघ के सम्पूर्ण उद्देश्योंसे सहमत हूं। मैं भावी-क्रममें उन्हीं की पूर्ति के लिए कार्य करूंगा।

(२) मैं विलायत की यात्रा के संबन्धमें श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण प्रतिपादित अनादि शिष्टाचार सिद्ध निर्णयको मानने के लिये सर्वात्मना प्रस्तुत हूँ

(३) ऐसे प्रसंगमें मुझे अ. भा. वर्णाश्रम स्वराज्य-संघ ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी के सामने साक्षी देनेका कार्य-भार दे रहा है। उसे मैं पूर्ण तथा वहन

करूंगा। दूसरे प्रस्ताव द्वारा पास हुआ कि तार दिया जाय, कि राजनीतिक उप-समिति अथवा व्हाइट-पेपर उप-समिति के सम्पादक स्व. श्रीहीरालाल डाह्याभाई नानावटी द्वारा तैयार की गई व्हाइट-पेपर सम्बन्धी रिपोर्ट को पं. श्रीरमापति मिश्र तथा श्रीनगीनदास पुरुषोत्तमदास संघवी काशी लेकर आवें। इसके बाद दूसरी बैठक बम्बईसे पं. श्रीरमापति मिश्र के आनेपर २६ अप्रेल सन १९३३ ई० को पंडितप्रवर श्री पंचानन तर्क-रत्न की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में सर्व प्रथम स्व० नानावटी जी के इस आशय के तार (२४ अप्रेल) के सम्बन्ध में कि इंगलैंड जानेवाले संघका प्रतिनिधित्व प्राप्त सज्जनों से हस्ताक्षर लेनेका अवसर नहीं है, यह निश्चय हुआ कि संघ प्रतिज्ञा पत्र पर बिना हस्ताक्षर कराये अपना प्रतिनिधित्व नहीं दे सकता । और एक दूसरा प्रस्ताव इस आशय का पास हुआ कि प्रतिनिधियों को सिलेक्ट कमिटी के सन्मुख स्पष्ट रूप से यह कहना चाहिए कि, धर्म में किसी प्रकार का हस्त क्षेप न होना चाहिए (२) संदेहात्मक बात के लिये धर्म शास्त्रको प्रमाण मानना चाहिए (३) धर्म-शास्त्र का तात्पर्य-निर्णय कुमारिलभट्ट की व्याख्या-नुसार पूर्व मीमांसा पद्धति से होना चाहिये । और निर्णायक गण उक्त पद्धतिके पारंगत विद्वान् होते हुये पूर्ण सदाचारी होने चाहिए।

विशुद्ध संस्कृत-विश्वविद्यालय

आप लोगोंको यह विदित है कि सम्वत् १९८५ ई० के कार्तिक मास में प्रातः स्मरणीय धर्मप्राण स्व० पं० श्रीलक्ष्मणशास्त्री द्राविड के उद्योग से काशी क्षेत्रमें एक अखिल-भारतवर्षीय ब्राह्मणमहासम्मेलन स्व० महाराजाधिराज भारत-धर्म-दिवाकर दरभंगा नरेश सर रामेश्वर सिंह बहादुर के सभापतित्व में हुआ। अनेक धर्माचार्यों के स्वयं सन्निधान करने के अतिरिक्त कई हजार की संख्या में देशके कोने कोने से संस्कृतके चुने हुए सभी विद्वान् आकर सम्मिलित हुए थे।उस महासम्मेलनमें काशी में एक विशुद्ध संस्कृत-विश्वविद्यालय स्थापित करनेका भी एक प्रस्ताव ऊपर लिखे हुए उद्देश्योंकी पूर्तिके निमित्त पास हुआ था । इस विश्वविद्यालय के संचालन के लिये धन-संग्रह आरम्भ करने के लिए पचास लाख रुपये की

आवश्यकता बताई गई थी । सम्मेलन के सभापति महोदय महाराजाधिराज दरभंगा नरेश ने पाँच लाख रुपयेका वचन देकर धन संग्रह के कार्यको उसी समय अग्रसर कर दिया था । और उसी समय सम्मेलनमें श्री १०८ तिलकायित श्रीनाथद्वाराधीशने एक लाख ग्यारह हजार देने और काँकरौली पीठाधीशने दो हजार वार्षिक देनेके बचन दिये थे । और इनके अतिरिक्त श्री १०८ शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री वल्लभाचार्य श्री मध्वाचार्य, आदि अनेक विद्वानोंने भी सहायता देने का बचन दिया था । और इस धन–संग्रह कार्य की पूर्ति के लिए एक हृदय–ग्राही अपील भी सनातनी जनता के प्रति निकाली गई थी । आगे चलकर इस धन–संग्रह के कार्य के लिए स्व० म० म० पं० श्रीहरिप्रसादजीके सभापतित्वमें बंगदेशमें एक कमेटी बनी गौरीपुर (मैमनसिंह) के धर्मात्मा जमीदार बा० ब्रजेन्द्र किशोर राय चौधरीने एक लाख रुपया देने की इच्छा प्रकट की एवं अन्य अनेक जमीदारोंने भी सहायता देनेका बचन दिया । इसके उपरान्त ५ अगस्त सन १९२९ ई० को इस विश्वविद्यालय के कार्य संचालन के लिए स्व० धर्मप्राण पं० श्रीलक्ष्मणशास्त्रीजीके सम्पादकत्वमें एक समिति की योजना की गई । समितिने तत्सम्बन्धमें बस कुछ कार्य करना आरम्भ ही किया था कि महाराजाधिराज दरभंगा नरेश बैकुण्ठवासी होगये जिससे इस समिति को कार्य का बड़ा भारी धक्का पहुँचा । इस दुर्घटना के उपरान्त समिति के सदस्यों का ध्यान एसेम्बलीमें उपस्थित धर्म–विरोधी सारडा बिल आदि की ओर गया और अखिल भारतवर्षीय वर्णाश्रम स्वराज्य संघ की स्थापना की गई ।

विश्वविद्यालय और संघ

अब विश्वविद्यालय समिति के सम्पादक एवं अन्य सदस्यों की सब शक्ति धर्म–विरोधी बिलोंके विरोध में लग गई । परन्तु यह देखकर कि संघको बडी सफलता मिली है अतः विश्वविद्यालय का प्रश्न संघको सौंप दिया गया और संघके जलगांवके महाधिवेशन दिस० १९३० ई० में एक डेपूटेशन स्व० धर्मप्राण पं० श्रीलक्ष्मणशास्त्रीजी की अध्यक्षतामें नियुक्त हुआ । परन्तु दुर्भाग्य है अभाग्य कि शास्त्रीजी स्वर्गवासी हो गये और इस कार्यका चलना फिर रुक गया, और संघके कार्यको भी भारी क्षति

पहूँची और पूरे सालभर तक विद्यालयका कार्यरुका रहा । अन्तमें जब सन १९३१ के दिसम्बर मासमें संघ का वार्षिक महाधिवेशन कलकत्ते में हुआ, तब विशुद्ध संस्कृत विश्वविद्यालय के सम्बन्धमें निम्न लिखित प्रस्ताव पास किया गयाः--

"यह अधिवेशन संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व स्वीकृत प्रस्तावोंको कार्य रूपमें परिणत करने की नितान्त आवश्यकता समझता है और कार्यकारिणीको आदेश करता है कि इस कार्यको अग्रसर करनेका प्रयत्न करे, तथा वर्णाश्रम धर्मानुयायियों से अनुरोध करता है कि वे इसे पूर्ण सहायता दे। संघके कलकत्ता महाधिवेशन के प्रस्तावोंको कार्यान्वित करने के लिये कलकत्तामें १ जनवरी सन १९३२ ई० का होनेवाली संघकी कार्यकारिणी समिति की बैठक में जो अनेक उप-समितियां बनाई गई थी, उनमें एक उप-समिति श्रीकाशीजीमें विशुद्ध संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये भी नियुक्त की गई और उप-समितियों के साथ साथ इस उप-समितिने भी संघकी कार्यकारिणी समिति में आगामी २५ फर्वरी सन् १९३२ ई० को इस सम्बन्धमें कि इस उप-समिति का भावी कार्यक्रम क्या होगा एक रिपोर्ट उपस्थित की । यह रिपोर्ट निम्नांकित हैः--

विद्यालय के उद्देश्य

(१) देश में ऐसे ब्राह्मणों का रक्षण करना, जो बिना किसी की नौकरी करते हुए अपने बालकों को वेद विद्या की शिक्षा निरपेक्ष होकर देते हैं।

(२) जो वेद-शास्त्र के विद्यापीठ विना सहायता के ठीक रीति से नहीं चलते हैं, उनकी-यथा-शक्ति सहायता करना।

(३) श्रीकाशी क्षेत्र में एक उच्च आदर्श-सम्पन्न विद्यालय की स्थापना करना, जिसमें संस्कृत भाषा में जितनी विद्याएं हैं, उनकी खोज करके, धर्म-शास्त्रानुसार जिस जाति की जो विद्या सिखलायी जानी चाहिए, उसे सिखलाना।

(४) विद्यार्थियों के आचरण पर पूर्ण दृष्टि रखना।

(५) चतुःषष्टिकला, वास्तुशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि विद्याओं का भी अध्यापन करना।

(६) एक बृहत्पुस्तकालय की स्थापना कराना जिसके अन्तर्गत एक विद्वन्मण्डल हो, जो सर्वदा प्राचीन विद्याओं का परिशीलन करते हुए, गूढ रहस्यों का उद्घाटन करता रहेगा।

भावी कार्य-क्रम

(१) इस विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली वेद आदि शास्त्रों के आधार पर बनेगी और साधारण लोक बहुमत के बदले शास्त्रीय प्रमाणों का बहुमत मान्य होगा।

(२) सर्व प्रथम परीक्षा–विभाग स्थापित करके यथार्थ परीक्षा का प्रबन्ध किया जायगा।

परीक्षा–प्रणाली

परीक्षा-विषयः–वेद, धर्म–शास्त्र, अर्थ–शास्त्र, न्याय, वेदान्त, मीमांसा, साहित्य, ज्योतिष तथा व्याकरण यावत् विषय होंगे।

(क) प्रत्येक विषय के परीक्षक तत्तद्विषय के परिनिष्ठित विद्वान होंगे परीक्षार्थियों की उस विषय के परिनिष्ठित विद्वानों की सभा में परीक्षा ली जायगी, परीक्षकों के अतिरिक्त उपस्थित विद्वान् भी परीक्षक की अनुमति लेकर प्रश्न कर सकेंगे।

(ख) प्रत्येक विषय में एक एक सर्वोच्चश्रेणी की परीक्षा होगी। वेद के परीक्षार्थी की अवस्था २४ वर्ष के भीतर होनी चाहिये।

(ग) वेद के निम्नलिखित विषयों में कण्ठस्थ परीक्षा ली जायगी:– संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पद–क्रम, जटा–घन, शिक्षा, व्याकरण कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, प्रातिशाख्य और छन्द।

(घ) इन सब विषयों में अर्थ सहित परीक्षा भी होगी, जिसके लिये परीक्षार्थी को द्विगुण सम्मान प्राप्त होगा।

(ङ) वेद के अतिरिक्त विषयोंमें पाठ्य–पुस्तक काशी राजकीय संस्कृत कालेजके प्राचीन तत्तद्विषयोंके ग्रंथ होगे

(च) वेदमें प्रथम भागमें उत्तीर्ण होने वाले को प्रथम वर्ष महावस्त्र सहित एक सौ रुपयेका पारितोषिक दिया जायगा । तदनन्तर एक सौ रुपया वार्षिक यावज्जीवन वर्षाशन दिया जायगा । परन्तु दक्षिणा लेने के लिये विश्वविद्यालय के वार्षिकोत्सव में आना होगा । किसी भी उत्सव में सम्मिलित होनेसे पूर्व वर्ष को भी दक्षिणा देदी जायगी । और द्वितीय भागमें उत्तीर्ण होनेसे इसका द्विगुण पारितोषिक दिया जायगा ।

(छ) परीक्षार्थी को यावज्जीवन प्राचीन वैदिक शिष्टाचारके अनुसार बर्तना होगा और वेदविद्याको परिक्षा कालके जैसेही रक्षित रखना होगा परीक्षा समिति आवश्यकता प्रतीत होनेपर पुनः जब चाहे परीक्षा ले सकेगी उक्त दोनो बातों मे किसी प्रकार की गडबडी करनेपर वर्षाशन बन्द कर दिया जायगा ।

(ज) शास्त्रों की परीक्षा में जो उत्तीर्ण होगा, उसको छः हजार रुपये का एक कालीन पारितोषक दिया जायगा। उसमें संरक्षण यह रहेगा कि रुपया उसके लिये बैंक में रक्खा रहेगा । उसका सूद यावज्जीवन मिलेगा । और उसका पुत्र यदि धर्मानुसार अध्ययन–अध्यापन करता रहेगा,तो उसको वह वर्षाशन यावज्जीवन मिलेगा। और यदि उस पुत्र का पुत्र भी सदाचारी धार्मिक हो, तो उसे वह धन समर्पित कर दिया जायगा। उक्त तीनों पीढियों में यदि कोई भी विद्वान् रहते हुए भी श्रुति, स्मृति, पुराण, प्रति–पादित चिरन्तन सदाचार अनुमोदित, धर्माचरण में गड़बड़ी करेगा, तो इस वृत्ति का अनधिकारी हो जायगा ।

(३) उपरोक्त परीक्षाओं के लिये योग्य विद्यार्थी बनाने के लिए जिस विद्यालय अवथा जिस गृहशाला में पढाई करायी जाय, वह विश्वविद्यालय से सम्बन्धित समझी जायगी ।

(४) उपरोक्त परीक्षाओं का व्यय भार तथा प्रबन्ध भार आदि काशी-जीका कोई विद्यालय उठा लेता हो, तो उसे विश्वविद्यालय की परीक्षा का केंद्र मान लेना होगा ।

(५) (क) ऐसी अवस्थामें उस विद्यालय की पूर्वतर आर्थिक व्यवस्था पर उसी विद्यालयके संचालकोंका अधिकार रहेगा ।

(ख) उपरोक्त कार्य का भार लेनेवाले संस्थाके अन्यान्य भागोंमें भी शास्त्रानुसार ही कार्य करना पड़ेगा अन्यथा होनेपर कार्य–भार नहीं दिया जा सकेगा।

(६) आवश्यकता होनेपर संघ भी उचित संरक्षणोंके साथ उसी संस्थाके कोष में धन देकर कार्यको उन्नत कर सकेगा।

(७) उपर लिखित विषयोंका परीक्षण कार्य चल जाने पर और धनकी सुव्यवस्था होनेपर अन्यान्य आवश्यक परीक्षाएं आरम्भ की जाएंगी।

(८) संघ और विद्यालयमें मतभेद होनेपर यदि प्रयोजन समझे, तो कोष पृथक करके अलग अलग हो सकेंगे।

(९) विश्वविद्यालयकी परीक्षाओंके अनुकूल शिक्षाका भी कोई प्रवन्ध यदि उस विद्यालय में हो सके, तो उसे विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि समझा जायगा

(१०) उपरोक्त विश्वविद्यालयके प्रारम्भिक कार्य जो बताये गये हैं उनके लिए कमसे कम विशाल भवन और दो लाख रुपये का मूलधन अपेक्षित होगा। अतः इससे कम हैसियत रखनेवाले विद्यालयोंको अधिकार देना शक्य नहीं होगा।

उप-समितियाँ और उनके कार्य-विवरण

पिछले अध्यायमें यह लिखा जा चुका है कि कलकत्ता महाधिवेशनके विविध प्रस्तावोंको कार्यान्वित करनेके लिये अनेक उप-समितियोंका निर्माण किया गया था। अस्तु, यहाँ पर संक्षेपमें उन सब उप-समितियों तथा इनके बादकी बनी हुई आलोच्य दो वर्षोंकी शेष अन्य सब उप-समितियोंके विषयमें दिग्दर्शन कराया जाता है। यहाँ यह याद रखना चाहिये कि सन् १९३२ ई० के आरम्भमें संघके सन्मुख दो प्रश्न मुख्य रूपसे उपस्थित थे। एक तो भावी शासन विधान सम्बन्धी और दूसरा धर्म विरोधी बिल सम्बन्धी। संघका गत दो वर्षोंका सम्पूर्ण इतिहास एवं कार्य मुख्यतः इन्हीं दो प्रश्नोंके करणीय कार्योंसे सम्बन्ध रखता है। और कलकत्ता महाधिवेशन (दिस० १९३१) के बहु—संख्यक प्रस्ताव भी इसी ओर उन्मुख थे। अतः जहाँ इन दोनों प्रश्नोंके सम्बन्धमें अपना कर्तव्य पालन करनेके लिये क्रमशः (१) राजनीतिक उपसमिति एवं (२) मर्यादा-संरक्षण उपसमितिका निर्माण किया गया, वहाँ इन दोनों उप-समितियोंके कार्योंको पूर्ण रूपसे सफ़ल बनाने के लिये एक (३) प्रचार उप-समिति की भी रचना की गई और "सर्वारम्भास्तण्डुलः प्रस्तमूलाः" के अनुसार इन सब के व्ययभार बहन करने के लिए (४) अर्थ उप-समिति भी बनाई गई। इन सब सामयिक एवं आवश्यक समितियोंके साथ साथ संघ द्वारा उठाए हुए एक महत्व-पूर्ण कार्य विशुद्धसंस्कृत विश्वविद्यालयकी दिव्य आयोजनाको अग्रसर करनेके लिए भी एक (५) विशुद्ध संस्कृत विश्वविद्यालय उप-समिति की स्थापना की गई।* अस्तु, इन सब उपरोक्त उप समितियोंका जन्मोदय कलकत्ता महाधिवेशन (दिस० १९३१) के उपरान्त ही हुआ और उनकी करणीय कार्य-क्रम सम्बन्धी योजनाएं भी तैयार हुईं। परन्तु यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि इस कमेटी के नाम रूपमें रिपोर्ट के दूसरे

---

* इसका वर्णन ऊपर आ चुका है।

आलोच्य वर्ष सन् १९३३ ई. में परिवर्तन हो गया। इसका पर्याय वाची एक और नाम "ह्वाइट-पेपर कमेटी" हो गया। इसका कारण यह था कि जब मार्च सन् १९३३ में भारत-सरकारके भारतकी भावी शासन-पद्धति सम्बन्धी प्रस्ताव, जो "ह्वाइट पेपर" के नामसे प्रसिद्ध हैं, प्रस्तुत हो गये, तब उक्त राजनितिक समिति का तत्कालीन सम्पूर्ण कार्य तत्सम्बन्ध ही में होने लगा। और इसलिए संघ देहलीके महाधिवेशन के उपरान्त उसके निर्धारित प्रस्तावोंको कार्यरूप देनेके लिए संघ की कार्य-कारिणी समिति की जो बैठक तुरन्त देहलीमें हुई थी, उसमें उक्त राजनीतिक कमेटी के नाम रूपमें आवश्यक वांच्छनीय परिवर्तन कर ह्वाइट-पेपर कमेटी का निर्माण किया गया, जिसके सदस्यों की नामावलि परिशिष्ट दी हुई है। इस ह्वाइट-पेपर कमेटीका भी समस्त अबतक का कार्य्य विवरण उक्त "भावी शासन-विधान-और संघ" नाम के अध्यायमें सम्मिलित है।

अर्थ उप-समिति

इन में से अर्थ उप-समितिने जो कार्य्य किया, उसका परिचय धनसम्बन्धी परिशिष्ट में प्राप्त हो सकता है। परन्तु खेद के साथ लिखना पड़ता है कि इस कमेटीके संयोजक श्री० देवीदास माधवजी ठाकरसी के इस्तैफा देनेके कारण इसके कार्यको बड़ा धक्का पहुँचा और शेष सदस्यों ने भी अपने कार्य में पूर्ण शिथिलता दिखाई।

राजानीतिक उप-समिति

इस समितिने आलोच्य दो वर्षों में जो काम किया है, उसका समस्त विवरण पूर्ण विस्तार से इस रिपोर्ट के "भावी शासन" विधान और संघ नामक अध्यायमें दिया हुआ है।"

इमरजैंसी कमेटीका कार्य-विवरण

अखिल भारतवर्षीय वर्णाश्रम स्वराज्य—संघके गुरुवायूरके विशेषाधिवेशन (सन् १९३२ ई० माह दिसम्बर) के अवसर पर संघके विशेष आवश्यकीय कार्यों के करनेके लिए एक इमरजैंसी कमेटीकी नियुक्ति की गई थी। इस कमेटीके उप-सभापति श्री० टी० एम० कृष्णा स्वामी अय्यर बी० एल० एडवोकेट थे और मंत्री डाक्टर शंकर नारायण अय्यर थे। कमेटीके निर्युक्तिके बाद कमेटीके सभापति महोदय गोस्वामी गोकुलनाथजीने मलाबार और कोचीनके प्रान्तोंमें अनेक स्थानों पर सार्वजनिक सभाएँ की, जिनका फल यह हुआ कि जनतामें वर्णाश्रमधर्मके प्रति भारी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। सभापतिजीके अतिरिक्त कमेटीके उप-सभापति और मंत्री महोदयने भी मलाबारमें दौरा किया और भारी भारी सार्वजनिक सभाएँ कर जनताको संघके मन्तव्यका पूर्ण पक्षपाती बनाया। इन सभाओंमें पुरीके जगद्गुरु श्री शंकराचार्यजी आदि जैसे महान् पुरुष भी उपस्थित थे। तत्सम्बन्धी विशेष व्यौरा आगे अखिल भारतीय प्रचारमें गुरुवायूर अधिवेशनके बाद की दिग्विजय यात्राओंके विवरणमें अंकित है।

इस सबका फल यह हुआ कि यह कमेटी बड़ी सरलता-पूर्वक इस प्रान्त केरलसे ५०,००० हस्ताक्षर एसेम्बलीमें उपस्थित मंदिर प्रवेश तथा अछूत-निवारण आदि धर्म-विरोधी बिलोंके विरुद्ध वाइसराय महोदयके पास भेज सकी, जिसका सरकार एवं जनता दोनोंपर बड़ा प्रभाव पड़ा और वह गुरुवायूर जहाँ सुधारकोंने अपना भारी प्रभुत्व जमा रक्खा था, वर्णाश्रमियोंके हाथमें आगया। वहाँके मंदिरमें वर्णाश्रम धर्महीके अनुसार दर्शक एवं पूजक लोग जाते हैं और मंदिरके किसी प्रकारसे अपवित्र होनेका भय नहीं रह गया है। गुरुवायूरके चारों ओर देशी और ब्रिटिश दोनोंही प्रकारके मलाबार और

कोचीनके क्षेत्रोंमें इस कमेटीने अपना प्रचार कार्य किया और इस ओर उसे आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। इस कमेटीने १७ मार्च सन् १९३३ ई० के वाइसराय महोदयके समक्ष प्रस्तुत देहलीके डेपूटेशनमें भी योग दान दिया है और दक्षिणमें भी इसने मद्रासके गवर्नरके समक्ष मद्रास प्रान्तके सनातनी नेता श्री० एम० के० आचार्यके नेतृत्वमें भी एक डेपूटेशन भेजनेका उद्योग किया है, जो मद्रास कौंसिलमें उपस्थित मंदिर—प्रवेश बिलके हटाये जानेमें कुछ कम सहायक नहीं हुआ है।

मर्यादा-संरक्षण-उपसमिति

इस उपसमितिकी स्थापना हिन्दूधर्मकी मर्यादाओं अथवा सिद्धान्तों तथा आदर्शोंकी रक्षाके लिए हुई थी। इसके अन्तर्गत जो कार्य हुए हैं, उन सबका व्यौरा आगे "धर्म विरोधी बिल और संघ" नामके अध्यायमें अंकित है। उक्त राजनीतिक उप-समिति की भांति दूसरे वर्ष सन् १९३३ ई० के आरम्भिक काल की विशेष परिस्थितियोंके आ-उपस्थित होनेके कारण इसका कायाकल्प करनेके लिए इसके नाम रूपको केवल एक बार ही नहीं किन्तु दो बार बदलना पड़ा। इसका पहला कायाकल्प गुरुवायूर के विशेषाधिवेशन (दिस० सन् १९३३ ई०) के अवसर पर इमरजैंसी कमेटीके रूपमें हुआ। इस कमेटी का निर्णय इस अभिप्रायको लेकर किया गया था कि आदि मर्यादा-संरक्षण-समिति सभी हिन्दू-मर्यादाओंके सम्बन्धमें अपना कर्तव्य कर्म पालन करनेके लिए बनाई गई थी, परन्तु अब जब देशमें अस्पृश्यता-निवारण तथा अस्पृश्योंके मंदिर प्रवेश होनेका आन्दोलन भयंकर रूपमें छिड़े हुए हैं, तब केवल इसी अन्दोलनका सामना करनेके लिए उक्त इमरजैंसी कमेटीकी रचना की गई। इसका अर्थ यह है कि वह कमेटी जो किसी आवश्यक कार्य के समुपस्थित होनेके लिए बनी हो। परन्तु मूल मर्यादा-संरक्षण उप-समिति का यह नया रूप भी आगामी परिस्थिति विशेषके उत्पन्न होनेपर समाप्त हुआ। यह अधिकतर, इसके संयोजकके दक्षिण प्रान्तका निवासी होने

के कारण, दक्षिणमें धर्म-विरोधियोंके विरोधमें काम करती रही। इस कमेटी का संक्षिप्त व्यौरा ऊपर दिया जा चुका है:—

परन्तु सन् १९३३ ई० के २८ अगस्त का आना था कि उक्त इमर—जैसी कमेटी के नाम रूप बदलने के लिए संघ के कार्यकर्ता पुनः चिन्तित हो गये। उक्त तारीख को एसेम्बली में उपास्थित मंदिर प्रवेश बिल के सम्बन्ध में यह पास हुआ कि इस पर आगे कुछ विचार विनिमय के पूर्व इस पर देशमें हिन्दू जनता का मत संग्रह कर लिया जाय। यहाँ यह स्मरण रखने की बात है कि इस मत संग्रह के विषय में संघ अपने १७ मार्च सन् १९३३ ई० के देहलीवाले डेपूटेशन में, वाइसराय के उक्त बिलको एसेम्बली में प्रस्तुत होने की आज्ञा दे देने के बाद, वाइसरायसे यह प्रार्थना कर चुका था कि इस बिलपर विचार आरम्भ होनेसे पूर्व न केवल हिन्दू जनता का किन्तु विशेष रूप से उसके धर्माचार्यों, धार्मिक संस्थाओं एवं हिंन्दुओं के शास्त्रज्ञ विद्वानों का मत अवश्य संग्रह किया जाय। अस्तु, मत संग्रह की चर्चा एक पुरानी चर्चा थी, जिसको कार्यरूप में परिणत होनेके लिए २४ अगस्त सन् १९३३ ई० को समय आगया। और इस मतसंग्रह के लिए सनातनियों को ३० जून सन् १९३२ ई० तक का समय दिया गया। संघ का विचार यद्यपि केवल इतने भर मत संग्रहसे था कि हिंदुओं के उत्तरदायी धर्माचार्यों तथा संस्थाओं और नेताओं ही से तत्सम्बन्ध में पूछा जाय, परन्तु एसेम्बली की ओर से हिंदूसमाज मात्र का मत संग्रह करने के लिए निर्णय किया गया।

बस संघ ने अपने इस विश्वास के उपर कि देश में हिन्दुओं में बहुसंख्यक जनगण सनातनी हैं, इस बिल का समुचित उत्तर देने के लिए अपना कर्तव्य पालन करना आरम्भ कर दिया, जिसके फल स्वरूप एक देवालय संरक्षण-समिति स्थापित हुई. जिसका प्रधान कार्यालय कलकत्ता नगर में है।

बस मूल मर्यादा-संरक्षण उपसमिति का यही एक दूसरा रुपान्तर हुआ, जो अब भी चला जा रहा है। इस नवीन नामरूपधारी-समिति का समस्त वृतान्त आगे इस रिपोर्ट में एक अलग " देवालय संरक्षण समिति " नाम के अध्याय में दिया हुआ है।

प्रचार उप-समिति

इस उप-समिति द्वारा संघ का प्रचार कार्य संचालित किया गया। इस के समस्त कार्य का इति वृत आगे " संघ का प्रचार कार्य " नाम के अध्याय के अन्तर्गत " अखिल भारतीय प्रचार " और " प्रान्तीय प्रचार " इन दोनों विभागो में बाटकर विस्तृत रूप में दिया हुआ है। इस उप-समिति को कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिये जिन जिन साधनों को संघ को लेना पड़ा है, वे निम्नांकित हैं:—

दिग्विजय यात्रा

संघ ने अपने प्रचार—कार्य को अनेक दिग्विजय यात्राओंके आयोजन को करके अग्रसर किया है। इन यात्राओ में धर्माचार्यों, सुवक्ताओं तथा सुयोग्य विद्वानों एवं धन-मानी प्रतिष्ठित सज्जनों ने भाग लिया है, जिनके सम्मिलित होने के कारण ये यात्राएं सर्वथा सफल रही हैं।

सर्कुलर

संघके प्रधान कार्यालय से प्रचार—कार्य को प्रोत्साहन देनेके लिए संघ की शाखा एवं पोषक सभाओंके नाम समय समय पर सर्कुलर निकलते रहे हैं।

हैंडबिल और पैम्फलेट

समय समय पर हजारों की संख्या में अनेक विषयों पर संघ के कार्यालय से हैंडबिल एवं पैम्फलैट भी सनातनी जनता को कभी सचेत, कभी सूचित—और कभी शिक्षित करने के लिए बांटे गये हैं।

समाचार पत्रः—

संघ को समाचार पत्रों में से दो प्रकार के समाचार पत्रोंसे अपने प्रचार-कार्य में विशेष सहाचता मिली है। एक तो ऐसे पत्र हैं, जो संघ ही के मुख्य-पत्र हैं:——जैसे काशी का साप्ताहिक पत्र "पंडित पत्र", काशी की मासिक "संस्कृत पत्रिका", मेरठ का साप्ताहिक "आदेश", देहलीका "कर्म योगी", चंदौसीका साप्ताहिक "स्वदेश", अमृतसर का उर्दू का सनातन धर्मप्रचारक," लाहौर का "ब्रह्मर्षि।" और दूसरे ऐसे पत्र हैं, जो संघ के समाचारों एवं विचारों को संघ के मुखपत्रोंके समानही प्रकाशित करते रहे हैं जैसे कलकत्ता का दैनिक हिन्दी "भारत मित्र" और साप्ताहिक "मारवाड़ी ब्राह्मण और नवजात "धर्म शिक्षक" और लाहौर का "आनन्द", "ब्राह्मण सर्वस्व" इटावा, बंगवासी कलकत्ता, "वेङ्कटेश्वर" बम्बई, "हिंदू" कानपुर, "भूदेव" जोधपुर। इधर जबतक लखनऊ का अँग्रेजीका पत्र "इंडियन डेली डेलिग्राफ" चलता रहा, तब तक वह संघ समाचारों एवं विचारों को स्थान देता रहा। इधर एक वर्ष से अंग्रेजी में कलकत्ता से "सनातनी" और बम्बई से "इंडियन मिरर" नाम के दो पत्र और प्रकाशित हुए हैं, जिनसे भी संघ को अपने प्रचार-कार्य में सहायता पहुँची है। इन हिंदी और अँग्रेजी भाषाओं के पत्रों के अतिरिक्त अन्य निम्नलिखित प्रान्तीय भाषाओं के समाचार पत्रों के द्वारा भी संघ का प्रचारकार्य अग्रसर हुआ है—

गुजराती—"धर्म मंगला" अहमदाबाद, "सनातन धर्म पत्रिका" बम्बई। बंगला—"बसुमती" कलकत्ता,

मराठी——"भारत समाचार" बम्बई, "हंस" सतारा, "प्रागतिक" जलगांव। तेलगू——"स्वधर्म प्रकाशिनी" मद्रास। मलायालम——"सनातनी हिंदू," गुरुवायूर। यद्यपि ये अनेक पत्र संघ के कार्य-सञ्चालनमें

सहायक हो रहे हैं, परन्तु इन सबको अपने पक्ष में सुसंगठित करने की बड़ी आवश्यकता है।

कार्यकर्ता— संघ के उच्च आदर्श एवं कार्य-क्रम को सफल बनाने में देश के सभी धर्माचार्यों, एवं अनेक सनातनी विद्वानों, तथा बहु-संख्यक कार्यकर्त्ताओं द्वारा सहायता प्राप्त हुई है। परन्तु आप यह सुन-कर प्रसन्न होंगे कि संघ के कुछ ऐसे भी कार्य-कर्त्ता हैं, जो संघ के कार्य को अपने जीवन का एक आवश्यक कर्तव्य-कर्म समझकर कर रहे हैं।

शाखा एवं पोषक सभाएं

एक संस्था के प्रचार एवं प्रसार के लिए उसके केंद्र के अन्तर्गत शाखाओं एवं प्रशाखाओं का होना अत्यावशक है और उस के सम्पूर्ण विकाश के लिए पोषक सभाओं का होना भी। अस्तु, संघका सौभाग्य है कि इस थोड़ेसे समयमें संघकी शाखाओंका प्रचार इतना हो चुका है कि देशके हर प्रान्तमें अब उसकी आवाज किसी न किसी रूपमें अवश्य पहुँच सकती है। और यही कारण है कि अनेक पोषक सभाएं भी इसके कार्योंमें सहयोग देनेके लिए तैयार हो गई हैं।

श्रीबद्रीनाथ जाँच कमिशन

संघके कार्य संचालन करनेके लिए स्थापित उक्त उप-समितियोंके अति-रिक्त एक और उप-समितिकी भी स्थापना हुई, जिसकी रचना श्रीबद्रीनाथ धामके टेहरी राज्यके हस्तांरित होनेके प्रश्नके छिड़ जानेपर हुई थी। इसका नाम श्रीबद्रीनाथ जाँच कमिशन था। चूंकि इस समितिका काम केवल उपरोक्त प्रश्न पर सत्यासत्यका निर्णय कर अपना रिपोर्ट देना था, इस लिए यह अपना कार्य सम्पादन कर समाप्त हो गई। इस अस्थायी उप-समितिका सम्पूर्ण विवरण आगे "श्रीबद्रीनाथ धामके हस्तांतरित होनेका प्रश्न और संघ" नामके एक पृथक अध्याय में दिया हुआ है।

भारत का भावी शासन-विधान

और

वर्णाश्रम स्वराज्य संघ

संघके जलगांव के महाधिवेशन (दिसम्बर सन १९३० ई.) में सब से पहला प्रस्ताव यह था कि भारतसचिव तथा ब्रिटन के प्रधान मंत्री को इस आशय का तार भेजा जाय कि भावी शासन-विधान में हिन्दुओं की धार्मिक व्यवस्था तथा व्यवहारों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाय। ऐसी व्यवस्था गोलमेज कानफरेंस से कराने के विचार से वे इस तार को उस कानफरेंस के सन्मुख उपस्थित कर दें। परन्तु बाद को विषय की गम्भीरता तथा महत्ता को देख कर संघ ने गोलमेज कानफरेंस में अपना प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिये मांग उपस्थित की, जिसकी भारत सरकार से पूर्ण उपेक्षा की गई, जिसके विरोध में संघ के कलकत्ता महाधिवेशन (दिसम्बर १९३१ ई.) के मुख्य प्रस्तावों में से सबसे पहला प्रस्ताव यह किया गया कि:—

" सरकारने संघ के प्रतिनिधित्व (गोलमेज कानफरेंस के लिये) की माँग पर उपेक्षा दिखाई और वर्णाश्रम धर्मानुयायी जनता का, जिसकी देश में बड़ी संख्या है, सहयोग न लेते हुए भावी शासन-विधान सम्बन्धी कार्यवाही को अग्रसर किया है। इस पर यह महाधिवेशन खेद एवं घोर असंतोष प्रगट करता है और घोषित करता है कि इस प्रकार वर्णाश्रम धर्मानुयायी जनता के मत की अवहेलना करके बनी हुई शासन-व्यवस्था कभी ग्राह्य नहीं हो सकती।

गोलमेज कानफरेंस और प्रतिनिधित्व

इस प्रकार जब इच्छा एवं उद्योग होनेपर भी सनातन धर्मावलम्बियोंके प्रतिनिधि गोलमेज कानफरेंसके पहले दो अधिवेशनोंमें न जासके और सनातनियोंको इससे अतिक्षोभ हुआ, तब उन्होंने यह विचार किया कि अब गोलमेज कानफरेंसकी अन्तिम बैठकहीमें प्रतिनिधित्व प्राप्त करनेकी पुनः चेष्टा करनी चाहिये। यह इच्छा यद्यपि देशमें सभी सनातनी नेताओंके हृदयमें थी, परन्तु इस ओर अग्रसर होकर मदरासके सनातनी नेता एवं मद्रास वर्णाश्रम स्वराज्य

संघ के सभापति श्री. एम्. के. आचार्यने प्रयत्न किया। आप इसके लिये जून सन १९३२ ई० के पहले सप्ताह में वाइसराय महोदय तथा अन्य लोगोंसे मिले और उन्हें सनातन धर्मकी रक्षा के लिये संरक्षण प्राप्त होनेकी, समयके देखे अनिवार्य आवश्यकताको द्योतन किया और इस सम्बन्धमें अपने प्रभावशाली लेख समाचार पत्रोंमें भी दिये. और सभी सनातनी संस्थाओं, धर्माचार्यों, राजा महाराजाओं और सेठ-साहुकारोंके नाम इस आशय की एक अपील भी प्रकाशित की कि पांच-छः व्यक्तियों का एक प्रभावशाली डेपुटेशन ३० जुलाई सन १९३२ इसवी तक इंगलैण्ड जाना चाहिये, जो अगामी तीसरी गोलमेज कानफरेंस के अवसर पर पहुंच कर ब्रिटेनके राजनितिज्ञोंके समक्ष इस बातपर प्रकाश डाले कि इस समय जब कि चारों ओर से सुधारक लोग आये दिन एसेम्बली में धर्म-विरोधी बिलोंको उपस्थित कर रहे और पास करा रहे हैं, तब ऐसी दशामें भारतके भावी शासन-विधानमें सनातन धर्मके संरक्षण रहनेके धार्मिक निरपेक्षता के नियमकी अनिवार्य आवश्यकता है, जिससे भविष्य में इस धर्म की रक्षा हो सके।

आचार्य महोदयकी अपील

श्री. एम. के आचार्य महोदयने जो उक्त अपील प्रकाशित की थी, उसका रूप अंग्रेजी में निम्नांकित है।

POLITICAL SWARAJ IDEALS AND HIGHER DHARMIC

NEED TO SAFEGUARD THE LATTER

Implications of Swaraj.

A new chapter is opening in the history of Indian Political Swaraj, Provincial Automony, Central Responsibility—all this on Western lines, that is to say, huge Legistlatures, Provincial and All-India, with very many Parties in each and Party leaders mutually struggling for monopoly of power, for Ministerships and Secretaryships and so on -all this we are going to have

within a very short time. This is what all Indian politicians including Gandhi are keen to get. It is true that Mr. M. K. Gandhi of old had protested against the slave-mentality of english-educated Indians as strongly as he had denounced the brute-force deified by modern Civilisation, that in those days he had looked upon not only armies, navies and bombs and guns; but also on mills and factories and and all mass machinery as achievements of the Anti-Christ; that even the British Parliament he had regarded as a "Sterile Prositute". But Mahatma Gandhi now, through his Mass Civil Disobedience, wants to establish a sterile prostitute Parliament in every Indian Province and State, with all the inherent anomaly in each of some one handful of leaders or another, in the name of the Many, seeking for the time being to lord themselves over all. And uhe explanation for this is that Gandhi is only a political Mahatma: that in him too, though perhaps in a lesser measure than in some other leaders, Western politics dominates over Eastern spirituality. What will be the lot of India's millions under such Swaraj? Will they get cheap food and clothing? This is very doubtful. For in every modern couutry, politically, the masses are only pawns in the hands of the ambitious middle class leaders. And so in India also, while all the political power is sure to get concentrated in the hands of the middle classes, on the heads of the toiling millions are sure to fall the ever-increasing burdens of taxation, as also all the woes of communal strifes, and labour strikes, and "Satyagrahas" over grievances real or facnied. What will be the lot of Orthodox religionists under such

Swaraj ? It will be terribly. hard of Orthodox Hindus especially. For in their rage for political power over wordly politicians are sure to strike hard at India's Dharmic institutions and ideals. In fact loud cries are already raised to penalise all Dharmic differentiations by those, whose minds are obsessed with superficial slogans about "Nationlism" and 'Fundamental Rights", and with false catchwords of Universal Equality and Liberty. Indeed our Swaraj Ministers, whether of the Gandhian or of any other school, will only be too ready to level all religions to the dust to panalise all religious privileges under pretext of their confiict with civic rights, and to pounce upon the properties of temples and Mutts and other religious institutions for moneys wherewith to purchase adherents, or finance pet projects. All this is fast comming upon us.

Problem of Safeguards

It is too late for any to say that they do not want such Swaraj. We may as well try to stop the floods in the Ganges after the ices have begun to melt in the Himalayas. The only practical problem is to consider how best we may protect ourselves against the coming floods. I went to Simla recently, and placed before H. E. the Viceroy and other members of the Government of India the fears of Orthodox Hindus. They heard me with sympathy; but now it is not in their hands to give us any protection. Only statesmen in England who are drafting the new Government of India Bill can put in any provisions against undue interferences in our religious institutions; and in order to induce them to do so, Orthodox Hindus must present their case before them as

strongly as possible. After the most anxious thought I have thus come to the conclusion that if Orthodox Hindus are keen on protecting their Dharmic institutions they must at once send a Deputation to England for the purpose of demanding adequate safeguards. There is no time to loose. Some five or six delegates—one from every major Province—must form the Deputation; and they must be in England before the end of July, if they are to turn out good work. But can Orthodox Hindus go to England across the seas? Who will defray the expenses of the Deputation? Even if the Deputation goes and puts forth its demand, will British statesmen lend a sympathetic ear ? Will not the enemies of Varnashrama Dharma checkmate the work of the Deputation? To these and simlar questions I can only say that in the new Kurushetra before us we must now as of old be guided solely by the words of the Blessed Lord-namely:-

(१) कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

(२) त्यक्त्वा हृदयदौर्बल्यमुत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत ।

Yes; casting our burdens at the feet of the Lord, the supreme Protector of Dharma, we should bravely go forth to proclaim our Dharmic ideals and to plead for their preservation in the higher intetests of all humanity. Personally I have no ambition I have not even the physical strength, to go to England; and yet, subject to the Divine Sankalpa, I am ready to sancrifice my very life for the sake of the Sanatana Dharma. It is in this spirit, I now appeal to all the Sankaracharyas and other Mathadhipaties who as Dharmarakshakas must now exert their best if indeed they do not want to be soon swept out of existence by heterodox legislators. I appeal to the

Bharat Dharma Mahamandal, to the All-India Varnashram Swarajya Sangh, and to all true followers of Sanatana Dharma; I appeal to all Hindu Maharajas and Rajas and Zamindars; I appeal to all Vaisya merchants and businessmen; I appeal to all followers of India's Universal Religion of God-love and God-realisation, I beg of all to stand forth at this crisis as guardians of our priceless Dharmic institutions; and to demand that political Swaraj must be in conformity with India's higher ideals; and that in India's new Constitution there must be adequate safeguards for the preservation of the institutions that stand for those higher ideals. Aum ! may the benign Vasudeva guard us, and direct us aright. Aum ! Aum !

Thus in all humility, in the name of the Bless Lord.

M. K. Acharya.

हिन्दी-अनुवाद

श्री० आचार्यजीकी उक्त अपीलका हिन्दी अनुवाद निमांकित है:-

भारतीय इतिहासमें एक नये अध्यायका आरम्भ हो रहा है। राजनैतिक स्वराज्य, प्रान्तीय स्वायत्तता, केन्द्रस्थ उत्तरदायित्व-आदि सभी पाश्चात्य आदर्शके अनुरूप स्थापित होनेवाले है अर्थात् प्रान्तीय और भारतीय बड़ी व्यवस्थापिका सभाएँ होंगी, जिनमें भिन्न २ दल अनेक होंगे और जिनके नेता अपना २ एकाधिपत्य स्थापित कर मंत्रित्व और सेक्रेटरीके पद प्राप्त करके अधिकारारूढ़ होनेके लिये परस्परमें झगड़ते रहेंगे। अल्प समयमें यह सब शीघ्र स्थापित होनेवाले हैं। यह वह वस्तु है, जिसको प्राप्त करनेके लिये ही समस्त भारतके राजनीतिज्ञ, मय श्रीगांधीजी के, अत्यन्त उत्सुक हैं। यह सच है कि आधुनिक सभ्यता द्वारा पाशविक बलको जो प्रधानता वर्त्तमान युगमें दी गयी है, उसकी जितनी कड़ी निन्दा पूर्व समयके श्री गांधीने की है, उतनी ही तीव्र निन्दा उन्होंने अंग्रेजी शिक्षित भारतवासियोंके दासत्व-भावकी

भी की है। उस समय वे केवल सेना, नौ-सेना, बमगोलों और तोपोंको ही नहीं प्रत्युत पुतलीघरों, कारखानों और यन्त्र-शक्तिसे बनने वाली सभी वस्तुओंको क्राइस्ट-विरोधी सम्पादित कार्य समझ उनकी घोर निन्दा किया करते थे, यहां तक कि वे ब्रिटिश पार्लमेण्ट तकको भी बन्ध्या वेश्या समझते थे। किन्तु अब वही श्री गांधीजी अपने सामुदायिक सत्याग्रहसे भारतके प्रत्येक प्रदेश और राज्यमें उन्हीं वन्ध्या पार्लमेण्टोंको उनके सब विधि-विरुद्ध दुर्गुणोंके साथ स्थापित करना चाहते हैं, जिनमें कुछ मुट्ठी भर नेता सबके ऊपर अपना आधिपत्य जमाने की चेष्टा करते दिखायी देंगे। इसका कारण यह है कि गांधीजी केवल राजनीतिक नेता हैं और अन्य भारतीय नेताओंकी अपेक्षा थोडीसी मात्रामें ही क्यों न हो परन्तु पूर्वीय आध्यात्मिकता पर पाश्चात्य राजनीतिका आधिपत्य उन पर भी है। ऐसे स्वराज्यमें करोड़ों भारतीयोंकी दशा क्या होगी? क्या उन्हें सस्ता अन्न और वस्त्र मिलेगा? यह अत्यन्त सन्दिग्ध है क्योंकि प्रत्येक आधुनिक देशमें राजनैतिक रूपसे सर्वसाधारण जनता मध्यम वर्गके महत्वाकांक्षी नेताओंके हाथके प्यादोंके समान हुआ करती है। यही हाल भारतका भी है। जब कि सब राजनैतिक अधिकार मध्यम श्रेणीके लोगोंके हाथमें एकत्रित होनेका सम्भव विशेष है उसी समय जर्जर साधारण जनता पर सर्वदा वर्द्धमान कर भारका बोझ चढ़ते जाने की सम्भावना भी उतनी ही अधिक है, साथ ही जातिगत झगडों, श्रमजीवियोंकी हड़तालों और सच्ची वा काल्पनिक शिकायतों पर सत्याग्रह होनेकी सम्भावना भी। ऐसे स्वराज्यमें सनातन धर्मावलम्बियोंकी दशा क्या होगी? यह सनातनी हिन्दुओंके लिये विशेषकर कठिन होगा क्योंकि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करनेके पागलपनमें हमारे वाह्याडम्बर वाले राजनीतिज्ञ निश्चय ही भारतके धार्मिक आदर्शों और संस्थाओं पर आघात करेंगे। सचमुचही धार्मिक पृथक्करण करने वालोंके विरुद्ध अभी ही गला फाड़ २ कर चीत्कार उनलोगों द्वारा किया जा रहा है जिनके हृदयों पर 'राष्ट्रीयता,' 'तात्विक अधिकार' 'सार्वत्रिक समता' 'स्वाधीनता' आदि जैसे कोरे बडे २ वाक्योंका आवरण पड़ा हुआ है। वास्तवमें हमारे स्वराज्यवाले मंत्री, चाहे वे गांधी-दलके हों या अन्य किसी दलके, सदा सब धर्मोंको खाकमें मिलानेको, नागरिक स्वत्वोंके विरुद्ध बताकर सब धार्मिक विशेषाधिकार छीननेको तथा अपने मसौदोंको कार्यमें परिणत करने और नये अनुयायियोंको खरीदनेके लिये मन्दिरों, मठों तथा अन्य धार्मिक

संस्थाओंके अनागारों पर अधिकार कर लेनेको बाज न आयेंगे। यह सभी शीघ्रही हमारे ऊपर आ पड़ेगा।

संरक्षणकी समस्या

किसी मनुष्यके लिये अब यह कहनेका अवसर नहीं है कि हम ऐसा स्वराज्य नहीं चाहते। हिमालयमें बर्फके गलनेसे जो बाढ गंगाजीमें आते है, उसको रोकनेकी चेष्टा भी हमें करनी चाहिये। बिचारणीय विधायक समस्या यही है कि हम आनेवाली भावी बाढोंसे अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं। हालमें अभी मैं शिमले गया था और वहां मैंने वाइसराय तथा सरकारके अन्य सदस्यों के सामने सनातनी हिन्दुओंके हृदयमें जो भय हैं उसको उनके सामने प्रकट किया था। उन्होंने सहानुभूतिके साथ मेरी सब बातें सुनीं। परन्तु हम लोगोंकी किसी तरहसे रक्षा करना अब उनके हाथमें नहीं है। केवल इंगलैण्डके वे राजनितिज्ञ ही जो नयी भारतीय सुधार–योजनाका मसौदा बना रहे हैं, ऐसी धाराएं बना सकते हैं, जिसमें हमारी धार्मिक संस्थाओंमें बेजा हस्तक्षेप न किया जा सके और उनको ऐसा करनेको राजी करनेके लिये सनातनी हिंदुओं के लिये यह आवश्यक है कि वे अपने मामलेको यथासम्भव प्रबलतासे उनके सामने पेश करें। अत्यंत उद्विग्नतासे बहुत बिचार करने पर मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि यदि सचमुचही अपनी धार्मिक संस्थाओंकी रक्षा करनेको सनातनी भारतीय तैयार हों, तो उन्हें अविलम्ब अपने अधिकारोंके संरक्षणकी मांग करनेको

विलायतमें प्रतिनिधि–मण्डल

भेजना चाहिये। अब देरी करनेका अवसर नहीं है। इस प्रतिनिधि मंडलमें प्रत्येक बडे प्रान्तसे कमसे कम एक एक प्रतिनिधि मिलाकर कुल ५ या ६ प्रतिनिधि होने चाहियें और यदि वे अपने उद्देश्यको सफल बनाना चाहते हैं तो कमसे कम उनके इस मण्डलको जुलाई मासके समाप्त होनेके पहिले विलायत पहुँच जाना चाहिये। किन्तु क्या सनातनी हिन्दू समुद्र पार जा सकते हैं? इसके सिवा इस प्रतिनिनि मण्डलका व्यय-भार कौन वहन करेगा? यदि प्रतिनिधि-मण्डलने वहां जाकर अपनी मांगें पेश कीं तो भी क्या विलायतके राजनितिज्ञ सहानुभूतिसे उनकी बातोंको सुनेंगे। वर्णाश्रम धर्मके शत्रुगण प्रतिनिधि मंडलके कार्यमें कुछ अडंगा तो नहीं

लगावेंगे ? उपर्युक्त और इसी प्रकारके दूसरे प्रश्नोपर मैं केवल यही कह सकता हूं कि हमारे सामनेके नये कुरुक्षेत्रमें हमें परब्रह्म परमात्माके इन वाक्योंके अनुसार ही चलना चाहिये जैसे कि पहिले उसके अनुसार अर्जुन चले थे:—

(१) कर्मण्येवाधिकारस्ते
माफलेषु कदाचन ।
(२) त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्य
मुत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥

धर्मके सबसे बडे रक्षक सर्व शक्तिमान परमेश्वरके चरणोंमें अपने बोझको अर्पण कर हम लोगोंको साहस के साथ आगे बढकर धार्मिक उद्दश्यों की घोषणा इसलिये करनी चाहिये कि मानव जातिके उच्च हितोंके लिये उनके स्थापित रहनेकी अत्यन्त आवश्यकता है । व्यक्तिगत रूपसे हमारा कोई इसमें मनसुबा नहीं है और न हमारे शरीरमें विलायत जानेकी पूरी शक्ति ही है, इसपर भी इश्वरीय संकल्पके निमित्त सनातन धर्मके लिये अपना जीवन तक अर्पण करनेको मैं तैयार हूं । इसी एक मात्र भावसे मैं इस निवेदन-पत्र द्वारा सब शंकराचार्यों अन्य मठाधिपतियों से धर्मरक्षककी हैसियतसे निवेदन करता हूँ कि यदि वे व्यवस्थापिका सभाओंके पाखण्डी सदस्योंकी कार्यवाहियोंसे अपना अस्तित्व मटिया मेट न कराना चाहते हों तो उन्हे इस समय अपनी रक्षाके लिये सारी शक्ती लगा देनी चाहिये । मैं भारत धर्म महामण्डल, अखिल भारतवर्षीय वर्णाश्रम स्वराज्य संघ तथा सनातन धर्मके समस्त सच्चे अनुयायियोंसे तथा समस्त हिन्दू राजा महाराजा, और जमीन्दारोंसे, समस्त वैश्य व्यापारियों और कोठीवालोंसे तथा भारतीय ईश प्रेम और ईश प्राप्ति करनेवाले भारतके संसारव्यापी धर्मके समस्त अनुयायियोंसे निवेदन करता हूं कि इस संकटमय अवसर पर दुर्मूल्य धार्मिक संस्थाओंके रक्षककी हैसियत से वे दण्डायमान हो जायं और एक स्वरसे यह मांग करें कि भारतका राजनितिक स्वराज्य भारतके उच्च ध्येयोंके अनुसारही हो और भारतकी नयी शासन व्यवस्थामें उनकी जो उच्च संस्थाए स्थापित हैं, उनके पूर्ण संरक्षणका प्रबन्ध किया जाय । ॐ । सर्व शक्तिमान् वासुदेव हमारे मार्ग दर्शक होकर हमें उपयुक्त मार्ग पर चलावें यही प्रार्थना है । ॐ । ॐ । यह दीन प्रार्थना सर्व कल्याणकारी ईश्वरके नाम पर है ।

श्री० एम० के० आचार्य की इस अपील के विषयमें स्व० हीरालाल डाह्याभाई नानीवटीजीने संघ के प्रधान मंत्रीको ६ जून स. १९३२ ई. के अपने पत्र में यह लिखकर प्रशंसा की थी अथवा उसकी गम्भीरता एवं महत्ता को प्रगट किया था कि—

Mr. Acharya of course doing his best, but if that had resulted in an invitation from Viceroy, we should have been very much obliged. I have received an appeal from him today. Every word of that appeal is bound to be true in future and then Sanatanists will not be able to do any thing."

हिन्दी अनुवाद

" इसमें संदेह नहीं कि आचार्य महोदय इस सम्बन्ध में बड़ा भारी काम कर रहे हैं। परन्तु यदि वाइसराय महोदय की ओरसे तत्सम्बधी निमंत्रण प्राप्त हो जाय, तो हम बड़े कृतज्ञ होंगे। मुझे आचार्य महोदय की तैयार की हुई तत्सम्बधी अपील मिली है। मेरे विचार से वह अक्षरशः सत्य प्रमाणित होगी और तब फिर सनातनी कुछ न कर सकेंगे। "

इस अपील को लक्ष्य कर संघ के प्रधान मंत्रीकी ओरसे १० आगस्त सन १९३३ को वाइसराय महोदय को एक पत्र आगमी गोलमेज कान्फरेंसमें सनातनी मत अभिव्यक्त करने के लिए एक प्रभावशाली पत्र भेजा गया।

प्रधान मन्त्रीका वाइसराय महोदय को पत्र

To

The Private Secretary.
H. E. the Viceroy,
SIMLA.

Dear Sir,

I am sure His Excellency the Viceroy knows that the bulk of the people in India are orthcdox Hindus to whom religion is higher than politics. They want no

Constitutional changes which will interfere with their religious institutions. It is to emphasise this that the All-India Varnashramam Swarajya Sangha was founded in 1929; it has held a number of All India and provincial Conferences to press thir demand—that any furture Swarajya or Responsible Government for India must be in conformity with the religious and socio-religious ideals of orthodox Hinduism. It is a pity that many English-educated Indians especially of the Congress and the liberal parties, are quite denationalised in thought and habit and want very radical changs both politically and socially. They do not therefore reprsent the opinions of the Hindu majority; and yet Government have been honouring them as such representatives. I hope here-after at least this mistake will not be made. We are glad that one of our esteemed leaders, Mr. M. K. Acharya of Madras has already placed all this before His Excellency.

The working Committee of the All India Varnashram Swarajya Sangha carefully considered Mr. Acharya's suggestion to send an orthodox deputation to England. In view of the announcements made by the Secretary of State since that snggesiion was made, my Working Committee did not agree to send any deputation to England and for various other reasons wants to submit to His Excellency *in the first instance* the demand of orthodox Hindus for such safegeards in the coming constitutional Revision as will ensure the progress of each community and protect its religious and socio-religious institutions. It would therefore beg of His Excellency once again that he may be pleased to grant to orthodox Hindus adequate reprsentation in any

future Consultative Committee or Conference that may be convened. It will be glad to submit to His Excellency the names of qualified leaders, in case the above request be granted, as I hope it will be at least now.

In conclusion I would beg you to assure His Excellency of our readiness to co-operate with Government in promoting the peaceful progress of the country at large. With respect I remain.

Yours Sincerly,
(sd) Deonayakacharya,
General Secretary.
A. I. V. S. Sangha.

उक्त पत्रका हिन्दी अनुवाद

श्रीमान महोदय,

आपको यह विदितही है कि भारत की जनता बहुसंख्या में कट्टर सनातन धर्मी है, जिसके प्रति राजनीति की अपेक्षा धर्म श्रेष्ठ है। यह जनता इस प्रकार का शासन विधान नहीं चाहती है, जो इसके धार्मिक विषयमें हस्तक्षेप करे। यहां विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि संघ की संस्थापना सन १९२९ ई. हुई थी। उसके बाद से यह संघ अनेक अपने महाधिवेशन एवं प्रांतीय सम्मेलन कर चुका है, जिनके द्वारा यह घोषित कर चुका है कि भारतकी भावी शासन प्रणाली हिन्दुओंके धार्मिक सिद्धान्तों के अनुकूल होनी चाहिये। परन्तु खेद की बात है कि भारत की अंगरेजी पढी लिखी जनता और विशेष रूपसे कांग्रेस और लिबरल पार्टी के लोग अपने विचारों में इतने अराष्ट्रीय हो गये हैं कि वे अनेक प्रकार के राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं। अतएव ये लोग बहुसंख्यक हिन्दू जनता के मत के प्रतिनिधि नहीं हैं। परन्तु फिर भी सरकार इन्हें इस प्रकार के प्रतिनिधि होने का सम्मान दे रही हैं। मेरी यह आशा है कि भविष्यमें अब इस प्रकार की भूल न होने पावेगी और हमें इस बात से प्रसन्नता हुई है कि हमारे मद्रास के नेता श्रीयुत एम. के. आचार्यने वाइसराय महोदयके समक्ष इन सब बातों को उपस्थित कर दिया है।

संघकी कार्यकारिणी समितिने श्रीयुत आचार्य के इंगलण्ड डेपूटेशन भेजनेवाले प्रस्तावपर विचार किया है । इस सम्बन्धमें समिति का विरोध है और अनेक कारण वश वह सर्व प्रथम अपनी राजनितिक मांग उपस्थित करना चाहती है जिससे देशकी प्रत्येक जातिके सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओंका संरक्षण हो सके । इसी के लिये उसकी यह प्रार्थना है कि वाइसराय महोदय भावी शासन सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति अथवा कान्फरेसमें प्रतिनिधित्व देनेकी कृपा करें । यदि यह प्रार्थना स्वीकृत हो जायगी जो कि कमसे कम अब अवश्य होगी, तो समिति अपने योग्य प्रतिनिधियोंके नाम उपस्थित करेगी ।

अन्तमें मैं वाइसराय महोदयको यह विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग देशकी शान्तिमय उन्नतिमें सहयोग देने के लिये तैयार हैं । वाइसराय महोदयको संघ की ओरसे सम्मान भाव ।

विनीत
देवनायकाचार्य
प्रधान मंत्री:—अ० भा० वर्णाश्रमस्वराज्यसंघ.

शिमला डेपूटेशन २६ सित० सन् १९३२ ई.

अस्तु, यद्यपि यह सब उद्योग कलकत्ता महाधिवेशन (दिस० सन १९३१ ई.) के तत्सम्बन्धी प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए सन १९३२ ई. के आरम्भ काल ही से प्रारम्भ हुआ था, परन्तु अपना न तो राज्यभाषा अंगरेजी में कोई समाचार-पत्र होने के कारण और न देशकी अत्यधिक प्रचलित राष्ट्रभाषा हिंदी में अपना कोई पत्र होने के कारण इस कार्य के लिए प्रयत्नशील होने में भी बडी कठिनाई एवं बिलम्ब हुआ और केवल इस इतने काम के प्रभावशाली रूप में सम्पादित होने में लगभग ९ मास का समय लग गया कि वाइसराय महोदय के समक्ष तत्सम्बध में सनातन धर्मावलम्बी जनता का वक्तव्य एक डेपूटेशनद्वारा अभिव्यक्त कर के गोलमेज कान्फरेंस की आन्तिम बैठक में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए एक निवेदन पत्र उपस्थित किया जाय । और संघ को इस काम में २६ सितं० सन १९३२ ई. से पूर्व सफलता न मिल सकी । निदान इस उक्त तारीख को देश के विभिन्न प्रान्तों के १८ सनातनी नेताओंका एक डेपूटेशन जिनके नाम परिशिष्ट नं. १२ में दिये हुए है, निम्नलिखित मैमोरियल को लेकर वाइसराय महोदय से सिमलामें मिला ।

मैमोरियल

To.

His Excellency the Right Honourable Earl Willingdon

G.C.S.I., G.C.I.S., G.C.M.G., G.B.E.,

Viceroy and Governor-General of India, Simla.

May it please your Excellency,

We the undersigned members of a deputation on behalf of the Orthodox Hindu community, beg to approach your excellency with our most respectful greetings and to submit to your Excellency the accompanying Memorandum expressing the views held by Orthodox Hindu leaders all over India on the impending Constitutional Reforms. We beg that your Excellency may be pleased to give due consideration to that Memorandum; and also that your Excellency may kindly forward it to the Government in England who seem to be under a delusion that all Indians are anxious to get immediate and full Responsible Government on western models as recommended for instance by the Round Table Conference and its Committees.

We beg further to point out to your Excellency how the present Godless system of Education is spreading the spirit of revolt among Indian youths, and is responsible in a large measure alike for the Cult of the Bomb, and the Creed of Civil Disobedience; and we pray that your Excellency's Government and the various Provincial Governments may take immediate steps to introduce Moral and Religious Instruction especially among Hindu youths in all educational institutions in the country.

Lastly we beg to state that although Orthodox Hindus are desirous of loyally cooperating with Government in the peaceful administration of the country yet the impious Sarada Act which interferes with their cherished Marriage sacraments, is spreading resentment among them against the Government which is responsible for that Act; and we pray therefore that your Excellency's Government may be pleased to support the Bill of Mr. G. Krishnamacharya to repeal the said Act.

We beg to remain your Excellency's
most humble servants,

संघके राजनिति सम्बधी विचार

इस मैमोरियल के साथ निम्नांकित एक मैमोरेडम भी उपस्थित किया गया, जिसमें सनातन धर्मावलम्बियों के राजनीति सम्बधी विचार अपने शास्त्रानुकूल क्या हैं, इस सब का प्रकटीकरण किया गया है।

MEMORANDUM SETTING FORTH THE ORTHODOX HINDU VIEW ON CONSTITUTIONAL REFORMS.

NEED FOR ADEQUATE SAFEGUARDS.

Orthodox Hindus who form the bulk of the population in India have till now kept out of all political agitation generally as the same is against their traditions and culture. But the way in which the British Government seem to be inclined to satisfy the social and political fads and ambitions which their own Godless education has sown among middle class Indians compels Orthodox Hindus now to raise their emphatic protest against any Constitutional Reforms *on purely Western lines,* as the same cannot but confiict with their higher ideals and Culture.

Moreover advanced thinkers even in the West are discovering the limitations of Parliamentary institutions; how Democracy in most countries is becoming a mere label for the Rule of some middle class Few over and in the name of, the Many. Likewise the Party System which was supposed to be an essence of Parliamentary Rule is breaking down in most countries including Britain. In fact the "scientific" Civilization of the West, which aims not at sense-control but at sense-gratification, far from contributing to the peaceful progress of mankind, is only sowing deeper and broader every day the seeds of terrible strife among individuals and nations alike. Indeed, unto discrening eyes, the break-down of Western Materialism seems to be imminent. And yet the bulk of English-educated Indians are still taking Western Civilization and Democracy at their face value; indeed many of them would have that Democracy introduced into both British India and the Indian States at any cost.

Among the few Indians who foresaw the perils of such blind experimenting, the late Deshabandhu C. R. Das, Founder of the Swaraj Party in 1923, was perhaps the most outspoken. In fact, the greater part of his Congress Presidential Speech at Gaya in December 1922 was devoted to warning his countrymen against the "dead wood" of western Representative institution. And so he declared-" If today the British Government grants Provincial Antonomy with Central Responsibility, I for one will protest against it; for it will lead to the concentration of power in the hands of the middle class. I do nat believe the middle class will then part with

their power." That very danger is confronting us today which the great Das foresaw and protested against ten years ago.

For these and similar reasons Orthodox Hindus are greatly apprehensive of the recommendations for Provincial Autonomy, Central Responsibility, unweildy Electorates, and so on, now before the British Government. These Recommendations all seek to build from the top, and if adopted, can only lead to what Das aptly described as the substitution in place of the present white Bureaucracy of an Indian Bureaucracy of the middle class. Indeed Orthodox Hindus hold as part of their immemorial Culture that any real Swaraj, Provincial or allIndia, if it should benefit the masses, must be broad-based on Village Autonomy. Besides pleading for such national foundations to be laid as early as possible, they would at the present juncture demand—

(1) that there must be a Second Chamber in every Province also, in order to minimise the evils inherent in every vociferous Rule of Numbers, and to protect the Cultural integrity of every Community; and

(2) that there must be no Legislative interference in the Religious or Socio-Religious life and institutions of any Community except on investigation and report by experts of that Community, and on the vote of not less than two-thirds of the representatives of that Community in each Chamber.

Any "Responsible Government" without these minimum safeguards will tend to convert India into a third-rate Russia or Germany; and will sound the death-knell of India's Dharmic Culture, which has taught men

in all ages not to feel engrossed with sense-enjoyment and power, but to seek through sense-control and renunciation and faith the Bliss of "Divinity deep-seated in the hearts of all beings." To every true Hindu the preservation of this Dharmic Culture, in the best interests of himself and the world at large, is far more essential than any superficial Responsible Government on Western lines.

हिन्दी अनुवाद

उक्त मैमोरियल तथा मैमोरेंडम का हिन्दी आशय निम्न लिखित है:-

मैमोरियल

मण्डलकी ओरसे श्रीमान् वाइसरायसे आरम्भमें कहा गया कि हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले सनातन धर्मावलम्बियोंके प्रतिनिधि आगामी शासन-सुधारके विषयमें सनातनीयों के विचारोंको आपके सामने पेश करनेको उपस्थित हुए हैं। हम लोगोंकी प्रार्थना हैं कि कृपा कर आप इनपर पूर्ण विचार करें और उनको उस विलायत सरकारके पास, जिसकी यह धारणा हो गयी हैं कि सब भारतवासी पाश्चात्य आदर्शपर उत्तरदायित्वपूर्ण शासन प्राप्त करने को अत्यंत उद्विग्न होगये हैं, भेजें। हमलोग आपको इस सम्बन्धमें यह याद दिलाना भी आवश्यक समझते हैं कि गोलमेज कान्फरन्समें सनातनी पक्षके प्रतिनिधियोंके न रहने से कितनी हानि हुई है।

हम यह भी बतलाना चाहते हैं कि वर्तमान ईश्वर-शून्य शिक्षा-पद्धति देशकी वर्त्तमान अशान्तिकी कितनी कारण-स्वरूप हुई है और इससे पार्थिव तथा आध्यात्मिक सत्ताके विरुद्ध दण्डायमान होनेके भाव नयी पीढ़ीमें कैसे उत्पन्न हुए हैं। इस लिये आपकी और प्रान्तोंकी सरकारोंसे हमलोगोंकी प्रार्थना है कि वे धार्मिक शिक्षा का हिंन्दू युवकोंका देनेका प्रबन्ध सब शिक्षण संस्थाओं में करें।

अन्तमें हम इस पर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि सनातनी यद्यपि देशके शान्ति-पूर्ण शासन-प्रबन्धमें सरकारसे सहयोग देनेकी इच्छा सदा रखते आये हैं, परंतु फिर भी शारडा ऐक्ट द्वारा धार्मिक विवाहोंमें हस्तक्षेप कर सब प्रकारसे हरएक प्रान्तमें असन्तोष उत्पन्न कर दिया है। इसलिये आपकी सरकार

सनातनी हिंदुओं की वैध शिकायत दूर करने और विधिविहित विवाहोंको दण्डाई न करनेके उपाय तत्काल किये जानेका प्रबन्ध करे।

मैमोरेंडम

सनातनी हिन्दुजनकी संख्या जनतामें अत्यधिक है। अभी तक वे राजनैतिक आन्दोलनसे अलग रहे है क्योंकि यह उनकी प्राचीन परंपरा और सभ्यताके विरुद्ध है। परन्तु ब्रिटिश सरकार मध्यम वर्गकी सामाजिक और राजनैतिक आकांक्षाओंको, जो उसकी ही ईश्वर-शून्य शिक्षासे उत्पन्न हुई हैं, पूर्ण करनेकी ओर झुक रही है। इसको देखते हुए पाश्चात्य ढंग पर होनेवाले किसी भी शासन-सुधारका विरोध करनेको वे इसलिये बाध्य हुए हैं क्योंकि ये उनके उच्च आदर्शों और सभ्यताके विपरीत हैं।

इसके सिवा पाश्चात्य देशोंके अधिक विचारवान् पुरुष पार्लमेण्टरी संस्थाओंसे इस रहस्यको जाननेमें समर्थ हुए हैं कि जनताके नाम पर मध्यमवर्गके मुट्ठीभर मनुष्य किस प्रकार प्रजा-सत्तात्मक राज्योंमें शासन कर रहे हैं। पार्लमेण्टी शासनकी प्राणस्वरूप दलबन्दी-प्रथा भी अधिकांश देशोंमें टूटती चली जा रही हैं। वास्तवमें "पाश्चात्य वैज्ञानिक सभ्यता" मनुष्यजातिके शान्तिपूर्ण उत्कर्षमें सहायक होनेके स्थानमें व्यक्तियों, जातियों और राष्ट्रोंमें समान रूपसे भयानक विरोधके बीजको गंभीरता और विस्तृततासे बोनेमें ही समर्थ हुई है। लक्षणोंसे पाश्चात्य इंन्द्रिय-परायणता-पूर्ण सभ्यताका नाश अवश्यम्भावी दिखाई देता है। इतना होनेपर भी अंग्रेजी शिक्षित अधिकांश भारतवासी पाश्चात्य सभ्यता और प्रजासत्ताका अन्धानुकरण कर रहे हैं और चाहते हैं कि ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्योंमें समान भावसे इसकी स्थापना हो चाहे जो कुछ हो जाय।

इस अन्धानुकरणके प्रयोगसे उत्पन्न होनेवाले संकटको जिन थोडेसे लोगोंनें देखा था, उनमें सन १९२३ में स्वराज्य पार्टीकी स्थापना करनेवाले स्वर्गीय देशबन्धु सी. आर. दास पूर्ण राष्ट्रवादी थे। सन १९२२ की गया कांग्रेसमें अध्यक्षकी हैसियतसे आपने जो व्याख्यान दिया था, उसका अधिकांश भाग पाश्चात्य प्रतिनिधिक सस्थाओंकी निर्जीवितासे अपने देशवासीयोंको सावधान करनेहीके विषयमें था। आपने घोषणाकी थी "यदि आज ब्रिटेन केन्द्रस्थ उत्तरदायित्वके साथ प्रान्तिक स्वायत्तशासन दे, तो मैं इसका

तीव्र प्रतिवाद करूंगा क्योंकि इससे मध्यम वर्गके हाथमें ही शक्ति चली जायगी। मैं नहीं समझता कि मध्यम श्रेणी वाले बादमें अपना अधिकार त्याग देंगे।" आज से दस वर्षके पहिले दूरदर्शी दासने जो देखा था और जिसका प्रतिवाद किया था, वह भय आज हम लोगोंके सामने है।

इन कारणों और इसी तरहके दूसरे कारणोंसे प्रान्तिक स्वराज्य, केन्द्रस्थ उत्तरदायित्व तथा असमान मताधिकार आदिकी सिफारिशोंसे सनातनी भयभीत हुए हैं। ये सिफारिशें इमारतको चोटीसे बनानेके प्रयत्न के समान हैं और यदि ये कार्यमें परिणत की गयीं तो जैसा कि स्व॰ दास महाशयने कहा था वैसाही श्वेत यथेच्छाचारी शासनके स्थानमें मध्यम वर्गीय हिन्दुस्थानी यथेच्छाचारी शासनकी प्रतिष्ठा होगी। सनातनी हिन्दू अपनी अविनाशी सभ्यताके अनुसार चाहते हैं कि यदि प्रान्तीय वा भारतीय स्वराज्य देना ही हो और यदि उसका ध्येय जनताका हित हो, तो वह ग्रामीण स्वायत्तताकी विस्तृत नींवपर होना चाहिये! पूर्व कथित अनुसार राष्ट्रीय नींवको यथासम्भव शीघ्र स्थापित करनेकी मांगके सिवा वर्तमानमें हमारी मांग इस प्रकार है:—

(१) प्रत्येक प्रान्तमें द्वितीय चेम्बर (सभा) इस लिये रहे कि नादपूर्ण संख्याके बलपर होनेवाले शासन में जो बुराई अवश्यम्भावी है, उसका जहर वह कम कर सके और प्रत्येक जातिकी सभ्यता अक्षुण्ण बनी रहे।

(२) किसी जातिके धार्मिक, सामाजिक जीवन या संस्थाओंमें कानूनसे हस्तक्षेप तबतक न किया जाय, जबतक उस जातिके मर्मज्ञों द्वारा पूर्ण जांचकर रिपोर्ट न दी जाय और उक्त जातिके दो तिहाई सदस्य दोनों सभाओं में उसके पक्षमें अपने मत न दें।

इन अल्प संरक्षणोंके सिवा जो उत्तरदायित्व पूर्ण शासन होगा, वह भारतको तृतीय श्रेणीका रूस या जर्मनी बनानेकी ओर लेजायगा और उन भारतीय धार्मिक आदर्शोंका अन्त करनेवाला होगा, जिन्होंने सब समयोंमें आत्म-सुख और शक्तिमें मग्न न होकर आत्म संयम, त्याग और ईश्वरीय विश्वास करनेकी शिक्षा बराबर दी है। प्रत्येक सच्चे हिन्दूके लिये इस धार्मिक आदर्शका स्थापित रखना अपनी और संसारकी भलाई के लिये पाश्चात्य ढंगके उत्तरदायित्व पूर्ण नकली शासनसे अधिक महत्वशाली है।

वाइसराय का उत्तर

इस सब के उत्तर में वाइसराय महोदय की ओर से निम्नलिखित आशयका उत्तर दिया गया :—

मैं डेपूटेशनके मेम्बरों से मिल कर जो देश के सब भागों से आकर सम्मिलित हुए हैं, अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूं। मै आप लोगों के विचारों के प्रति सहानुभूति एवं आदर—भाव प्रकट करता हूं और मैं आपके राजनीति विचार सम्बधी मैमोरेंडमको ब्रिटिश सरकार के पास उसके विचारार्थ लन्डन को भेज दूंगा।

संघकी राजनीतिक कमेटीका प्रस्ताव

उक्त शिमला डेपुटेशन के उपस्थित होने के तीसरे दिन २८ सितं० १९३२ ई. की राजनीतिक कमेटी की एक बैठक शिमला में हुई, जिसमें वाइसराय महोदय के भेजने के लिए एक आवेदन-पत्र भेजना स्वीकृत हुआ। इस पत्र द्वारा गत २६ सित० सन १९३२ ई. के डेपूटशने का विशेष रूपसे समर्थन करते हुए गोलमेज कान्फरेंस में सनातनी जनता को प्रतिनिधित्व प्राप्त होने के लिए वाइसराय महोदय से अनुरोध—पुर्वक प्रार्थना की गई। इस पत्र की अंगरेजी कापी निम्नांकित है:—

To,

His Excellency,

THE RIGHT HONOURABLE EARL OF

WILLINGDON,

G. C. S. I., G. C. I. E. G. C. M. G., G. B. E.

Viceroy and Governor General of India, Simla,

May it please Your Excellency,

The All-India Varnashrama Swarajya Sangha has been established since 1929 for the attaiument of Swarajaya by the people of India without interfering with the religious beliefs of the people and in the meantime to protect the religiously minded persons from interference

with their religious beliefs and practicest legislative or otherwise.

Since the British Goveynment has decided to introdnce a new resqonsible coustitution for the administration of India in the near feture, the All India Varnashrama Swarajya Sangha requested by memorials sent to Your Excellency's predecessor and also your Excellency to invite to the Round Table Cenference a sufficient number of orthodox Hindus to enable them to express their views for consideration in the new constitution making. The said request has not been favourably considered as yet.

Recently Your Excelleucy was pleased to receive a Deputation of the Orthodax Hindus and to assure them that their views would be sympathetically considered and forwarded to the authorities in England.

The Rajnaitik Committee of the Varnashrama Swarajya Sangh once again approaches your Excellency with the request to invite a sufficient number of Orthodox Hindus to the next Round Table Conference to be held in the near future. My Committee sincerely trusts that Your Excellency will be pleased to see that orthodox Hindus who from the largest bulk of the people should not go unrepresented.

I have the hoaour to be,

Your Excellency's most obedient servant
Sd. Hiralal D. Nana5ati,
Secretry, All-India Varnasnrama
Swarajya Sangha.

28th sept. 1933

हिन्दी रूपान्तर

उक्त पत्र का हिन्दी रूपान्तर निम्न प्रकार है:—

श्रीमान वाइसराय महोदय,

अखिल भारतीय वर्णाश्रम स्वराज्य संघ की स्थापना इसलिये की गयी है कि जनता के धार्मिक विषयों में हस्तक्षेप किये बिना स्वराज्य की प्राप्ति की जाय और साथही धर्म को व्यवस्थापिका सभा आदि से बचाया जाय।

चूंकि ब्रिटिश सरकार ने निकट भविष्य में भारत को उत्तरदायी शासन-विधान देने का निश्चय किया है, अतः वर्णाश्रम स्वराज्य संघ मैमोरियल (आवेदन पत्र) उपस्थित कर के आपके तथा आपके पूर्ववर्ती वाइसराय महोदयों के समक्ष सनातनी जनता की ओर से गोलमेज कान्फरेंस में अपना मत प्रकाशन के लिये प्रतिनिधित्व की मांग को उपस्थित कर चुका है। परन्तु इस मांग के अनुकूल अभीतक विचार नहीं किया गया है।

और आपके पास अभी हाल में भी हम लोगों की ओर से एक डेपूटेशन आया था। आपने उसे यह आश्वासन दिया है कि आप लोगों के विचारों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा और उन्हें इंगलण्ड को भेज दिया जायगा।

वर्णाश्रम स्वराज्य संघ की राजनीतिक समिति यही प्रार्थना आप के समक्ष पुनः उपस्थित करती है कि आगामी गोलमेज कान्फरेंस में प्रतिनिधित्व दिया जाय। यह समिति आशा करती है कि आप सनातन धर्मावलम्बी हिन्दुओं को, जो देश में बहु-संख्या में हैं, प्रतिनिधित्व देने की अवश्य कृपा करेंगे।

निवेदक

हीरलाल डाह्याभाई नानावटी.

२८ सि. १९३२ ई. मंत्री अ. भा. व. स्व. संघ।

देहली डेपूटेशन [१९ मार्च सन १९३३ ई.]

इस सब लिखा-पढी एवं मिलने-जुलने का अन्ततोगत्वा कुछ भी असर न हुआ। गोलमेजकी अन्तिम कान्फरेंस भी समाप्त होगई। अब एक

अवसर हमारे सन्मुख अपने विचारोंको भावी शासन—सुधार के निर्माताओं के समक्ष पहुंचाने का और भी आया. लंदनमें यह योजना की गई कि भावी शासन सम्बन्धी यावत समस्त कार्यवाहीको एक निश्चित रूप देने एवं तत्सम्बधमें कुछ विशेष गवाहियोंको लेने के लिए एक ज्वाइंट सिलेक्ट कमिटी निर्माण की जाय, अर्थात् एक ऐसी कमेटी की रचना की जाय, जिसमें हिंदुस्तान और ब्रिटेन के कुछ चुने हुए प्रतिनिधी रहें, जो यावत सब सामग्रीको शोध कर एक मसौदा का रुप दें। यह कमेटी बनी और उसने अप्रेल सन १९३३ ई० से अपना काम प्रारम्भ कर दिया, परन्तु सनातनी जनता का एक भी प्रतिनिधि इस कमेटी में सम्मिलित न किया गया। और आश्चर्य तो यह कि इस कमेटी के संयोजित होनेसे पूर्व तथा अन्तिम गोलमेज कान्फरेंस की समाप्ति के उपरान्त देशमें श्री गांधीजीके अस्पृश्यता निवारण आन्दोलन को नेतावन कर संचालन कर देने एवं एसेम्बली में विवाह विच्छेद बिल के सिलेक्ट कमेटीके सौंपेजाने तथा अछूतों के मंदिर प्रवेश बिल के लिए वाइस-राय महोदय द्वारा जनवरी सन् १९३२ ई. में एसम्बलीमें विचारार्थ उपस्थित हो जानेके लिए स्वीकृति दे देने के कारण वर्णाश्रम स्वराज्य संघ एक और भारी मैमोरियल जो देहली मैमोरियल के नामसे प्रसिद्ध है। अपनी सम्पूर्ण परिस्थिति को प्रकट कर वाइसराय महोदय को १७ मार्च सन् १९३३ ई. को रख चुका था कि भारत देवी की बहु-संख्यक सनातनी जनताको सन्तुष्ट रखने के लिये कम से कम इस अन्तिम अवसरपर अर्थात् ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटीहीमें प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। इस मैमोरियल द्वारा संघने अपनी राजनीतिक मांगोंको भी स्पष्ट रूपमें उपस्थित कर दिया था। इस मैमोरियल की अंगरेजी प्रतिलिपि निम्नांकित है :—

देहली मैमोरियल

❀ श्री : ❀

राजाऽस्य जगतो हेतु र्वृद्धेर्वृद्धाभिसम्मतः।
नयनानन्दजननः शशांक इव तोयधेः॥ १॥
व्यवस्थितार्यमर्यादः कृतवर्णाश्रमस्थितिः।
त्रय्या हि रक्षितो लोकः प्रसीदति न सीदति॥ २॥
यस्मिन्देशे य आचारः पारम्पर्यक्रमागतः।
तथैव प्रतिपाल्योऽसौ यदा वशमुपागतः॥ ३॥

1. It is the King who is the cause of all orderly progress in this world; hence is he honoured by the Elders; he causes delight to all eyes as does the Moon to the Ocean.

2. It is only when ruled and protected according to the injunctions of the Vedas so as to keep the people within the path of the Righteous and maintain intact the rules pertaining to Varnas (the castes) and Ashramas (the four stages of life) that the world is always happy and never comes to grief.

3. The course of Religious conduct that has been hallowed by immemorial usage and tradition in any country—the same must the ruler be guided by, when he comes into power.

May it please your excellency

On behalf of Orthodox Hindus who form the majority of the population in India, we the undersigned beg to approach Your Excellency with our most respectful and loyal greetings, and to submit to Your Excellency our considered views both on the question of Temple-entry legislation now before the Government and the Country, and on the larger question of Constitutional Reforms.

Foreign influence in present-day agitation.—We beg to point out to Your Excellency quite frankly how a great deal of the present day agitation, whether in the Press or on the Platform, and whether in matters social and religious, or economic and political, is foreign in origin and exaggerated in tone, besides being confined to a not altogether unselfish though vocal minority. The creed of civil disobedience is as exotic as the cult of the

bomb, and Temple-entry agitation as artificial and mischievous as socialism. These movements inspired in no small measure by Godless Western education, have luckily had little influence on the Orthodox Hindu majority, who for ages have been brought up in the highest ideals of Self-control and mutual service, social co-operation, political loyalty, and spiritual discipline.

Protest against special faciliiies to Mr Gandhi.—We regret that Your Excellency should have been pleased to allow to Mr. Gandhi special facilities from within the Jail to launch a most mischievous campaign against Hindu Religion and Social System in general and against the sanctity of Hindu Temples in particular. Likewise we deplore that government both in India and in England were misled in September last by Mr. Gandhi and a few admirers of his to accept the terms of the Poona Pact to which the bulk of the people in this Country were no parties.

All India Varnashrama Swarajya Sangha.—We beg to repeat that the bulk of the Hindu Community are conservative by nature, and against all hasty changes whether in economic and political, or in soclal and religious matters. They are not accustomed to public agitation either; and but for the unfortunate manner in which Government through the impious Sarda Act chose to interfere with our sacred marital institutions, and but for the unwarranted manner in which the Congress, the Liberal League, the so-called Hindu Mahasabha and other vocal bodies all claimed to represent the Hindu majority, and were receiving recognition at the hands of Government —but for the injury caused to our

vital interests by Governmental response to such misrepresentations, we should perhaps not have started an All India Varnashrama Swarajya Sangha four years ago *pledged to the attainment of Swaraj on right Indian lines, that is, on lines consistent with our higher Dharmic idedls.* Out of evil often cometh good, and so the cruel attacks made on our Dharmic ideals and institutions by misguided "reformers" have goaded us to perceive the need for organising efficiently the Hindu Community also and we are glad to inform Your Excellency that the All-India Varnashrama Swarajya Sangha with its Head quarters in the holy city of Benares has now got more than four hundred efficient branches in all the Provinces and is working under the guidance of the recongnised Religious and Political Leaders of the community all over India. It is the considered view of such an organisation that we beg to submit to Your Excellency upon current problems.

Temple-Entry Agitation.–We beg, in the first place to submit to Your Excellency our unanimous and uncompromising opposition to the unholy agitation in favour of Temple-entry by Untouchables started by Mr. Gandhi and carried on by certain misguided followers of his; and we do so for the following reasons:–

1. These agitators, whatever their worldly status be are not authorities on Hindu Religion and Hindu Sociology; and their agitation, should it succeed would give a severe blow to all higher Ideals of Sanatana Dharma or Hinduism.

2. According to Hinduism the realisation of the Supreme Unity and Blissfulness of the Atman in and through all the diversities and mixed experiences of worldly existences is the supreme goal of Varnashrama Dharma or orderly Evolution of individuals and communities. According to Hinduism, again birth is not a matter of chance. Every man is born in that country, community and family with which he has contracted *karmic* relations in past lives, and each man in his present life must discharge all those *karmic* obligations before he can attain the goal. Untouchables then are people who on account of their own *karma* in past lives are born in communities families and professions so unclean as to be regarded as untonchables by caste Hindus. It is true that according to Hinduism all mortals including untouchables can turn from their sinful ways and can take to the path of Renunciation and God-love. But this can be brought about by no external agency, least of all by secular legislation.

3. Further Caste Hindus and Untouchables for generations have lived side by side in harmony and with mutual good will even now Caste Hindus are willing to do all they can for bettering the worldly and even Religious life of the Untouchables.

4. On the other hand, the hypothesis that Untouchables are all ' Harijans " or godly people, and that they have been oppressed and suppressed by the continued tyranny of Caste Hindus is wholly inaccurate, and unsupported either by the religion or history of Hindu India,

5. Likewise, the hypothesis that all those who are shown as "Hindus" in the Census returns have a right to enter and worship in every Hindu public temple is quite incorrect. In the first place there are no public temples at all, that is temples built or maintained from public funds just as there are public roads or hospitals. Secondly all existing temples have been put up, according to the regulations contained in the Shastras by Caste Hindus having faith in such regulations for the benifit of other Caste Hindus having similar faith.

Attempt at Legislation.—The present agitation is in fact engineered by people who have little right knowledge of the principles of Hindu Religion in general or of Temple worship in particular, and most of them do not believe in Temples at all. Mr Gandhi is no religious authority and whatever a few vociferous newspapers may say, the bulk of the Hindu Community all over India are delermined to oppose Mr. Gandhi's unwarranted interference in their cherished Religious institutions. Indeed, the Gandhians know that they cannot by peaceful arguments persuade the Hincu majority in the country to their views and hence it is that they have caught of certain heterodox members of the Legislature to give notices of Bills, which openly seek to interfere with the Religious beliefs and usages of the Hindu community. We do most humbly put it to Your Excellency whether such Legislative interference with Religion is to be permitted. Is the Queen's Proclamation ratified, as it certainly was, by the Coronation Pronouncements of His Imperial Majesty King Edward and of His Imperial Majesty King George, no longer respected ? We are

thankful to Your Excellency for having declined to sanction the introduction of any Bill on the subject in the Madras Legislative Council, as also for declining to give any special facilities for rushing through Legislative Assembly the Bills sought to be introduced therein. We should have been even more grateful if, before giving Yonr Excellency's sanction to the introduction of the Bills in question as required nnder the Government of India Act, Your Excellency had been pleased to obtain the opinions of some recognised Hindu Religious leaders or institutions. In any case, we beg most humbly that Your Excellency may now at least be pleased to direct that the Bills in question, if and when introduced should be circulated for eliciting not merely " Public opinion " in the ordinarily sense, but for elicting especially the opinions of recognisad Religious Heads, Associations and other Leaders of the commnnity, whose Religion is sought to be affected by these Bills.

Constitutional Revision—Demands of vocal Politicians.—We beg to repeat that neither the leaders ot the congress, nor of the Liberal League, nor even the so-called Hindu Mahasabha, are in sufficient touch with the Hindu majority in the contry. Their demands for full and immediate Responsible government on pseudo democratic wesstern lines represent at best the ambitions of the English-educated but de-Indianised minority only, not of the bulk of the people. Indeed, as submitted by some of us to Your Excellency lasf September at Simla, orthodox Hindus are greatly apprehensive of any scheme of self-Govrnment on purely Western lines, because (1) such Self-Govern-

ment cannot but conflict with their higher ideals and culture; and (2) because in no few Western countries democracy is making way for armed dictatorship of some kind; and in a country like India, with manifold age-long diversities it may lead to all the evils inherent in the tyranny of the vocal Few over the voiceless Many. This fear is justified by our experiences during the past ten years when the burdens on the people have considerably risen without any corresponding benefit in the way of good Government. We quite recognise the very great difficulty in framing a scheme of Self Government for India suited to our age-long culture and present-day conditions. This very difficulty must teach all sane politicians to carefully avoid all possible flaws and to see the foundations of Dharmic Swraj well and truly laid.

Need for further scrutiny.—But in the report of the third R. T. C. available to us we see more evidence of theoretical zeal and of communal or sectional bargaining than of far-seeing statesmanship in the interests of the people at large. There is in fact very little evidence of what may be called bold and original thinking. We recognise that great Thinkers cannot be made to odrer in conference-halls or council-chambers; that is no reason why the Many should be hastily sacrificed for the ambitions, if not slogans, of the Few. In any case, we would most earnestly urge that the reeommendations of the Round Tablers, whether in the matter of Provincial Autonomy or of Centrol Responsibility, whether with regard to Franchise, or the constitution and powers of the various legislatures, require very careful scrutiny

from the standpoint of what we would call the People's Enduring interests, before they are embodied in the new Constitution. And for this purpose, we beg that Your Excellency may at least at this last stage give some representation to the loyal Orthodox Hindu Majority on the Indian adjunct to the Joint Parliamentary Committee. For reasons already stated, we do not expect that our view points will be done justice to by any Delegate who has no personal sympathy therewith and who has not been specially sent there-with a specific mandate thereon.

CONCRETE SUGGESTIONS.

1. *Scope for Natural development.*—It is our firm conviction that India divinely stands for Unity in the midst of Diversity, whether in Religion or in Politics. We cannot therefore congratulate our politicians on their attempts to get all Provinces and States fitted into any scheme that imposes undue uniformity whether with respect to francise qualifications and methods of election or with respect to the constitution and powers of the Legislatures, or indeed with regard to the part, which the personality of the Governor or the Governor-General should play in the new Constitution. We would therefore suggest that there must be ample scope for natural development, as opposed to mechanical ordering of the constitutional machinery in each Province, and there must be ample provision for enabling the Governors and the Governor-General to realise and discharge their responsibilities in full and if possible, to minimise the defects of any over-mechanism that may appear in the actual working of the new constitution.

The need for natural evolution whould again be our chief argument against precipitating Central Responsibility on purely occidental maxims.

II. Village Autonomy,—We beg to respeact the view that was placed before Your Excellency last September that the scheme of Swaraj or self-Government for India that is intended to benefit the masses must be foundded on efficient and wide-spread Rural Autonomy; and neither Provincial Autonomy nor Central Responsibility based on such foundations will vest any real political power in the hands of the people at large. The bulk of the people in India still live in villages; and the destruction of the ancient autonomous Village institutions and the concentration of all power in the hands of the District and Provincial officials has deprived the people of all initative in their every-day affairs. Provincial Autonomy and Cental Responsibility, therefore. not based on village autonomy will vest all real initative in the hands of the urban middle-class few; nor would any franchise, however wide arm the people at large with effective political power.

III. Second Chambers in the Provinces.—Similarly, in view of the huge Provincial areas to be administered, and in view of the manifold racial, communal, and economic interests involved, we beg very strongly to urge the need for an Upper Chamber in every Province also. It is very necessary that in these Chambers there should be the accredited representatives of all the Religions of the land in due and adequate proportion. It is unfortunate that the slogans of cheap democrats seem to have prevailed with the third R. T. C against the

establishment of Second Chambers in the Provinces. We repeat that such Second Chambers are very necessary in India to minimise the evils inherent in the emotional Rule of numbers and to safeguard the higher economic and cultural and Religious interests of every community.

IV. Religious Safeguards.-- Lastly we beg to urge very strongly that there must be a clear Statutory provision against all administrative or legislative interferences in the religious beliefs and institutions of any community in British India. It will not be enough to require the previous sanction of the Governor or the Governor-General to any Legislative proposal, unless it is also clearly laid down that no such sanction shall be given by the Governor or Governor-General except in accordance with the strict principles of Religious neutrality observed for the last 150 years, and except on the catagorical guarantee given by the recognised Religious Heads and organisations (of the community affected) to the effect that no interference in the Religious and Socio-Religious affairs of that Community is involved therein! Further, no legislative measure of the kind referred to should be deemed to have been passed except on the vote of not less than two-thirds of the representatives in each chamber of the communities sought to be affected. In view of the undeniable fact that the people of India attach the greatest importance to Religion in all the details of their every-day life, we hope that Your Excellency's Government and the Government in England will realise the very great importance we attach to a Statutory safeguard of this kind. For, after all, it is not so much the military power of the British Govern-

ment that ensures law and order in the every-day administration of this country as the hereditary peace-loving instincts of the masses at large and their faith in the protection afforded by Government in the undisturbed persuit of their wordly avocations and their Religious beliefs. We do fervently urge that Government should do all they can to justify and strengthen this cherished faith of the people.

We tender to Your Excellency our most grateful thanks for permitting us to place our views before Your Excellency quite candidly, and we further beg that Your Excellency will be pleased to impress upon the authorities in England the desirability for giving their most careful consideration to the views we have submitted on behalf of the many millions of our voiceless countrymen.

Thanking Your Excellency again,

We beg to remain,

Your Excellency's most humble servants,

New Delhi
17th March, 1933.

हिन्दी अनुवाद

उक्त निवेदन-पत्र का आशय निम्नांकित है:—

राजाऽस्य जगतो हेतुर्वृद्धेर्वृद्धाभिसम्मतः।
नयनानन्दजननः शशांक इव तोयधेः॥ १ ॥
व्यवस्थितार्यमर्यादः कृतवर्णाश्रमस्थितिः।
त्रय्या हि रक्षितो लोकः प्रसीदति न सीदति॥ २ ॥
यस्मिन्देशे य आचारः पारम्पर्यक्रमागतः।
तथैव प्रतिपाल्योऽसौ यदा वशमुपागतः॥ ३ ॥

भावार्थ (१) राजा ही ऐसी व्यक्ति है, जो इस संसारकी व्यवस्थित उन्नतिका साधन स्वरुप है, इसीलिये उनका सम्मान वृद्धों द्वारा किया जाता है, वह सबकी आंखोंको उसी तरह आनन्दित करते हैं, जैसे कि चन्द्र, समुद्रको आल्हादित करते हैं।

(२) जब कि प्रजाका शासन और संरक्षण वेदोंकी आज्ञाके अनुसार इस प्रकारका होता है, जिससे न्यायानुमोदित मार्ग पर चल कर वर्ण (जाति) सम्बन्धी नियम अक्षुण्ण रहें और आश्रम (जीवनकी चार अवस्थाएं, जारी रहें, तब संसार भरमें आनन्द विराजमान रहता है और उसको कभी दुःख नहीं होता।

३—जब वह राजाके अधिकार प्राप्त करें, तब इन राजाको अनादि कालसे देशमें प्रचलित आचार-विचार और परम्परागत धार्मिक व्यवहारोंके अनुसार चलना चाहिए।

श्रीमन् महोदय,

उन सनातन धर्मावलम्बी हिन्दुओंकी ओरसे, जिनकी अत्यधिक संख्या भारतीय जनतामें है हम लोग नीचे हस्ताक्षर करनेवाले सम्मान एवं भक्तिपूर्ण अभिवादनके साथ आपकी सेवामें मन्दिर-प्रवेश तथा उससे अधिक महत्वपूर्ण उस शासनसुधार सम्बन्धी कानूनके विषयमें अपने निश्चित विचार प्रकट करनेके लिये उपस्थित हुए हैं, जो इस समय सरकार और देश, दोनोंके सामने उपस्थित हैं।

आन्दोलनमें वैदेशिक प्रभाव

हमलोग श्रीमान्‌के सामने स्पष्ट रूपसे यह प्रकट करना चाहते हैं कि वर्तमान समयमें प्रचलित उस आन्दोलनमें—जो समाचार-पत्रों और सभा-समितियां द्वारा किया जा रहा है, चाहे वह सामाजिक हो या धार्मिक अथवा आर्थिक हो या राजनैतिक, विदेशी भाव कितना है और उसमें अतिशयोक्ति कितनी अधिक है और यह स्वार्थ-साधक चिल्लपुकार मचाने वाले थोड़ेसे लोगोंमें ही यह किस-प्रकार परिमित है। कानूनोंकी

भद्र अवज्ञा का तत्व भी बमबाजीके सिद्धान्तके समान ही इस देशके लिये विदेशी ही है और अस्पृश्योंके मन्दिर प्रवेशका आन्दोलन भी साम्यवाद या बोलशेविकवादके समान ही बनावटी आर हानिकारक है। ये आन्दोलन ईश्वर-विहीन पाश्चात्य शिक्षाके प्रभाव से ही उत्पन्न हुए हैं, परन्तु सौभाग्य से इनका प्रभाव सनातन धर्मावलम्बी बहुसंख्यक जनता पर इसलिये नहीं पड़ा है, कि अनादिकालसे आत्म-संयम, पारस्परिक सेवा, सामाजिक सहयोग, राजनैतिक और पारमार्थिक नियम-बद्धताके महान् आदर्शोंके अनुसार वह परंपरासे चलती आ रही है।

सुविधाओंका प्रतिवाद

हम लोगोंको इसका अत्यन्त दु:ख है कि श्रीमानने श्रीगांधीजी को जेलके भीतरसे महान हिन्दू धर्म तथा सामाजिक व्यवस्था—खास कर मन्दिरोंकी पवित्रताके विरुद्ध एक अत्यन्त हानिकारक आन्दोलन चलाने के लिये विशेष सुविधाएं दी हैं। इसी प्रकार हम लोगोंको इसका भी अत्यन्त खेद है कि गत सितम्बर मासमें श्रीगांधीजी और उनके कुछ अनुयायियों द्वारा भारत और विलायत सरकारें पूना पैक्टकी उन शर्तोंको स्वीकार करने के विषयमें भ्रममें डाली गयी हैं, जिनको तैयार करनेमें देशके अधिकांश लोगोंका हाथ नहीं रहा है।

अ० भा० वर्णाश्रम स्वराज्य संघ

हम लोग यहां यह दोहराना अपना कर्तव्य समझते हैं कि हिन्दू समाजके अधिकांश लोग स्वभावसे परम्परागत कट्टरपनके अनुयायी और आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषयोंमें जल्दबाजीके हर प्रकारके परिवर्त्तन के विरोधी हैं। वे सार्वजनिक आंदोलन करनेके विषयमें भी अभ्यस्त नहीं हैं और यदि अधार्मिक सारडा ऐक्ट के समान दुर्दैवपूर्ण रूपसे हमारे पवित्र वैवाहिक व्यवस्थाओंमें सरकार द्वारा हस्तक्षेप न किया जाता और कांग्रेस, लिबरल लीग, हिन्दू महासभाके नामसे पुकारी जानेवाली संस्था तथा अन्य चिल्लपुकार मचाने वाली अपनेको हिन्दू जातिकी प्रतिनिधि बतानेवाली संस्थाओं द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप न किया जाता और उनपर सरकारी स्वीकृति रूपी मोहर न लगायी जाती तथा ऐसी गलत

बातों पर विश्वास करके हम लोगोंके महत्वशाली हितोंको धक्का न लगाया जाता, तो सम्भवतः चार वर्षके पूर्व उस अखिल भारतवर्षीय वर्णाश्रम स्वराज्य संघका जन्म ही न होता, जिसका ध्येय भारतीय रीतिके अनुसार ही अर्थात् हमारे उच्च धार्मिक आदर्शोंके अनुकूल स्वराज्य प्राप्त करना ही प्रधान है। परन्तु कभी २ जैसे गरलसे भी अमृत उत्पन्न होता है, उसी तरह हमारे धार्मिक आदर्शों और धार्मिक संस्थाओंपर पथ-भ्रान्त सुधारकों द्वारा जो क्रूर आक्रमण किये गये हैं, उनसे हम लोगोंका भी हिन्दू समाजके परिपूर्ण संगठन करनेकी आवश्यकता, इनका सामना करनेके लिये, दिखायी पड़ी है। श्रीमान्को हम लोगोंको यह सूचना देते हर्ष होता है कि उक्त अखिल भारतीय वर्णाश्रम स्वराज्य संघका प्रधान कार्यालय पवित्र काशी नगरीमें है तथा देशके विभिन्न भागों और सब प्रदेशोंमें इसकी चार सौ से अधिक सर्वाङ्गपूर्ण शाखाएं स्थापित हो चुकी हैं। यह संघ देश भरके स्वनामधन्य प्रसिद्ध धार्मिक तथा राजनैतिक नेताओंके तत्वावधानमें भारत भरमें कार्य कर रहा है। ऐसी ही संस्थाकी ओरसे हम-लोग वर्त्तमान समस्याओंके विषयमें अपने विचारपूर्ण अभिप्राय प्रकट करनेको श्रीमानके पास उपस्थित हुए हैं।

मंदिर-प्रवेशका आन्दोलन

सर्व प्रथम हमलोग श्रीमान्की सेवामें श्रीगांधीजी द्वारा आरम्भ किये गये उस अस्पृश्योंके अपवित्र मंदिर-प्रवेशान्दोलनका, जो उनके पथ-भ्रान्त अनुयायियों द्वारा चलाया जा रहा है, एक रायसे तीव्र प्रतिवाद और विरोध प्रकट करते हैं और ऐसा करनेके कारण निम्न लिखित हैं:—

१—ये आन्दोलनकारी, चाहे इनका पार्थिव पद कुछ भी क्यों न हो, हिन्दू धर्म या हिन्दू समाज-शास्त्र विषयक आचार्य नहीं हैं तथा उनका आन्दोलन, यदि सफल हो, तो वह सनातन धर्म वा हिन्दुत्वके उच्च आदर्शोंपर भयावह कुठराघातकारक होगा। २—हिन्दू-धर्मके अनुसार आध्यात्मिक ऐक्य और आत्मानन्दकी प्राप्ति करना-पार्थिव अस्तित्व के परस्पर विरोधी तथा मिश्रित अनुभवोंमें रहकर प्राप्त करना वर्णाश्रम धर्मका व्यक्ति और जातिके

नियम-विहित उत्कर्षका मुख्य उद्देश्य है। हिन्दू-शास्त्रके अनुसार जन्म केवल आकस्मिक घटना नहीं है। प्रत्येक मनुष्यका जन्म उस देश, जाति या कुटुम्बमें होता है, जिसके साथ उसके पूर्व जन्ममें कर्मका सम्बन्ध स्थापित हुआ हो, इस कारण अपना अन्तिम ध्येय प्राप्त करनेके पूर्व जो कर्म उसके लिये निश्चित हुआ हो, उसीका पालन करना उसका कर्तव्य होता है। अतः अस्पृश्य जातिके लोगोंका जन्म, पूर्व जन्मके कर्मानुसार ही उन जातियों, कुटुम्बों और कुलोंमें होता है, जो अपनी अपवित्रताके कारण स्पृश्य हिन्दुओं द्वारा अस्पृश्य माने जाते हैं। यह सत्य है कि हिन्दू शास्त्रोंके अनुसार, नाश होनेवाले सभी प्राणी, मय अच्छूतोंके, अपने पाप-पूर्ण मार्गोंको त्यागकर त्यागके उस मार्गका अनुकरण कर सकते हैं, जिसके द्वारा वे ईश्वरके प्रिय-पात्र बननेमें समर्थ हों। परन्तु यह कार्य किसी बाहरी कारण द्वारा नहीं कराया जा सकता, फिर ऐहिक कानूनों द्वारा तो इसका किया जाना असम्भव ही है। ३—इसके सिवा वंशपरंपरासे स्पृश्य और अस्पृश्य, दोनों मेल-जोलके साथ पारस्परिक सद्भावसे रहते आये हैं, यहां तक कि इस समय भी वर्णाश्रमी हिन्दू अस्पृश्योंके पार्थिव जीवन तथा धार्मिक जीवनको उन्नत करनेमें सब प्रकारकी सहायता यथासाध्य देनेको प्रस्तुत हैं। ४—दुसरी ओर यह कथन कि सब अस्पृश्य "हरिजन" ईश्वरीय मनुष्य हैं और ये स्पृश्य हिन्दुओं द्वारा परंपरा-प्रचलित नाना प्रकारके अत्याचारोंसे पद-दलित करके दबाये रखे गये हैं, बिलकुल असत्य है और भारतीय इतिहास और धर्मसे इसकी सचाई सिद्ध नहीं की जा सकती। ५—यह कहना भी बिलकुल ग़लत है कि मर्दुमशुमारीकी रिपोर्टमें जो हिन्दू लिखे गये हैं, उन सबको सार्वजनिक मंदिरोंमें जाने और पूजा करनेका समान अधिकार है। प्रथमतः ऐसे सार्वजनिक मंदिर एक भी नहीं हैं, जो सार्वजनिक चन्देसे बनाये गये हों या जिनका खर्च सार्वजनिक चन्देसे वैसा ही चलाया जाता हो, जैसा कि सड़कों और अस्पतालोंका किया जाता है। दूसरे सब मन्दिरोंका निर्माण उन स्पृश्य हिन्दुओंके द्वारा, जिनका विश्वास शास्त्रीय आज्ञाओंमें है, शास्त्रोंमें वर्णित नियमोंके अनुसार ही उन सहधर्मी स्पृश्य हिन्दुओंके लिये किया गया है, जिनका विश्वास शास्त्रोंमें है।

कानून बनानेकी चेष्टा

वास्तवमें वर्त्तमान आन्दोलन उन्हीं लोगों द्वारा आरम्भ किया गया है, जिनको साधारणतः हिन्दू धर्म-शास्त्रके तत्वोंका और खासकर मूर्त्ति पूजाके तत्वका बहुत कम ज्ञान है और जिनमेंसे अधिकांशका विश्वास तक मंदिरोंमें नहीं है। श्री गांधीजी धर्म विषयमें आचार्य नहीं हैं और व्यर्थ हो-हल्ला मचानेवाले पत्र कुछ भी क्यों न कहें, हिन्दू जातिके भारतव्यापी अधिकांश लोग श्रीगांधीजी द्वारा उनकी गौरवशाली संस्थाओंमें अनावश्यक हस्तक्षेप किये जानेके कार्यका जी-जानसे विरोध करनेको दण्डायमान हो गये हैं। वास्तवमें गांधी-दलके लोगों को मालूम है कि वे शान्तिपूर्ण प्रचार और दलीलोंसे हिन्दुओंके बहुमतको समझा कर अपने विचारोंसे सहमत नहीं कर सकते, इसलिये उन्होंने व्यवस्थापिका सभाके कुछ अधार्मिक सदस्योंको अपने पक्षमें करके ऐसे बिल पेश करनेकी सूचना दी है, जो हिन्दू-जातिके परम्परागत व्यवहारों और धार्मिक विश्वासोंमें खुल्लमखुल्ला हस्तक्षेप करनेवाले हैं। श्रीमानसे अत्यन्त नम्रतासे हम लोग यह पूछना चाहते हैं कि धार्मिक विषयोंमें क्या इस प्रकार हस्तक्षेप करने दिया जायगा? क्या स्व० सम्राज्ञीकी वह घोषणा, जो स्व० सम्राट सप्तम एडवर्ड और वर्त्तमान सम्राट जार्ज पञ्चम द्वारा अपने राज्याभिषेकके समय दोहरायी गयी है, भविष्यमें पालित न होगी? मद्रास कौंसिलमें किसी बिलके पेश किये जाने तथा पेश होनेवाले बिलोंके शीघ्र पास किये जानेके विषयमें खास सुविधाएं दिये जानेकी आज्ञा श्रीमाननने नहीं दी, इसलिये हम सब कृतज्ञ हैं। हम लोग इससे भी अधिक श्रीमानके कृतज्ञ होते, यदि गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया ऐक्टके अनुसार ऐसे बिलोंके लिये आवश्यक अपनी मंजूरी देनेके पूर्व, उनपर धर्माचार्यों और धार्मिक संस्थाओंकी राय लेली गयी होती।

हम लोगोंकी विनम्र प्रार्थना है कि ऐसी अवस्थामें भविष्यमें श्रीमान् इतनी आज्ञा देनेकी कृपा अवश्य करेंगे कि प्रस्तावित्त बिल, जब कभी पेश किये जायं, उस समय " केवल जनताकी राय " ही नहीं, बल्कि प्रख्यात और प्रतिष्ठित धर्माचार्यों, धार्मिक संस्थाओं तथा ऐसी अन्य जातियोंके उन नेताओंकी राय लेनेके लिये विशेष रूपसे प्रचारित किये जायंगे, जिनके धर्म पर इन बिलोंका असर पड़नेकी सम्भावना हो।

शासन–सुधारकी मांग

हमलोग फिर यह दोहराना चाहते हैं कि न कांग्रेसके नेताओं, न लिबरल लीगके नेताओं और न हिन्दू महासभाके नामसे पुकारी जाने वाली संस्थाके नेताओंका हिन्दू–जातिके अधिकांश लोगोंसे परिचय है। उनके द्वारा मिथ्या पाश्चात्य प्रजातन्त्र की पद्धति के अनुसार पूर्ण उत्तर-दायी शासन-अविलम्ब स्थापित किये जानेकी जो मांग हो रही है, वह केवल उन अंगरेज़ी शिक्षितोंकी ओरसे हो रही है, जिनकी संख्या अत्यल्प है। यह मांग बहु-संख्यक जनताकी ओरसे नहीं है, जैसा कि गत सितम्बर मासमें हम लोगोंमेंसे कुछ लोगोंने शिमलेमें श्रीमानसे निवेदन किया था। वास्तव में सनातन धर्मावलम्बी हिन्दुओंको केवल पाश्चात्य ढंगपर स्वायत्तशासन स्थापित किये जानेके विषयमें महान भय है और वह इसलिये क्योंकि (१) यह हमारी प्राचीन संस्कृति और उच्च आदर्शोंके विपरीत हुए बिना न रहेगा, और (२) इसलिये भी कि अनेक पाश्चात्य देशोंमें प्रजातन्त्र शासन सशस्त्र एकाधिपत्य स्थापित करनेमें कारण-स्वरूप हो रहा है। अतः भारतके समान प्राचीनकालसे नाना प्रकारकी विभिन्नता रखनेवाले देशमें ऐसी व्यवस्थासे वे सब बुराइयाँ सम्भव हो सकती हैं, जो चिल्ल-पुकार मचानेवाले अल्प-संख्यक लोगों के बहु-संख्यक मूक लोगोंपर अत्याचार करने से उत्पन्न होती हैं। और विगत १० वर्षोंका तत्सम्बन्धी अनुभव हम लोगों के इस भयका पूरा आधार है। इस अवधि में प्रजाका बोझ जिस परिमाणमें बढ़ा है, उसकी तुलनामें सुशासनके लाभ उनको बहुत कम प्राप्त हुए हैं। वर्त्तमान समयकी परिस्थिति और भारतकी अनादि कालसे प्रचलित संस्कृतिके लिये उपयुक्त, भारतके योग्य स्वराज्यका मसौदा बनानेके मार्गमें जो कठिनाइयां हैं, उनको हम भलीभाँति समझते हैं। इन कठिनाइयोंके कारण ही सब बुद्धिमान राजनीतिज्ञोंको अत्यन्त सावधानतासे, प्रजातंत्रके सब दोषों यानी उससे होनेवाली हानियों से बचनेकी और धार्मिक स्वराज्यकी वास्तविक नींव को सुचारु रूप से स्थापित किये जाने की ओर पूर्ण रूपसे ध्यान देना चाहिये।

छान-बीनकी आवश्यकता

तृतीय गोलमेज परिषद्की जो रिपोर्ट हम लोगोंने देखी है, उसमें जनता के हितकी दृष्टिसे राजनीतिक दूरदर्शिता के प्रकट किये जानेके स्थानमें सिद्धांतिक भावुकता तथा जातिगत और सांप्रदायिक आपसी सौदे ही का अधिक परिचय मिलता है। यदि वास्तवमें देखा जाय, तो इसका पूरा प्रमाण मिलता है कि साहसपूर्ण और मौलिक विचार का इसमें अभाव सा ही रहा है। हम यह मानने वाले हैं कि महान विचार-वान व्यक्ति कान्फरेंन्स या कौन्सिलोंद्वारा हुकूमत नहीं कर सकते। अतएव यह कोई कारण नहीं हो सकता कि कुछ थोड़ेसे लोगोंकी प्रबल इच्छाओं के लिये बहु-संख्यक मनुष्यों के हितोंको जल्द तिलान्जलि दे दी जाय। इसलिये ऐसी अवस्थामें हम लोग अन्तःकरणसे यह प्रार्थना करते हैं कि गोलमेज सभाके सदस्योंकी सिफारिशों पर, चाहे वे प्रान्तिक स्वायत्त शासनके सम्बन्धमें हों अथवा केन्द्रस्थ उत्तरदायित्वके विषयमें हों, चाहे वे मताधिकारकी योग्यताके सम्बन्धमें हों अथवा व्यवस्थापिका सभाओंके संगठन अथवा अधिकारोंके विषयमें हों, जनताके प्रधान हितोंकी ओर पूर्ण ध्यान रखकर ही अत्यंत सावधानीके साथ छान-बीन करनी चाहिये। और इसपर पूर्ण ध्यान रखकर ही नवीन शासन सुधार योजनामें उनका समावेश किया जाना चाहिये। इस उद्देशको पूर्ण करनेके लिये इस अन्तिम स्थिति में हम श्रीमानसे कमसे कम यह प्रार्थना करते हैं कि बहुसंख्यक राज-भक्त सनातनधर्मीयोंको कमसे कम संयुक्त पार्लीमेंटरी कमेटीके सदस्योंमें पर्याप्त स्थान दिया जाय। ऊपर कहे गये कारणों से हम लोगोंको यह आशा नहीं है कि किसी भी अन्य प्रतिनिधि द्वारा हम लोगोंके दृष्टि कोणके अनुसार हम लोगोंके प्रति न्याय किया जायगा क्योंकि उनमेंसे किसीकी भी व्यक्ति-गत सहानुभूति हम लोगोंके साथ नहीं है और न उनमेंसे कोई हमारे निश्चित निर्देशोंके साथ ही वहां भेजे गये हैं। हमारे प्रधान प्रस्ताव इसके विषयमें ये हैं:—

१—उन्नतिके प्राकृतिक साधन

हम लोगोंकी यह दृढ़ धारणा है कि क्या धर्म और क्या राजनिति, हर विषय में अनेकता के रहते हुए एकता का आदर्श केवल एक भारत देश ही प्रस्तुत करता है।

इसलिये हम लोग सब प्रान्तों और रियासतोंको एक मसौदेमें समाविष्ट करनेकी अपने राजनीतिज्ञोंकी उन चेष्टाओंके लिये, जो अनावश्यक साम्य स्थापित किये जानेके विषयमें की जा रही हैं, बधाई नहीं दे सकते—चाहे वे मताधिकारकी योग्यताओंके और चुनावेके विधि-विधिके सम्बन्धमें या वे व्यवस्थापिका सभाओंके अधिकारों, और उनके संगठनके विषयमें हों, किंवा नये शासन-सुधारमें गवर्नर अथवा गवर्नर-जनरल द्वारा किये जानेवाले व्यक्तिगत कार्योंके विषयमें ही क्यों न हों। इसलिये हम लोग यह प्रस्ताव करते हैं कि प्रत्येक प्रान्तकी शासन-सुधार योजना रूपी यन्त्रमें स्वाभाविक उन्नतिके लिये पर्याप्त अवसर रखा जाय और उसमें इसकी पर्याप्त व्यवस्था रहे कि गवर्नर और गवर्नर-जनरलको अपने उत्तरदायित्वको समझने और उसको कार्यरूपमें परिणत करनेका पूर्ण अधिकार रहे। इसके सिवा यदि सम्भव हो, तो इसका भी प्रबन्ध किया जाय कि नयी सुधार-योजनाको अमलमें लानेके विषयमें जो दोष रह जायं, उनको कम करनेका भी अधिकार उन्हें प्राप्त हो। हमारी यह धारणा है कि पाश्चात्य सिन्द्धांतोंके आदर्शपर केन्द्रस्थ उत्तरदायित्व स्थापित करने से हमारी स्वाभाविक उन्नति नहीं हो सकती।

२—ग्राम प्रजातंत्र

हम लोग गत सितम्बर मासमें श्रीमानके पास प्रकट किये हुए विचारोंको यहां फिर दोहराना चाहते हैं और वे ये हैं कि जनताके लिये हितकर किसी भी भारतीय स्वराज्य के स्वायत्तशासनके मसौदेमें ग्राम्य स्वायत्तताका विस्तृत और सर्वांङ्गपूर्ण प्रबन्ध होना चाहिये। क्योंकि यदि ऐसा प्रबन्ध न किया जायगा, तो प्रान्तिक स्वराज्य अथवा केन्द्रस्थ उत्तरदायित्व—पूर्ण शासन द्वारा जनताको वास्तविक बल प्राप्त न होगा। इस समय भी भारतीय जनताका अधिकांश भाग ग्रामोंमें ही निवास करता है और प्राचीन ग्राम्य स्वायत्त शासनकी संस्थाओंका नाश करके सब अधिकारोंको जिला और प्रान्तिक अधिकारियोंके हाथमें समा—

विष्ट किये जानेके कारण नित्य-नैमित्तिक घटनाओं तकका प्रबन्ध करनेके अपने अधिकारसे वे वंचित हो गये हैं । इसलिये ग्राम्य स्वायत्तशासनकी नींवके बिना जो प्रान्तीय स्वायत्तशासन वा केंद्रस्थ उत्तरदायित्व स्थापित होगा, उससे सब अधिकार और वास्तविक सत्ता नगरमें रहनेवाले कुछ इन-गिने लोगोंके हाथमें ही चली जायगी । और चाहे मताधिकार की योग्यता कितनी ही विस्तृत क्यों न की जाय, परन्तु वह जनता को एक प्रभावशाली राजनैतिक सत्ता को प्राप्त कराने में असमर्थ होगा ।

३–प्रान्तोंमें द्वितीय चेम्बर

इसी तरह सुविशाल प्रान्तीय शासनके विस्तृत क्षेत्रों तथा उनमेंके नाना प्रकारके जातिगत सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक प्रभेदों और अन्य हितोंको देखते हुए, हम लोग अत्यन्त ज़ोरदार शब्दोंमें प्रत्येक प्रान्तमें द्वितीय चेम्बर की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं । और इन सभाओंमें प्रत्येक धर्मके सर्वमान्य नेताओंके प्रतिनिधियोंके पर्याप्त संख्यामें नियुक्त किये जानेकी बडी आवश्यकता है । यह अत्यन्त दुर्भाग्यका विषय है कि तृतीय गोलमेज सभामें प्रान्तोंमें द्वितीय चेम्बर स्थापित न किये जाने की स्वराज्य वादियोंकी मांग स्वीकृत हो गई है । हम प्रान्तोंमें द्वितीय चेम्बर स्थापित किये जानेकी प्रार्थना पर फिरसे इसलिये जोर देते हैं कि संख्याके बल पर होने वाले शासनमें जो बुराइयां अवश्यम्भावी है, उनको नष्ट करने तथा प्रत्येक जातिके महान आर्थिक सांस्कृतिक और धार्मिक हितोंकी रक्षा कर-नेके लिये ये आवश्यक हैं ।

४–धार्मिक संरक्षण

अन्तमें हमलोग अत्यन्त जोरदार शब्दोंमें यह प्रार्थना करना अपना कर्त्तव्य समझते हैं कि ऐसा स्पष्ट कानूनी निर्देश रखा जाय कि व्यवस्थापक सभाओं या शासन-संस्थाओं द्वारा किसी भी जातिके धार्मिक विश्वासों, संस्थाओं आदिके व्यवहारोंमें ब्रिटिश भारतमें किसी भी प्रकारका कोई हस्तक्षेप न किया जाय । किसी प्रस्ताव पर गवर्नर या गवनर-जनरलकी पहिले मंजूरी प्राप्त किये जानेकी कैद मात्रसे ही तबतक काम न चलेगा, जब तक कि उसमें यह स्पष्ट नियम न रखा जायगा कि विगत १५० वर्षोंमें जैसी

धार्मिक निरपेक्षता के सिद्धान्तोंका पूर्ण पालन गवर्नर और गवर्नर-जनरल द्वारा किया गया है, उसीके अनुसार वे धार्मिक हस्तक्षेप करने वाले किसी भी प्रस्ताव पर तब तक मंजूरी न देंगे, जब तक प्रख्यात धर्माचार्यों और धार्मिक संस्थाओं द्वारा उनको यह निर्णय न दी जाय कि अमुक प्रस्तावसे किसी भी जातिकी धार्मिक या सामाजिक व्यवस्थाओंमें किसी प्रकारका हस्तक्षेप नहीं होगा। इस सत्य बात पर ध्यान देते हुए कि प्रत्येक दिवस की दिनचर्यामें भारतवासी सबसे अधिक महत्व धार्मिक विषयोंको देते ह, हमलोगोंकी आशा है कि श्रीमानकी सरकार और विलायत सरकार भावी शासन विधानमें धार्मिक संरक्षण देनेकी अत्यावश्यकता और महत्वको समझेगी। और इसलिये भी यह अत्यावश्यक है कि देशके नित्य-नैमित्तिक जीवनमें शान्ति और व्यवस्था स्थापित रखनेमें ब्रिटिश सरकारका सैनिक बल उतना समर्थ नहीं हुआ है, जितना कि जनताका वंशपरम्परागत शान्ति-प्रियताका गुण और उसका यह विश्वासकि उसके धार्मिक विश्वासों और पार्थिव कार्योंके करनेकी स्वाधीनताकी रक्षा इस सरकार द्वारा भली भाँति हो रही है। हम हृदयसे यह प्रार्थना करते हैं कि सरकार लोगोंके इस अभीष्ट विश्वासको सत्य प्रमाणित एवं सुदृढ बनाने के लिये जो बातें आवश्यक हैं, उन सबको यथासाध्य परिपूर्ण करनेमें काई बात उठा न रखेगी।

श्रीमानने हम लोगोंको अपने सामने अपने विचारोंको पूर्णरूपसे पेश करनेकी जो सुविधा दी है, उसके लिये हम लोग श्रीमानको कृतज्ञता-पूर्ण अनेक धन्यवाद देकर यह प्रार्थना करते हैं कि श्रीमान हम लोगोंके विचारोंको इंगलैंडके अधिकारियोंके सामने पेश करनेकी कृपा इसलिये करेंगे, जिसमें हम लोगोंने जिन करोड़ों मूक जनताकी ओरसे जो विचार प्रकट किये हैं, उनपर वे सावधानीसे विचार करनेमें समर्थ हों। अन्तमें हम फिर धन्यवाद देकर अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं।

वाइसराय महोदय का उत्तर

इस उक्त मेमोरियल के प्रति वाइसराय महोदयने यह उत्तर दिया था:-

Gentlemen,

I have listened with much interest to your address in which you have frankly and vigoronsly put forward your considered views on both the question of legislation in regard to Temple-entry and the wider question of the constitutional reforms. In regard to the former question, your views are very similar to those recently put before me by the All India Sanatanist Association, the sri Bharat Dharma Mahamandal, and like that Association you represent the orthodox section of the Hindu community, which is strongly opposed to the movement recently started to introduce changes in the religious usages of the Hindus. Like that Association your Association, the All India Varnashrama Swarajya Sangh, counts among its members those who by their religious practice and precept are held in great respect by all, who follow the Hindu faith and whose opinions in these matters are entitled to the most careful consideration. On this important question of legislation regarding Temple entry it is not, I am afraid, possible for me to add to the statements which have been published by my Government or to the reply which I gave a short time ago to the Sri Bharat Dharma Mahamandal. As I explained on that occasion, in granting sanction to the introduction of these Bills in the Central Legislature I made it clear that it was in my opinion and in that of the Government of India

essential that consideration of the Bills should not proceed unless they were subjected to the fnllest examination in all their aspects not merly in the Legjslature, but also outside by all who will be affected by them. I saying that they should be examined both within and outside the Legislature I have met to a large extent your specific request that the Bills should be circulated not merely for eliciting "public opinion" in the ordinary sense, but for eliciting specially the opinion of the recognised religious institutions and associations of the community whose religion is sought to be affected by these Bills. This has always been my intention and that of my Government and I can give you the assurance that if the Legislature decides to proceed with the Bills by circulating them to elicit public opinion, I will issue instructions to all Local Governments to see that all classes of your community are given a full opportunity of recording their views and, in particular, that the opinions of the heads of religious institutions and the views of religious associations are obtained.

You yourselves, though regretting that religious customs which you hold so dear should form the subject of political controversy, recognise, I think, that it is inevitеble under modern conditions for these puestions to come under discussions, and it is in recognition of this fact that your Association was started for years ago pledged to the attainment of Swraj on lines consistent with the ideals of your religion. You have already largely developed your organisation by establishing branches in all the Provinces and by enlisting in this work the recognised religious heads of your community. This is evidence of your realisation

of the fact that with the introduotion of democratic institutions the feellings and wishes of the people can only be interpreted and made effective through systemetic crganisations. It is a lesson that must be learnt by all those, who aspire to make their influence felt in the new constitution.

I come now to the question of the constitutional reforms. Tommorrow will be published the white paper containing the detailed proposals framed by His Majesty's Government, and you will then see to what extent they meet your views. I would however, remind you that the main outlines of the proposed consultation have already been accepted by his Majesty's Government after the lengthy consultations with the delegates from British India and the States. The fina decision rests with the British Parliament, and as you know, it is proposed to set up a joint Select Committee of both Houses of Parliament to examine in details the proposals that will be contained in the White Paper On many important points you have your own views, and in particular you are concerned that the safeguards for your religion should be complete and satisfactory. You will not expect me to discuss in details the views you have put forward, but I may say that I am in full sympathy with your desire that you should have adequate opportunity of representing your views when the Joint Select Committee is in session. As to the method by which this can most conveniently be done I can at present say nothing, but I will take steps to convey to the Secretary of State the nature of the representation you have made to me.

Gentlemen, I am very glad to have had the opportunity of meeting the Members of your organisation and I am grateful for the impressive manner in which you have placed your views before me.

हिन्दी रूपान्तर

वाइराय के उपरिलिखित उत्तर का हिन्दी रूपांतर निम्नांकित है।

अस्पृश्योंके मंदिर-प्रवेश सम्बन्धी कानून बनाये जाने तथा शासन-सुधारके विशाल प्रश्नके सम्बन्धमें आप लोगोंने जो स्पष्ट और जोरदार विचार अपने आवेदन-पत्रमें प्रकट किये हैं, उनको मैंने दिलचस्पीके साथ सुन लिया है। पहिले, अर्थात् मंदिर-प्रवेशके प्रश्नके विषयमें आप लोगोंने जो विचार प्रकट किये है, वे ठीक वैसे ही हैं, जैसे कि हालमें सार्वभारतीय सनातनी संस्था श्री भारतधर्म महामण्डलके प्रतिनिधिमण्डलने हमारे सामने पेश किये हैं। उस संस्थाके समान ही आपलोग भी हिन्दू जातिकी उस सनातन धर्मावलम्बी जनताके प्रतिनिधि हैं, जो हिन्दुओंके धार्मिक आचार-विचार तथा व्यवहारोंमें कुछ दिनसे प्रचलित आन्दोलन द्वारा परिवर्त्तन कराये जानके महान विरोधी है। उस संस्थाके समान ही, आपकी संस्था, अखिल भारतवर्षीय वर्णाश्रम स्वराज्य संघमें उन लोगोंके सदस्य हैं, जो धार्मिक रीति-रस्मों और आचार-परम्परासे हिन्दू धर्मावलम्बियों द्वारा अत्यन्त सम्मान की दृष्टिसे देखे जाते हैं और जिनकी सम्मतियों पर अत्यन्त सावधानता पूर्ण विचार होना अत्यावश्यक है। मंदिर-प्रवेश सम्बन्धी कानून बनाये जानेके महत्वपूर्ण प्रश्न पर मेरी सरकार द्वारा जो वक्तव्य प्रकाशित किया गया है तथा श्रीभारतधर्म महामण्डलके प्रतिनिधि-मण्डलके उत्तरमें मैंने जो कुछ कहता है, उससे अधिक कुछ कहना मेरे लिये फिलहाल असम्भव है। भारतीय व्यवस्थापिका सभामें इन बिलोंको पेश करनेकी मंजूरी देनेके अवसर ही पर मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि मेरी रायमें तथा भारत सरकारकी रायमें यह लाभ-प्रद जान पड़ा कि इन बिलों पर तबतक विचार न किया जाय, जबतक उनकी प्रत्येक बातोंकी छानबीन पूर्णरूपसे केवल व्यवस्थापिका सभामें ही नहीं, किन्तु उन सब लोगों

द्वारा भलीभांति न कर ली जाय, जिनपर इनका प्रभाव पड़ने वाला है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि उनकी पूरी परीक्षा व्यवस्थापिका सभाके भीतर और बाहर पूर्ण रूपसे किये जानेकी आज्ञा देकर मैंने आपलोगोंके इस स्पष्ट अनुरोध को अधिकांशमें पूर्ण किया है कि ये बिल केवल 'पब्लिककी राय ही नहीं'; किन्तु उन प्रतिष्ठित धार्मिक संस्थाओंकी विशेष राय लेनेके लिये प्रकाशित और प्रचारित किये जायं, जिन जातियोंपर इनका असर पड़ता हो। सदासे हमारी और हमारी सरकारकी यही राय रही है और हम आपको यह वचन ` सकते हैं कि यदि व्यवस्थापिक सभा इन बिलोंको प्रकाशित करके भावी कार्यवाही करनेका निर्णय करे, तो हम सब प्रान्तिक सरकारोंको यह आज्ञा-पत्र जारी करेंगे कि आपकी जातिके सब अंगोंको अपने विचार प्रकट करनेका पूर्ण अवसर दिया जाय-खास कर धार्मिक संस्थाओं के आचार्यों और धार्मिक संस्थाओं के विचार प्राप्त किये जायं।

यद्यपि आपलोगोंने स्वयं प्राण-प्रिय धार्मिक-रीति-रस्मोंकी राजनैतिक चर्चा होनेकी बात पर खेद प्रकट किया है, तोभी मेरी समझमें आप भी यह स्वीकार करेंगे कि आधुनिक परिस्थितिमें इन प्रश्नोंपर चर्चा होना अवश्य-म्भावी है। इसी विचारसे ४ वर्ष पूर्व आपकी यह संस्था, धार्मिक पद्धतिके अनुसार स्वराज्य प्राप्त करनेके ध्येयको सामने रखकर स्थापित की गयी है। इतनेमें ही आपलोगोंने सब प्रान्तोंमें इसकी शाखाएं स्थापित कर प्रख्यात धर्माचार्योंको अपनेमें सम्मिलित करके इसकी आशातीत उन्नति की है। प्रजा-तन्त्रकी संस्थाओंका महत्व समझे जानेका यह प्रत्यक्ष प्रमाण है और नियम-बद्ध संगठन द्वारा जनताकी भावनाओं और इच्छाओंका प्रभावशाली रूपसे प्रकट करनेका एकमात्र उपाय भी यही है। और इस शिक्षाका उन सब लोगों द्वारा ग्रहण किया जाना अत्यावश्यक है, जो नये शासन-सुधारमें अपना प्रभाव स्थापित किये जानेकी महत्वाकांक्षा रखते हैं।

अब हम शासन-सुधार सम्बन्धी प्रश्नका उल्लेख करते हैं। कल 'व्हाइट पेपर' के रूपमें शासन-सुधार सम्बन्धी वे प्रस्ताव प्रकाशित होंगे, जो श्रीमान् सम्राटकी विलायत सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। उनको

देखनेके बाद आप यह समझ सकेंगे कि उनके द्वारा आपके विचार कितने अंशमें पूर्ण हुए हैं। यहां हम आप लोगोंको यह स्मरण दिलाना चाहते हैं कि उक्त प्रस्तावित सुधार-योजना के मसौदेका प्रधान खाका सम्राट की सरकार द्वारा रियासतों और ब्रिटिश भारतके प्रतिनिधियोंके साथ पूर्ण विचार-विनिमय करके स्वीकार कर लिया गया है। अन्तिम निर्णय ब्रिटिश पार्लामेण्टके हाथमें ही है, और जैसा कि आपको मालूम है। इसके लिये पार्लामेण्टको दोनों सभाओंके सदस्योंकी एक संयुक्त सिलेक्ट कमेटी 'व्हाइट पेपर' के प्रस्तावोंको ब्योरेवार जांच करनेके लिये नियुक्त की जानेको है। बहुतेरे महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपने विचार प्रकट किये हैं और आपलोगोंकी प्रधान अभिलाषा यह है कि आपके धार्मिक मामलोंमें पूर्ण और सन्तोषजनक संरक्षण रहें। आप लोगों द्वारा प्रकट किये गये विचारों पर बहस-मुबाहस किये जानेकी आशा आपलोगोंको मुझसे न रखनी चाहिये। इसके विषयमें हम इतना ही कह सकते हैं कि आपने संयुक्त सिलेक्ट कमेटीके सामने अपने विचारोंके पेश किये जानेका पूर्ण अवसर मिलनेकी जो इच्छा प्रदर्शित की है, उसके साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति है। इसके आसानीसे होनेके विषयमें जिन उपायकी आवश्यकता है, उनके बारेमें मैं अब कुछ नहीं कहना चाहता, किन्तु आपने मेरे सामने जो बातें पेश की हैं, उनको भारत-मंत्रीके पास पहुंचानेका पूर्ण प्रबन्ध करूंगा।

सज्जनो! आपकी संस्थाके सदस्योंसे मिलनेका अवसर प्राप्त होनेसे मुझे अत्यन्त हर्ष हुआ और जिस प्रभावशाली रूप में आपलोगोंने अपने विचार मेरे सामने पेश किये हैं, उसके लिये मैं आप लोगोंका कृतज्ञ हूं।"

व्हाइट पेपर और संघ

परन्तु जिसदिन १७ मार्च को उक्त डेपुटेशन की कार्यवाही हुई, उसके दूसरे ही दिन भावी शासन सम्बन्धी सरकारी मसौदा का एक संक्षेपरूप जनता के समक्ष प्रकाशित होगया, जो व्हाइटपेपर के नाम से प्रसिद्ध है। संघ की दृष्टि में भावी शासन-सम्बन्धी ये सरकारी प्रस्ताव मुख्यरूप से इस विचार से दोष युक्त समझे गये कि उनमें इस बातका अभाव है कि भारतवर्ष की किसी भी जाति के धर्म एवं धार्मिक विषयों में राज्य की ओरसे किसी प्रकार

का हस्तक्षेप न होगा; क्योंकि वर्तमान परिस्थिति के देखे इस प्रकार के नियमको भावी शासन-सुधार में उल्लेखकर देने की अनिवार्य्य आवश्यकता है। अस्तु, व्हाइट पेपरने संघ के नेताओं तथा कार्यकर्त्ताओं को अपने इस विचार की पूर्त्ति के लिये औरभी अधिक उत्सुक एवं प्रयत्नशील बना दिया कि ज्वाइण्ट पार्लमेण्टरी कमेटी के सन्मुख अपने मत का प्रकाश प्रतिनिधि भेज कर अवश्यमेव होना चाहिये, परन्तु इधर प्रतिनिधित्वकी पूर्ण उत्कण्ठा होते हुए और उधर वाइसराय महोदय की ओरसे आश्वासन मिलनेपरभी जैसे कि ऊपर दिखाया जा चुका है, ज्वाइण्ट कमेटी में भी शान्तिप्रिय भोली भाली सनातनी जनता को प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो सका। अप्रैल में इस कमेटीका काम आरम्भ हो गया और सनातनी ताकते रह गये। परन्तु इसपर संघने यह इच्छा प्रकट की कि यदि गोलमेज कान्फरेंस अथवा ज्वाइण्ट कमेटी में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है तो कम से कम ज्वाइण्ट कमेटी के समक्ष साक्षीरूप में ही प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिये। अस्तु इस आशय का एक समुद्री तार मई १९३३ ई. में ज्वाइण्ट कमेटी के कार्यालय लन्दन को भेजा गया और उसमें यह प्रदर्शित किया गया कि चूंकि सनातनी जनता को अपने मत प्रदर्शन करने के लिये भावी शासन-विधान की योजना में अब तक कोई अवसर नहीं दिया गया है, अतः यह मौका अवश्य मिलना चाहिये। इस तार के उत्तर में आखिर विवश होकर सरकार को संघ को प्रतिनिधित्व देनाही पडा। विलायतसे समाचार आया कि संघ अपने मतकी गवाही देने के लिये सात प्रतिनिधितक भेज सकता है। इस पर संघ की ओरसे श्री० एम्. के० आचार्य श्री० देशपाण्डे और श्री० जितेन्द्रलाल बैनर्जी, ये तीन सज्जन संघका प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लन्दनकी यात्रा में प्रवृत्त हुए। अस्तु, श्री० देशपाण्डे ने ३ जून को, श्री० बनर्जी ने ६ जून को और श्री० एम्. के. आचार्य ने १० जून को अपनी-अपनी सुविधानुसार विलायत के लिये बम्बई से प्रस्थान किया और सब लोग लन्दन में जून के अन्ततक पहुंच गये।

व्हाइट पेपरसम्बन्धी संघ का मत

संघ ने अपने उक्त प्रतिनिधियों को व्हाइट पेपर के विषय में अपने जो विचार प्रगट करने के लिए दिये थे वे निम्न लिखित हैं:—

TWO SERIOUS OMISSIONS

(1) No provisions is made in the New Constitution regarding the non-interference in Religion and religious practices, observances and religious institutions of any community.

It is, submitted that the powers of the Federal and Provincial Legislatures should be so circumscribed that it may not be competent to the Federal and Provincial Legislatures to make any Law affecting the absolute freedom of religious faith and practice of any citizen of any Community.

Reasons in Support

Under the Queen's proclamation of 1858 till recently the policy of non-interference in religious matters was strictly followed. As frequent attacks on religious beliefs and observences are made now-a-days by the Legislature, this provision is required in the new Constitution.

Paragraph 110 page 56 (of white paper). This paragraph takes outside the competence of the Federal and Provincial Legislatures' powers to make any Law affecting the Sovereign etc. etc. Similarly the power to legislate in matters & affecting the religion and religious practices and observences or institutions of community should be kept out of the hands of the Federal and Provincial Legislatures.

Mahomedans asked for this in their 14 points. The All India Varnasgram Swarajya Sangh forwarded several memorials to the Viceroy, the Secretary of State and President of the Round Table Conference on this point.

The British Government will be well to remember that the protection offered to Indians in the undisturbed

persuit of their religion, has conduced to Law and order during the last 75 years. The transfer of the Lagislative power to a body consisting of members of different communities unacquanted with the religious beliefs of their communities and specially when amongst the Hindus themselves, a body of men have come into existance who do not believe in the basic and necessary principles of their religion and yet they go under the name of Hindus. They are always anxious to bring about Social and religious reforms according to their whims and caprices and they are thus coercing the religiously minded Hindus by means of Lagislation, which is not desirable,

If this provision is not introduced in the Constitution Act, the consequence would be most disastrous and the British Government will have to regret the same.

If the desired provision is introduced and every religiously minded person is assured of the absolute freedom in the beliefs and practice of his religion, it is very likely that he will not quarrel with the British Government on other points of details, as at present.

It may be asked who is to decide whether a Bill proposed to be introduced interferes with the religion, religious observences or practices of any Community. Our answer to that is contained in our Memorandum to the Viceroy presented to His Excellency at the time of the Simla Deputation. It is as follows :—

" Whether a particular Lagislation interferes in the religious or socio-religious life or instiution of any community should be investigated and reported by experts of that Community. Here by the word commu-

nity, we treat Orthodox community as a separate communiry from the other Hindus amougst which are included the Arya Samajists, Bramhosamajists and various other Hindus who are known as Reformers. Therefore, in the case cf the orthodox Hindu Commnnity, the experts to investigate, whether a particular lagislation interferes with the religious or socio-religious life and institution of that Community, the experts shall be all Orthodox Hindus i. e. Sanatani Varnashramees, who accept the Shrutis Smritis, Puranas, Itiashas, Sadacharas and Nibandhas as the final authority and who hold invastigation in accordance with the rules of Mimansa of Jaimini and Badarayan as interpreted by Kumarilbhatt and that their report shall be final."

It may aloso be mentioned that the Government will have such a body of experts in the Vidwad Parishad of the All India Varnashram Swaraj Sangh.

2. Village Autonomy—On the lines of the cld Village Panchayat and other necessary organizations, the Village Autonomy should be established.

Without Village Autonomy no Provincial or Central Responsibility will invest any real Political power in the hands of the masses.

The Common property of the Village should all be vested in the Village Panchayats, which will have the control over the Village pasture grounds and the village unoccupied sites. The said village Panchayat will administer all village affairs Including the collection of village revenues, the settlement of village disputes, the repairs of village tanks, the maintenance of village charities and religions Endowments and so on.

SUGGESTED ALTERATIONS.

Ecclesiastical Department.

It is intended to reserve this department in the hands of tne Governor General.

Since there are several religions in India, the keeping up of this Department, for Christian Religion only shows that the Government is partial. The said Department should extend to all religions so as to properly ensure the privileges, grants and endowments of all the various religions being continued withour interference.

We do not see any reason why the Department of Ecclesiastical affairs should be kept up any longer as a State Department. Since the New Constitution is not going to provide for religious affairs of all Communities residing in the Indian Federation, this Department which is intended for the Christians only should be abolished or similar provisions should be made for all religions and religious institutions.

Franchise

In the Educaiional qualifications of franchise, it is necessary to include the various examinations of the Sanskrit Learning in the Sanskrit Pathshalas of the Contry.

Provincial Legislatures

There should be two chambers in every Province.

In view of the large Provincial areas and in view of the mainfold diversities and interests involved, a second Chamber is necessary in every Province to minimise the effects of the emotional rule and to safeguard the higher economic, Educational, cultural and religious interests of every community. Those who have got something substanfial at stake in the country should have representation therein.

Public Services.

Beyond safeguarding the interests of those, who are already in services under conventions, the recruitment should be left to the ministers of the Central Legislature in consultation with the Governor General.

Reserve Bank and Statutory Railway Board

Power over the Reserve Bank and the proposed Statutory Railway Board should be vested in the Fedral Government

We do not accept any connection between the introduction of responsibility at the Centre and the coming into existence of the Federation.

It is submitted that the orthodox Hindus amongst whom there are Dharmacharyas and learned expert and stannch Pandits, who can fully explain all religious matters and answer questions relating there to the Shastras, which prohibit sea-voyage, cannot undertake a sea-voyage to England or other foreign countries. We, therefore, very earnestly appeal that if and when it is thought desirable that their evidence is necessary, the Government should examine them by issuing a Commission to India.

हिन्दी अनुवाद

व्हाइट-पेपर सम्बन्धी संघ के उक्त मत का हिन्दी अनुवाद निम्न लिखित है:—

दो भारी त्रुटियाँ

(१) भावी भारतीय शासनविधानकी योजनामें धर्म एवं धार्मिक रीति-रस्मों, व्यवहारों, आचार-विचारों तथा धार्मिक संस्थाओंमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किये जानेके विषयमें कोई प्रबन्ध किया नहीं गया है।

संघकी ओरसे तत्सबन्धमें निवेदन है कि पार्लामेण्टरी ज्वाइण्ट सिलेक्ट स्थापित होनेवाली कमेटीके सामने यह प्रस्तुत किया जाता है कि भावी शासन-विधानके अनुसार संयुक्त अथवा प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओंके अधिकारों पर ऐसा निर्बन्ध रखा जाय कि ये सभाएं देशकी किसी भी जातिके धार्मिक विश्वासों या परम्परागत आचार-विचारोंके विषयमें किसी प्रकारका कोई कानून न बना सकें।

ऐसा प्रबन्ध क्यों होना चाहिये ?

कुछ कालके पूर्व तक सन् १८५८ की महारानी विक्टोरियाकी घोषणाके अनुसार धार्मिक विषयोंमें हस्तक्षेप न किये जानेकी नीतिका पालन यथोचित रूपसे होता था, परन्तु चूंकि इधर कुछ दिनोंसे व्यवस्थापिका सभाओं द्वारा धार्मिक विश्वासों और रीति-रस्मों पर लगातार आक्रमण किये जा रहे हैं इसलिये इस प्रबन्धका होना अत्यावश्यक प्रतीत होता है।

व्हाइट पेपरका पैरा ११०—इसके द्वारा संयुक्त और प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओंको सम्राट आदि के सम्बन्धमें कोई कानून बनानेके अधिकारसे बंचित रखा गया है। इसी तरह नये शासन-विधान में यह स्पष्ट निर्देश रहना आवश्यक है कि संयुक्त अथवा प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओंको किसी जातिके धर्म और धार्मिक रीति रस्मों, आचार विचारों व संस्थाओं पर असर पड़नेवाले किसी कानूनको बनानेका अधिकार कदापि न रहे।

अपनी १४ शर्तोंमें मुसलमानोंने भी ऐसा प्रबन्ध किये जानेकी मांग की है। अखिल भारतवर्षीय वर्णाश्रम स्वराज्य संघने श्रीमान् वाइसराय, भारत-मन्त्री और गोलमेज सभाके अध्यक्षके पास इस सम्बन्धमें कई निवेदन-पत्र भेजे हैं।

ब्रिटिश सरकार यदि इस बातको स्मरण रखे तो बहुत अच्छा होगा कि भारतवासियोंको बेरोक टोक धार्मिक आचारोंका पालन करनेकी जो स्वतन्त्रता दी गयी है, वही विगत ७५ वर्षोंमें शान्ति और व्यवस्था स्थापित रखनेमें अधिक सहायक हुई है। परन्तु इधर कानून बनानेका अधिकार ऐसे विभिन्न जातीय सदस्यों द्वारा संगठित व्यवस्थापिका सभाके हाथमें दिया जा रहा है, जिनको अपनी जातिके धार्मिक विश्वासों और आचार-विचारोंका पता तक नहीं है और विशेषतः हिन्दू जातिमें तो एक दल ऐसा उत्पन्न होगया है,

जिसका विश्वास अपने धर्मके मूल और अत्यावश्यक सिद्धान्तोंमें बिलकुल न रहने पर भी वह अपनेको हिन्दू नामसे ही बराबर अभिहित करता है इस दलके मनुष्य सर्वदा इसके लिये उतावले रहते हैं कि अपने विचारतरङ्गों और खयालातोंके अनुसार सामाजिक और धार्मिक "सुधार" कर के मनमानी करें। अतः वे देशकी धार्मिक जनताको व्यवस्थापिका सभाओंद्वारा सता रहे हैं, जो अवांछनीय है।

यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि सरकारको ऐसे मर्मज्ञ अखिल भारतवर्षीय वर्णाश्रम स्वराज्य संघकी विद्वत्परिषद्में सदा प्रस्तुत मिलेंगे।

२—ग्राम प्रजातंत्र (पंचायत)

यह स्वायत्त शासन प्राचीन ग्राम-पंचायतों तथा अन्यान्य आवश्यक संस्थाओंके ढंग पर स्थापित किया जाय और ग्राम स्वराज्य स्थापित हो।

कारण यह कि ग्राम्य स्वराज्यके सिवा किसी भी प्रकारके प्रान्तीय या भारतीय उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन-विधानसे जन-समूहके हाथमें वास्तविक राजनैतिक अधिकार प्रतिष्ठित न रह सकेगा।

गांवकी सर्व साधारण सम्पत्तिका अधिकार उन ग्राम पंचायतोंके अधिकारमें दिया जाय, जिनके अधिकारमें गांवके चरागाह तथा अन्य पड़ती भूमि आदि रहें। उक्त ग्राम पंचायतों के हाथमें ग्रामका यह सब प्रबन्ध रहे— राजस्व-संग्रह करना, ग्रामोंमें उत्पन्न होनेवाले सब झगड़ोंका निर्णय, तालाबोंका जीर्णोद्धार, ग्रामका दानधर्म और धर्मादाय आदि।

प्रस्तावित परिवर्तन

धर्म विभाग

यह आवश्यक समझा गया है कि यह विभाग गवर्नर जनरलके हाथ में संरक्षित रहे। चूंकि भारतवर्षमें कितने ही धर्म प्रचलित हैं। ऐसी दशामें केवल ईसाइयों धर्म-विभाग का प्रबन्ध करना पक्षपात करना है। उक्त विभागका विस्तार सब धर्मोंके विषयमें ऐसा होना चाहिये कि जिसमें प्रत्येकके प्राप्त स्वत्व, दान और धर्मादाय बिना किसी प्रकारके हस्तक्षेपके बराबर जारी रहें।

हमलोगोंको कोई कारण दिखायी नहीं देता कि वर्तमान धर्म-विभाग एक सरकारी विभाग रहना चाहिए। चूंकि भावी शासन-विधानमें भारतीय संयुक्त राज्यमें रहनेवाली सब जातियोंके धार्मिक अधिकारोंको सुरक्षित रखनेका प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है, अतः यह विभाग जो केवल क्रिश्चियनोंके लिये ही रखा गया है, या तो रद्द कर दिया जाय अथवा सब धर्मों और धार्मिक संस्थाओंके लिये ऐसा ही प्रबन्ध कर दिया जाय।

मताधिकार की योग्यता

मताधिकारके लिए जो शिक्षा विषयक योग्यता रखी गयी है, उसमें यह जोड़ा जाना आवश्यक है कि उसमें देश भर की संस्कृत पाठशालाओंकी विभिन्न परीक्षओं भी सम्मिलित की जायँगी।

द्वितिय चेम्बर

प्रान्तके सुविशाल विस्तारको तथा अनेक विभिन्नताओं और हितों पर ध्यान देते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रत्येक प्रान्तमें एक द्वितीय चेम्बर इसलिये स्थापित की जाय कि वह भावुकता पूर्ण कानूनोंके कुपरिणामोंको कम कर सके और प्रत्येक जातिके आर्थिक, शिक्षा सम्बन्धी, सांस्कृतिक और धार्मिक स्वत्वोंको सुरक्षित कर सके। इस सभामें केवल उन्हींको प्रतिनिधित्व प्राप्त रहे, जिनको अपनी किसी वस्तुको सुरक्षित करने की आवश्यकता है।

सार्वजनिक नौकरियां

उन्हीं लोगोंके के संरक्षण के सिवा, जो पहलेसे नियमानुसार नौकरी पर हैं, अन्य नये नौकरोंके भर्ती किये जानेका अधिकार गवर्नर-जनरलकी रायसे केवल केन्द्रस्थ व्यवस्थापिका सभाके मंत्रियोंके ही अधिकारमें स्थापित रखा जाय।

रिजर्व बैंक और स्टैटुटरी रेलवे बोर्ड

रिजर्व बैंक और प्रस्तावित स्टैटुटरी रेलवे बोर्डके ऊपर अनुशासन रखनेका पूर्ण अधिकार केंद्रीय सरकार के हाथमें ही रखा जाय।

हम लोग यह बिलकुल स्वीकार नहीं करते कि भारत सरकारमें उत्तरदायित्व स्थापित करने और संघटन राज्यका अस्तित्व स्थापित होने में कोई घनिष्ट सम्बन्ध है।

प्रतिनिधियों का इंग्लैंड में कार्य

इंग्लैड में पहुंचर इन तीनो महानुभावों ने निम्नलिखित अपना एक सम्मिलित मैमोरेंडम संघके उक्त मत के आधार पर उपस्थित किया और इसके अतिरिक्त इन लोगोंने व्यतिगत रूपमें भी अपने विचार प्रकट किये, जो प्रायः इस सम्मिलित मैमोरेंडम के विषयोंकी ही विशद व्याख्या मात्र थे।

सम्मिलित मैमोरेंडम

JOINT MEMORANDUM

I. *Safeguard for Religion.* We want that our religion should be absolutely safeguarded. This can be done by enacting that the further Indian Lagislatures (whether Federal or Provincial) shall be debarred from passing any measure affecting the personal laws or the religious faith, practice, institutions and usages of any community.

II. *Seeond Chambers.* We want that second chambers (provincial and Federal) shuld be constituted on non-communal lines, and in such manner as to represent the landed interests, and the commerce, industry and labour of each Province, as also the administrative experieuce available in the Province.

III. *Poona pact.* We want that the Poona Pact should be abrogated altogether, on the following among other grounds:—

(i) that the Orthodox Hindu Community were not parties to the Pact;

(ii) that there is no justification for splitting up the Hindu Community into two such compartmants as Caste Hindus and the Depressed Classes;

(iii) that the only effect of the Pact will be to cripple the Hindu Community, and to rob it of its legitimate share of power aud infiuence in the country.

In this connection we beg to point out that the Poona Pact will be specially injurious to our co-religionists in Bengal.

IV *Franchise for Lower Chambers.* We are against an indiscriminate lowering of the franchise in the immadiate future. The bulk of our countrymen are yet untrained in the habit of working representative insttutions, and the only effect of the sudden extention of the Franchise now proposed will be to produce unwieldy electorates, the voter of which, in the present circumstances of the country, cannot be expected to give an intelligent vote upon purely political issues, and so will be led into voting this way or that under the bidding of political causes, or under other unwholesome influences. The result may be democracy of a short but it will be the negation of representative government.

Provincial Autonomy, we contend, should be broad-based on Rural Autonomy, the affairs of each village or village group being administered by a Panchayat, council, or board of its own. Adult suffrage may be introduced at once in the election of thase Village Boards; and thus the way may be paved for the gradual extention of the system in the case of the Provincial and Federal legislatures also, In this connection we beg to draw attention to the serious administrative difficulties which will be experienced in the actual polling of the electorates proposed in the White Paper.

5. *Full Provincial Autonomy.* We are otherwise for full Provincial Autonomy as proposed in the White Paper.

6. *Central Responsibility.* Inrespective of the inauguration of Federation, we want a certain measure of responsibility at the centre, subject to safeguards, such as was envisaged in the Prime Minister's Statement of December 1931.

Jitendralal Banerji,
M. K. Acharya,
Luxman Mahadev Deshpande.

हिन्दी अनुवाद

उक्त ज्वाइंट मैमोरण्डम का हिन्दी रूपांतर निम्नांकित है:—

ज्वाइंट मैमोरेण्डम

(१) **धार्मिक-संरक्षण**—हम यह चाहते हैं कि हमारे सनातन धर्मको पूर्ण रूपसे संरक्षण प्राप्त होना चाहिये। इसके लिये एक ऐसा नियम बनना चाहिये, जिसके कारण भारतकी भावी व्यवस्थापिका सभाएं (केन्द्रीय अथवा प्रान्तिय ऐसे कानून बनाने से बंचित रहें, जो किसी जातिविशेष के धार्मिक सिद्धान्तों, संस्थाओं तथा रीतिरिवाजके विरोधी हों।

(२) **दूसरी व्यवस्थापिका सभा (सेकन्ड चैम्बर)** हम चाहते हैं कि दूसरी व्यवस्थापिका सभाका चुनाव साम्प्रदायिक ढंगसे होना चाहिये और वह इस प्रकार जिसमें जमींदारी, वाणिज्य, व्यापार, कलाकौशल तथा मजदूरोंके हितोंकी रक्षा हो सके और जिसके द्वारा प्रत्येक प्रान्तको राज्य-काज के अनुभवी पुरुषोंके अनुभवसे भी लाभ पहुंच सके।

(३) **पुना पैक्ट**—हम चाहते हैं कि पूना पैक्ट रदकर दिया जाय, जिसके लिये हमारी ओर से निम्नलिखित कारण हैं:—

(१) इस पैक्ट के तैयार होनेके समय देशकी सनातनी जनता निमंत्रित नहीं की गई थी।

(२) हिन्दू जातिको ऊंच तथा नीच इन दो विभागों में बांटनेके लिये कोई प्रमाण नही है।

(३) इस पैक्ट का यह असर होगा कि इससे हिन्दू जाति लुंज-पुंज हो जायगी और जिसका नतीजा यह होगा कि इसका राजनीतिक सब बल एवं प्रभाव जाता रहेगा।

(४) इस सम्बन्धमें हमें यह और कहनाहै कि इस पैक्टसे बंगाल निवासियोंको विशेष हानि पहुंचेगी।

(४) **मताधिकार की योग्यता को गिराना**—हम इसके विरोधी हैं कि भविष्य में मताधिकार की योग्यता को बे समझे बूझे गिराया जा रहा है। हमारे देश की बहु-सख्यक जनता प्रतिनिधि सत्तात्मक संस्थाओं के चलानेके कार्यके लिये अशिक्षित है। अत: मताधिकारकी योग्यताको एक साथ कमकर देनेका असर, जिसके लिये प्रस्ताव प्रस्तुत हैं, यह होगा कि निर्वाचक मण्डल अप्रबन्धयोग्य अवस्थाको प्राप्त हो जायंगे। और देशकी जो परिस्थिति है उसके देखे उनसे यह आशा नही की जासकती कि वे राजनीतिक विषयोंके सम्बन्धमें कुछ सोच समझकर वोट देगें। अत:वोटर लोग राजनीतिक कारणोंसे अथवा किसी अन्य अनुचित प्रभावसे दबकर वोट देंगे।नतीजा यह होगा कि किसी न किसी किस्म की जनसत्तात्मक राज्य—सत्ता तो अवश्य स्थापित हो जायगी, परन्तु वह वास्तविक जनसत्तात्मक राज्य सत्ताकी विरोधी रहेगी।

ग्राम पंचायत—इस सम्बन्धमें हमारा यह अनुरोध है कि प्रान्तीय स्वराज्यका आधार गांव पंचायतें होनी चाहिये। प्रत्येक गांव अथवा कुछ गांवोंके एक समुदायका प्रबंध एक पंचायतके द्वारा होना चाहिये। इन पंचायतोंके निर्वाचनके लिये मताधिकारकी इस योग्यताको तुरन्त आरम्भ कर देना चाहिये कि जो बालिग होगा वही वोट देगा। और इस प्रकार धीरे धीरे प्रान्तीय तथा केंद्रीय व्यवस्थापिका सभाओं के लिये मार्ग तैयार करना चाहिये। इस सम्बन्धमें हम यहां उन कठिनाईयों की ओर ध्यान दिलाना चाहते है, जो उस निर्वाचक मण्डल के काम में समुपस्थित होंगी, जिसका प्रस्ताव ह्वाइट पेपरमें प्रस्तुत किया गया है।

पूर्ण प्रान्तीय स्वराज्य—उपरोक्त परिवर्तनको चाहते हुए हम इस प्रकारके सम्पूर्ण प्रान्तीय स्वराज्यके पक्ष में है, जो व्हाइट पेपरमें, दिया हुआ है।

केन्द्रीय उत्तरदायित्व—फिडरेशन के अभवा हम यह भी चाहते हैं कि भारतको केन्द्रीय शासन संरक्षणोंको लिये हुए कुछ हदतक उत्तर दायी होना चाहिये। और संरक्षण इस प्रकारके होने चाहियें, जिनका जिक्र ब्रिटेनके प्रधान मंत्रीने अपने दिसम्बर सन १९३१ ई. के वक्तव्यमें किया है।

प्रतिनिधियोंकी गवाहियाँ

उक्त मैमोरेंडम के प्रस्तुत होने के बाद २ अगस्त सन १९३३ ई० को प्रतिनिधियोंसे गवांही ली गई। आप लोगोंसे आपके व्यक्तिगत एवं सम्मिलित मैमोरेंडम के विषयों के सम्बधमें ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी के सदस्योंके द्वारा अनेक प्रश्न किये गये। इन प्रश्नोके पूछनेमें जहां कमेटीके अंगरेज मेम्बरोने जिज्ञासा एवं उत्कंठा प्रकट की वहां प्रतिनिधियोंका कहना है कि, कमेटीके हिंदू सदस्योंने एक प्रकारसे मजाक किया और उससे उन्होंने अन्य सदस्योंके सन्मुख यह पूर्ण व्यक्त कर दिया कि वे (अन्य हिंदू सदस्य) अपनी जाति एवं धर्मके विषयमें कितना तुच्छ ज्ञान रखते हैं। प्रतिनिधियोंका यह कहना है कि गवाहियाँ आदिके प्रकरणों से यह प्रकट होता है कि, हमारे अपने सजातीय भाईयों ने हमारे सनातन हिंदू–धर्म के विरुद्ध अंगरेज जनता में भारी भ्रम फैला दिया है। परन्तु यह हर्षकी बात है कि पार्लमेण्टके अनेक सुप्रसिद्ध सदस्य हमारे विचारोंसे सहमति रखते हैं ओर वे उनका समर्थन करने के लिये भी तैयार हैं। इसके लिये उन्हें भविष्यमें सम्पूर्ण परिस्थिति से परिचित रखना अति आवश्यक है। और कहना है कि इसके अतिरिक्त इंगलैंडमें तत्सम्बधही में एक डेपूटेशन फिर भेजना चाहिये, जो यदि आवश्यकता पडे तो वहां के राजनीतिज्ञोकों समझा–बुझाकर अपने पक्षमें पार्लमेण्टमें स्वतंत्र रूपसे एक प्रस्ताव उपस्थित कराने का भी उद्योग करे।

प्रतिनिधियोंका समर्थन

हमारे इन प्रतिनिधियोंने जो भारी कार्य धर्मके रक्षणार्थ किया है उसका समर्थन संघकी कार्यकारिणी समिति सधन्यवाद कर चुकी है। और इनके समग्र कार्यका समर्थन संघकी अनेक शाखा सभाओं द्वारा भी हो चुका है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि, यह महाधिवेशन भी इन त्यागी धर्मवीरोंके काम की प्रशंसा कर इनके समस्त कार्यका सम्पूर्ण समर्थन कर संघकी तत्सम्बधी नीतिको सुदृढ एवं अपनी मान-प्रतिष्ठा की रक्षा करेगा।

धर्म विरोधी बिल और संघ

संघ और धर्म-विरोधी बिलोंका सम्बन्ध

इस शीर्षकके नीचे कुछ लिखने के पूर्व यह स्मरण कराना आवश्यक है कि वर्णाश्रम स्वराज्य संघ की उत्पत्ति का मुख्य कारण धर्म विरोधी बिल-सारडा बिल है, जिसके विषयमें इस रिपोर्ट के आरम्भ में लिखा जा चुका है। और बादके ऐसे ही अनेक धर्म विरोधी बिलों ने, जिनके विषयमें यहाँ लिखा जायेगा, इस सोई हुई सनातनी जनता को जागृत किया है। यद्यपि संघ जैसी कट्टर सनातन-धर्मी संस्था की, हिन्दू-जाति के इतिहास को देख, सैकडों वर्ष पहले से अवश्यकता थी, परन्तु इस के अस्तित्व का श्रेय इन बिलों ही को प्राप्त है। और अब तक का समग्र कार्य चाहे वह प्रचार सम्बन्धी हो और चाहे राजनीतिक सब, इन्हीं बिलों के कारण है।

सनातनी जनता सब प्रकार से हीन है। एक प्रकार से वह सब ओर से उपेक्षित है। उस को सहायक साधन न तो राजा ही की ओर से प्राप्त है और न प्रजा ही की ओर से। ऐसी अवस्था में भी कट्टर सनातनी सज्जन तथा संस्थाएं अनेक प्रकार के तितिक्षा, त्याग एवं तप द्वारा अपनी प्राचीन मर्यादाओं की रक्षा करती आ रही हैं। वे समय के कुचक्र को देख कर, जिसके सामने वे पक्षहीन पक्षी के समान आज हो गये हैं, शांति-पूर्वक चुपचाप अपने सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं। परन्तु दुःख के साथ कहना पडता है कि हिन्दुओं की प्राचीन संस्कृति से अनभिज्ञ पाश्चात्य शिक्षा-प्राप्त हमारे देश बासियोंने बे सोचे समझे अपने आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक, सांसारिक हितों एवं प्रत्युत स्वार्थों की साधना के लिये यह निश्चय कर लिया है कि जब तक इस ऐहिक एवं पारलौकिक, दोनों जीवनों के सुख की प्राप्ति कराने वाले धर्म हिन्दुओं के सनातन धर्म का पूर्ण बहिष्कार, लोप एवं विच्छेदन न हो जाएगा, तब तक उन के उक्त उद्देश्यों में सफलता प्राप्त न हो सकेगी। अतः अब तक जहाँ ये सनातन धर्म एवं उसके अनुयायियों के प्रति उदासीनता, एवं उपेक्षा रखते थे, वे अब इन शान्तप्रिय सनातनियों को छेड़ने के लिये भी उतारू हो गये हैं। वे अब हमें

चुपचाप अपने घरों में बैठकर अपने यज्ञ-हवन, पूजा-पाठ एवं स्वाध्याय तक करते हुए नहीं देख सकते। बस धर्म विरोधी बिल इनकी इसी मनोवृत्ति के पूर्ण परिचायक हैं। सनातन धर्म पर ये बिल हमारी धर्म-मर्यादाओं के उच्छेदन ही के लिये निर्माण किये जा रहे हैं। भलाइ मूल-नाशक कृत्य को संध के जन्म-दाता अपने जीवन में सम्पादित होते किस प्रकार देख सकते थे? वे उपेक्षा को सहन कर सकते थे और आज तक सहन करते आये। परन्तु आक्रमण होने पर तो हिन्दुत्व के जीवन-मरण का प्रश्न आ उपस्थित हुआ और देश की समग्र सनातनी जनता इस संघ के रूप में आज सिंह के समान जाग उठी हैं। संघ सिंह के समान अपनी समग्र सनातनी सेना के साथ एक ओर है और धर्म विरोधी बिल एवं उनके समर्थक दूसरी तरफ़। बस, यही संक्षेप में संघ और धर्म-विरोधी बिलों में परस्पर सम्बन्ध है। ये एक दूसरे के घातक हैं। परन्तु जहाँ ये बिल घातक हैं, वहाँ ये हम सोये हुए सनाततियों को जगाने वाले भी हैं। ये शत्रु और मित्र दोनों हैं। इनकी यह स्पष्ट नादपूर्ण घोषणा है कि या तो सनातनी लोगो तुमही रहो, या हम ही रहें। परन्तु इसका निर्णय बिना युद्ध किये नहीं हो सकता। अतः यह अनिवार्य रूपेण धर्म-युद्ध आ उपस्थित हुआ है। संघ देश की सनातनी जनता की इस प्रतिनिधि सभा के समक्ष अपनी तत्सम्बन्धी नीति एवं व्यवस्था को केवल उन्हीं दिव्य शब्दों में एकान्त यथार्थ एवं स्पष्ट रूप में व्यक्त कर सकता है, जिनके द्वारा भगवान श्रीकृष्णचन्द्र ने अपने शांति-प्रिय सखा अर्जुन को धर्म-युद्ध में प्रवृत्त होने के लिये आदेश दिया था। वे दिव्य शब्द ये हैं:—

अथ चेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्य सि।
ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि॥

अर्थात्—और यदि तू इस धर्म-युद्ध को न करेगा, तो तू अपने धर्म और नीति को मिटाकर पापको प्राप्त होगा।

संघकी धर्म-विरोधी बिलोंके प्रति नीति

अस्तु, इन बिलों द्वारा आ-उपस्थित ऐसी भयावह परिस्थितिको देखकर इन बिलोंके विषयमें संघकी यह नीति रही है कि एक ओर यह प्रयत्न

किया जाय कि जो धर्म विरोधी बिल अब तक पास होकर कानूनके रूपमें आगये हैं, उन्हें रद्द कराया जावे अथवा अव्यवहार्य बना दिया जाय और दूसरी ओर ऐसा उद्योग किया जाय कि जो भावी बिल नये उपस्थित किये जांय, पहले तो उन्हें प्रस्तुत होनेही से रोका जाय और यदि वे प्रस्तुत हो जायं, तो फिर उन्हें एसेम्बली तथा कौंसिलके, जहां कहीं भी हों, नियमानुकूल विफल बनाया जाय। इस सब के लिये संघ राजा और प्रजा दोनोंही को अपना पक्षपाती बनाने के लिये उद्योग कर रहा है। यही कारण हैं कि संघने आज एक ओर समग्र देशको अपने पक्षके प्रचार-कार्यसे आनेवाले संकट से सावधान कर दिया है और दूसरी ओर वह राजा के दरबार में उसके आदि राज्य-- दरबार विलायत तकमें भी अपनी कष्ट-कथा सुना चुका है।

अस्तु, संघने इन धर्म विरोधी बिलोंके लिये जहाँतक यथा-शक्ति कहने, सुनने, प्रचार-प्रसार अभ्यर्थना तथा प्रार्थनासे सम्बन्ध है, उतना वह सब कुछ कर चुका है और करने के लिये सन्नद्ध है, परन्तु इस सम्बन्धमें वह गत दो वर्षोंसे एक मूल बात के कार्यान्वित करनेके लिये भी तत्पर हुआ है। और उसके सुलभ सम्पादन के लिये उसे अवसर भी उपयुक्त मिला है। वह यह कि संघके नेताओंने यह देखकर कि धर्म-विरोधी लोग तो, दुःख के साथ कहना पड़ता है, अभी पाश्चात्य सभ्यताकी चकाचौंधी के सन्मुख अपने धर्म-कर्म, आचार-विचार एवं साहित्य-संस्कृति आदिको यथार्थ रूपमें देखनेमें असमर्थ हैं, और ऐसे धर्म-विरोधी कार्योंके करनेसे रूक नहीं सकते, अतएव इस अवसरपर, जब भारतकी वर्तमान शासन-प्रणालीमें संशोधन हो रहा है, एक ऐसे संशोधन को हम सनातनियोंको उपस्थित एवं प्रतिष्ठित कर देना चाहिये, जिसके रहनेपर फिर सनातन धर्मपर ऐसे अत्याचार भविष्यमें न होने पावें। वह संशोधन क्या है, और इसके लिये संघ अबतक क्याकर चुका है, इसके विषयमें सविस्तार पिछले अध्यायमें लिखा जा चुका है। संशोधनका सार स्वरूप यह है कि आगामी संशोधित शासन-योजनामें धार्मिक संरक्षण दिया जाय कि किसी जातिके धर्म तथा उसकी धार्मिक संस्थाओंमें किसी प्रकारका

हस्तक्षेप न किया जायगा। अस्तु, जहां यह नियम बना, वहाँ वास्तवमें संघने जन्मका फल पालिया। क्योंकि तब फिर संघ राज्याघातकी ओरसे बिलकुल निश्चिन्त हो जायगा और धर्म विरोधियोंका सामना इसी प्रकार कर लेगा, जैसे सनातनी लोग आर्य समाज आदिका कर लिया करते हैं। और इसके अतिरिक्त संघ फिर प्रधान रूपसे अपने वास्तविक उद्देश "वर्णाश्रम स्वराज्यकी" प्राप्ति के लिये सहर्ष अग्रसर होगा।

संघ और धर्म-विरोधी बिलोंका विरोध

अब यहाँ संघके उस समस्त कार्य--विवरण को संक्षेपमें उपस्थित किया जाता है, जो उसके आरम्भसे लेकर अबतक की उसकी उक्त नीतिके सम्पादन कार्यसे सम्बन्ध रखता है।

सरडा ऐक्ट का विरोध

संघको संस्थापित हुए कुल चार वर्ष व्यतीत हुए हैं। यह पहले दो वर्षोंतक तो सारडा कानूनके बन जावे पर केवल उसके विरोधमें आन्दोलन करता रहा अर्थात् उसको सनातनी जनता द्वारा भंग कराने, उसके विरुद्ध-जन--मत उत्पन्न करने तथा उसे रद्द करानेके उद्योग में लगा रहा। इस सब का यह फल हुआ कि सारडा कानून अब एक मृत-प्राय कानून है वह ऐसा नाथ दिया गया है कि वह स्वतंत्रतापूर्वक उत्पात नहीं मचा सकता। यह एक कीले हुए सर्पकी भांति गांव की गलियों में पड़ा हुआ ठोकरें खा रहा है। वह बस कागज पर लिखा हुआ कानून है, व्यवहार के लिये सब के लिये साध्य नहीं है। यह दोषी के ऊपर सीधा स्वतंत्र रूप से आक्रमण नहीं कर सकता, किन्तु इसके लागू होने के लिये एक वादी की आवश्यकता होती है। तब भला अपनी नाक काटकर दुसरेका शकुन कौन बिगाड़े। ऐसी दशामें सारडा एक्ट बस नाम मात्रको एक एक्ट बना हुआ है, अन्यथा सर्वथा लुंज-पुंज एवं विगत-प्राण है अस्तु संघ का जीवन वास्तवमें इस एक्ट को इस दुर्गतिको पहुँचाकर अथवा इसे निर्जीव बनाकर बहुत कुछ सार्थक हो चुका है और वह अपने एक प्रतिष्ठित सदस्य एसेम्बली के मेम्बर राजा बहादुर श्री० जी० कृष्णामाचारीके उद्योगसे

एसेम्बली में इस आशयका एक प्रस्तावभी ४ फर्वरी सन् १९३३ ई० को प्रस्तुत करचुका है कि यह कानून कागजसे भी कट जाना चाहिये, क्योंकि संघको उसका निर्जीव अस्तित्व मात्र तक भी खटकता रहता है।

अनेक धर्म-विरोधी बिल

परंतु दो वर्षके उपरान्त सन् १९३३ ई० के आरम्भ काल जनवरी और फरवरीमें कई धर्म-विरोधी बिल एसेम्बलीमें उपस्थित किये गये, जिनके नाम निम्नांकित है:—

१—हिंदु—विधवाओंके उत्तराधिकार देनेका बिल।

२—विवाह—विच्छेद बिल।

३—अस्पृश्यता—निवारण बिल।

४—मन्दिर—प्रवेश बिल।

इन बिलोंके उपस्थित होने के समाचारको पाकर संघने इनके विरोधमें एक मैमोरियल प्रकाशित किया, जिसे अपनी शाखा तथा पोषक सभाओंको सनातनी जनताके हस्ताक्षर सहित वाइसराय महोदयके पास भेजा गया, जो इस अध्याय के अन्तमें दिया हुआ है। इस मैमोरियल का सारांश यह है कि एसेम्बलीमें धर्म—विरोधी बिलोंको उपस्थित करके सनातन धर्मपर जो आघात पहुंचाये जा रहे या पहुंचाये गये हैं, वे समूल नष्ट किये जायं और भावी शासनमें यह स्पष्ट नियम बना दिया जाय कि किसी की तरफ से या राज्यकी ओरसे धर्म में हस्तक्षेप न किया जायगा। इस मैमोरियल के साथ साथ उक्त बिलोंके विरुद्ध हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिये भी फारम भेजे गये। इन फ़ारमोंपर इस आशयकी प्रार्थना की गई थी कि चूंकि ये बिल हिन्दुओंके वर्णाश्रम धर्मके सिद्धांत एवं संस्कृतिके विरुद्ध हैं, अतः एसेम्बलीको इन्हें अस्वीकार कर देना चाहिये। ये सब मैमोरियल एवं फारम प्रचुर संख्यामें लाखों हस्ताक्षर सहित एसेम्बलीमें पहुंचे, परन्तु उक्त बिलोंमें से एक भी अस्वीकार न किया गया। उक्त सब बिल सन् १९३२ ई० में विचाराधीन रहे।

सन् १९३३ के आरम्भ में फिर ये सब बिल एसेम्बलीमें विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन में से विवाह-विच्छेद बिल सिलैक्ट कमिटीके सुपुर्दकर किया गया। अर्थात् यह कहना चाहिये कि कमसे कम यह तो

मान लिया गया कि यह एक विचार योग्य विषय है । और चूंकि सन् १९३२ की राजनीतिक घटनाओंके कारण, जिनमे से साम्प्रदायिक चुनाव सम्बन्धी सरकारी घोषणा (Commual Award), उसमें अस्पृश्योंको पृथक निर्वाचन देनेपर श्री गांधीजीका २० सित० १९३२ इसवीको अनशन आरम्भ करना और पूना पैक्टका होना उल्लेखनीय हैं/अतः अस्पृश्यता निवारणका आन्दोलन बढ़ा और अछूतों के मन्दिर प्रवेशके लिये देशमें इतस्ततः सत्याग्रह आदि होने लगे। इसी समय एसेम्बलीके सदस्य एक मद्रासी ब्राह्मण श्री रंगाऐयर ने सन् १९३३ के आरम्भ में इस आशयका एक बिल उपस्थित किया कि अछूतों को मदिर-प्रवेश का अधिकार कानून मिल जाना चाहिये और इस बिल पर वाइसराय महोदय ने इसके एसेम्बली में विचाराधीन होंने की योग्यताके लिये अपनी स्वीकृति भी दे दी। यह यहाँ याद रखना चाहिये कि, कोई भी बिल बिना वाइसराय महोदयकी स्वीकृति के एसेम्बली के विचाराधीन नहीं हो सकता। अस्तु, कहना चाहिये कि वाइसराय महोदयकी-दृष्टिमें पहले पिछले सभी बिल ऐसे थे, जिनपर विचार होना चाहिये था।

इस मंदिर-प्रवेश बिल का आना था कि देश की समस्त सनातनी जनता में सनसनी मच गई। संघ ने अपने समग्र देशव्यापी संगठित समुदाय को इसके विरोध में प्रवृत्त किया। तदुपरान्त यही बिल २४ अगस्त सन् १९३३ ई० को विचारार्थ एसेम्बली में फिर प्रस्तुत हुआ।इस समय पर संघ की ओरसे देश भर में विरोध सभाएं हुई और तत्सम्बन्धी प्रस्ताव पास करके एसेम्बली एवं वाइसराय महोदय को भेजे गये। परन्तु इन सब का कोई विशेष फल नहीं हुआ। बस उक्त बिल पर का विचार करना उस के पक्षापक्ष में हिन्दू जनता का मत संग्रह करने के लिये ३० जून सन् १९३४ ई० तक के लिये स्थगित कर दिया गया, जिसके विषय में वाइसराय महोदय संघ के देहली डेपूटेशन (१७ मार्च सन् १९३३ ई०) के उत्तर में पहले ही वचन दे चुके थे। अस्तु, गत दो वर्षों में जो चार धर्म विरोधी बिल एसेम्बली में उपस्थित किये गये हैं, वे सब अभी विचाराधीन हैं। अभी सनातनियोंके लिये समय है कि उन्हें अब यह दिखा देना चाहिये कि वे बहु-संख्यक हैं और इन सब अनर्थकारी बिलों के विरुद्ध हैं। संघकी ओर से मंदिर—प्रवेश बिल को उत्तर देने का प्रबन्ध हो रहा है

२४ अगस्त सन् १९३३ ई० की एसेम्बली की बैठक के सन्मुख अस्पृश्यता निवारण बिल भी विचारार्थ उपस्थित था । इस पर अभी विचार हो रहा है । यहीं उक्त सम्पूर्ण बिलों के स्वरूप को विस्तार भय से न देकर पिछले दो मंदिर-प्रवेश एवं अस्पृश्यता निवारण बिलों के स्वरूपही को उपस्थित किया जाता है क्योंकि इस समय ये, इन दो प्रश्नों पर, जो यथार्थ में हैं एक ही वस्तु के दो अंग हैं, देश के अन्दर बडी सनसनी फैली हुई है और हिन्दु जाति इस समय दो भागों में विभक्त हो गई है ! यह कलह किस प्रकार शान्त होगी, और भविष्य में क्या करेगी, इस विषय में कोई कुछ कह नहीं सकता । परन्तु यह निश्चय है देश के दुर्दिन ही आने वाले हैं क्योंकि कभी वह समय था कि सनातन धर्म की रक्षा के लिये इसे आर्य जाति का बच्चा तक तैयार रहता था और एक यह समय है कि उसी जाति के वयोवृद्ध, अनुभवी एवं सुशिक्षित समझजाने वाले स्त्रीपुरुष इस धर्म को कुचल डालने के लिये उतारू हो गये हैं । बस यही कलिकाल का सूचक है !

अस्पृश्यता-निवारण बिल का स्वरूप

चूंकि हिन्दू-जाति अति गम्भीरतापूर्वक यह अनुभव कर रही है कि, उसकी कुछ उप-जातियों पर, जो दलित अथवा अछूत जाति कहलाती है, जो अयोग्यताएं कुछ सामाजिक रीति-रिवाजोंके कारण आरोपित की गई हैं और जो दीवानी कचहरी एवं फौजदारी अदालतके अधिकार एवं कर्तव्य सम्बन्धी फैसलों से जायज (न्याय्य अथवा उचित) मानी जाती हैं, वे वर्तमान समय की परिस्थिति, न्याय पक्ष एवं सामाजिक संगठित शक्तिके प्रतिकूल हैं । अतः ये अयोग्यतायें न तो कानूनन ही जायज रहनी चाहिएँ और न ये किसी अन्य रूप ही में प्रचलित होनी चाहिए, प्रत्युत, इनका तो घोर विरोध होना चाहिये । अतएव इस विषयमें निम्नांकित एक कानून बन जाना चाहिए:—

कानूनका रूप

(१) (अ) इस कानूनका नाम अस्पृश्यता-निवारण कानून होगा ।

(ब) यह कानून समस्त भारतवर्षके लिये लागू होगा

(२) वर्तमान किसी कानून, शासन सम्बन्धी नियम एवं फरमानमें किसी अन्यथा बातके रहते हुए, एवं किसी अन्यथा रीति-रिवाज अथवा कानूनके भाष्यके रहते हुए राज्यकी किसी प्रजाके लिये इस कारण कोई दण्ड, असुविधा, अथवा अयोग्यता आरोपित न हो सकेगी कि अमुक व्यक्ति हिन्दुओंकी किसी अछूत जाति मेंसे है और न कोई दिवानी या फौजदारी अदालत ही अस्पृश्यता सम्बन्धी किसी प्रकारकी रिवाज को मानेगा अथवा इस प्रकारकी किसी रिवाजके आधार पर अपना फैसला देगा।

कानून बननेके उद्देश्य और कारण

हिन्दुओंकी यह रिवाज कि उनकी कुछ जातियां जाति-च्युत एवं अस्पृश्य रूपमें पृथक रहती हैं और इस रिवाजके कारण उनकी अन्य अयोग्यतायें, जिनको वे सहन करती हैं, समस्त संसारमें निन्दनीय समझी जाती हैं। इस संबन्धमें अस्पृश्यता की रिवाज एवं तद्‌गत अयोग्यताओं का अन्त हो जाना चाहिये। दलित जातियों (जैसा कि वे सर्व साधारण में कही जाती हैं) के नेताओं एवं हिन्दू-जातिके सुधारकोंकी ओरसे एक निरन्तर आन्दोलन होता आ रहा है। वर्तमान समयकी कुछ घटनाओंके कारण यह आन्दोलन बहुत बढ गया है और इस समय समस्त भारत देशमें यह भाव उमड़ उठा है कि अब दलित जातियों की अयोग्यताओंका निवारण होना चाहिये। अतः मानव जातिके हित एवं सर्व साधारणके कल्याणके लिये इस परिस्थितिसे सरकारको अवश्य लाभ उठाना चाहिये। और इस आशयका एक कानून पासहो जाना चाहिये, जो दीवानी तथा फौजदारी, दोनों प्रकारकी अदालतोंमें इस प्रकारके सब अधिकारों एवं अयोग्यताओंका निषेध करे, जो अस्पृश्यताकी रिवाजके कारण उत्पन्न होते हों।

मंदिर-प्रवेश बिल का स्वरूप

चूंकि हिन्दू लोग अति गम्भीरता-पूर्वक यह अनुभव कर रहे हैं कि उनकी कुछ जातियों पर सामाजिक रीति रिवाजों के कारण जो अयोग्यतायें उनके मन्दिर के सम्बन्ध में आरोपित की गई हैं, वे सब दूर हो जानी चाहिएं।

चूंकि इस विषय में शंकाएं की जाती हैं कि मन्दिरोंके ट्रस्टी अथवा उनके प्रबन्ध करनेवाले अन्य कर्मचारी लोगोंको मंदिरोंकी प्राचीन रीति-रिवाजों के विरुद्ध किसी नवीन बातके करनेका अधिकार है या नहीं।

और चूंकि यह एक उचित बात है कि कोर्टोंमें जो कानून बर्ता जा रहा है, उसे मन्दिरके ट्रस्टी को हिंदुओं की किसी ऐसी जातिको, जिसको किसी मंदिरकी प्रबंध प्रणाली के अनुसार उसमें (मंदिर में) प्रवेश करनेके लिये निषेध किया गया है, मन्दिर-प्रवेश के लिये आज्ञा करनेसे ऐसी अवस्था में न रोकना चाहिए, जब यदि किसी मन्दिर विशेष की स्थानीय हिन्दू जनता का मत साधारणतः इस प्रकार के मन्दिर-प्रवेशके पक्षमें है।

अतएव इस विषयमें निम्नांकित एक कानून बनना चाहिये:—

१—(अ) इस कानूनका नाम सन १९३३ ई० का हिन्दू-मन्दिर प्रवेशकी अयोग्यता-निवारण कानून होगा।

(ब) यह कानून समस्त भारतवर्षके लिए लागू होगा।

कानून के पारिभाषिक शब्द

२—यदि इस कानूनके मुख्य विषय एवं प्रसंग विषयमें कोई बात विरोधात्मक नहीं है, तो इस कानूनमें

(अ) "बोर्ड" का अभिप्राय कमिश्नरोंके उस बोर्डसे होगा, जो मद्रास प्रांतके सन् १९१६ ई० के धर्मादाय-कानूनकी दसवीं धाराके अनुसार बना है।

(ब) "पृथक-जाति' से हिन्दुओं की उस जातिका अर्थ है, जो प्राचीन संस्थापित रीति-रिवाजके कारण मंदिर-प्रवेश न करनेके लिये अलग कर दी गई है।

(स) "मन्दिर" का अर्थ वह स्थान होगा (उसका चाहे फिर कोई और नाम हो) जो एक अधिकार-रूप में; "पृथक-जाति" को छोड कर शेष समस्त हिन्दु-जाति द्वारा पूजा करने के लिए एक सार्वजनिक स्थान की भांति प्रयोग में आवेगा।

(य) "ट्रस्टी" से अभिप्राय उस व्यक्ति-विशेषसे होगा (उसका चाहे फिर कोई और नाम हो) जिसको मन्दिर का प्रबन्ध कार्य सौंपा जायगा।

और (र) "वोटर" से अभिप्राय निम्नांकित होंगे:—

(१) जब इस शब्द का प्रयोग एक ऐसे मन्दिर के सम्बन्धमें होगा, जिसकी सालना आमदनी ५०० रु. अथवा इससे अधिक होगी, तब उससे अभिप्राय उस हिन्दू-वोटर से होगा, जिसका नाम किसी शहरके कारपो-रेशन तथा म्युनिसिपालिटी अथवा किसी जिला-बोर्ड या ताल्लुक-बोर्ड या इसी प्रकारकी किसी अन्य संस्थाकी निर्वाचक–सूचीमें दर्ज होगा, जो संस्था उस लोकल बोर्ड एक्ट के अनुसार स्थापित होगी, जिसके क्षेत्र में वह संस्था वर्तमान होगी। और (२) जब इस शब्द का प्रयोग एक ऐसे मन्दिर के सम्बन्ध में होगा जिसकी सालाना आमदनी ५०० रु. से कम होगी, तब उससे अभिप्राय उस हिन्दू वोटर से होगा, जिसका नाम उस शहरके म्युनिस्पल डिवीजन अथवा मुफस्सिल में के उस म्युनिसिपल-क्षेत्रके म्युनि-स्पल बोर्ड अथवा उस पंचायत क्षेत्र की निर्वाचक–सूचीमें होगा, जहां वह मन्दिर वर्तमान होगा।

वोटरों द्वारा मंदिर–प्रवेशका निर्णय

३–(अ) इस कानूनके आरम्भ हो जानेके बाद कमसे कम पचास वोटरोंको इस आशयके एक पत्र पर हस्ताक्षर करके मन्दिरके ट्रस्टी को भेजना चाहिये कि, अमुक मन्दिर को अमुक पृथक–जातिके लिये खोल देनेके प्रश्न पर स्थानीय सर्व–साधारण का मत लेना चाहिये।

(ब) इस प्रकारके पत्र प्राप्त होने पर मन्दिरका ट्रस्टी तुरन्त उस पर यथा–नियम वोटरों का मत लेगा।

(स) जो वोटर तत्सम्बन्धमें अपना मत देंगे, उनके बहुमतके निर्णय के माननेके लिए मन्दिरके ट्रस्टी एवं उसके दर्शक एवं पूजकगण बाध्य होंगे।

(द) जहां "पृथक-जाति" के लिये मन्दिर–प्रवेशका निर्णय हो जायगा, वहांके ट्रस्टी यथा–नियम इस आशय की एक विज्ञप्ति प्रकाशित करेंगे कि, अमुक "पृथक-जाति" अमुक मन्दिरमें प्रवेश पा सकेंगी।

ट्रस्टीकी विज्ञप्तिसे मंदिर–प्रवेश

(४)–(अ) किसी विरोधी कानून, रिवाज अथवा परम्पराके रहते हुए भी मन्दिरके ट्रस्टी यथा-नियम इस आशयकी एक विज्ञप्ति प्रकाशित

कर सकेंगे कि, उक्त विज्ञप्ति के निकलनेके बाद एक मासके भीतर यदि कोई विरोध उसके पास न आवेगा, तो वह अपने मन्दिरमें उस "पृथक् जाति" के प्रवेश करनेके लिये आज्ञा निकाल देगा, जिसका उल्लेख उसने विज्ञप्तिमें किया है।

(ब) ट्रस्टीकी उक्त विज्ञप्तिके प्रकाशित होनेके बाद एक महीनेके भीतर कमसे कम ५० व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ एक विरोध-पत्र ट्रस्टीके पास आना चाहिये। इस प्रकारके विरोध-पत्रके आने पर इस प्रश्नको कि, अमुक पृथक्-जातिको मन्दिरमें प्रवेश करना चाहिये अथवा नहीं उपरोक्त धारा नं. ३ की उपधारा नं. (ब) के अनुसार वोटरोंका मत लेकर निर्णय इस प्रकार करना चाहिये मानो धारा नं. ३ की उपधारा नं. (अ) के अनुसार तत्सम्बन्धी पत्र आ चुका है।

(स) वोटरोंके बहु-मतसे जो निश्चय होगा, उसके माननेके लिये मन्दिरके ट्रस्टी और दर्शक लोग बाध्य होंगे।

(द) जहां ऐसा है कि, उक्त उपधारा नं. (ब) के अनुसार विरोध पत्र आ गया है और वोटरोंका बहुमत इस बातके पक्षमें हैं कि, अमुक पृथक जातिको अमुक मन्दिरमें जाना चाहिये, या जहां कोई विरोध-पत्र नहीं आया, तो ऐसी दशामें मन्दिरका ट्रस्टी उक्त उप-धारा नं. (अ) के अनुसार प्रकाशित की गयी विज्ञप्तिकी अवधिके समाप्त होने पर यथानियम इस आशयकी एक आज्ञा निकाल देगा कि, अमुक पृथक् जाति को अमुक मन्दिरमें प्रवेश करनेका आधिकार प्राप्त है।

ट्रस्टीकी विज्ञप्तिके बाद

(५) मन्दिरके ट्रस्टीके यथा-नियम उपरोक्त धारा नं. ३ की उपधारा नं. (द) के अनुसार, अथवा उपरोक्त धारा नं. ४ उपधारा नं. (द) के अनुसार अपनी आज्ञाको प्रकाशित कर देने पर, उस पृथक जाति के प्रत्येक व्यक्तिको, जिसका नाम ट्रस्टीके आज्ञा-पत्रमें आया है, उस मन्दिर विशेषमें पूजार्थ जाना कानून जायज हो जायगा। परन्तु, वहां जाकर उसे (पृथक जातिके व्यक्ति को) अमन-आमान तथा शुद्धता रखने एवं यथोचित धार्मिक कृत्योंके करनेके लिये उन साधारण नियमोंका पालन करना होगा, जो तत्सम्बन्धमें ट्रस्टियों द्वारा बनाये गये होंगे।

बहुमत का प्रभाव वर्षभर

(६) जहाँ उपरोक्त धारा नं. ३ की उप-धारा नं. (ब) अथवा धारा नं. ४ की उप-धारा नं. २ के अनुसार वोटरोंके बहु–मतसे निर्णय प्राप्त करना है और वोटरोंके बहु-मतसे यह निश्चय हो गया है कि, अमुक पृथक जाति अमुक मन्दिरमें प्रवेश नहीं पा सकती तो ऐसी दशामें बहु-मत प्राप्त करने वाली तारीखके बाद फिर एक वर्ष के समय तक न तो धारा नं. ३ के अनुसार कोई प्रार्थना-पत्र ही दिया जायगा और न धारा नं. ४ के अनुसार कोई विज्ञप्ति ही प्रकाशित होगी !

मद्रास प्रान्तके हिन्दू-धर्मादाय-कानूनमें संशोधन

(७) मद्रास प्रान्तके सन् १९२६ ई० के हिन्दू धर्मादाय कानूनकी ४० वीं धारामें " सन् १९३३ के हिन्दू-मन्दिर-प्रवेशकी अयोग्यता निवारण बिलके नियमोंके अनुसार " ये शब्द उसेक आरम्भमें और जोड़ दिये जायगें

उप–नियम बनाने का अधिकार

(८) मन्दिरके ट्रस्टी, बोर्डकी स्वीकृति लेकर निम्नाङ्कित विषयोंके सम्बन्धमें उप-नियम बना सकेंगे:—

(अ) मन्दिरमें अमन--आमान तथा शुद्धता रखनेके विषयमें और

(ब) मन्दिर सम्बन्धी परम्परागत धार्मिक-कृत्योंके यथोचित पालन करनेके सम्बन्धमें ।

नियम बनानेका अधिकार

(९) (अ) इस कानूनकी सब बातोंको कार्यान्वित करनेके लिए प्रान्तीय सरकारको नियम बनानेका अधिकार प्राप्त होगा ।

(ब) प्रान्तीय सरकारको अपने उपरोक्त प्राप्त अधिकारके प्रति पक्षपात न करते हुए निम्नांकित विषयों के सम्बन्धमें नियम बनानेका अधिकार प्राप्त होगा ।

(१) वोटरोंके बहु-मत लेनेके लिए प्रार्थना करनेके फारम तथा उसको मन्दिरके ट्रस्टीके सन्मुख उपस्थित करनेके नियमके सम्बन्धमें ।

(२) ट्रस्टीकी विज्ञप्ति तथा आज्ञाके प्रकाशनके प्रकारके विषयमें

(३) वोटरोंका मत संग्रहकी विधिके विषयमें ।

(४) वोटरोंके मत-निर्णय सम्बन्धी झगडोंका निपटारा करनेके सम्बन्धमें।

कानून बननेके उद्देश्य और कारण

हिन्दुओंकी यह रिवाज कि उनकी कुछ जातियां जाति-च्युत एवं अस्पृश्य रूपमें पृथक रहती हैं और इस रिवाजके कारण उनकी अन्य अयोग्यताएँ, जिनको वे सहन करती हैं समस्त संसारमें निन्दनीय समझी जाती हैं; इस सम्बन्धमें अस्पृश्यता की रिवाज एवं तद्गत अयोग्यताओंका अन्त हो जाना चाहिये। दलित जातियों (जैसा कि वे साधारणमें कही जाती हैं) के नेताओं एवं हिन्दू जातिके सुधारकोंकी ओरसे एक निरन्तर आन्दोलन होता आ रहा है। वर्तमान समयकी कुछ घटनाओंके कारण यह आन्दोलन बहुत बढ गया है और इस समय समस्त भारत देशमें यह भाव उमड उठा है कि, अब दलित जातियों की अयोग्यताओंका निवारण होना चाहिये। इस आन्दोलनका स्वरूप है कि, इन जातियोंको सार्वजनिक हिन्दू देवालयोंमें उच्च जातिके हिन्दुओंकी भांति घुसने दिया जाय चूंकि सार्वजनिक हिन्दू मन्दिरों पर हिंदू-जातिके सब लोगोंको अपने देवताओंके पूजनेके लिऐ बराबरीका अधिकार एवं स्वतंत्रता हैं, इसलिये यह अनुभव किया जा रहा हैं कि, दलित जातियोंको भी पूजार्थ इन मंदिरोंमें प्रवेश करनेके लिये अधिकार मिल जाना चाहिए। यद्यपि इस समय सर्व-साधारणके विचारोंमें बडी तरक्की हो गई है, परन्तु फिर भी परम्परागत रिवाजको कानून मानकर इस मामलेमें इन जातियोंका विरोध किया जा रहा है और तत्सम्बन्धमें कोई परिवर्तन एवं नवीनताको नहीं चाहा जा रहा है। इन जातियोंके मंदिर-प्रवेशको न केवल कोर्ट हीसे दोष-पूर्ण एवं ताजीरात हिंदके अनुसार दण्डनीय समझा जाता हैं, किन्तु, इस सम्बन्धमें भी शंका की जाती हैं कि, मंदिर के ट्रस्टी लोग ऐसी अवस्थामें भी अछूतोंको मंदिर-प्रवेश करनके लिये आज्ञा दे सकते हैं, अथवा नहीं, जब वे यह देख रहे हैं कि मंदिरके दर्शक लोग इस प्रकारके प्रवेशके पक्षपाती हैं। कुछ ट्रस्टियोंका यह कहना है कि, वे ऐसी दशामें भी कानून एवं विशेष रूपसे सन् १९२७ ई० के मद्रासके प्रान्तीय धर्मादाय कानून नं० २ के अनुसार कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक हैं कि, एक ऐसा कानून बन जाना चाहिए, जिसके कारण जहां स्थानीय जनता का मत इस प्रकारके सुधारके पक्षमें है, वहां यह रुकावट दूर होकर मंदिर-प्रवेशकी आज्ञा प्राप्त हो जाय।

मैमोरियल

उक्त वह मैमोरियल जो सनातनी जनता द्वारा सन १९३२ के आरम्भ में वाइसराय महोदय के प्रति अपनी धार्मिक मांग उपस्थित करने के लिए हस्ताक्षरों सहित भेजा गया था उसकी अंगरेजी प्रतिलिपि निम्न लिखित है:—

To,

THE RIGHT HON'BLE THE EARL
OF WILLINGDON.

P. C., G. C. S. I., G. C. M. G., G. C. I. F., G. B. F.

Viceroy and Governer General of India,
DELHI.

May It Please your Excellency,

We, who are arthodox Hindus take this approaching of Your Excelleucy with two prayers mentioned below.

In order that Your Excellency may be pleased to consider our present Memorial favourably it is necessary to draw Your Excellency's attention to the points summarised below :—

(1) The voat majority of the people of India are orthodox, and peaceful citizens.

(2) Having regard to the Queen's Proclammation of 1858 and the several confirmation thereof by the succeeding Sovereigns, the orthodox people were assured of the Government policy of non-interference in the religious beliefs and practices.

(3) Feefing themselves secure in their religious observances and beliefs the orthodox people did not offer their representatives in the Councils or in the Assembly.

(4) Those who came forward as representatives of the people since 1909 and 1919 had no opportunity to know anything about one's own religion, having taken education imparted by Government. They imitated and followed western modes of thought and life. The orthodox people allowed them to get in the belief that so far their religious beliefs were concerned, they were secure under the policy of the Government.

(5) Such persons know how to make noise; they secured control of the Indian Press and did everything in their power to strangulate the views of the Orthodox people.

(6) Unfortunately, the Government has been misled by this vociferous section of the Hindus to Undertake legislation affecting the religious and social life of the Orthodox Hindus.

(7) The Government have committed a serious blunder in giving up their attitude of religious neutrality and in allowing the Sarda Bill and such other Bills, inspite of the oppositiou of the Orthodox Hindus.

(8) The education imparted by Government has, as yet, not touched more than five percent of the population and the great majority thereof does not see eye to eye with the said reformers.

(9) In order to make the voice of the Orthodox Hindus heard by the Government the All India Varnashram Swarajya Sangh has been formed to work by peaceful and constitutional means. The Vidvat Parishad of the said Body consists of many leading Pandits, who are capable of settling the religious questions of

the day. The Government ought, therefore, to consult the All India Varnashram Swarajya Sangh and respect its views.

(10) The Government has committed a great blunder in omitting to invite the Representatives of the All India Varnashram Swarajya Sangh to the Round Table Conference. If this omission is still continued and the co-operatation of the representatives of the All India Varnashram Swarajya Sangh is not sought by the Government, serious difficulties will arise in the carrying out of any Constitution by the Government as the religion is the life and soul of the religiously-minded Hindus and that death is better than an irreligious life.

(11) The orthodox are not out for power, nor it is there desire that they should subordinate any member of other community to their own. All they wish is to preserve their ancient culture, follow their religion and live in peace and harmony with members of other religion.

(12) Under the circumstances our prayers are:—

(I) (a) That Your Excellency will be pleased to see that no Member of any legislature Central orProvincial is allowed to introduce any Bill or propose any resolution which is calculated to interfere with the religion or religious observences and beliefs of any Commuuity.

(b) That such Acts as the Sarda Bill and others, which intervene with the religious injunctions of of the Shastras, are repealed.

(I) (a) That even at this late stage reprepentatives of the orthodox Hindus be consulted;

(b) That in the Future Constitution in the Fundamental Declarations of Rights, it should be provided :-(a) that absolute freedom of religious faith and practice shall be guaranted to every citizen and to all communities (b) that distinct and unambigucus provision shall be made prohibiting legislatures from passiug any legislation affecting tae religion, religious rites, observances and usages of any commnnity and that it should be further provided that the said declaration shall not be liable to be altered by any fnture legislature Central or Provincial.

हिन्दी अनुवाद

उक्त मेमोरियल का हिन्दी अनुवाद निम्नलिखित है:—

श्रीमान् वाइसराय महोदय,

हम लोग इस समय आपकी सेवामें दो बातोंके लिये प्रार्थना करनेके लिये आये हुए हैं, जो निम्नांकित हैं:—

परन्तु इससे पहले कि आप हमारे निवेदनपर कृपा-पूर्वक विचार करें, हम आपका ध्यान कुछ आवश्यक बातोंकी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जो संक्षेप में ये हैं:—

(१) भारत की बहु-संख्यक जनता सनातनी, राज-भक्त एवं शान्ति प्रिय नागरिक हैं।

(२) सम्राज्ञी विक्टोरियाकी सन् १८५८ ई० की घोषणा एवं उसके उत्तराधिकारी सम्राटोंद्वारा उसके समर्थन होनेपर देशकी सनातनी

जनताको यह विश्वास हो गया था कि उसके धार्मिक विश्वासों तथा रीति-रिवाजोंमें हस्तक्षेप न होगा।

(३) सनातनी चूंकि, अपने धार्मिक मामलों में सुरक्षित थे, इसलिये उन्होंने एसेम्बली अथवा कौंसिलोंके लिये अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे।

(४) जो लोग जनता के प्रतिनिधि बनकर सन् १९०९ ई० से सन् १९१९ ई० तकमें व्यवस्थापिका सभाओंमें पहुँचे। वे सरकारी शिक्षा-प्राप्त होनेके कारण देशके धर्म-कर्मके विषयमें कुछ ज्ञान प्राप्त न कर सके। अतः उन्होने अपने विचार एवं जीवन पाश्चात्य ढंग पर चलाने आरम्भ कर दिये उन लोगोंको यह विश्वास होगया कि सनातनी लोग सरकारकी नीतिके कारण अपने धर्म की ओरसे निश्चिंत है!

(५) ये लोग शोर-गुल मचाना खूब जानते हैं! इन्होंने देश के सब समाचार पत्रों पर अधिकार जमा लिया और सनातनियों के विचारों के दबाने की पूरी चेष्टा की!

(६) अभाग्यवश इन चिल्ल-पुकार करने वाले हिन्दुओं के कारण सरकार ऐसे कानून बनवाने में प्रवृत्त हो गई, जो सनातनियो के धार्मिक एवं सामाजिक जीवन पर असर डालते हैं!

(७) सरकारने अपनी धार्मिक निरपेक्षता की नीति का त्याग न कर और सनातनियों द्वारा विरोध होने पर भी सारडा बिल आदि अन्य बिलों के लिये अपनी अनुमति दे, बड़ी भारी भूल की है।

(८) सरकारी शिक्षा का अब तक देश की ५ फीसदी से अधिक जनता पर असर नहीं पड़ा है और इन में से भी बहु-संख्यक लोग "सुधारकों" से सहमत नहीं हैं।

(९) सरकार को सनातनियों के विचारों को अभिव्यक्त करने एवं तत्सम्बन्ध में शान्तिमय एवं वैध उपायों से काम लेने के लिये वर्णाश्रम स्वराज्य संघ की स्थापना हुई है। संघ की विद्वद परिषद् में ऐसे सुयोग्य पंडित हैं, जो आज कल के धार्मिक विषयों पर निर्णय दे सकते हैं। इसलिये तत्सम्बन्ध में सरकार को संघ से परामर्श लेना चाहिये और उसके मत का आदर करना चाहिये।

(१०) सरकारने गोलमेज कान्फरेंस में संघ के प्रतिनिधियों को न बुलाकर बड़ी गलती की है। यदि यह गलती आगे भी की गई और संघ का मत न लिया गया, तो सरकार को नये शासन-विधान को कार्यान्वित करने में भारी विघ्न-बाधाओं का सामना करना होगा, क्योंकि सनातनी हिन्दुओं के लिये धर्म ही प्रांण है और उनके प्रति अधार्मिक जीवन से मृत्यु भली है।

(११) सनातनी लोग शक्ति बढ़ानेके लिये प्रयत्नशील नहीं हो रहे है क्योंकि उनकी यह इच्छा नहीं है कि वे किसी दूसरी जाति के ऊपर अपना प्रभुत्व प्राप्त करेवे जो चाहते हैं,वह बस इतना है,कि उनकी प्राचीन संस्कृतिकी रक्षा रहे, वे अपने धर्मानुकूल जीवन व्यतीत करें और धर्माव-लम्बियोंके साथ शान्ति एवं प्रेमपूर्वक रहें।

(१२) अतः इन सब बातों को प्रस्तुत करते हुए हमारी यह प्रार्थन है कि:—

(१) (अ) आप कृपा—पूर्वक इस बातका ध्यान रखेंगे कि एसेम्बली अथवा कौन्सिल में कोई मेम्बर ऐसा बिल अथवा प्रस्ताव प्रस्तुत न करे, जो सनातनी जनताके धार्मिक विश्वासों एवं रीति—रिवाजों में हस्तक्षप करता हो।

(ब) सारडा एक्ट आदि जैसे एक्ट, जो हमारे सनातन शास्त्रों की आज्ञाओंके विरोधी हैं, रद्द हो जाने चाहिएं।

(१) (अ) भावी शासन—विधानके निर्माणके इस मौके पर भी सना-तनियोंका मत लेलेना चाहिये।

(ब) भावी शासन—विधानकी नागरिकों की अधिकार घोषणामें ये दो बातें जोड़ देनी चाहिएं।

(१) प्रत्येक नागरिक एवं प्रत्येक जातिके अपने धार्मिक विश्वास तथा कर्म के लिये पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त रहेगी।

(२) यह स्पष्ट नियम बना दिया जायगा कि व्यवस्थापिका सभाओं में इस प्रकारका कोई कानून न बन सकेगा,जो किसी जातिके धर्म, धार्मिक कृत्यों तथा रीति—रिवाजों पर असर डालेगा। और इस सबके साथ यह और बढ़ाना होगा कि यह घोषणा भविष्यमें किसी व्यवस्थापिका सभा—केंद्रीय अथवा प्रान्तीय द्वारा बदली न जा सकेगी।

नगर वर्णाश्रम स्वराज्य संघ काशी की ओरसे ता० १८ अक्तूबर सन् १९३२ को जो निवेदन-पत्र श्रीमान् वाइसराय महोदयके पास भेजा गया था वह भी यहां उद्धरणीय है। वह यह है:—

श्रीमान् महोदय,

(१) इस नगरके सनातनी हिन्दू और मंदिरोंके अधिकारियोंकी ओरसे हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले विषयकी गम्भीरताको समझकर आपके पास भारत सरकारके हाथों अनुकूल और न्याय्य रक्षा अछूतोंके उस मंदिरप्रवेशके विषयमें करानेकी प्रार्थना करनेको उपस्थित हुए हैं, जिसके बारेमें कुछ राजनैतिक आदेशके अनुसार सुधारकों और समाजियों द्वारा तीव्र आन्दोलन किया जा रहा है, जो सनातन हिन्दुत्वके विरुद्ध है।

(२) यह आन्दोलन सम्मिलित चुनावके लिये कांग्रेसके महान् नेता श्रीयुत एम० के० गांधी द्वारा स्वेच्छासे किये हुए अनशनसे उनके प्राण बचानेकी ओटमें आरम्भ किया गया और पूनाके अछूतोंके नामसे पुकारे जानेवालों सम्बन्धी सम्मिलित चुनावके समझौतेके बादसे और भी तीव्र स्वरूप धारण कर चल रहा है। नाना प्रकारके अवैध दबाव (जिनका हाल सरकारको भलीभांति मालूम है) आन्दोलनकारियों द्वारा हिन्दुओं पर डाले जा रहे हैं। कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय राजनैतिक संस्थाके बलका उपयोग एक समाजके निरे घराऊ और धार्मिक मामलेमें किया जा रहा है। हिन्दू महासभा जो कि डा० मुंजे और श्रीरामानन्द चटर्जी जैसे आर्यसमाजी और ब्रह्मसमाजियों द्वारा, (जो वास्तवमें मूर्ति—पूजाके बिलकुल विरुद्ध हैं) परिचालित है,को अनावश्यक महत्व दिया गया है और इसको स्वीकार करनेको लोगोंको बाध्य करनेके लिये श्रीयुत गांधी द्वारा फिर मरणान्त उपवास करनेकी धमकी दी जा रही है। यह आन्दोलन राजनैतिक क्षेत्रमें पूरा अनुभव प्राप्त किये हुए शिक्षित आन्दोलकों द्वारा किया जा रहा है। उनके अपने सनातनी भाइयों पर किये जानेवाले आक्रमणके उत्साहकी तुलना भारतीय ब्रिटिश शासनके विरुद्ध प्रदर्शित किये जानेवाले उत्साहसे ही की जा सकती है, यहां तक आक्रमण हो रहा है कि सनातनी हिन्दुओं द्वारा अपने वैध अधिकारोंको सुरक्षित रखनेकी चेष्टा का भी घोर विरोध किया जा रहा है और शान्ति—भंग करनेवाले ऐसे उपद्रवोंमें परिणत हो रहा है, जैसा कि २५ सितम्बर १९३२ वाली टाउन-

हालकी सनातनियोंकी सभा और २९ सितम्बर १९३२ के जुलूसमें काशीमें हुआ है।

(३) य अन्दोलन हिन्दू धर्मकी शुद्धताके मूल सिद्धान्तों और स्पष्ट शास्त्रीय आज्ञाओं और मन्दिरों की पवित्रता और शुचिताके बिलकुल विरुद्ध है तथा प्राचीन परम्परागत विचारों और हिन्दुत्वके शारीरिक और सामाजिक शुद्धताको एकदम नष्ट करनेवाला है। हम लोग हमारे मंदिरोंमें अछूतोंके ऐसे प्रवेशको हमारे शास्त्रों, धार्मिक रीतिरस्मों और परम्परागत प्राचीन व्यवहारोंके अत्यन्त प्रतिकूल समझते हैं। हम सनातनी हिन्दू ऐसे हस्तक्षेपको हमारे परम्परागत स्वत्वों, धार्मिक रीतिरवाजों और शास्त्रीय आज्ञाओंके प्रतिकूल समझते हैं। इसके विषयमें हम निम्नलिखित सज्जनों और संस्थाओंके विचार इसके साथ पेश करते हैं:—

(क) स्थानीय मन्दिरोंके महन्तों और अधिकारियोंके वक्तव्य (परिशिष्ट क

(ख) काशीके शास्त्री और पंडितोंके वक्तव्य, (परिशिष्ट ख)

(ग) मंदिरमें दर्शन करनेको जानेवाले सनातनियोंके हस्ताक्षर (परिशिष्ट ग)

(घ) सनातनी हिन्दू अछूतोंके वक्तव्य (परिशिष्ट घ)

हमलोगोंको आशा है कि इस विषयमें ये प्रमाण इसके पर्याप्त निदर्शक होंगे कि हिन्दुओंके साधारण भाव क्या हैं, यदि वास्तवमें ऐसे प्रमाण आवश्यक हों।

(४) इस आन्दोलनमें सम्मिलित चुनावका राजनैतिक प्रश्न धार्मिक विषयमें मिलाया जा रहा है, अछूतोंका यह प्रश्न दलित जातियोंके प्रश्नके साथ, जिनमें सब अछूत नहीं है, अकारण मिलाया जा रहा है। वास्तवमें इसका फल सनातनी अछूतोंको अधिकारोंमें और उन जातियोंमें फूट और शत्रुता उत्पन्न करनेमें कारणीभूत हो रहा है जो अब तक शान्ति और सद्-भावसे एक साथ रहती आयी हैं। धार्मिक दर्शन की वैध इच्छा शास्त्रोंकी उन आज्ञाओंके अनुसार ही पूर्ण हो सकती है जिनके विधानसे वह मूर्तियां ईश्वरके सच्चे धार्मिक रूप या उनके अवतारकी चिन्ह स्वरूप हो जाती हैं और जिनके दर्शनकी आज्ञाएं भी दी गयी हैं। अब यह छिपा हुआ नहीं रह गया है कि यह आन्दोलन अस्पृश्यताको जड मूलसे मिटानेकी चेष्टाका प्रथम उपाय-स्वरूप है। इसको मनुष्य जातिके कल्याणकी कोई भी पोशाक क्यों

न पहिनायी जाय. यह हिन्दू शास्त्रोंकी विशेषताके अनुसार कहे हुए शुद्धताके सिद्धान्तों पर स्थापित संस्थाओं पर आक्रमण रूप है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं। यहां हम लोगोंको यह दिखानेकी आवश्यकता नहीं कि संग और स्पर्शका प्रभाव विज्ञान और स्वाध्य सम्बन्धी शास्त्रोंमें व्यक्तिगत और आनुवंशिक माना गया है और अस्पृश्यता परके इस आक्रमणका ध्वनितार्थ और प्रतिध्वनि हमारे समग्र सामाजिक ढांचेपर तथा घरों, जातियों और सामाजिक सम्बन्धोंमें नाना प्रकारकी सामाजिक और व्यक्तिगत शुचिताके विषयमें जो नियम रखे गये हैं, उन सबके ऊपर है। प्रत्येक समाजके मनुष्यों और दलोंमें शुद्धता, नीतिमत्ता और सभ्यताके एक निर्द्धारित नियम बंधे हुए हैं। हिन्दू समाजने इन सामाजिक प्रबन्धों और दलोंका विभाग व्यवस्थित रूपसे कर दिया है और जो हमारा विश्वास कि उसकी कीर्ति और शक्तिके साधन हुए हैं, न कि दुर्बलताके। अन्तजातीय सहभोजन, अन्तजातीय विवाह और मृतोंके धार्मिक कार्य आदिके नियम इन्हीं सांसर्गिक और वंश-परम्परागत शुद्धताके मूल सिद्धान्तोंसे ही सम्बन्ध रखनेवाले हैं और विभिन्न प्रमाणोंसे तथा मंदिरोंकी शुचिताको स्थापित रखनेसे उनका घनिष्ट सम्बन्ध है।

(५) हमारा दावा है कि सम्राज्ञी विक्टोरियाकी सन् १८५८ वाली घोषणाके अनुसार धार्मिक हस्तक्षेपसे-सरकारके किसी ज्यादतीके कार्यसे ही नहीं बल्कि किसी भी दलके मनुष्योंके कार्योंसे-हमलोग रक्षा किये जानेके अधिकारी हैं। हमलोगोंको विश्वास है कि देशके कानूनोंसे हम रक्षा किये जानेके अधिकारी हैं और भारतका राजदण्ड ग्रहण करनेके समय प्रथम सम्राज्ञी द्वारा दिये गये वचनके अनुसार भी रक्षाके पूर्ण पात्र हैं। अधिकन्तु यह हमारे सच्चे धार्मिक विश्वासों और व्यवहारोंके विरुद्ध प्रकट, सबल और आग्रहपूर्ण आक्रमण हैं और इसके द्वारा ऐसी स्थिति उत्पन्न करनेकी चेष्टा की जा रही है, जिसमें विचारवान् सनातनधर्मानुयायियोंकी स्थिति असहनीय हो जायगी। इसलिये इस स्थितिमें भारत सरकारका यह कर्तव्य ऐसे उपायोंका ग्रहण करना है जो ऐसे आक्रमणसे इस समाजके स्वत्वोंकी रक्षाके लिये आवश्यक हों। हम सम्मानके साथ यह बतलाना चाहते हैं कि मन्दिर-प्रवेशके इस महत्वपूर्ण विषयमें बहुसंख्यक सनातनी हिन्दुओंके मत और रीतिरस्मोंपर दुर्लक्ष्य करके चिल्लानेवाले अल्प संख्याक कार्यकुशल आन्दोलकों द्वारा परोपकारिता या राजनैतिक बातोंकी दलील पर पददलित न करने दिये जायँ। भारतकी हिन्दू

जनतामें गंभीरतासे बद्धमूल विचारों पर होनेवाले ऐसे बेजा आक्रमणोंका परिणाम क्या होगा, इसका भविष्य करना हम नहीं चाहते किन्तु हम अनुरोध करके विश्वास और आशा करते हैं कि न्याय और औचित्यकी दृष्टिसे सरकार सब बातोंका ऐसा निर्णय करेगी जिसमें कोई किसीके अधिकारों पर बेजा आक्रमण न कर सके। हमारी प्रार्थना है कि वह इस ओर ध्यान देगी।

आपके अनुगत,

पंचानन तर्करत्न भट्टाचार्य,

उप-सभापति, अ० भा० व० स्वराज्य संघ।

नन्दकिशोर शर्मा (वाणीभूषण)

अध्यक्ष, नगर वर्णाश्रम स्वराज्य संघ, काशी।

अस्पृश्यता-निवारण और संघ

वर्तमान अस्पृश्यता निवारण आन्दोलनके सम्बन्धमें संघकी नीति आदिके विषयमें कुछ लिखने के पूर्व यहां यह बात स्मरण कराने योग्य है कि यह आन्दोलन कोई नवीन नहीं है। यह आन्दोलन आज बहुकाल से अपने अनेक रूपोंमें प्रकट होता चला आ रहा है। बौद्ध समयसे लेकर आजतकके भारतवर्षके इतिहास पर दृष्टिपात करनेसे विदित होता है कि अस्पृश्यता निवारणका प्रयत्न किसी न किसी रूपमें होता ही रहा है।

बौद्ध एवं मुसलमान आये, और इसाई आये, जिन सबके विचार अस्पृश्यता के विरोधी रहे है। अस्तु इस प्रकार भारतके सनातनधर्म से संसार के शेष सुविख्यात तीनोंही धर्मोंकी भिड़न्त हुई और ऐसे रूपमें कि ये तीनोंही धर्म राज्यकारी शक्ति शाली जातिके साथ रहे। परन्तु ये सब टक्कर लेकर शान्त हो गये। इधर आर्य समाज ने भी अछूतोद्धार नामका एक आन्दोलन छेड़ा, परन्तु वहभी चल न सका।

इधर कुछ दिनों से देश के पाश्चात्य शिक्षा-प्राप्त राज नीतिज्ञ केवल राजनीतिक विचार से अस्पृश्यता निवारण के लिये प्रवृत्त हुये हैं। और चूंकि उन्हें भारत वर्ष की धर्मप्राण जनता को अपने पक्ष में लेना हैं, इस लिये साथही उनका यह भी दावा है कि धार्मिक दृष्टिसे भी अस्पृश्यता मान्य नहीं है। ये सनातनी बनकर तथा हिन्दू शास्त्रों के पृष्ठपोषक बनकर उनके अर्थों की खींचातानी करके उन्हें अपने पक्ष में प्रतिष्ठित कर रहे हैं। अस्तु, यद्यपि अस्पृश्यता निवारण आन्दोलन का मूल कारण राजनीति है परन्तु यह भारत देश धर्म प्रधान होंनेके कारण उसे बिना धार्मिक रंग दिये अथवा धर्म से टक्कर लिये तत्सम्बन्धी प्रचार कार्य हो नहीं सकता।

राजनीतिक दृष्टि से अनावश्यक

परन्तु संघ के नेताओं की दृष्टि में यह आन्दोलन धर्म दृष्टि के अतिरिक्त राजनीतिक दृष्टि से भी आवश्यक नहीं है। इस सम्बन्ध में संघ के पूर्व सभापति आचार्यवर श्री १०८ गोस्वामी गोकुलनाथजी महाराज का

वह आचोलनात्मक वक्तव्य यहां उद्धरणीय है जिसे आपने श्रीगांधीजी के तत्सम्बन्धी अनशन करने के समय में प्रकाशित किया था।

सभापति महोदय का वक्तव्य

"ब्रिटिश प्रधान मंत्री की साम्प्रदायिक निर्णयवाली घोषणाके बाद गांधीजीने प्राणान्तक अनशन करनेका निश्चय प्रकट किया है क्योंकि इस निर्णयमें प्रधान-मंत्री दलित जातियोंके लिये पृथक निर्वाचनका प्रबन्ध करनेको सम्मत हुए हैं। परन्तु इस निर्णयमें यह व्यवस्था रखी गयी है कि यदि दोनों पक्ष-हिन्दू और दलित जातियां निर्णय सम्बन्धी बातोंपर समझौता कर लें तो सरकार उसको स्वीकार कर लेगी। इस कारण गांधीजीकी प्राण रक्षाके लिये यदि दो दलों—उच्च जाति और दलित जाति—मेंसे एक दल यानी ब्रिटिश सरकार या अंबेडकरका दल दलित जातियोंके पृथक चुनावको त्याग देनेके लिये सम्मत हो जाय, तो स्थिति सुधर सकती है किन्तु इस पर भी यह दिखायी दिया कि सरकार अपने निर्णय पर दृढ़ है क्योंकि उसने अपने निर्णय पर तबतक अटल रहने की घोषणा पहिले ही कर दी थी कि जब तक दोनों दल आपसमें समझौता कर लें, तब तक इसमें परिवर्त्तन नहीं हो सकता। डा० अम्बेडकरने भी यह स्पष्ट कह दिया है कि वे पृथक चुनावके पक्षमें ही डटे रहेंगे, जिसको दलित जातियोंके लिये उन्होंने प्राप्त किया है। किन्तु हालमें उन्होंने यह कहा है कि वे हर एक बात पर विचार करनेको तैयार हैं और उस विचार पर अपने विवेकको वे अपने ऊपर आधिपत्य न करने देंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि हमने गांधीजीको पत्र लिखा है और जैसे ही उनके प्रस्ताव मेरे पास पहुंच जायंगे, वैसे ही १५ मिनट के भीतर वे उनका उत्तर उन्हें देंगे। इसलिये लोगोंको धीरज धर कर यह प्रतीक्षा करनी चाहिये कि स्थिति क्या रूप धारण करती है।

किन्तु इस बीचमें कुछ लोग इस विचारको सामने रखकर मैदानमें आये हैं कि यदि सनातनी सब

मंदिरोंके दरवाज़े खोल दें

अथवा उनमेंसे कुछ दलित जातियों के लिये खोल दिये जायं, तो यह वर्त्तमान स्थितिमें उपयुक्त होगा और यह अछूतोंको शान्त करनेमें भी सहायक होगा और वे पृथक निर्वाचन त्यागनेको तैयार हो जायंगे, क्योंकि यही

गांधीजीके उपवासका कारण है और इसके दूर हो जानेसे उनके प्राणोंकी रक्षा भी हो जायगी। अभी तक किसीको डा० अंबेडकर या उनके दलसे यह विश्वास नहीं दिलाया गया है कि यदि सब मन्दिरों या कुछ मन्दिरोंके दरवाजे अस्पृश्यों के लिये खोल दिये जायं, तो वे पृथक निर्वाचन प्रथाको त्याग देनेको तैयार हैं। केवल ऐसा समझौता होनेकी सम्भावनासे ही सनातनियों के पास आकर यह कहा गया है कि वे मन्दिरोंमें अछूतोंको जाने दें और सदाके लिये

अस्पृश्यताको तिलाञ्जलि

दे दें। अब सनातनियोंको यह विचार करना है कि उन्हें इसका क्या उत्तर देना चाहिये। यदि वास्तवमें देखा जाय, तो ऊपर कहे हुए तीन दलोंमें से कोई भी सनातनियोंके पास इस पैगामको लेकर नहीं पहुंचा है, जो नयी शासन–सुधार योजनाके बनाने में ही लगे हुए हैं। इसलिए इस समय इस झगड़ेमें सनातनियोंको घसीट लाने और चारों ओरसे उनपर दबाव डाले जानेका कोई कारण नहीं दिखाई देता। आवश्यकता यह है कि उपर्युक्त तीन दलोंको ही आपस में अपना झगड़ा तय कर लेना चाहिये।

जहां तक सनातनियोंका सम्बन्ध है, उनके लिये धर्म और धार्मिक आचारोंका पालन करना उनका प्रथम कर्त्तव्य है। राजनीतिका स्थान इसके बादका है। जबतक सरकार चाहे उसका संगठन कैसाही क्यों न हो, उनके धर्म और धार्मिक विश्वासोंमें हस्तक्षेप नहीं करती, तबतक सनातनी प्रान्तिक वा भारतीय व्यवस्थापिका सभाओंके पदों को प्राप्त करनेके लिये लालायित नहीं हैं। वे व्यवस्थापिका सभाओं द्वारा अपने धर्म या धार्मिक प्रथाओंमें हस्तक्षेप होना सह नहीं सकते। किन्तु वर्त्तमानमें सब बातें जिस प्रकार हो रही हैं, उनको देखते हुए हिन्दू अपने सब पद (व्यवस्थापिक सभाके) अस्पृश्योंको दे देने के लिये तैयार क्यों नहीं होते, जिससे हजारों वर्षसे जो कठिनाइयां और क्लेश की, जिनके दलित जातियों द्वारा सहनेकी बात कही जाती है, पूर्ण क्षति-पूर्त्ति हो जाय। यह सर्व-जन-सम्मत ही है कि डा० आंबेडकरका दल राजनैतिक अधिकार प्राप्त करनेके लिये मैदान में अवतीर्ण हुआ है और वे मन्दिरप्रवेश अथवा अस्पृश्यता निवारण की विशेष परवाह नहीं करते। इस आशयके उनके कितने ही भाषण समाचार-पत्रोंमें प्रकाशित हो चुके हैं। इस

अवस्थामें हिन्दू-जातिका वह विभाग, जो अछूतोंका पक्ष ग्रहण कर चिल्लपुकार मचाने वाला है और सनातनियोंका विरोध करनेको सदा प्रस्तुत रहता है, वह अस्पृश्योंको सब पद दिये जानेकी घोषणा कर उनको समझावे । यदि ऐसा किया जाय तो वे सहर्ष तैयार हो जायंगे और श्रीगांधीजीको उपवास करनेका बिलकुल अवसर ही प्राप्त न होगा ।

कुछ स्थानोंमें यह ठीकही कहा गया है कि राजनैतिक झगडे उपवास करके प्राण देकर मिटाये नहीं जा सकते, जैसे के श्रीगांधीजी इस विषयका निर्णय कराना चाहते है । यह अत्यावश्यक है कि राजनैतिक और धार्मिक मामले बिलकुल अलग रखे जायं, किन्तु यह अत्यन्त खेदका विषय हैं कि यह प्रभेद अमल में लाना तो दूर ही रहा बल्कि राजनैतिक मामले अनावश्यक रुपसे धर्म तथा धार्मिक प्रथाओंमें मिला दिये गये हैं, जिससे अनेक वाद-विवाद उत्पन्न हो गये हैं । यह सब विगत १२-१३ वर्षोंकी कार्य-वाहियोंका ही परिणाम-फल है "।

अस्तु जिस परिस्थिति विशेष में और जिस प्रयोजन विशेष को लेकर यह आन्दोलन छेड़ा गया है, वह इसकी तनिक भी अपेक्षा तथा आवश्यकता नहीं समझता । और संघ का यह निश्चित मत है, कि भारत देशको अपने यहां के धर्म, धार्मिक संस्थाओं तथा सिध्दान्तों का त्यागनकर किसी भारी से भारी राजनीतिक लोभ में भी न फंसना चाहिए । पहले धर्म नीति और बादको राजनीति आदि अन्य सब नीति । भारत देशका सदा से यही उच्च आदर्श रहा है और उसी के बल आज यह अनेक भयंकर जातियों तथा धर्मोंके धक्कों को झेल कर जीवित है ।

धार्मिक दृष्टिसे अनावश्यक

अस्तु अस्पृश्यता-निवारण का आन्दोलन यदि सफल होता है, तो केवल यहांकी शास्त्रीय धार्मिक दृष्टि पात मात्र ले सफल हो सकता है । परन्तु संघ की दृष्टि में यह असम्भव है । इसके लिए संघ पं० श्रीमदनमोहन मालवीयजी को छोड चुका है । और उस के नेता तत्सम्बन्धमें देश के समस्त विपक्षी विद्वानो को चैलैंज दे चुके हैं । इस सम्बन्ध में यत्रतत्र अनेक शास्त्रार्थ भी हुए हैं, परन्तु अस्पृश्यता का निवारण शास्त्रीय सिद्धान्तों से नहीं हो सका है । विपक्षी लोग ऊपरी भावुकता-पूर्ण दलीलों से शास्त्रोंका मर्म न

जानने वाली सीधीसादी जनता को भलेही बहकावें, परन्तु यह आन्दोलन शास्त्र-सम्मत कदापि नहीं है। संघ के नेता यह सोचकर कि हिन्दू जनतामें व्यर्थ विरोध बढ़ रहा है, अच्छा हो आपसमें इस प्रश्न पर समझौता हो जाय, इस वर्तमान आन्दोलन के प्रमुख नेता एवं प्रवर्तक श्री गांधीजीसे भी वार्तालाप करने का उद्योग कर चुका है। तत्सम्बन्धमें जो पत्र-व्यवहार हुआ था, वह निम्नांकित है।

॥ श्रीः ॥

अखिल भारतवर्षीय वर्णाश्रम स्वराज्य संघ प्रतिनिधिविदुषां श्रीगांधी महाशयानां प्रतिनिधिविदुषां च परस्परं प्रस्तूयमानसंवादनियमाः।

१—विचारणीयविषयाणां तत्त्वनिर्णयार्थो वादो मीमांसकसम्मतप्रत्यक्षानुमानापमानशब्दादिप्रमाणकक्षामनुसृत्य मीमांसकपद्धत्यैव भविष्यति।

२—सर्वोऽपि विचारो लेखबद्धो वादिप्रतिवादिनोर्हस्ताक्षरयुक्तश्च भविष्यति।

३—प्रस्तुते विचारे (आधुनिक*) स्पृश्यास्पृश्यविवेकस्य शास्त्रसम्मत-धर्मत्वव्यवस्थापनं देवमन्दिरेऽस्पृश्यानां प्रवेशनिषेधस्य शास्त्रारूढत्वव्यवस्थापनं चाधिकृत्याखिलभारतवर्षीयवर्णाश्रम स्वराज्यसङ्घस्य प्रतिनिधित्वेन निम्नाङ्किता विद्वांसो विचारका वक्तारश्च भविष्यन्ति।

१ पण्डितराज श्रीराजेश्वरशास्त्री द्राविडः।
२ पण्डित श्रीरमापति मिश्रः।
३ पण्डित श्रीआशुतोष भट्टाचार्यः।
४ पण्डित श्रीश्रीजीवन्यायतीर्थः।
५ पण्डित श्रीदेवनायकाचार्यः।

अपरपक्षे-स्पृश्यास्पृश्यविवेकस्य, देवमन्दिरेऽस्पृश्यानां प्रवेशनिषेधस्य च शास्त्रानारूढत्वव्यवस्थापका निम्नाङ्किता विद्वांसः श्रीगान्धीमहाशयानां प्रतिनिधित्वेन विचारका वक्तारश्च भविष्यन्ति।

१ श्री लक्ष्मणशास्त्री जोशी।
२ श्री रघुनाथशास्त्री कोकजे।

४—तत्तत्पक्षप्रतिनिधीनां वक्तव्यानि तत्तत्पक्षवक्तव्यत्वेन मतानि भविष्यन्ति ।
सम्मतोऽयं वादनियम इति प्रमाणीकरोति—

पौष शुक्ल पूर्णिमा बुधवासरः
शकाब्दाः १८५४
पुण्यपत्तनम्

श्री देवनायक आचार्यः
मन्त्री—अखिल भारतवर्षीय वर्णाश्रम
स्वराज्य सङ्घ ।

हिन्दी अनुवाद.

॥ श्रीः ॥

अखिल भारतवर्षीय वर्णाश्रम स्वराज्य संघ के प्रतिनिधि पण्डितगण तथा श्रीयुत गांधीजी के प्रतिनिधि पण्डितगणों में प्रस्तावित संवाद के नियम ।

१—विचारणीय विषय के तत्त्वनिर्णय के लिये यह संवाद हो रहा है। इसलिये मीमांसाशास्त्र के सम्मत प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द आदि प्रमाणों की कक्षा के अनुसार मीमांसक पद्धति से ही यह सम्वाद होगा ।

२—सम्पूर्ण विचार लेखबद्ध और वादीप्रतिवादी के हस्ताक्षर से युक्त होगा।

३—प्रस्तुत विचार में (आधुनिक*) स्पृश्यास्पृश्य विवेक शास्त्रसंमत धर्म है, और देव मन्दिरों में (आज माने हुए*) अस्पृश्यों का प्रवेश शास्त्र निषिद्ध है, यह दोनों बातें स्थापित करने के लिये अ० भा० व० स्व० सङ्घ के निम्न लिखित प्रतिनिधि विद्वान, विचारक और वक्ता होंगे ।

१ पण्डितराज श्रीराजेश्वरशास्त्री द्राविड ।
२ पण्डित रमापति मिश्रः ।
३ पण्डित आशुतोष भट्टाचार्यः ।
४ पण्डित देवनायकाचार्यः ।

* ऊपरवाले पत्र जब गान्धीजी के पास उनके पक्ष का हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिये भेजे गये तब गान्धीजी और उनके पक्ष के उपर्युक्त लोगोंने, सादे टाइप में (*) फूलवाले निशान के साथ छपे शब्दों को अपनी तरफ से जोड़ दिया और तब हस्ताक्षर किया ।

दूसरे पत्र में (उपरोक्त*) स्पृश्यास्पृश्य–विवेक और देव–मन्दिर में (उपरोक्त*) अस्पृश्यों का प्रवेश निषेध शास्त्र में नहीं है, यह बात स्थापित करनेवाले निम्नाङ्कित विद्वान श्री गान्धीजी के प्रतिनिधि रूप से विचारक, और वक्ता होंगे।

२ श्री लक्ष्मण शास्त्री जोशी।

२ श्री रघुनाथ शास्त्री कोकजे।

४–प्रत्येक पक्ष के प्रतिनियों का कथन उस उस पक्ष का कथन समझा जायगा।

ये उपरोक्त सब नियम हमें स्वीकृत हैं।

पौष शुक्ल पूर्णिमा बुधवासरः
शकाब्दाः १८५४
पुण्यपत्तनम्

श्री देवनायक आचार्यः
मन्त्री-अखिल भारतवर्षीय वर्णाश्रम स्वराज्य संघ

मोहनदास गांधी।

यरवडा,
१२–१–३२

शास्त्रीजी महोदय,

आपके भेजे हुए पत्र अभी मिले हैं। मैंने प्रथम से ही कह दिया है कि आपका सम्वाद मेरी बुद्धि और मेरे हृदय पर असर डालने के लिये है। जिन शास्त्रियों का नाम मेरे ध्यान में है उनको निमन्त्रण भेजने का मुझको पूरा समय भी नहीं दिया गया है, तदपि मैंने जो शीघ्र आ सकते हैं उन महाशयों को विनय पत्र भेज दिया है। वे आ सकेंगे या नहीं उसका अबतक मुझको कोई पता नहीं है। संवाद का विषय स्पृश्यास्पृश्य विवेक शास्त्र सम्मत है या नहीं यह नहीं हैं। जो अस्पृश्यता आज प्रचलित है वह शास्त्रसम्मत है या नहीं–यह विषय है। और यदि आधुनिक अस्पृश्यता शास्त्रसम्मत है तो ऐसे अस्पृश्य कौन हैं और इन दो प्रश्नों में से जो दूसरे प्रश्न उपस्थित होते हैं उन सब विषय के बारे में आप महाशयों का अभिप्राय मैं अवश्य विनयपूर्वक सुनना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि इससे आप सन्तुष्ट होंगे और पधारने की कृपा करेंगे।

आपका–
मोहनदास गांधी

॥ श्रीः ॥

श्रीयुत गांधीजी महाशय,

१२-१-३२ का लिखा आपका पत्र अभी मिला। आपका विचार जहांतक प्रतीत हुआ, उस पर यह कहना पड़ता है कि—

सङ्घ को आपके लेखों से प्रतीत हुआ था कि अस्पृश्यता के सम्बन्ध में आप सत्यान्वेषण के लिये उत्सुक हैं और सत्य समझने पर उसके अनुसार कार्य करना चाहते हैं। विशेषतः इसका सम्बन्ध सनातनधर्म से होने के कारण सङ्घ ने अपना उचित कर्तव्य समझा कि योग्य न्याय्य व्यवस्था कर के शास्त्रीय सत्य तत्त्व को आपके लिए स्फुट कर दें।

तदनुसार आपके साथ पत्रव्यवहार हुआ, जो आपको सर्वथा विदित है। पत्रव्यवहार सब मुद्रित हैं, जिसे कोई भी विचारशील देखकर कह सकता है कि संघ न्याय्य मार्ग से शास्त्रीय सत्य तत्त्व के अन्वेषण के सिवाय कोई दूसरा लक्ष्य नहीं रखता।

व्यवस्थाओं के लिये समय भी प्रथम से ही सूचित किया गया है, यह भी पत्र-व्यवहार के देखने से स्पष्ट हो सकता है।

पूर्व सूचनानुसार संघ ने महान् व्ययभार एवं श्रम उठा कर विद्वानों को यहांतक प्रार्थना कर बुलाया है। वे आपके पास आकर व्यवस्थित विचार करने ही के लिये आये हैं।

परन्तु बड़ा ही दुःख है कि आप सत्यान्वेषण के लिए होनेवाले अनिवार्य नियमों को समय के ऊपर स्वीकार न कर अव्यस्थित विचारों का उपक्रम कर रहे हैं।

सम्वाद नियमों के साथ विचारणीय विषय का जो निर्देश किया था, आपने उससे भिन्न समझ कर अपने पत्र में विषयान्तर का निर्देश किया है, र शब्दान्तर से विषय दोनों ही एक हैं, इसलिये विषय के सम्बन्ध में मतभेद नहीं है। केवल स्पष्ट वक्तव्य यह है कि नियमों को आप यदि स्वीकार कर के देते हों, तो विद्वान् लोग पूर्व निश्चयानुसार उपस्थित होकर विचार विनिमय में भाग लेने को तैयार हैं।

यहांतक कि जेल के दरवाजे पर यथा-समय आकर हम प्रतीक्षा कर रहे है।

यदि आप नियम स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम अपना कर्तव्य पालन जहांतक हो सका, कर दिया, ऐसा समझेंगे।

यह भी आपको स्मरण रखने योग्य है कि आपने, स्वतः शास्त्रज्ञ नहीं है, इस बात को स्वीकार करते हुए अपने प्रतिनिधि शास्त्रीय विद्वानों से विचार होना आवश्यक बताया था।

भवदीय शुभकांक्षी

(सही) श्रीदेवनायक आचार्यः

१२-१-३२

श्री शास्त्रीजी महोदय,

आपका पत्र मुझको मिला है। जहांतक सम्भव था, वहांतक मैंने आपकी भेजी हुई पत्रिका में थोड़ासा फरक करके अपने हस्ताक्षर दिये हैं। मैं कोई अविनय नहीं करना चाहता हूं और हृदय से आपका सम्बाद सुनना चाहता हूं। मेरी उम्मीद हैं कि जो परिवर्तन मैंने किया है वह आपके पत्र के अनुसार ही है।

आपका—

मोहनदास गान्धी।

श्रीयुत महाशय,

आपने विषयांश में " आज माने हुए " इतना परिवर्तन जो किया है वह ठीक नहीं है। क्योंकि आधुनिक स्पृश्यास्पृश्यविवेक, आज माना हुआ हैं या परम्परा से प्राप्त है, इस बात का निर्णय तो आगे विचाराधीन है। इसलिये इतना संशोधन कर देने पर हमलोगों को मान्य होने में कोई बाधा नहीं है।

(सही) श्रीदेवनायक आचार्यः

१२—१—३२

शास्त्रीजी महोदय,

मैं लाचार हूं। और मुझे बड़ा दुःख भी होता है कि मेरे जैसे जिज्ञासु और मुमुक्षु को आप वकील की तरह बन्धन में डालना चाहते हैं। मेरी

दीन प्रार्थना है आप आजाईये । मैं जैसा हूं वैसे को ज्ञान प्रदान करें। जो कुछ मैंने परिवर्तन किया है उससे अधिक करने में मैं असमर्थ हूं ।

११—१—३२ आपका—

मोहनदास गान्धी ।

॥ श्रीहरिः ॥

श्रीयुत महाशय जी,

हम लोग तो सत्यान्वेषी सीधेसादे पण्डित हैं, वकीली करना हम लोगों का काम नहीं है । सत्यतत्व का अन्वेषण शास्त्रीय-पद्धति से ही हो सकता है और यह आरम्भ भी इसीलिये ही था । अव्यवस्थित रूप का विचार विनिमय परिणाम शून्य होता है । आपकी अकारण लाचारी के लिये हम लोग भी दुःख का अनुभव करते हुए आपकी अनिच्छा से जा रहे हैं ।

अन्त में विनीत निवेदन है कि हमलोगों ने कुछ शास्त्रीय-पद्धति से स्पष्ट विचार का प्रस्ताव किया था वह किसी की जिज्ञासुता और मुमुक्षता के प्रतिकूल नहीं था ।

श्री देवनायक आचार्यः

१२—१—३२

इस पत्र व्यवहार से स्पष्ट विदित होता है कि श्री गांधीजी जैसे सत्य के अन्वेषण कर्ता एवं उत्तरदायी राजनीतिक नेता धार्मिक दृष्टिसे इस प्रश्न पर कहां तक विचार करके के लिए सन्न हैं। जिस गीताको श्रीगांधीजी मानते हैं उसी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश देते हैं जहां कार्या-कार्य के निर्णय करने का अवसर आ—उपस्थित हो, वहां शास्त्रकी शरण लेनी चाहिए ।

वर्तमान परिस्थितिमें श्री गांधीजीको इस दिव्य आदेश पर क्यों न चलना चाहिए, परन्तु स्पष्ट कहना पडता है कि शास्त्रों पर वास्तविक आस्था हो हो तब न ऐसा हो, और धर्म हत्याके भयंकर मत का मान हो, तब ही तो ऐसा हो सकता है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संघके प्रतिष्ठित सदस्य म० म० पं० श्री० गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी ने

भी श्री. गांधीजीसे पत्र व्यवहार भी किया था। परन्तु फल कुछ न हुआ।

इस विषय पर इन गत दो वर्षों में संघ के परिकर की ओर अनेक शास्त्रार्थ संख्याए तथा जलूस आदि के आयोजन हो चुके हैं, और संघ अभी इस सम्बन्धी में धर्मानुकूल तथा शास्त्रानुकूल समझौता करने के लिए तैयार है, अन्त में यहां काशी के समग्र प्रतिष्ठित पण्डितों की व्यवस्था उद्धरणीय है,

काशि के पण्डितों की व्यवस्था)

चाण्डालादीनां देवमन्दिरप्रवेशे का बाधा इति प्रश्ने बाधा भवतीत्युत्तरम्।

बाधा प्रथमं विविच्यते तथाहि पाषाणदारुमयादिमय्यः खलु देवप्रतिमाः प्रतिष्ठाविधिना देवत्वमासाद्यन्ते, येन ताः पूजनीया भवन्ति। तत्र शास्त्रमात्रगम्यत्वमित्यलौकिकमुच्यते। न हि लोकदृष्ट्या प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितत्वकृतः पाषाणादिमूर्तीनां कोऽपि विशेषो लक्ष्यते, येन कासाञ्चित् पूज्यत्वमपूज्यत्वं च कासाञ्चित् इति भेदः स्यात् तस्मिंश्चालौकिकविषये युक्ता खल्वलौकिकी बाधा, सा चात्र वर्त्तत एव शास्त्रैकगम्या पूजकत्वपर्युदासमुखेन पूजोपकरणत्वपर्युदासमुखेन पूज्यत्वपर्युदासमुखेन च त्रिधा भिन्ना हि सा चाण्डालादीनां देवालयप्रवेशे युगपदेव जायतेति। अयमलौकिको विषयो धर्मशास्त्रदिशा च नीचैर्विशदं विमृश्यते—भृगुसंहितायाम्—"चाण्डालैरन्त्यजैश्चैव तथान्यप्रतिलोमजैः। म्लेच्छैश्च नीचचाण्डालैर्गुरुनिन्दादिदूषितैः। एवमादिभिः संस्पृष्टे देवागारे विशेषतः। स्पृष्टे प्रवेशने बाधा पूजाकाले च दर्शने॥"

किञ्च चाण्डालादौ देवमन्दिरं प्रविष्टे पूजकाः खलु स्पृश्या ब्राह्मणादयस्तत्रस्थिताश्चाण्डालादीनां प्रवेशादाशौचभागिनो पूजायामधिक्रियन्ते। "शुचितत् कालजीवी कर्म कुर्यात्" इति श्रुतेः।

अशौचं च तेषां चाण्डालादिस्पर्शात् तच्छायास्पर्शात् तद्दर्शनाच्च। यथाऽऽह मनुः—"दिवाकीर्तिमुदक्यां च सूतिकां सूचिकां तथा। शवं तत्स्पृष्टिनं चैव स्पृष्ट्वा स्नानेन शुध्यति" इति।

दिवाकीर्तिश्चाण्डालः। चाण्डालप्लवमातंगदिवाकीर्तिजनंगमा इत्यमरोक्तेः। अत्रिरपि—चाण्डालेन तु संस्पृष्टे स्नानमेव विधीयते इति। पुनरत्रिः—

दीन प्रार्थना है आप आजाईये । मैं जैसा हूं वैसे को ज्ञान प्रदान करें। जो कुछ मैंने परिवर्तन किया है उससे अधिक करने में मैं असमर्थ हूं ।

११—१—३२

आपका—

मोहनदास गान्धी ।

॥ श्रीहरिः ॥

श्रीयुत महाशय जी,

हम लोग तो सत्यान्वेषी सीधेसादे पण्डित हैं, वकीली करना हम लोगों का काम नहीं है । सत्यतत्व का अन्वेषण शास्त्रीय-पद्धति से ही हो सकता है और यह आरम्भ भी इसीलिये ही था । अव्यवस्थित रूप का विचार विनिमय परिणाम शून्य होता है । आपकी अकारण लाचारी के लिये हम लोग भी दुःख का अनुभव करते हुए आपकी अनिच्छा से जा रहे हैं ।

अन्त में विनीत निवेदन है कि हमलोगों ने कुछ शास्त्रीय-पद्धति से स्पष्ट विचार का प्रस्ताव किया था वह किसी की जिज्ञासुता और मुमुक्षता के प्रतिकूल नहीं था ।

श्री देवनायक आचार्यः

१२—१—३२

इस पत्र व्यवहार से स्पष्ट निदित होता है कि श्री गांधीजी जैसे सत्य के अन्वेषण कर्ता एवं उत्तरदायी राजनीतिक नेता धार्मिक दृष्टिसे इस प्रश्न पर कहां तक विचार करके के लिए सन्न हैं । जिस गीताको श्रीगांधीजी मानते हैं उसी में भागवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश देते हैं जहां कार्या-कार्य के निर्णय करने का अवसर आ—उपस्थित हो, वहां शास्त्रकी शरण लेनी चाहिए ।

वर्तमान परिस्थितिमें श्री गांधीजीको इस दिव्य आदेश पर क्यों न चलना चाहिए, परन्तु स्पष्ट कहना पडता है कि शास्त्रों पर वास्तविक आस्था हो हो तब न ऐसा हो, और धर्म हत्याके भयंकर मत का मान हो, तब ही तो ऐसा हो सकता है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संघके प्रतिष्ठित सदस्य म० म० पं० श्री० गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी ने

भी श्री. गांधीजीसे पत्र व्यवहार भी किया था। परन्तु फल कुछ न हुआ।

इस विषय पर इन गत दो वर्षों में संघ के परिकर की ओर अनेक शास्त्रार्थ संख्याए तथा जलूस आदि के आयोजन हो चुके हैं, और संघ अभी इस सम्बन्धी में धर्मानुकूल तथा शास्त्रीनुकूल समझौता करने के लिए तैयार है, अन्त में यहां काशी के समग्र प्रतिष्ठित पण्डितों की व्यवस्था उद्धरणीय है,

काशि के पण्डितों की व्यवस्था)

चाण्डालादीनां देवमन्दिरप्रवेशे का बाधा इति प्रश्ने बाधा भवतीत्युत्तरम्।

बाधा प्रथमं विविच्यते तथाहि पाषाणदारुमयादिमय्य: खलु देवप्रतिमा: प्रतिष्ठा-विधिना देवत्वमासाद्यन्ते, येन ता: पूजनीया भवन्ति। तत्र शास्त्रमात्रगम्यत्व-मित्यलौकिकमुच्यते। न हि लोकदृष्ट्या प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितत्वकृत: पाषाणादिमूर्तीनां कोऽपि विशेषो लक्ष्यते, येन कासाञ्चित् पूज्यत्वमपूज्यत्वं च कासाञ्चित् इति भेद: स्यात् तस्मिंश्चालौकिकविषये युक्ता खल्वलौकिकी बाधा, सा चात्र वर्तत एव शास्त्रैकगम्या पूजकत्वपर्युदासमुखेन पूजोपकरणत्वपर्युदासमुखेन पूज्यत्वपर्यु-दासमुखेन च त्रिधा भिन्ना हि सा चाण्डालादीनां देवालयप्रवेशे युगपदेव जाघटीति। अयमलौकिको विषयो धर्मशास्त्रदिशा च नीचैर्विशदं विमृश्यते— भृगुसंहितायाम्—“ चाण्डालैरन्त्यजैश्चैव तथान्यप्रतिलोमजै:। म्लेच्छैश्च नीचचाण्डालैर्गुरुनिन्दादिदूषितै:। एवमादिभि: संस्पृष्टे देवागारे विशेषत:। स्पृष्टे प्रवेशने बाधा पूजाकाले च दर्शने॥”

किञ्च चाण्डालादौ देवमन्दिरं प्रविष्टे पूजका: खलु स्पृश्या ब्राह्मणादयस्तत्र-स्थिताश्चाण्डालादीनां प्रवेशादाशौचभागिनो पूजायामधिक्रियन्ते। “ शुचिरत्र कालजीवी कर्म कुर्यात् ” इति श्रुते:।

अशौचं च तेषां चाण्डालादिस्पर्शात् तच्छायास्पर्शात् तद्दर्शनाच्च। यथाऽऽह मनु:—“दिवाकीर्तिमुदक्यां च सूतिकां सूचिकां तथा। शवं तत्स्पृष्टिनं चैव स्पृष्ट्वा स्नानेन शुध्यति ” इति।

दिवाकीर्तिश्चाण्डाल:। चाण्डालप्लवमातंगदिवाकीर्तिजनंगमा इत्यमरोक्ते:। अत्रिरपि—चाण्डालेन तु संस्पृष्टे स्नानमेव विधीयते इति। पुनरत्रि:—

यस्तु छायां श्वपाकस्य ब्राह्मणस्त्वधिगच्छति । स च स्नान प्रकुर्वीत घृतं प्राश्य विशुध्यति । इति ॥ श्वपाकश्चाण्डालः, तत् सदृशजात्यन्तरं वा द्वयोरेव प्रमाणलब्धत्वात् । **निषादश्वपचावन्तेवासिचाण्डालपुक्कसा इत्यमरोक्तेः ॥ चाण्डालः श्वपचः क्षत्ता सूतो वैदेहकस्तथेत्यङ्गिरो** वचनाच्च । अकामतः स्पर्शे स्नानमात्रं कामतः स्पर्शे स्नात्वा घृतप्राशनमिति विशेषः । गृहे तत्प्रवेशे भाण्डवर्जनमाह पराशरः—" **गृहस्याभ्यन्तरे गच्छेच्चण्डालो यस्य कस्य चित् । तस्माद् गृहाद् विनिःसृत्य गृहभाण्डानि वर्जयेत्** ॥"

सत्येवं देवगृहस्थोपचाराणामशुचित्वे तैर्देवपूजनं पर्युदस्तम् । " अस्पृश्यस्पर्शे देवार्चायाः पुनः प्रतिष्ठापनमिति " बौधायनमतात् चांडालादिच्छायाया अस्पृश्यतोक्ता । तत् सम्बन्धेऽपि प्रतिष्ठितदेवार्चानां पुनः प्रतिष्ठा युक्ता । तामन्तरेण तत्र पूज्यत्वपर्युदासः । अपि च चाण्डालादिप्रतिलोमजानां देवालयभूप्रांगणप्रवेशेऽपि शान्त्यादिविधानं श्रीपाञ्चरात्रे पाद्मतन्त्रे चर्य्यापादे अष्टादशध्याये—" **तथान्यैर्मागधाद्यैश्च प्रतिलोमैश्च गर्हितैः । प्रथमादिप्रविष्टैश्चेद् धामावरणभूतलम् ॥ धामस्पर्शे तथान्यस्य बलिपीठादिकस्य च । स्पर्शं कृत्वा यथापूर्वं शान्तिहोमं समाचरेत् ॥ सहस्रकलशैर्देवं स्नापयेत्तस्य शान्तये ।** अतः अस्पृश्यानां देवालयप्रवेशः प्रतिषिद्धः—

अस्पृश्या हिन्दवो वर्णाश्रमधर्मावलम्बिनां हिन्दूनां वर्त्तन्तेऽङ्गभूता इत्यत्र नास्ति कस्यचनापि विमतिः । भूमितलेऽस्मिन् आध्यात्मिकसमुन्नतिशालिनीं मानवजातिं चिरजीविनीं कर्त्तृकामैस्त्रिकालदर्शिभिर्महर्षिभिर्वर्णाश्रमधर्मस्य वैज्ञानिकी शृङ्खला निरमायि यस्या अस्तित्वं जन्मतो निरधारि । अस्यामेव शृङ्खलायामस्पृश्यहिन्दूनामपि स्थानमास्ते । यथा किल मानवस्यैकस्य शरीरे ज्ञानप्रधानानि कर्ममुख्यानि चेन्द्रियाणि स्वस्वाधिकारमनुसृत्य परमप्रयोजनभूतानि सातिशयसहायकानि चावगम्यन्ते, तथैव वर्णाश्रमशृङ्खलायामस्पृश्या जातिरपि परमं प्रयोजनीया समधिकमादरणीया चेति न विस्मर्त्तव्यम् । अस्पृश्यानां यथायोग्यं सर्वविधं समुन्नतिसाधनं, स्वकीयाङ्गत्वेन तत्परिगणनं, तेषां समादरणं तैः सार्द्धश्च प्रेमसंवलितव्यहारादिकं नूनमस्माभिर्विधेयम् । किन्तु तेषामस्पृश्यानां देवमन्दिरप्रवेशसम्बन्धे विविच्यते । " य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन् श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चाण्डालयोनिं वा " (छान्दोग्योपनि-

षद् वा० उप० ५ खण्ड १०) इत्युपनिषद्वचनेन " सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगात् " इति योगदर्शनसूत्रबलेन च प्रमाणीकृतात् प्राक्तनपापकर्मविपाकपारवश्याज्जीवश्चाण्डालादीनां पापयोनौ स्थूलं शरीरं लभते तत्र रजोवीर्यदोषेण पातित्यं तज्जन्यमस्पृश्यत्वञ्च जन्मतो जायते। तस्माद् हेतोर्यया रमणीययोनिमापन्ने समुन्नताधिकारे ब्राह्मणादौ चाण्डालादिशरीरस्पर्शजन्यो दोषः सङ्क्रमते तथैवाधिदैवपीठे देवविग्रहेऽस्पृश्यानां स्पर्शने ततोऽप्यधिको दोषः संक्राम्येत, यदि तत्राधिदैवपीठे विभिन्नसंस्कारप्रकारैः पूजापद्धतिः प्रचलिता भवेत्। तस्मादेव स्पर्शदोषदुष्टायां देवमूर्तौ तत्पीठशुद्ध्यै अभिषेकादिविधिर्निर्दिष्टः।

एतावता प्रमाणपुञ्जेन सिद्ध्यति यदस्पृश्यानां देवमन्दिरप्राङ्गणप्रवेशतोऽपि देवमन्दिरस्य पावनत्वं नश्यति अनर्थश्च भवति तदर्थं शान्तिविधानम्, अभिषेकादिभिर्देवप्रतिमायाः पावित्र्यप्रतिपालनञ्च विधेयमुक्तम्। तस्माच्छास्त्रेष्वस्पृश्यानां कृते देवमन्दिरस्तूपिदर्शनादेव देवदर्शनफलमुपदिष्टम्-' **प्रतिलोमान्त्यजादीनां स्तूपिं दृष्ट्वा समाचरेदिति " दर्शनं गेहचूडाया दर्शनं गोपुरस्य च। अन्त्यजानां तथान्त्यानां विज्ञेयं देवदर्शनमिति च "।**

शैवागमादीनामाशयात्। नात्र शास्त्राणां पक्षपाते तात्पर्यम् अपि त्वधिदैवपीठरक्षया सार्वजनीनहितसाधनमेव शास्त्राणामभिमतम् तत् सम्प्रति सर्वेषां प्रेक्षावतां कर्तव्यमेतत् यत्र यस्य यादृशी देवमन्दिरस्य मर्यादा चिरात् प्रचलति सावश्यं तथैव रक्षणीया। इत्थमेव यथा देवमन्दिरे प्रवेशमन्तरेणापि देवदर्शनस्य स्तूपिदर्शनादिना सौकर्यं सम्भवेत् तथा स्पृश्यानां हिन्दूनां कृते बन्धुत्वेन सुगमो मार्गो विधेयः। परं धर्ममर्यादाविरुद्धं न किमपि कार्यमनुष्ठेयमिति सतां मतम्।

सारांश—चाण्डालादि अस्पृश्य जातियोंके देवमन्दिर-प्रवेश करनेमें क्या हानि है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि उनके देवमन्दिर-प्रवेश करनेमें ये सब बाधायें हैं:—जैसा कि पाषाण काष्ठ और मिट्टी आदिकी देव प्रतिमाएं प्रतिष्ठा के विधानसे देवत्वको प्राप्त करती हैं। लोक दृष्टिसे प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित देव मूर्तियोंमें कोई विशेषता दिखलाई नहीं देती, जिससे उनके पूज्यत्व और अपूज्यत्वका भेद माना जाय। इस अलौकिक विषयमें अलौकिक बाधा शास्त्रोंके द्वारा ही जानी जाती है और वह पूजक, पूजा

सामग्री तथा पूज्यके विचारसे तीन प्रकार की है। वे तीन प्रकारकी बाधायें चाण्डाल आदि अस्पृश्योंके देव मन्दिरमें प्रवेश करने पर एक साथ ही घटित होती हैं। अछूत जातिके हिन्दू वर्णाश्रमी हिन्दूओंके अंग रूप ही हैं। पृथ्वी भरमें एक आध्यात्मिक उन्नतिशील मनुष्य जातिको चिरजीवी बनानेके लिये पूज्यपाद त्रिकालदर्शी महर्षियोंने वर्णाश्रमकी वैज्ञानिक शृंखला बांधी है जिसका अस्तित्व जन्मसे ही है। उसी शृंखलामें अछूत हिन्दुओंका भी स्थान रखा गया है। जैसे मनुष्यके शरीरमें सब ज्ञानेन्द्रिय और सब कर्मेन्द्रिय अपने २ अधिकारके अनुसार परमावश्यकीय और सहायक हैं उसी प्रकार वर्णाश्रम शृंखलामें अछूत जाति भी आवश्यकीय और आदरणीय है। अछूत जातिकी सब प्रकारकी यथा योग्य उन्नति करना, उसको अपना अंग समझना उसका आदर करना और कराना तथा उसके साथ प्रेमकी वृद्धि करना और कराना आवश्यकीय है।

किंतु उन अस्पृश्योंके देवमन्दिर प्रवेशके सम्बन्धमें विचार यह है कि पूर्व जन्मार्जित कर्म विपाकसे चाण्डाल आदि पतित योनियोंका स्थूल शरीर जीवको मिलता है। इसी पातित्यके कारण उनके स्पर्श से उन्नत अधिकारी ब्राह्मण आदिमें जिस प्रकार स्पर्श दोष हो सकता है, देव विग्रहमें उससे अधिक दोष आ जानेकी सम्भावना है, यदि उस पीठमें विभिन्न संस्कारसे पूजा होती है। पीठमें आधिदैविक शक्तिकी प्रधानता रहती है, उस आधि-दैविक शक्तिकी सत्ता, पीठ स्थापन करने वालेके संस्कारके अनुसार आविर्भूत होती है और वहांकी उपासना पद्धतिके अनुसार सुरक्षित रहती है। इसके विरुद्धाचरण करनेसे पीठ-शक्ति ह्रासको प्राप्त होती है। यही कारण है कि देवमूर्तिमें स्पर्श दोष हो जानेसे अभिषेक आदि से उस पीठकी शुद्धि करनेके शास्त्रोंमें कहा है।

चाण्डाल, अन्त्यज, प्रतिलोमज, म्लेच्छ, गुरु निन्दा आदिके दूषितोंको स्पर्श न करना चाहिये विशेषतया देव मन्दिरमें तथा पूजा करनेके समयमें। चाण्डाल आदि अस्पृश्य जातियोंको देव मन्दिरमें प्रवेश करनेके का अधिकार दिये जाने पर मन्दिरमें आये हुए पूजा करनेवाले ब्राह्मण आदि उनके स्पर्शसे अशौचभागी हो जायंगे, ऐसी दशामें पूजा करने योग्य वे नहीं रह सकते, क्योंकि पवित्र होकर पूजा करना चाहिये, ऐसा वेदमें

विधान है। इस विषय में भगवान् मनुनें भी कहा है—चाण्डाल आदि अस्पृश्य जाति, रजस्वला एवं प्रसूतिका स्त्री और जिन्हें अशौच लगा हैं तथा शवको स्पर्श करनेवालोंको स्पर्श करके स्नान करने पर शुद्धि होती है। इसी प्रकार महर्षि अत्रिका भी कथन है कि "चाण्डालसे स्पर्श हो जाने पर स्नान करना चाहिये, फिर भी उन्ही महर्षिका कथन है कि यदि चाण्डालकी छाया ब्राह्मण पर पड जाय तो वह स्नान और घृतपान करनेपर शुद्ध होता है अज्ञातमें स्पर्श होने पर स्नान और जानकर स्पर्श करने पर स्नान और घृतपान से शुद्धि होती है। महर्षि पराशर का कथन है कि, चाण्डालके देखने पर सूर्यका दर्शन करना चाहिये और चांडालसे स्पर्श हो जाने पर सवस्त्र स्नान करना चाहिये। पराशरने और भी कहा है कि यदि चांडाल घर (गृह प्रांगण) के भीतर आ जाय तो उसको घरसे बाहर करके घरके सारे मिट्टीके बर्तनोंको अलग कर देना चाहिये। इन प्रमाणोंसे यह बात सिद्ध होती है कि मन्दिरमें प्रवेश किये हूए चांडालोंसे स्पर्श की हुई सामग्रियोंसें देव पूजा नहीं की जा सकती। इसी प्रकार श्रीपञ्चरात्रके चर्यापादमें लिखाहै कि प्रतिलोमजोंमें गर्हित चाण्डाल आदि द्वारा मन्दिरके प्रथम प्राङ्गणके भूतल स्पर्श हो जाने पर उनकी शान्ति करना चाहिये और देवमूर्तिका सहस्र कलशोंसे अभिषेक कराना चाहिये तब उसकी शान्ति होती है।

इन प्रमाणोंसें यह बात सिद्ध होती है कि चण्डाल आदि अस्पृश्य जातियोंके देव मन्दिरके प्राङ्गणमें जानेसे उस देव मन्दिरकी शान्ति और देव मूर्तियोंके अभिषेक द्वारा पवित्रता संपादित करनी पडती है। इसलिये शास्त्रोंमें अछूत जातियोंके लिये देव-दर्शनका फल स्तूप दर्शनसे ही बताया गया है। अतः इस समय प्रत्येक विचारशील व्यक्तिको यह विचार करना परमावश्यक है कि, जहां जिस मन्दिरकी जैसी मर्यादा चली आती है उसकी रक्षा की जाय। उसीके साथ इस समय यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि देव मन्दिरके प्राङ्गणसे बाहर जिस मन्दिरमें स्तूप दर्शन मन्दिर चूडा दर्शनरूपी देव-दर्शन की सुविधा हो, वहां चांडाल आदि जातियोंको सुविधा कर देनी चाहिये। परन्तु धर्म और मर्यादाके विरुद्ध कोई कार्य न होना चाहिये।

पञ्चानन तर्करत्न भट्टाचार्य त्यक्त महामहोपाध्याय पदवीक। ताराचरण भट्टाचार्य वाइस प्रिन्सिपल बीकानेर राज्य टीकमणी संस्कृतकॉलेज बनारस

दीन
जो
१२

श्री

का
है
वि
ले

वि
प्र

वागेश्वर पाठक ज्योतिषी । वामाचरण भट्टाचार्य तर्कतीर्थ न्यायाचार्य प्रो० पूर्णचंद्राचार्य व्याकरणाचार्य प्रो० बीकानेर राज्य टीकमाणी सं. का० बनारस एवं सदस्य बोर्ड आफ गवर्न० सं० का० एक्जामिनेशन, बनारस । गेनालाल चोधरी ज्योतिषाचार्य । बलदेव प्रसाद for पं. विद्याधर शास्त्री प्रो. ओरिएन्टल कॉलेज हि० वि० रघुनाथशर्मा । नारायणदत्तशर्मा । गौतमजी ज्योतिषी । रामयश त्रिपाटी व्याकरणाचार्य प्रोफे० गोयनका संस्कृत वि० । धनुर्धारी मिश्र । गोपीनाथ कविराज एम० ए० प्रिंसिपल गवर्नमेंट संस्कृत कालेज बनारस । देवकीनन्दन शास्त्री दर्शनालंकार, प्रिंसिपल टीकमाणी संस्कृत कालेज, बनारस । रमलशास्त्री वेणीमाधवजी । भगवत्प्रसाद शर्मा मिश्र (वेदाचार्य) । गोपाल शास्त्री नेने प्रो० गवर्न० सं० का० बनारस । शिवदत्त मिश्र प्रो० सं० का० बनारस । चन्द्रशेखर झा ज्योतिष साहित्याचार्य प्रो० गोयनका महाविद्यालय । मुकुन्द झा० म० म० । बालबोध मिश्र प्रोसं० गवर्नमेंट कालेज बनारस । पद्मनाभशास्त्री षड्दर्शनाचार्य । हारणचन्द्र भट्टाचार्य प्रोफे० मारवाडी संस्कृत कालेज । चंडीप्रसाद शुक्ल प्रिंसिपल गौरीशंकर गोयनका विद्यालय । भास्करानन्द पर्वतीय प्रोफे० मा० सं० कालेज बनारस । त्रिभुवननाथ मिश्र व्या० सा० आचार्य । शिवबालक शुक्ल व्याकरणाचार्य । हरिनाथ शर्मा । चन्द्रशेखर शर्मा । शुकदेव चतुर्वेदी । पं० पुरुषोत्तमजी कर्मकांडी । गोपाळकृष्ण ज्योतिषी । चन्द्रिकादत्त मिश्र व्याकरणाचार्य । अग्निहोत्री गंगाधर दीक्षित अमरनाथ शास्त्री दीक्षित । ब्रजभूषण मिश्र एम० ए० काव्यतीर्थ व्याख्यान रत्नाकर । बाबूनन्दन मिश्र अग्निहोत्री । श्रीरामनाथ शुक्ल । कमलनयनाचार्य शास्त्री । श्रीराजेश्वरशास्त्री द्राविड । श्रीआत्मारामशास्त्री लोकरे । गोपालभट्ट-भट्ट अध्यापक वेदसांग विद्यालय । रामाचार्य अ० सां० वि० । शिवरामशास्त्री अ० सांगवेद विद्यालय । मुकुन्दशास्त्री व्याकरणाचार्य अ० सांगवेद विद्यालय । लाभशंकर अथर्ववेदी अ० सांगवेद विद्यालय । नीलकंठ शास्त्री दैवज्ञ अ० सां० वि० । शिवमंगल द्विवेदी न्यायाचार्य । रमाशंकर वैद्यशास्त्री । जोखीराम अग्निहोत्री । विद्याधर शर्मा प्रिन्सिपल धर्म विज्ञान विभाग ओरियण्टल कालेज हि० वि० । हरिनारायण शर्मा प्रो० गव० सं० कालेज बनारस । पद्माकर दिवेदी प्रो० गव० कालेज बनारस । सूर्यनारायण शुक्ल न्याय व्याकरणाचार्य प्रो० गव० संस्कृत कालेज बनारस । महादेव शास्त्री प्रोफे० गव० संस्कृत

कालेज बनारस । नारायणशास्त्री खिस्ते । भगवानूदत्त अग्निहोत्री । नरसिंह शर्मा रामनिहोर द्विवेदी ज्योतिषाचार्य गयादत्त व्यास । मधुसूदन भट्टाचार्य । व्रजबिहारी शर्मा व्याकरणाचार्य । काशीनाथ शास्त्री । जगन्नाथ मालवीय । दुर्गादत्त त्रिपाठी । रामसुन्दर पाठक । राधाकान्त झा न्यायाचार्य । गोपीनाथ कविरत्न । गंगाधर शास्त्री भारद्वाज प्रोफे० गव० सं. कालेज बनारस । महावीर प्रसाद त्रिपाठी अध्यक्ष श्रीविश्वनाथ मन्दिर काशी । कमलकृष्ण भट्टाचार्य स्मृतितीर्थ । चन्द्रमणि मिश्र व्याकरणतीर्थ । चतुरानन वैद्य । गो० शिवनाथ पुरी महन्त श्रीअन्नपूर्णा मंन्दिर । गोपीचन्द्र सांख्यतीर्थ । सदानन्द भट्टाचार्य नैयायिक । रजनीकान्त भट्टाचार्य । शशिभूषण भट्टाचार्य स्मृतिरत्न विजयानन्द यानन्द त्रिपाठी अनन्तराम शास्त्री प्रिंसिपल रणवीर संस्कृत पाठशाला हि० वि० । पंचानन भट्टाचार्य । ढुंढिराज शास्त्री नैयायिक । दाउजी दिक्षित । अवधेश शास्त्री । सीताराम शर्मा । गंगाविष्णु शास्त्री महोपदेशक भारतधर्म महामण्डल । श्री अन्नदाचरण तर्क चूडामणि म० म० प्रो० ओरियन्टल कालेज हि० वि० । शशिभूषण स्मृतितीर्थ । महावीर प्रसाद मिश्र (तीर्थ पुरोहित) मोतीरामशास्त्री पर्वतीय व्याकरणाचार्य । जयगोपाल चटर्जी बोधनाथ भट्टाचार्य । रामावधि शर्मा व्याकरणाचार्य । अनंत शास्त्री फड़के व्याकरणाचार्य मीमांसातीर्थ प्रो० गव० संस्कृत कालेज बनारस ।

इस बृहद शास्त्र-युक्त व्यवस्थाके उद्धरणके उपरान्त हम श्री. गांधीजी को उनके अनुयायियों को तथा इस आन्दोलन में योग-दान देने वाले स्त्री-पुरुषों को श्रीकृष्ण भगवान् की इस चेतावनीको देना अपने इस कथन को समाप्त करते हैं:—

यः भारत विद्या मुत्सृज्य वर्तते काम भारतः ।

न सिद्धि भवाप्नोति न सुखं न परांजातिम् ॥ २३ ॥

[१६ अध्याय, गीता]

दीन
जो
१२

श्री

क
है
वि
लो

वि
प्र

संघ का प्रचार-कार्य।

(१)

अखिल भारतीय प्रचार

धर्मविरोधी बिलों का विरोध

सन १९३२ ई० के आरम्भिक दो माहों-जनवरी और फर्वरीमें एसेम्बली में कई धर्मविरोधी बिल उपस्थित होने वाले थे, अतः संघ के प्रधान कार्यालयकी ओर से संघ की शाखा सभाओंको, पोषक सभाओं एवं अन्य सनातनी संस्थाओं को इस आशयका एक सरक्यूलर (नं. ३) भेजा गया कि बस्ती २ में सभा करके इन धर्म विरोधी बिलों का पूर्ण विरोध किया जाय और सनातन धर्म के सिद्धान्तों का प्रचार किया जाय इसके अतिरिक्त एक दूसरे सरक्यूलर (नं. ४) को भेजा गया और उसके साथ पांच कागज हस्ताक्षर होने के लिये भेजे गये। पहला कागज वायरायके लिये एक मेमोरियल था, जिसमें यह लिखा था कि सनातन वर्णाश्रम धर्म पर एसेम्बली की ओरसे धर्मविरोधी बिलों को उपस्थित कर, आये दिन जो आघात-प्रघात पहुँचाये जारहे हैं वे सब समूल नष्ट किये जाय और भविष्य के लिये इस संबन्धमें यह किया जाय कि भावीशासन विधानमें स्पष्ट रुपसे यह नियम बना दिया जाय कि राज्य की ओर से तथा अन्य किसी आर से धर्म सम्बन्धी विषयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाये गा। दूसरा कागज हिन्दू विवाह-विच्छेद बिल के विरोध में, तीसरा हिन्दू विधवाओं को सम्पतिमें उत्तराधिकार देने के विरोध में, चौथा सारडा एक्ट के रद्द करने के विरोध में और पांचवा जातिभेद दूर कराने के विरोध में था। इन सरक्यूलरों को पाकर संघ का संपूर्ण संघटन सनातन धम के प्रचार एवं उक्त कागजों पर हस्ताक्षर कराने में दत्तचित्त होकर जुट गया। संघकी शाखा एवं पोषक सभाओंने समस्त देशके कोने कोनेमें सभाएं करके सनातनी जनतामें एक भारी आन्दोलन उत्पन्न कर दिया, अपनी धर्मसर्यादाकी रक्षाके निमित्त उत्साह एवं जाग्रति पैदा कर दी। स्थान स्थानसे उक्त कागज हजारों हस्ताक्षरों सहित एसेम्बलीमें पहुंचे। इस सम्बन्धमें एक विशेष उल्लेखनीय बात यह है

कि इस समय देशमें अनेक स्थानोंपर ऐसी घटनाएं हुईं कि सारडा कानून तोड़ा गया और ऐसे उदाहरण उपस्थित करनेके लिये कार्यकर्ताओंकी ओरसे उद्योग भी किया गया ।

प्रचारक-मंडलकी योजना

अस्तु, जब चारों ओर सनातनी जनतामें अपने धर्मके प्रति इस प्रकारका उत्साह देखा गया, तब संघने २५ फर्वरी सन् १९३२ ई० को नासिक क्षेत्रमें होनेवाली कार्यकारिणी समितिद्वारा धर्म-प्रचार सम्बन्धी एक निश्चित कार्य-क्रमको पास कर संघकी प्रचार उप-समितिको अपनी सम्पूर्ण शक्तिको इस कार्यमें लगा देनेके लिये तत्पर किया । तदनुसार सनातन-धर्मके प्रचारके लिये एक विराट आयोजन हुआ, जिसके अनुसार भारत-विख्यात सुवक्ता विद्वानों तथा धार्मिक नेताओंका एक प्रभावशाली डेपूटेशन आगरा, मथुरा, वृन्दावन, गिरिराज, हरद्वार, कनखल, ऋषीकेष, ज्वालापुर तथा मेरठमें अपना प्रचार-कार्य लगातार दो मास तक अर्थात् लगभग १२ मईसे १२ जुलाई (१९३२) तक-वर्षाकालके आगमन तक करता रहा । और इसका कार्य वास्तवमें वर्षाऋतुके आजानेके कारणही रुक गया ।

प्रचारक-मण्डलके सदस्य

इस प्रचारक-मण्डलका आयोजन जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य श्री १०८ भारतीकृष्णतीर्थकी अध्यक्षतामें हुआ था, परन्तु वे अस्वस्थताके कारण इसम साम्मिलत होने में आदिसे अन्त तक असमर्थ ही रहे । इस संघके गण्यमान्य सदस्य जिन्होंने इसमें किसी रूपमें भाग लिया वे निम्नलिखित हैं:-

स्वामी दयानन्दजी महाराज, म० म० पं० श्रीगिरधर शर्मा चतुर्वेदी, पं० श्रीदेवनायक आचार्य, वाणी भूषण पं० नन्दकिशोर शर्मा, पं० मोहन-लाल अग्निहोत्री, पं० श्रीचन्द्रदेवजी ठाकुर बी. एल., पं० श्रीरामैकवाल पाठक साहित्याचार्य ।

प्रचार-मण्डलका कार्य

मंडलने संघके उद्देश्य एवं सनातन धर्मके सत्य सिद्धान्तोंका प्रचार करके सनातनी जनता में धर्मविरोधी बिलोंके विरुद्ध आवाज उठानेके लिये पूर्ण जागृति पैदा की और साथही साथ जहाँ शाखा सभाएं न थीं, वहाँ शाखा सभाएं स्थापित कीं और सनातनी जनताको संगठित होने एवं करनेके लिये

विशेष जोर दिया और बताया कि सुधारक लोग एसेम्बलीमें धर्मविरोधी बिल उपस्थितकर धर्ममर्यादाको नष्ट करनेके लिये किस प्रकार तुले हुये हैं, अतः अब यदि सनातनी जनताको अपनी एवं अपने धर्मकी रक्षा करना है, तो संगठित होकर अपनी सत्व रक्षाके लिये सन्नद्ध हो जाना चाहिए।

गुरुवायूर दिग्विजय यात्रा

गुरुवायूर अधिवेशनसे पूर्व

यह ऊपर लिखा जा चुका है कि अखिल संघकी ओरसे गत मई, जून और जुलाई माहमें प्रचारक-मण्डलका कार्य वर्षाऋतु आनेसे रुक गया था। परन्तु इस बीचमें संघ भावी शासन-सुधार एवं धर्मविरोधी बिलोंके विरुद्ध ठोस कार्य करनेमें तत्पर रहा, जिसका फल हुआ कि संघने २६ सितम्बर सन् १९३२ ई० को देशके १८ प्रमुख सनातनी नेताओंके एक प्रभावशाली डेपूटेशनको लेकर वासराय महोदयके समक्ष अपना एक मैमोरियल उपस्थित किया, जिसका वर्णन रिपोर्टमें यथा-स्थान राजनीतिक अध्यायमें आया है। इसके बाद इधर सरकारकी ओरसे साम्प्रदायिक चुनावके सम्बन्धमें एक ब्यौरा निकल जाने और उसमें अछूतोंको पृथक निर्वाचन अधिकार देने पर श्री गांधीजीने २० सितम्बरसे अनशन करना आरम्भ कर दिया।

यद्यपि छूत और अछूत हिन्दुओंमें पूना-पैक्टके अनुसार सरकारकी ओरसे अछूतोंको हिन्दू-जातिके साम्मिलित चुनावमें स्थान देनेके लिये घोषणा होगई थी और श्रीगांधीजीका व्रत भी समाप्त हो चुका था, परन्तु सुधारकोंने अछूतोंके मंदिरप्रवेश तथा अछूत निवारण आदिके आन्दोलन आरम्भ कर दिये। यद्यपि इन आन्दोलनोंका उक्त साम्प्रदायिक चुनावसे किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं था। इसी बीचमें गुरुवायूर मंदिरका पुराना सत्याग्रह, जो अछूतोंके मंदिर-प्रवेशके लिये शुरु हुआ था, विशेष रुपसे जागृत हो उठा। परिस्थितिकी गम्भीरता एवं भयंकरता को देखकर संघ की समितिने दिसम्बर मासके आरम्भ में यह निश्चय किया कि गुरुवायूरमें दिसम्बर की अन्तिम तारीखों में संघ का एक अधिवेशन किया जाय और गुरुवायूरके आसपास सत्य सनातन धर्म

का प्रचार करने के लिये एक दिग्विजय यात्राका भी आयोजन किया जाय। अस्तु गुरुवायूर जानेके लिये दिग्विजय यात्रा आरम्भ हुई।

यात्राका विवरण

यह यात्रा ५ दिसम्बर को बम्बई से आरम्भ हुई और पूना, बेलगांव तथा धारवाड़ आदि स्थानों पर धर्मप्रचार करते हुए गुरुवायूर क्षेत्रमें समाप्त हुई। इस यात्रा में सम्मिलित महानुभावों के नाम पारिशिनें दिये हुए हैं। यह यात्रा कुछ निश्चित उद्देश्योंको लेकर आयोजित की गई थी, जो निम्न लिखित थे:—

(१) सनातन धर्म के सिद्धान्तोंको प्रचार करना, (२) सनातनधर्म सम्बन्धी शंकाओं और भ्रम धारणाओंको दूर करना, (३) गुरुवायूरके विशेषाधिवेशनको धन-जन संग्रहकर सफल बनाना, और (४) सनातनी जनताको अपने सच्चे स्वरूपको जाननेके लिये उत्साहित करना और संघका अनुयायी बनाना। यात्रामें इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रयत्न किया गया। यही कारण था कि गुरुवायूर में जो अधिवेशन हुआ वह सब प्रकारसे सफलतासे सम्पन्न हुआ। यात्रामें जो महानुभाव सम्मिलित थे वे निम्नांकित हैं:—

श्री संकेश्वर करवीर पीठाधीश श्री १०८ श्री शंकराचार्य, श्री राजेश्वर-शास्त्री द्राविड़, पं. श्री जीवन्यायतीर्थ, एम. ए., पं. श्री देवनायक आचार्य, प्रो. जयेन्द्रराय दुरकाल, श्री नगीनदास पुरुषोत्तमदास संघवी, सेठ लच्छीरामजी चूड़ीवाल।

गुरुवायूर अधिवेशनके बाद की यात्रा

गुरुवायूरके विशेषाधिवेशनके समाप्त होते ही सन् १९३३ ई० के आरम्भ में दक्षिण देशमें दिग्विजय यात्रा करने का फिर आयोजन हुआ। यह यात्रा दो दलों में विभक्त की गई। एक दलके अध्यक्ष थे श्री संकेश्वर मठाधिपति जगद्गुरु श्री १०८ श्री शंकराचार्यजी महाराज और दूसरी टोलीके अधिपति थे श्री १०८ गोस्वामी गोकुलनाथजी महाराज। जगद्गुरु जी गुरुवायूर से प्रचार करते हुये बंगलोर पहुँचे और वहाँ से धारवाड़। यात्रा में सनातन धर्मका तत्व बताने तथा उसके पारलौकिक महत्व को समझानेके लिये अनेक सभाएं कीं, जिनका जनतापर बड़ा प्रभाव पड़ा। श्री गोस्वामीजी महाराज नें कोचीन राज्यमें धर्म

प्रचार करते हुये कालीकट और पालघाट से पूना होते हुये बम्बई पहुंचे। आपके साथ यात्रामें पंडितराज श्रीराजेश्वरशास्त्री पं० श्री देवनायकाचार्य, प्रो० दुरकाल, पं० श्री जीवन्यायतीर्थ आदि थे। जगद्गुरु श्री १०८ श्रीशङ्कराचार्य श्रीभारती कृष्णतीर्थजी महाराजने त्रिचूर होते हुए त्रिचनापली में धर्म-प्रचारार्थ यात्रा की। इस प्रकार संघके नेताओंने दक्षिण देशमें अपने धर्म-प्रचारका खूब प्रचार किया और जनताको सुधारकोंके कृत्योंसे पूर्ण रूपसे सचेत कर दिया।

इमरजैंसी कमेटीका प्रचार

धर्मविरोधी बिलोंका विरोध

इस दक्षिणी यात्राके उपरान्त संघका ध्यान एसेम्बलीमें जनवरी सन् १९३३ में उपस्थित धर्मविरोधी बिलों (विवाह-विच्छेद बिल और मंदिर-प्रवेश बिल) की ओर गया। इस सम्बन्धमें संघने अपनी समस्त देशव्यापी शाखाओं द्वारा सभाएं करके इन बिलोंका विरोध और सनातन धर्मका प्रचार किया। इसके लिये संघ कार्यालयसे निम्नलिखित एक ओज-पूर्ण विज्ञप्ति सब शाखा तथा पोषक सभाओंके भेजी गई:—

"कुछ प्रधान सुधारकों की ओर से इधर बराबर यह चेष्टा की जारही है कि सनातन धर्म के सिद्धान्तों और परम्परागत प्रथाओं के विपरीत लोगों की इच्छाके विरुद्ध व्यवस्थापिका सभाओं द्वारा कानूनों की सहायता से अधार्मिक कानून पास करा दिये जाँय। इस लिये सच्चे बहुमतके विरुद्ध महान प्रचार और राजनीतिक सहायताके प्रभावसे इस प्रकार जो चेष्टाएं हो रही हैं, उनका सदाके लिये नाश करनेके निमित्त ज़ोरदार कार्यवाही और उपाय काम में लाये जायं। इसके लिये यह अति आवश्यक है कि सनातन धर्मियोंके सच्चे विचार उस सरकारके समक्ष रक्खे जायं, जिससे सम्राज्ञी विक्टोरिया तथा उत्तरवर्ती सम्राटों की स्पष्ट घोषणाओं और पार्लटमेंट की क़ानूनी घोषणाओं के बलसे धार्मिक आचार विचारोंकी स्वतंत्रता स्थापित रक्खे जानेकी पूर्ण आशा की जाती है। इसके लिये वर्णाश्रम स्वराज्य संघकी

सब शाखाओं, अन्य सब सनातनी संस्थाओं तथा प्रधान सनातनी व्यक्तियों से अनुरोध है कि समग्र देशमें सभाएं करके अपनी स्पष्ट राय वाइसराय महोदय के पास १५ जनवरी के भीतर भेजी जायं। यह इसलिये आवश्यक है कि उस तारीख़ तक एसेम्बली में मंदिर-प्रवेश आदि बिल उपस्थित होने वाले हैं "।

प्रयागका प्रचार-सम्मेलन

इसी समय तीर्थराज प्रयागमें माघ मेलेके अवसर पर संघकी ओरसे सदा की भांति एक प्रचार-सम्मेलन करनेकी योजना की गई, जिसके प्रबन्धके लिये पं० श्री कमलनयनाचार्य और पं० श्री वेणी माधवजी शास्त्री तथा पं० श्री मोहनलाल अग्निहोत्री पहुँचे और उन्होंने सनातन धर्मका प्रचार महीनेभर किया और सनातनी जनताको सचेत किया कि सुधारक लोगोंका आन्दोलन अपने धर्मका कितना भारी विघातक है। इस मेलेमें श्रीमान पं० मालवीयजीने २५, २६, २७, जनवरीको एक सनातन धर्म महासभा बुलाई, जिसमें मालवीयजीके अछूतोंके मंदिर-प्रवेशके आन्दोलनके पक्षमें होनेके कारण काशीके पंडित उसमें सम्मिलित नहीं हुए। यहाँतक कि उनके विश्वविद्यालयके भी कतिपय पंडित नहीं गये। सभाकी विषय-समितिमें कुछ कट्टर पंडितोंके पहुँच जाने तथा सभाके अधिवेशनमें भी उनके बोलने पर मालवीयजीकी सभा फीकी पड़ गई और जनतापर कुछ भी प्रभाव न पड़ा। इसी सभाके सम्बन्धमें हमारे पूज्य नेता श्री १०८ गोस्वामी गोकुलनाथजीके नाम भी मालवीयजीका निम्नलिखित तार १६ जनवरीको आया था;—

"२५ से २७ जनवरीतक प्रयागमें सनातनधर्म महासभाका अधिवेशन होनेवाला है। इसमें अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रश्नोंपर, जिनमें अस्पृश्यता और मंदिर-प्रवेशसे सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्न भी हैं, विचार होनेवाला है। आपसे अनुरोध है कि आप अपनी उपस्थितिसे सभाको कृतार्थ करें "।

गोस्वामीजीने १९ जनवरीको उत्तर दिया कि खेद है कि "हम उपस्थित नहीं हो सकते। हालमें हम गुरुवायूरसे लौटे हैं। यहाँ विवाह समारम्भ है इसके अतिरिक्त आपके विचारोंको जानकर तथा अछूतोंके विषयमें "उपदेश और दीक्षा" के सम्बन्धमें प्रकाशित आपके वक्तव्योंको देखकर कोई सनातन धर्मावलम्बी सनातन धर्म महासभाके नामसे पुकारी जानेवाली आपकी सभामें उपस्थित नहीं हो सकता"।

मालवीयजीका विरोध

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि पं० मालवीयजीके विषयमें इस उप-रोक्त घटनाके पूर्व संघकी कार्यकारिणी समिति १६ जनवरी सन् १९३३ ई० को गोस्वामीजीके सभापतित्वमें यह प्रस्ताव पास कर चुकी थी, जो सर्व सम्मतिसे स्वीकृत हुआ था कि पं० मदनमोहन मालवीयने बम्बईके एक मंदिरमें अछूतोंको प्रवेश करानेकी जो अनधिकार चेष्टा की है और अब प्रयाग मेलेमें सनातन धर्म सभाके नामसे शास्त्रविरुद्ध कार्य करने वे जारहे हैं, इन सब स्पष्ट कारणोंसे यह कमेटी उनपर घोर अविश्वास प्रकट करती है और ऐसी सनातनी संस्थाके नामसे शास्त्रमर्यादा विरुद्ध कार्य करनेवाली सभाका पूर्ण बहिष्कार करती है।'

इस प्रकार संघ इस प्रस्तावको पास करके मालवीयजीका विरोध कर चुका था और इसी कारण गोस्वामी आदि सनातनी नेताओं तथा उनकी सभा का बहिष्कार किया। बस इस समयसे मालवीयजी और संघके बीच सिद्धान्तोंका विरोध स्पष्ट होगया, जो अब भी वियमान है।

मालवीयजीको चैलेंज

इसी समय पं० अखिलानन्दजी कविरत्नने पं० श्रीमालवीयजीको उक्त विषयोंपर शास्त्रार्थ करनेके लिए निम्नलिखित चैलेंज भी दिया:—

"भारतवर्षमें आजकल अस्पृश्यता-निवारण सम्बन्धमें आन्दोलन चल रहा है। पं० मालवीयजी उसके प्रधान संचालकोंमेंसे हैं। इस लिये हम मालवीयजीको यह सूचना देते हैं कि वे संस्कृत में एक लेख-बद्ध शास्त्रार्थ करनेके लिये स्वयं तैयार रहें और यदि शास्त्रार्थ विज्ञताके कारण स्वयं इस विषय पर लिखनेको तैयार न हों, तो अपने अनुयायी पंडितोंमेंसे किसी मुख्य पंडितको इस कार्यके लिये नियुक्त कर दें। शास्त्रार्थका विषय वेद, भगवद्गीता, मनुस्मृति आदि ग्रन्थोंमें अस्पृश्यता विवेचन होगा। हमारा पक्ष "अस्पृश्यताको शास्त्रसिद्ध मानना होगा और आपका या आपके पंडितोंका इसके विपरीत" अस्पृश्यता शास्त्र सम्मत नहीं है यह होगा। पं० मालवीयजीकी जहाँ और जब इच्छा हो, वहाँ इसका प्रबन्ध करलें और मेरे पास शास्त्रार्थकी स्वीकृतिका पत्र भेज दें। मैं इसके लिये हर समय तैयार हूँ।"

देहली का अधिवेशन

जब इस प्रकार सनातन धर्मके एक मात्र नेता कहलानेवाले मालवीयजी भी शास्त्रीय मार्गसे पृथक हो गये (जिसका संघ को बडा दुख है, और संघ सनातनी जनता को आगाह करता है कि अब वह अपना नेता ढूंढ निकाले) तब संघने अपने कर्तव्यकर्म को पालन करनेके लिये अपना एक विशेषाधिवेशन देहलीमें १५-१६ मार्च को कर सनातन धर्मके पक्षका भारी समर्थन किया और वाइसराय महोदयको वर्तमान सम्पूर्ण परिस्थिति को उपस्थित करते हुये अपनी मांगों को प्रस्तुत कर भावी शासन विधानमें धार्मिक संरक्षण के लिये जोर दिया। इस सब देहलीके समारोहसे सनातन धर्म का बडा प्रचार हुआ और यह निश्चय हो गया कि कट्टर सनातनी अब दबनेवाले नहीं हैं। वह अब प्राणपण से संगठित होकर अपने धर्म रक्षाके करने के लिये तैयार हैं।

हरद्वार कुम्भ

देहलीके महाधिवेशनमें जो सफलता रही उसके पूर्ण उत्साहमें पहले हरद्वार और बादको उज्जैनके पर्वोंपर संघकी ओरसे प्रचार सम्मेलनों का आयोजन हुआ।

दिल्ली में गत ९ मार्च को अ.भा.व.स्व. संघ की कार्यकारिणीने आगामी अर्द्ध कुम्भी पर्वपर हरद्वारमें और कुम्भ पर्व पर उज्जैनमें संघके विशेष सम्मेलन करनेका निश्चय किया। तदनुसार ८ से १२ अप्रेल तक हरिद्वारमें धर्म सम्मेलनका आयोजन किया गया। पंजाब अमृतसरके कर्मवीर गोस्वामी पं० जीवनदासजी मंत्री पंजाब वर्णाश्रम स्वराज्य संघ २००) आर्थिक सहायता देकर हरद्वार सम्मेलन के प्रचार मंत्री नियुक्त किये गये। उन्होंने पंजाबके प्रसिद्ध धर्मोपदेष्टा पं० श्रीकृष्ण शास्त्री, पं० राधेशशास्त्री, पं० श्री ज्योतिःस्वरूप शर्मा अलीगढ़, पं० मोहनलाल अग्निहोत्री मेरठ, काशीके षड्दर्शनाचार्य पं० पद्मनाभशास्त्रीजी, विद्याभूषण पं० विश्वनाथ वेदपाठी हरिद्वार उमादत्त शास्त्री व्याकरणाचार्य एवं स्वामी माधवतीर्थजी के सहयोगसे हरिद्वारमें प्रचार कार्य बडेही उत्साहपूर्वक आरम्भ किया गया। इस प्रचार द्वारा देहली अधिवेशनके समस्त प्रस्तावों तथा वर्तमान परिस्थितिको उपस्थित सनातनी जनताके सन्मुख उपस्थित किया गया और उन्हें तदनुसार धर्म-विरोधी बिलों का विरोध करनेके लिए उत्साहित किया गया।

उल्लेखनीय घटना

इस समयकी उल्लेखनीय घटना पं० मदनमोहन मालवीयजीकी सनातन धर्म सभापर जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य श्री १०८ श्रीभारती कृष्णतीर्थजीके नेतृत्वमें अपना अधिकार करलेना एवं उन्हें शास्त्रार्थके लिए चैलेंज देनेकी ह। पं० श्रीमालवीयजीने इस सम्बन्धमें उक्त श्रीशंकराचार्य एवं म० म० पं० श्रीगिरधर शर्मा चतुर्वेदी आदि संघके नेताओंके प्रति जो व्यवहार किया था, वह यहां सनातनी जगतके लिए उद्धृत करने योग्य है। तत्सम्बधन्में पं० मालवीयजी सनातन धर्मसे ढुलक गये हैं, यह उपर कहा जा चुका है अस्तु, आपकी सनातन धर्मसभाके प्लेटफार्मसे आपकी नीतिका प्रचार होने लगा। इसपर संघके नेताओंने उक्त सभा–मण्डपमें पहुंच कर एतराज किया। पं० मालवीयजी भी वहां आगये। जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य श्री १०८ श्रीभारती कृष्णतीर्थजीसे कुछ वादविवादके उपरान्त यह हुआ कि खुली सभामें शास्त्रार्थ होना चाहिए। इस शास्त्रार्थके प्रकरणसे जो गोलमाल हरद्वारमें मचा उसने पं० मालवीयजी और संघके बीचके विरोधकी पूर्ण पुष्टि कर दी। शास्त्रार्थ न हो सका। पं० मालवीयजीने उसे टाल दिया। मानों अपने अन्तिम रूपसे यह घोषित कर दिया कि हम अलग और आप अलग। और यही वास्तवमें अब बादके व्यवहारसे प्रकट भी हो रहा है।

उज्जैनमें कुम्भपर्वपर संघकी ओरसे सम्मेलन।

अखिल भा० व० स्व० संघ की दिल्ली की का० का० बैठकमें उज्जैनके कुम्भपर्वपर भी धर्मसम्मेलन करना निश्चय हुआ था और गोस्वामी पंडित जीवनदासजी प्रचारमन्त्रीको उक्त मेलेका दायित्त्व भार दिया गया था अतः उन्होंने यथासमय २२ अप्रेलको पहुँचकर लाहौरके उपदेशक मण्डलके प्रधान पं० श्रीकृष्णशास्त्रीजी और पं० राधेशजी शास्त्री तथा काशीके षड्-दर्शनाचार्य पं० पद्मनाभशास्त्रीजी और धर्मवीर दलके नायक पं० राम-स्वरूप शर्माके सहयोगसे उज्जैन मेलेमें जहां १४–१५ लाख सनातनधर्मियोंका समागम था संघकी ओरसे प्रचारकार्य बडी उत्तमतासे सम्पन्न किया। चार विभिन्न स्थानोंमें पंडाल बनाये गये पहला कैम्प मुल्लामदारीके बगीचेमें मण्डलेश्वर श्री जयेन्द्रपुरीजी महाराजके तत्त्वाधानमें, दूसरा बडे भाईकी छावनीमें अंगपत विश्राममें, तीसरा हनुमानगढ़ीमें उदासीन बैरागीदलके स्वामी श्री गङ्गेश्वरानन्दजीके तत्त्वावधानमें चौथा प्रधानकेम्प तिरुपतिबाला-जीके तोताद्रिमठाधीश श्री१०८ देवनायकाचार्यजीके तत्त्वावधानमें खेमराज

श्रीकृष्णदासजीकी धर्मशालामें स्थापित हुये। प्रतिदिन सध्याके समय वर्णाश्रम स्वराज्यसंघकी ओरसे विराट जलूस निकाले गये। अमावास्याका जलूस १ मील लम्बा था। इसमें समस्त सनातनधर्मी संस्थाओंके प्रधान २ पुरुष और महानुभाव सम्मिलित हुये थे और सबके बैण्ड आदि वाद्योंका वादन होता था। यह प्रचारकार्य एक मास तक वैशाखी पूर्णिमातक रहा। इसमें धर्मविरोधी-बिलोंके विरुद्ध प्रचारके अतिरिक्त वर्णाश्रमधर्मके सिद्धान्तोंकी विवेचना एवं पुष्टि होती रही।

कुरुक्षेत्र

उज्जैन पर्वके व्यतीत होनेपर संघ की सब शक्ति श्री बद्रीनाथ-जांच कमीशनके कार्यमें लग गई। इधर कुरुक्षेत्रमें सूर्य-ग्रहणके अवसर पर यहांपर भी प्रचार-कार्य किया गया परन्तु इसका समुचित प्रबन्ध देहली प्रान्तीय संघकी ओरसे कर लिया गया, जिसका पूरा ब्यौरा अगले अध्यायमें दिया गया है।

देवालय-संरक्षण-समितिके प्रतिनिधि-मण्डल का दौरा

इधर श्री बद्रीनाथ जाच कमीशन का सम्पूर्ण कार्य संघ की कार्य कारिणी समिति की १८-२० अगस्त की काशी की बैठकोंमें उसकी रिपोर्ट पास होजाने पर हुआ और संघ उधर २४ अगस्त को एसेम्बली में मंदिर प्रवेश बिल के आ उपस्थित होने एवं उसे हिंदूजन मत संग्रहके लिए १० मास के लिए स्थगित कर देने पर इस बिल के विरोध म व्यक्त हो गया। जिसका यह फल हुआ कि सितम्बर मास में कलकत्तामें संघ की एक देवालय-संरक्षण-समिति * स्थापित हुई। और इस समितिका जो कार्य क्रम बनाया गया उसमें एक प्रतिनिधि-मण्डल द्वारा एक देशव्यापी भ्रमण करनेका भी अंश था। तदनुसार २८ अक्टू० को यह मण्डल कलकत्तासे अपनी दिग्विजय यात्राके लिए रवाना हुआ और एक मास तक उत्तरी भारतके विशिष्ट स्थानोंपर अपने विचारोंका जनतामें प्रचार कार स्थानीय सतातनी नेताओं तथा कार्यकर्ताओंको मंदिर-प्रवेश बिलको अपना बहु-मत उत्पन्न कर परास्त कर देने के लिए उत्साहित किया और उन्हें अपने प्रान्तके तत्सम्बन्धी प्रचार कार्यमें लगाया जिन स्थानों पर यह मण्डल पहुँचा उनके नाम ये हैं-कलकत्ता, बनारस, पुष्कर-

* इसके पूर्ण विवरण के लिए इस शीर्षक का अध्याय देखना चाहिए, जो आगे है।

राज, देहली नागपुर, वर्धा, देवली, (फिर) नागपुर, कानपुर, बम्बई, फरुखाबाद, लाहौर, अमृतसर, फिर देहली और बनारस । इस दौरेका सम्पूर्ण विवरण संघकी ओरसे अंगरेजी भाषा में एक पुस्तकके रूपमें प्रकाशित कर दिया गया है ।

इस मण्डलके दौरेको संघने बम्बईके इस महाधिवेशनके कारण बीच ही में समाप्त कर दिया और समाप्तिके उपरान्त उसकी समस्त शक्ति इस महाधिशनके सफलताके लिए लग गई, जो आज सौभाग्यसे साक्षात् दृष्टि गोचर है ।

प्रान्तीय प्रचार-कार्य

संघ द्वारा उक्त अखिल भारतीय प्रचार-आयोजनों के अतिरिक्त प्रान्तीय संघों की ओरसे भी प्रचारकार्य निरन्तर रूपसे होता रहा है, जिसका प्रान्तवार संक्षिप्त ब्यौरा यहां दिया जाता है । यहां यह याद रखना चाहिए कि संघ ने समस्त भारत देश को विविध भाषाओं के भेदानुसार विभिन्न प्रान्तोंका बाट कर अपने प्रान्तीय संघोंका संगठन किया है ।

बंगालः—बंगाल संघके सब कार्यों में हाथ बटाता रहा है ! कलकत्ता की मारवाडी युवक सभा, मारवाडी एसोसिएशन, वैष्णवसंघ, तथा ब्राह्मण-सभा आदि सभी सनातनी संस्थाएं संघकी पूर्ण समर्थक हैं ।

महाराष्ट्रः—जलगांव अधिवेशन (दिसं. स. १९३०) के उपरान्त महाराष्ट्र देशम संघ संदेश पूर्णरूपसे पहुंच ही चुका था । अब इधर महाराष्ट्रने संघका जो हाथ बटाया है, वह सनातनीय है । गत जुलाई मासम एक विराट् महाराष्ट्र प्रान्तीय संघ सम्मेलन पंडितराज श्रीराजेश्वरशास्त्रीके सभापतित्व में हुआ, जिससे महाराष्ट्र और भी जागृत हो गया है । इधर श्रीगांधीजीके दौरेके विरोधनें महाराष्ट्र प्रान्तीय सघक अध्यक्ष पं० श्रीविश्वासराव डावरेके नेतृत्वमें जो धर्म-रक्षा का काय हुआ ह वह विशेष सराहनीय है ।

विहार—इस प्रान्तमें संघका केंद्र वैद्यनाथ धाम है । इस तीर्थस्थान के नेताओंके द्वारा प्रचारकार्यमें जो सहायता मिली हैं, वह दूसरोंके लिए उदाहरणीय है । यहां संघके सुयोग्य नेता कविरत्न पं० अखिलानन्दजीसे

श्री गांधीजीके सुमान्य पण्डित श्रीलक्ष्मणशास्त्री जोशीसे जो शास्त्रार्थ जगद्गुरु श्री शंकराचार्य श्री १०८ श्रीभारतीकृष्णतीर्थ महाराजको मध्यस्थ बना कर हुआ है, वह यहांकी एक विशेष उल्लेखनीय घटना है! अभी यह शास्त्रार्थ प्रकाशित नहीं हुआ है। इस प्रान्तमें संघके प्रमुख पोषक पं० श्रीरामकृष्ण झा एम्. एल. ए. है।

संयुक्त प्रान्त

संयुक्त प्रान्तीय संघने जहां अखिल संघका हाथ उसके सब कार्यों में उसके आदेशनुसार चलकर बटाया है, वहां अपने कुछ विशेष काया द्वारा भी इस ओर सहायाता पहुँचाई है। इसके अपने कार्यों में से जो विशेष उल्लेखनीय है, वे ये हैंः—

यह प्रान्त गत दो वर्षों में तीन विराट प्रान्तीय सम्मेलन कर चुका है—एक संयुक्त प्रान्तीय सम्मेलन कानपुरमें..............को हो चुका है, एक दूसरा सम्मेलन काशी नगरमें हो चुका है और एक तीसरा बृहद् समारोह १०,११,१२ नवम्बर सन १९३३ में देहली राजपूताना यू० पी० के धार्मिक नेताओंको बुलाकर कर पुष्कर राजमें चुका ह। इन बृहद् सम्मेलनोंके अतिरिक्त इस प्रान्तमें अनेक शाखा सभाओंकी ओरसे भी प्रचार किया गया है। कानपुरके गत अधिवेशनके उपरान्त एक दिग्विजय यात्राका भी आयोजन हुआ था जो उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अयोध्या, बाराबंकी, प्रताएगढ, प्रयाग, फतहपुर, बिंदकी और फरुखाबाद स्थानम जनताको धर्म–विरोधी बिलाके विरुद्ध खड़ा करनेके लिए हुई। इस सम्मेलन एवं यात्रा द्वारा यू० पी० में भारी जागृति उत्पन्न होगई है। यू० पी० के कार्यसंचालकोंमें यू० पी० संघके प्रधान मंत्री श्री० वृजलाल त्रिभुवनदास कामदारका नाम विशेष उल्लेखनीय ह। यू० पी० के पश्चिमी भागमें जो प्रचार–कार्य हुआ है, उसका केंद्र मेरठ रहा है। यहां संघके सुदृढ़ कार्यकर्त्ता एवं नेता पं० मोहनलाल अग्निहोत्रीके पुरुषार्थके कारणही संघका कार्य अग्रसर हुआ है और तत्सम्बन्ध में चंदौसीके श्रीयुत विष्णुदत्त शर्मा का नाम भी विशेष उल्लेखनीय है।

इस सर्व साधारण एवं आवश्यक प्रचार कार्यके अतिरिक्त इस प्रान्तमें दो विशेष घटनाएं हुई हैं एक श्रीमार्कण्डेयेश्वर महादेवके मंदिरमें धर्म-विरोधियों द्वारा अछूतोंके प्रवेशसे सम्बन्ध रखती है, और दूसरी घटना काशीके वामनजीके स्थान की है, जिसकी भूमिको थियोसफीवालोंने

अपने विद्यालयकी भूमिमें मिला लिया है। इस के लिए एक कमेटी बन गई है, जो तत्सम्बन्धमें कार्य कर रही है।

देहली प्रान्त

इस प्रान्तका कार्य यहांके उत्साही कार्यकर्त्ताओंके पुरुषार्थसे, जिनमें पं० विश्वम्भरदत्त शास्त्रीका कार्य नाम यहां उल्लेखनीय है, बहुत कुछ अग्रसर हुआ है। संघके कार्यक्रमको अग्रसर करनेके लिए गत कुरुक्षेत्रके सूर्य-ग्रहणक अवसरपर जो कार्य इस प्रान्तकी ओरसे हुआ है वह विशेष प्रशंसनीय है। और इसी प्रकारका नवम्बर मासमें श्री गांधीजीके देहली पहुंचनेकी घटना, जिसमें श्री गांधीजीने यहां धर्मवीर कार्यकर्त्ताओंका लोहा माना था। देहली प्रान्त मार्च स० १९३३ म विशेषाधिवेशन करके तो इस ओर एक खास काम कर चुका है।

पंजाब प्रान्त

जब से पं. मालवीयजी सत्य सनातनी मार्गसे कुछ विचलित हो गये हैं, तब से पंजाबमें दो प्रतिद्वंदी सभाएं होगई हैं अर्थात् एक साल से ऐसी हो गया है। अतः पंजाब प्रतिनिधि सभा संघ की पोषक नहीं रही है। परन्तु वहां की सनातन धर्म सभा और उसके प्रमुख कार्यकर्ता गोस्वामी जीवन दासजी संघ के प्रचार को सब से आगे बढाये हुए हैं। आप संघ के प्रमुख प्रचारकों में से हैं। अखिल संघ के हरिद्वार और उज्जैन के प्रचार सम्मेलन आपही के तत्वावधान में सफलता-पूर्वक सम्पादित हुए हैं। गोस्वामीजीके अन्य सब कार्यों में से दुर्ग्याना के मंदिर को अछूतों से रक्षित रखने का कार्य विशेष सराहनीय है। पंजाब में कभी भारी प्रचारकर हर जगह संघ की शाखाएं प्रचालित करने की बडी आवश्यकता है।

राजपूताना प्रान्त

राजपूतानामें संघ का काम हो; इस के लिए गत पुष्करजीके मेलेपर एक राजपूताना मध्यभारत संघ स्थापित किया गया है और पूर्ण आशा है कि पं० श्री बुलाकीरामजी शास्त्रीजीके सम्पादकत्वमें वह अपना कर्तव्य पानल करनेमें समर्थ होगा। राजपूतानाकी सनातनी जनता के संघको सहयोग मिलने से वास्तवमें संघकी बडी शक्ति मिलेगी।

सिन्ध प्रान्त

जब सिंध प्रान्तका जिक्र आता है, तथा उस क्षेत्रके प्रचारक पं० सिद्धे-श्वरजी शर्मा का स्मरण आवश्यक होता है। आप ही मुख्यरूपसे संघका संदेश सिंधमें सुना रहे हैं।

बम्बई प्रान्त

बम्बई का नाम लेने से स्व० नानवटीजी का स्मरण आता है। वे अछूतें के मंदिर प्रवेश के सम्बन्धमें एक ओर श्रीगांधीजीसे गुरुवायूरके सम्बन्ध में और दुसरी ओर मालवीयजी से बम्बईमें लडे थे और कहना होगा कि भारत के वर्तमान समय के इन दोनों जीवित भारी सुप्रसिद्ध व्यक्तियों को खूब छकायाथा। बम्बई के गुजरात भागमें प्रचार कार्य करने का श्रेय व्याख्यान-केशरी पं० कल्पताथजी शर्मा को प्राप्त हैं। आपने इस प्रदेशमें संघ के संदेशको पहुँचाकर संघके कार्य एवं संगठनको भारी कर पहुँ-चाया है। आपके इस सेवा कार्यके प्रति गुजरातकी सनातनी जनताने आपको मान पत्र एवं पदक आदि देकर सन्मानित किया है। आप सूरत, अहमदाबाद, पोरबन्दर, भावनगर एवं तलाजा आदि गुजरातके स्थानोंमें संघका प्रचार कर चुके हैं। इस प्रान्तके भारत-भूषण श्री० नगीनदास पुरुषोत्तमदास संघवी तो संघके प्राण हैं। वास्तवमें आपके कारण ही गुजरा-तका समस्त कार्य चल रहा है। संघकी पोषक सभा-सूरतकी सनातन वैदिक सभाके सभापति प्रो० श्री जयेंद्रराव भगवानलाल दुरकाल एम० ए० संघके एक भारी पृष्ट-पोषक हैं। आप संघके प्रतिष्ठित नेताओंमें से है। द्वारिकाकी शाखासभाने द्वारिकाधीशके मंदिरकी बडौदा राज्यके मुकाबलेमें आकर जो कार्य किया है, वह अति स्तुत्य है। बम्बई प्रान्तीय संघने नासिक क्षेत्रके गत कुम्भपर्वपर जो कार्य किया हैं वह निम्नलिखित हैः—

नासिक क्षेत्रमें प्रचार-सम्मेलन

नासिक पंचवटीके महापर्व (कुम्भ) के अवसर पर अ० भा० वर्णाश्रम स्वराज्य संघके प्रान्तीय वर्णाश्रम स्वराज्य संघ बम्बई की ओरसे संघके उद्देश्य तथा कार्यक्रम का प्रचार करनेके लिए महोपदेशक पं० श्रीबटेश्वरजी और ब्रह्मचारी पं० शिवनाथको भेजकर एक प्रचार-सम्मेलन का वृहद्

आयोजन किया गया। यह कार्य २३ जु० सन १९३२ इ० से आरम्भ हुआ और तदुपरान्त महापर्वकी पूर्ण अवधि चार मास तक निरन्तर उत्तरोत्तर उत्साह एवं प्रभावके साथ होता रहा। इस सम्मेलनको सफल बनानेके लिए नासिकके नेता पं० श्री श्रीधर अण्णाशास्त्री वारे तथा स्व० श्रीहीरालाल डाह्याभाई नानावटी आदि नेता भी नासिक क्षेत्रमें पहुंचे थे। और इस सम्मेलनके उदय आदर्श–पूर्ण प्लेटफार्मसे देशके अनेक सनातनी विद्वान नेताओं, धर्म्मोचार्यों तथा साधू–महात्माओंके भी समय समय पर व्याख्यान एवं उपदेश हुए, जिससे श्रोताओं पर बडा प्रभाव पडा। इन उपस्थित होनेवाले सुवक्ताओंमेंसे उल्लेखनीय नाम ये हैः—

श्रीउत्तरादि वैष्णवमठके महन्त श्रीदेवनायकाचार्य, करवीर–संकेश्वर मठके अधिपति श्रीमत् परमहंस श्री परिव्राजकाचार्य जगद्गुरु श्री १०८ श्री शंकराचार्य, काशीस्थ मंडलेश्वर श्री १०८ स्वामी श्री जयेन्द्रपुरी महाराज, श्री स्वामी प्रेमपुरीजी महाराज, महोपदेशक पं० कल्पनाथशर्मा, महोपदेशक पं० वटेश्वरमिश्र, श्री मुरलीधरानन्द, पं० पद्मनाभ शास्त्री, श्री शिवानंद ब्रह्मचारी, गोस्वामी जीवनदासजी, तथा श्री १०८ गोस्वामी गोकुलनाथजी महारज।

नासिक क्षेत्रके इस बृहद् प्रचार–सम्मलनने क्या काम किया, इस सम्बन्धमें एक सम्वाददाता अपने विचारको इन निम्नलिखित शब्दोंको लिख कर व्यक्त करता हैः—

" नासिक क्षेत्रमें बम्बई प्रान्तीय वर्णाश्रम स्वराज्य संघ खूब प्रचार कर रहा है। इस प्रचारसे अपने सनातन धर्मकी महत्ता भूलते जानेवाले सीधे–साधे लोगोंका महत् कल्याण हुआ, क्योंकि वे अपनी भ्रम-पूर्ण धारणाओं को सुधारनेमें इन उपदेशामृतोंसे बहुत कुछ समर्थ हुए हैं "

ये शब्द संघके उक्त प्रचार–सम्मेलनकी सफलताके पूर्ण परिचायक हैं और जिन उपरोक्त महानुभावोंने इस सम्मेलनमें सम्मिलित होकर इसे सफल बनानेमें योग दान दिया है, उनके पधारनेसे भी इस सम्मेलनके प्रभावशाली होनेका पूर्ण प्रमाण मिलता है और इस संघको इससे पूर्ण सन्तोष होना चाहिये।

कर्नाटक प्रान्त—यहां धारवाड नगरमें संघकी शाखा सभा है इस सुदूर प्रान्तमें संघका प्रचार है, जो वहांके उदगट्टी मठ श्रीशंकराचार्य, पं० श्रीशेषगिरि नारायण करगुद्री, पं० श्रीनागेश शास्त्री विद्या–भूषणके प्रयत्नका फल है।

आंध्र प्रान्त--इस प्रान्तमें संघके संदेशका प्रचार करनेवाले प्रमुखतः और पं० श्रीमल्लादि रामकृष्ण शास्त्री सोमयाजी हैं। आपके सदुद्योगसे हालहीमें इस प्रान्तमें दोसौ के उपर शाखा सभाएं स्थापित हुईं और दो हजार सदस्य हुए।

मद्रास तामिल--मद्रासम संघके प्रसिद्ध नेता श्री० एम० के० आचार्यने संघका विशेष प्रचार किया है। और कुम्भकोणके श्री० शंकराचार्यजीने भी इस ओर आपना कृपाका पूर्ण परिचय दिया है। कहना न होगा कि गुरुवायूरकी सफलताका अधिकांश श्रेय श्री. आचार्य-चरणहीको प्राप्त है। इस प्रान्तमें जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य श्री. १०८ श्रीभारती कृष्णतीर्थने संघका संदेशका अच्छा प्रचार किया है। इस प्रान्तके सनातनियोंने मद्रास संघ के सभापति श्री. एम. के. आचार्य के सभापतित्व में मद्रास सरकार के समक्ष अछूतों के लिए मंदिर प्रवेश एवं अस्पृश्यता निवारण आदि के सम्बन्ध एक प्रभावशाली डेप्यूटेशन भी उपस्थित हुआ है।

उत्कल प्रान्त

यहां श्री जगन्नाथपुरीमें संघ की शाखा स्थापित है। इस प्रान्त में संघ के उद्देश्यों प्रचार का अच्छा हुआ है, जिसमें महाराजा धाराकोटा और एमार के मठाधीश के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

गुरुवायूरका विशेषाधिवेशन।

संघके इस विशेषाधिवेशनके विषयमें कुछ लिखनेसे पूर्व आवश्यक है कि यह गुरुवयूर क्या और कहां है, तथा संघने यहाँ अपना विशेषाधिवेशन क्यों किया, इन आवश्यक जानने योग्य बातोंको लिख देना बहुत जरूरी है, जिससे इस अधिवेशनके महत्त्वका पूर्ण अनुमान हो जायगा।

गुरुवायूर क्षेत्र

गुरुवायूर हिन्दुओंका एक पवित्र क्षेत्र है। यह केरल प्रान्तमें विद्यमान है। केरल प्रान्त ब्रिटिश मलाबार, ट्रावनकोर राज्य तथा कोचीन रियासतको मिलाकर कहते हैं। इस केरल प्रान्तका वह क्षेत्र एक मुख्य तीर्थ-स्थान है। यहाँ श्रीकृष्णचन्द्रका एक मंदिर है, जिसमें उनकी चतुर्भुजी

मूर्ति प्रतिष्ठित है । यहाँ एक छोटीसी वस्ती है, जिसे एक गांवही कहना चाहिये ।

मंदिरका परिचय ।

इस मंदिरके विषयमें यह कहा जाता है कि जब वसुदेवजीभी वैकुण्ठ-वासी होगये, तब उस मूर्तिको गुरु (बृहस्पति) और वायुने इस क्षेत्रमें एक मंदिर बनाकर स्थापित कर दिया, जो उस दशामें अबतक विद्यमान है और गुरु और वायुके द्वारा इसके स्थापित होनेके कारण इस देव-मंदिर एवं इस क्षेत्रका नाम तबसे गुरुवायूर प्रसिद्ध होगया है ।

मंदिर की मान्यता

यह मंदिर न तो दक्षिणी भारत के श्रीरंग या मदुरा मीनाक्षी श्री. चिद्-दम्बरम् तथा श्री रामेश्वरम् आदि मंदिरों के समान विशाल ही है और न यहाँ उक्त मंदिरोंके सदृश भारतके समस्त प्रान्तों से यात्री ही आते हैं, परन्तु यह अवश्य है केरल प्रान्तकी जनतामें इस मंदिर के प्रति बडी श्रद्धा-भक्ति और मलबार प्रदेशमें तो यह सर्वोच्चतीर्थ माना जाता है ।

धार्मिक परिस्थिति

केरल प्रान्तमें अस्पृश्य जातियोंके, जो-बिमा, चिरेमा और नासाडी आदि नामसे प्रसिद्ध हैं, अपने अपने मंदिर विद्यमान हैं। ये लोग एक दूसरे के मंदिरमें नहीं जाते । इस प्रकारके मंदिरों का निर्माण केवल १५ वर्ष पूर्व हुआ है, जब इन अस्पृश्योंमें भी मन्दिरोपासना का विचार उठा था । अस्तु, इस प्रकार यहाँ की अस्पृश्य जातियों को यदि वास्तवमें देखा जाय, इस बातकी आवश्यकता नहीं है कि अपने मंदिरका अभाव है और न ये अपने मंदिरों के होते हुए किसी अन्य भावसे प्रेरित होकर ही यह इच्छा रखते हैं कि उन्हें उच्च जातियोंके मंदिरों में प्रवेश करना चाहिंये, क्योंकि वे स्वयं जिस नियम को मानती हैं कि वे जब आपसमें एक दूसरेके मंदिरमें प्रवेश करनेपर आक्षेप करती हैं, तब भला वे उस नियमको कैसे तोड सकती हैं ।

दूसरे यहाँके समस्त प्रान्तकी धार्मिक विशेषता यह है कि यहाँके निवासी भार्गवस्मृति, आगम समुच्चय तथा प्रायाश्चित्त विमर्शिनी के मूल सिद्धान्तोंको अविच्छिन्न रूपसे मानते चले आरहे हैं और उनपर पूर्ण आरूढ हैं ।

यहाँ की स्त्रियां बडी धर्मशील हैं। वे सनातन धर्मकी मर्यादाओंकी रक्षाके निमित्त अपनेको बलिदान कर देने तकका हार्दिक भाव रखती हैं। वे मंदिर-मर्यादाकी रक्षाकी पूर्ण पक्षपाती हैं। उन देवियोंके यह भाव उनकी सभाओंके व्याख्यानोंसे संघके प्रतिनिधियोंको व्यक्त हुये हैं।

जिस प्रदेशमें गुरुवायूर विद्यमान है, उसका प्रधान स्थान अर्थात सदर स्थान कालीकट है, जहाँका राजा जमोरिन है। यह राजा धार्मिक है और गुरुवायूर मंदिरका एक ट्रस्टी है। आप मंदिरके सच्चे हितैषी हैं और मंदिर-मर्यादाके विपरीत कार्य करनेका आपको साहस इष्ट नहीं है।

विशेषाधिवेशनका कारण

इज सब सनातनी वातावरणके होते हुए भी कालीकट निवासी श्री केलप्पन, जिनके सम्बन्ध में हाल में समाचार पत्रों में प्रकट हुआ कि उन्होंने एक ईसाई औरत से शादी की है, नाम के एक व्यक्तिने अस्पृश्यों को इस मंदिर में प्रवेश करने के लिये आन्दोलन एवं सत्याग्रह आरम्भ किया था। जिसका समर्थन दुखके साथ कहना पडता है कि केरल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीने भी योग दान देकर किया था और बादको इसका अनुमोद कांग्रेस के श्री गांधीजीने भी किया था। यह सत्याग्रह गत वर्ष (१९३१) यहां तक जोर पकड गया था कि २८ दिन तक मंदिर बन्द रहा और भगवानकी पूजा अर्चा में भारी विघ्न पडा। अब इधर जब गांधीजीने यह घोषित कर दिया कि इस सत्याग्रह के पक्ष में वे जनवरी सन १९३३ ई० से अनशन करेंगे, तब तो समस्त सनातनी जनता क्षुब्ध हो उठी और यह सब अखिल भारतीय प्रश्न हो गया और संघ की ओरसे उक्त मंदिर की सम्पूर्ण परिस्थिति समझाने के लिये संघ के प्रधान मंत्री पं. श्री. देवनायक आचार्य और प्रकाशन विभागके अध्यक्ष श्रीकृष्ण आचार्य गुरुवयूर गये और अपनी रिपोर्ट उपस्थित की। इस सब का फल यह हुआ कि संघ की कार्यकारिणी समिति ने ८ दिसम्बर सन १९३२ ई. को एक बैठक......कर गुरुवयूर क्षेत्र में दिसम्बर की २७-२८ २९ तारीखों में संघ का एक अधिवेशनकर भावी होनेवाले धर्म-विरोधी कृत्य को रोकना चाहा। और इस अधिवेशन को सफल बनानेके लिये संघ की कार्यकारिणी समितिने इस भावोंकी जागृति करनेके लिये एक दिग्विजय यात्रा करनेका भी निश्चय किया, जिसका पूर्ण विवरण इस रिपोर्ट में दिया हुआ है। अस्तु, सन् १९३२ ई० के दिसम्बरकी २७,२८ और २९ तारीखोंमें गुरुवायूरमें अ. भा. वर्णाश्रम संघका एक विशेष अधिवेशन गुरुवायूरके मुख्यतः मंदिर

की पवित्र मर्यादायके रक्षणार्थ श्रीवल्लभ-कुल-तिलक श्री १०८ गोस्वामी गोकुलनाथजी महाराजकी अध्यक्षतामें बुलाया गया। विशेषाधिवेशन पूर्ण रूपसे पूर्ण सफल रहा कोई विघ्न उपस्थित न हुआ, इस अधिवेशनकी सफलताके लिये वहां की स्वागत-समितिका कार्य निर्णय सराहनीय है। यह वास्तवमें उसीके उद्योगका फल था कि गुरुवायूरका अधिवेशन ऐसे भारी विरोधके सामने होसका और सफलतापूर्वक होसका। जिसका फल यह हुआ कि गांधीजीने अपना अनशन त्यागा और उनके हृदय पर इस समारोहका यह असर हुआ कि तर्करत्नजीको विजय कामनाका तार दिया गया। इस समारोहमें प्रायः सभी धर्माचार्य महानुभाव, विख्यात पंडित तथा समस्त सनातन धर्मावलम्वी संस्थाओंने स्वयं उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि भेजकर अथवा अपने दिव्य एवं उत्साहवर्द्धक संदेश भेजकर इसके उद्देश्यसे पूर्ण सहानुभूति प्रकटकी थी। इसमें बाहर-भीतरसे आये हुए दर्शकोंके अतिरिक्त लगभग सातसौ सज्जन संघके प्रतिनिधि रूपमें संघकी शाखा तथा पोषक सभाओंकी ओरसे सम्मिलित थे। इस सम्मेलनकी विविध प्रकारकी उपस्थितिके उल्लेखनीय नाम निम्नांकित है।

धर्माचार्योंमें जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य संकेश्वर पीठाधीश, जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य गोवर्द्धन मठ, उडुपी काणूर मठके आधपति, प्रभासपट्टन मठाधीश स्वामी स्वरूपानन्दजी महाराज, उत्तरादि तोताद्रि मठाधीश तथा श्री प्रकाशानन्दजी ब्रह्मचारी काशीके स्वयं पधारनेके अतिरिक्त जिन अन्य अनेक धर्माचार्योंने अपने प्रतिनिधि एवं श्रीमुख भेजे थे उनके नाम ये हैं-जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य श्रृंगेरी मठ, जगद्गुरु श्रीरामानुजाचार्य तोताद्रि मठ, जगद्गुरु श्रीरामानुजाचार्य अहोबिलमठ, उडुपी मठके समग्र मध्वकाचार्य गण, जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य उद्दृट्टी मठ, जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य पुष्पगिरि।

इन धर्माचार्य चरणोंके उक्त श्रीमुख प्राप्तिके अतिरिक्त अन्य महानुभाव विद्वानोंमें उल्लेखनीय व्यक्ति ये है—श्री० वी० वी० श्रीनिवास अयंगर डाक्टर श्रीशंकर नारायण अय्यर, राजासाहब जमोरिन, युवराज जमोरिन, राजासाहब कोलिंगोड, श्री० प्रवोकूर लम्बूदरीपद, श्री० राममूर्ति मेनन, विद्वद्रत्न श्रीकृष्णशास्त्री गुरुवायूर, म० म० पं० श्रीअनन्तकृष्णशास्त्री, पं० श्री रमापति मिश्र, पं० श्री मन्नूभाई पंड्या सालीसिटर, पं० श्री अभिनव बाणभट्टकवि, पं० श्री कृष्णमाचार्य, वियाभूषण पं० श्री नागेशशास्त्री धारवाड, पं० श्री सौम्य नारायणाचार्य, पं० श्री सोमदेव शर्मा कुम्भकोण, पण्डित

श्री पञ्चानन तर्करत्न पं० श्री जयेन्द्रराय भगवानलाल दुरकाल, पं० श्री श्रीजीव न्यायतीर्थ सेठ लच्छीराम चूडीलाल, पं० श्री वासुदेवशास्त्री ऐनापुरे। नगीनदास पुरुषोत्तमदास संघवी।

इस उपस्थितिके अतिरिक्त अनेक महानुभावोंकी उपस्थिति एवं उनकी सहानुभूति तारोंद्वारा भी प्राप्त हुई, जिनमें विशेष उल्लेखनीय नाम मेलाकोटाके यदुगिरि यतिराज श्री सम्पत्कुमार मुनिवर रामानुजाचार्यका है, जिन्होंके अधिवेशनकी सफलताके लिए अपनी शुभ कामनाकर ५० रु० का तार दिया था और दूसरे कलकत्ताके पं० श्री गांगेय नरोत्तमशास्त्री है, जिन्होंने अपनी शुभ कामनासहित १२५ रु० तारद्वारा भेजा था।

इस अधिवेशन के दानदाताओंके नाम परिशिष्ट में दिये हुए हैं।

इस अधिवेशनको सफल बनानेमें स्वागत-समितिके समग्र मनस्वी सदस्योंके अतिरिक्त गुरुवायूरकी सनातन धर्मसभा भी अपने पूर्ण बलसे तत्पर थी।

इनके अतिरिक्त इस अधिवेशनकी शुभकामनाके अनेक व्यक्तियों तथा संस्थाओं के प्रचुर संख्या में तार तथा पत्र प्राप्त हुए। इस अधिवेशनके विविध कार्य करके लिये बहु संख्यामें स्वयंसेवक भर्ती हुए थे, जिनमें कालीकटके राजा जमोरिन तथा युवराज भी सम्मिलित थे।

इस अवसर पर सब उपस्थित धर्माचार्योंने मिलकर कालीकटके राजा जमोरिनको " धर्मधीर महावीर " की उपधि देकर उनके सनातन धर्म के प्रति सराहनीय त्याग की प्रशंसा की और उन्हें सनातनी जगत ने सम्मानित किया।

इस अधिवेशनका सर्व प्रथम प्रस्ताव अछूतोंके मंदिर-प्रवेशके सम्बन्धमें पास किया गया, जो निम्नांकित है।

(१) अखिल भारत वर्षीय वर्णाश्रम स्वराज्य संघके इस विशेषाधिवेशन की स्पष्ट सम्मति यह है कि विगत दो दिनोंकी पंडितोंकी परिषदमें जैसा कि निर्णय हुआ है, उसीके अनुसार मंदिर-प्रवेशका प्रश्न केवल धर्म शास्त्रोंकी आज्ञाओं और परम्परासे प्रचलित पद्धतियोंके अनुसारही निर्णीत होसकता है, तथा इस प्रश्नका निर्णय किसी अन्य विचार या दृष्टिसे किसी संस्थाके महान विद्वान और सद्भाववाले सुशिक्षित मनुष्यों द्वारा भी नहीं किया जा सकता। इस लिये इस विशेषाधिवेशनकी सम्मति है कि उन शास्त्रों तथा आगमोंके अनुसारही जिनसे ये मंदिर बने, उनकी मूर्तियोंकी

प्राणप्रतिष्ठा हुई है और ये स्थापित हैं। उन्हीं में अछूतोंके लिये मंदिर-प्रवेशका निषेध किया गया है। इस लिये किसी भी हालत में, तथा कितनी भी हानि क्यों न उठानी पडे, उनको गुरुवयूरके कृष्णमंदिर अथवा देशके स्पृश्योंके किसी भी अन्य मन्दिरमें न जाने दिया जाय।"

इस मुख्य प्रस्तावके अतिरिक्त जो प्रस्ताव इस अधिवेशनमें पास हुए उनका सारांश निम्नलिखित है:—

(२) अछूतों द्वारा मंदिर प्रवेश करानेके लिये जो अनशक आत्महत्या तथा इसी प्रकार जो अन्य धर्मकियां दी जारही हैं, उन सबकी यह अधिवेशन निन्दा करता है। और प्रत्येक हिन्दूसे अनुरोध करता है कि वह इनका पूर्ण विरोध करे।

(३) यह अधिवेशन देश के उन सब सनातनियों को हार्दिक बधाई देता है, जो अछूतों द्वारा मंदिर-प्रवेश आन्दोलन के विरोधमें प्रयत्न शील हुए हैं। (इस प्रस्ताव में कालीकट के राजा जमोरिनका नाम विशेष रूपसे लिया गया था।)

(४) पास हुआ कि धार्मिक प्रश्नों के निर्णय करने के लिये बहुमत मान्य नहीं हो सकता, अतः गुरुवायूर मंदिरमें अछूतों के प्रवेश होने का प्रश्न जनता का मत लेने से हल नहीं हो सकता।

(५) घोषित किया कि चूंकि हिन्दू महा सभा, आर्य समाज तथा ब्रह्म समाज आदि हिन्दुओं की अनेक वर्तमान संस्थाएं वर्णाश्रम धर्म से अल्पाधिक विरोध रखतीं हैं; अतः वे सनातनियोंकी प्रतिनिधि कदापि नहीं हैं।

(६) पास हुआ कि जिस धार्मिक उत्साह से यह अधिवेशन जुटाया जा सका है, उसको स्थिर रखने तथा धर्म विरोधी कृत्योंको रोकने के लिये एक " इमरजैंसी कमेटी " बनाई जाय, और इस कमेटीका मुख्य कार्य इस समय यह रहे कि गुरुवायूर तथा अन्यस्थानोंमें जहां आवश्यक हो अर्थात जहाँ अछूतोंको मंदिर-प्रवेशकी चेष्टा की जाय, वहाँ उसे रोका जाय। इस कमेटीको धन संग्रह आदिका पूर्ण अधिकार दिया गया था। इसके सदस्यों एवं पदाधिकारियोंकी नामावली परिशिष्ट दी हुई है।

(७) पास हुआ कि भावी शासन-सुधारमें प्रत्येक नागरिकको पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो।

(८) निश्चय-हुआ कि एक तो यह सभा पूना पैक्टके तिरस्कार करती है कि एक तो यह समझौता वर्णाश्रम धर्मावलम्बियोंके परामर्श से नहीं हुआ, दूसरे यह दबावसे किया गया है स्वाधीन स्थान नहीं दिया गया।

(९) पास हुआ कि यह सभा एसेम्बलीमें उपस्थित मंदिर-प्रवेश सम्बन्धी बिलका घोर विरोध करती है, क्यों कि यह उन शाही घोषणाओंके विरुद्ध है, जिनमें भारत निवासियोंको धार्मिक निरपेक्षताका आश्वासन दिया गया है। और इसके अतिरिक्त ऐसे बिल सनातन धर्मके विरोधी एवं सुधारकोंके बलवर्द्धक हैं; जो भारतकी प्राचीन भाषा-वेष, साहित्य संस्कृति तथा धर्मके विपक्षमें आचरण कर रहे हैं।

(१०) यह सभा खेद प्रकाश करती है कि मद्रास कौंसिलमें अछूतोंने मंदिर प्रवेश सम्बन्धी प्रस्तावको विचारार्थ प्रस्तुत करनेके लिये आज्ञा दे दी गई है।

(११) पास हुआ कि जब तक देशकी अन्य संस्थाएं जैसे कांग्रेस आदि अधर्मिक प्रचार (अछूतोंका मंदिर-प्रवेश आदि) का त्याग न करेंगी, तबतक उनसे मेल न रक्खेंगी, किन्तु उनके इन कृत्योंकी पूर्ण निन्दा एवं घोर विरोध करती रहेंगी। इन सब पुस्तकोंकी सूची अंगरेजी भाषामें संघके प्रधान कार्यालय काशीसे प्राप्त हो सकती है।

इस अधिवेशनके अवसरपर संघकी विद्वत्परिषद्, आचार्य-सम्मेलन और धार्मिकशिक्षणपरिषद् भी हुई थी। और इन परिषद्-सम्मेलनोंके अतिरिक्त एक पुरुषसूक्तयज्ञ अधिवेशनकी सफलताके लिये किया गया था।

देहलीका विशेषाधिवेशन

जिस प्रकार गत सन् १९३२ ई० के दिसम्बर मासके अन्तिम सप्ताहमें गुरुवायूर मन्दिरके अछूतोंको खोल देनेके सुधारकोंके सत्याग्रह करने तथा तत्सम्बन्धमें श्री० गांधीजीके अनशन आरम्भ करनेपर एक विशेष परिस्थिति उपस्थित होनेपर गुरुवयूर क्षेत्रमें संघको एक विशेषाधिवेशन बुलानेके लिए बाध्य होना पडा था, उसी प्रकार देहलीका विशेषाधिवेशन भी गुरुवायूर विशेषाधिवेशनके केवल अढाईमास बाद परिस्थिति विशेषके उपस्थित होनेके कारण ही बुलाया गया। इस विशेषाधिवेशन बुलानेके लिए क्या कारण उपस्थित थे, उनका प्रकटीकरण प्रधान मंत्रीके उस

वक्तव्यसे होता है, जो उन्होंने इस विशेषाधिवेशन करनेके लिए प्रकाशित किया। उस वक्तव्यका आवश्यक अंश निम्नांकित है !—

विशेषाधिवेशन बुलानेके कारण।

सनातनधर्मी जगत्‌को अब यह बात भलीभांति मालूम हो चुकी है कि कांग्रेसके प्रधान सूत्रधार श्रीयुत गांधीजी सनातनधर्मके सिद्धान्त पर कुठाराघात करने वाले कानूनोंको बनवानेके लिये गवर्नमेण्टसे प्रार्थना कर रहे हैं। उन्हींके उपदेशानुसार कांग्रेसके प्रधान कार्यकता मिस्टर राजगोपालाचारी प्रभृति भी इस समय अस्पृश्यता निवारण तथा मन्दिर-प्रवेश बिलोंके पास करानेके लिये प्राणपणसे उद्योग कर रहे हैं। इस समय कांग्रेसकी सारी शक्ति अछूतोंको उभारने और सनातनधर्मको कुचलने वाले कानूनोंको बनवानेमें व्यस्त है। सनातनधर्मी जगत् इस बातका असह्य दुःख अनुभव कर रहा है। सनातनधर्मी नेताके नामसे सुप्रसिद्ध महामना पं० मदनमोहन मालवीयजी भी अस्पृश्यता निवारण लीग आदिकी योजना करके इन्हीं लोगोंके कार्यमें प्रधान सहायक हो रहे हैं। पूना पैक्टमें आपने उच्च जातिके हिन्दुओंके अधिकारमें स्पष्ट ही घोर हानि पहुंचायी है। अछूतोंके स्वयम्भू नेतागणको यहां तक प्रोत्साहन दिया गया है कि अब डा० अम्बेडकर उसी वर्णाश्रम धर्मको, जिसके लिये स्वयं भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजी कहते हैं कि

गुणकर्मविभागशः। स्वेस्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः।
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ।

इत्यादिको खुल्लमखुल्ला तोड डालने के लिये कह रहे हैं। उनकी मन्शा यह मालूम पड़ती है कि वर्णाश्रम धर्म टूट जाने ही पर हिन्दू समाजमें वे रह सकेंगे और वह उनके रहने योग्य हो सकेगा।

इन सब बातोंको देखते हुए कोई भी विचारशील अनायास समझ सकता है कि सनातन धर्मियोंके ऊपर इस समय कितनी बड़ी विपत्ति आयी हुई है। ऐसे समयमें सनातत धर्मी संस्थाएं, कार्यकर्तागण एवं सर्वसाधारण धार्मिक-जनताके भीतर भयंकर क्षोभ उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकता !

उपर्युक्त कारणोंको देखते हुए, अ० भा० वर्णाश्रम स्वराज्य संघको श्रुति, स्मृति, पुराण प्रभृति चिरन्तन सदाचर परिगृहीत सनातन धर्मियोंकी नीति स्पष्ट घोषित करनी पड़ी कि धर्मघातक वर्तमान नीतिका अवलम्बन करते हुए कांग्रेस, हिन्दू महासभा, आर्यसमाज, प्रार्थना समाज पं० मालवीयजीकी गूढ़ रहस्यमयी सनातनधर्म सभा, एवं असेम्बली कौन्सिलोंके भीतर

सनातन धर्मके मूलोच्छेदक-बिलोंके उपस्थापक और समर्थक सदस्यगण भारतवर्षके सनातन वर्णाश्रम धर्मानुयायी हिन्दुओंके प्रतिनिधित्वका दावा किसी भी रूपमें नहीं कर सकते।

इस परिस्थितिमें, सनातन वर्णाश्रम-धर्मी जनताका भी कर्तव्य है कि वह अपने धर्मकी रक्षा और अपना सम्मानमय राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार रक्षित रखनेके लिये सब प्रकारसे संघटित होकर अपनी आवाज ऊंची उठायें। अभी भी समय है कि सनातन धर्मी, भावीशासन-विधानमें अपनी सुरक्षाके लिये क्या २ बातें आवश्यक है, उनको समझें एवं उन्हें स्वीकृत करानेके लिये अपनी मांगें पेश कर दृढ़तर उद्योग करें। वर्तमान असेम्बलीमें भी इस समय जो अधार्धिक बिलोंकी भरमार सनातन धर्मियोंके गलेम पाशके समान होकर लग रही है, उसके सम्बन्धमें भी कर्तव्यको समझकर छुटकारा पानेके लिये, प्राणपणसे चेष्टा करें।

इस समस्त आवश्यकताओंकी ओर ध्यान देते हुए, अखिल भारतीय वर्णाश्रम स्वराज्य संघकी आवश्यक कार्यकारिणी सामितिने गुरुवायूरके बादमें दूसरी स्पेशलकान्फरेंस करने का निश्चय प्रकट किया है, जो दिल्ली में होगी। सनातन वर्णाश्रम धर्मकी रक्षाका उद्देश्य रखनेवाली भारत वर्षकी समस्त संस्थाओंसे निवेदन है कि वे सभी इस कान्फरेन्समें योग देते हुए ऐसी प्रबल संघ-शक्ति का प्रादुर्भाव करें जिससे सनातनधर्मी जगत्का इस महान् धर्म विप्लवके भयंकर समयमें संरक्षण हो सके। सनातनधर्मकी जर्जर नौकाके प्रधान कर्णधार उपदेशक, महोपदेशक और कार्य-कर्तागण से विनम्र प्रार्थना है कि नास्तिक पाखण्डके इस तूफानी झंझावातमें, घबडाये हुए सनातनधर्मी-जगतको उबारनेके लिये, एक मात्र अपेक्षित इस संघ-शक्तिके पैदा करनेमें अब विलम्ब न करें।

इसके व्यतिरिक्त इस विशेषाधिवेशन के बुलाने के सम्बन्धमें संघ के सुयोग्य सहकारी मंत्री एवं बम्बई प्रान्तके सनातनी नेता स्व० हीरालाल डाह्याभाई नानावटी ने जिन शब्दोंमें अपना समर्थन किया था, वे यहां उद्धरणीय हैं। ये शब्द उनके उस पत्रसे लिये गये हैं, जिसे उन्होंने १३ मार्च को इम्बईसे अधिवेशन के अधिपति को अपनी अस्वस्थता के कारण उपस्थित न हो सकने के लिए लिखा था।]

स्व० श्री नानावटीजीका समर्थन

...These are very critical times for the Orthodox Hindus. In past, there were many severe attacks upon our dear

religion, but the present one is altogether different. Unfortunately for us our own brethren who have no knowledge (worthy of the name) of the deep and abiding principles of our religion and philosophy and who are thoroughly saturated through their knowledge of English language with the social views of the West, in their zeal to imitate the same; are out to destroy our religion and our culture. It is a piiy that they do not realise that the consequence of their action if unobstructed, would lead to the utter destruction of the Hindu race as well as Hindu civillization, just as other nations of thc West who were at oncy timepowerful are no longer heard.

It is, therefore, the duty of each and every orthodox man, woman and child who conscientiously believes that the path of life chalked out for them by their ancestors is the only path which will lead to happiness in this world and salvation in the next to be up against this whirlwind agitation which is now being carried on.

हिन्दी अनुवाद

उक्त पंक्तियोंका हिंदी अनुवाद निम्नांकित हैं " यह समय सनातन धर्मी हिन्दुओंके लिए बडे कष्ट का है। भूतकालका हमारे धर्म पर अनेक भारी आक्रमण हों चुके हैं, परन्तु वर्तन समयका आक्रमण एक भिन्न प्रकारका है। यह हमारे दुर्भाग्यकी बात है कि हमारे भाईलोग जिन्हें हमारे धर्म एवं विज्ञान के गहन एवं शाश्वत सिद्धान्तों का नाम मात्रका भी ज्ञान नहीं है और जो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्राप्त होने के कारण पाश्चात्य देश के सामाजिक विचारोंसे भरे हुए हैं। वे अब उन्हीं विचारों के अनुकरण के आवेशमें हमारे धर्म एवं संस्कृति को नष्ट-भ्रष्ट करने के लिए कटिबद्ध हो गये है यह बडे दुःखकी बात है कि वे यह नहीं समझते हैं कि यदि उनके तत्सम्बन्धी कृत्य एक न गये, तो वे समस्त हिन्दू जाति एवं हिन्दू सभ्यता का पूर्ण विध्वंस कर देंगे। और यह हिन्दू जाति उसी प्रकार मिट जाएगी, जिस प्रकार पाश्चात्य देशों शक्तिशाली जातियां समाप्त होगई हैं कि अब उनका नामतक कोई नहीं लेता।

अतः भारतदेशके प्रत्येक सनातनी स्त्री, पुरुष तथा बच्चेको, जो अपने अन्तःकारणसे यह मानता है कि हमारे पूर्वजोंने हमारे जीवनके लिए जो मार्ग बना दिया है, उसीसे इस लोकमें सुख-शांति प्राप्त कर परलोकमें मोक्षलाभ होगी, इस वर्तमान तिसर-पैरके आन्दोलनके विरुद्ध खडे होजाना चाहिए।

अधिवेशनकी कार्यवाही।

यह अधिवेशन १५-१६ मार्चको श्री रामानुजाचार्य श्री प्रतिवादि-भयंकर श्री अनन्ताचार्यजी महाराजकी अध्यक्षतामें मनाया गया। इस अधिवेशनमें जगद्गुरु श्री शंकराचार्य श्री १०८ भारतीकृष्णतीर्थमहाराज भी उपस्थित थे और विद्वान, सेठ-साहूकार तथा संघके देशव्यापी सँगठनसे प्राप्त बहु-संख्याक प्रतिनिधि गण भी सम्मिलित थे और अनेक राजा लोग एवं एसेम्बलीके सदस्य भी थे, जिनके उल्लेखनीय ये हैं। जिनमेंसे राजाबहादुर श्री जी० कृष्णामाचार्य, राजासाहब विजयपुर, राजा रघुनन्दनप्रसाद मुंगेर, श्री ठा० दुर्जनसिंहसाहब आदि, एसेम्बलीके सदस्य श्री गुंजाल, श्री सत्येन्द्रनाथ सेन, पं० रामकृष्ण झा और सरदार मजूमदारप्रभृति। जिन सज्जनोंने इस अधिवेशनको धनदान देकर सहायताकी, उनमे से निम्नांकित महानुभाव उल्लेखनीय हैः—

भा० भगीरथमहजी, मालिक फर्म लाल विश्वरम्भरनाथ भागीरथमलजी आडती, सेठ बेनी प्रसाद मालिकफर्म सेठ बिहारीलाल वेणीप्रसाद कपडे बाते पूज्यपार पं० अवाली चरणजी महाराज, लालश्रीराम तोपखानावाले, सेठ चादमल गौरीशंकर कपडेवाले, ला० बच्चूमल रामकृष्णदास आडती, सेठ जमुनादास पोद्दार, सेठ हरसुखराय मुन्नालाल, पं० अर्जुनदास जी० ला० रामस्वरूप कोल-मर्चेंट इनके अलावा राजासाहब धाराकोटा और मठाधीश एमारनें प्रत्येकने २५० देकर सहायता पहुंचाई। यहां ला० जोगध्यान रईसका नाम भी उल्लेखनीय है कि उन्होंने विना किरायाके अपनी जमीनको अधिवेशन एवं यज्ञके लिए दिया था काशीके धर्मवीरदळ सेरठ के एवं नई देहहीके सनातनधर्म महावीरदलने अधिवेशन कार्य में सुविधा पहुँचाई वह सराहनयि है। इन सबके अतिरिक्त इस समारोह के सफल बनाने में स्वागत समिति के सरस्यों ने और पदाधिकारियोंने अपना पूर्ण सहयोग दिया। अस्तु इन सब प्रकार के सहयोगों को पाकर यह अधिवेशन पूर्ण सफल हुआ जो काम उसने किया उसका रूप निम्नलिखित प्रस्तावों में अंकित हैः--

प्रस्ताव

संघ के पञ्चतत्व-प्राप्त कार्यकर्ताओं के प्रति शोकसूचक प्रस्ताव पास करके संघ के पिछले सब उपयोगी प्रस्तावों के दुहराने के उपरान्त सर्व प्रथम प्रस्ताव यह पास हुआ कि देश के समस्त धर्माचार्य एवं सनातन धर्मावलम्बी राजा-महाराजा, साहूकार, साधू-महात्मा एवं विद्वान् तथा सर्वसाधारण धर्म-रक्षण के लिए अग्रसर हों।

(१) निश्चय हुआ कि विद्वत्परिषद् को धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आदि समग्र विषयों पर निर्णय देनें का अधिकार दे दिया जाय।

(३) पास हुआ कि चूंकि धर्म-मर्यादाकी रक्षाके लिए यह आवश्यक है कि किसी व्यवस्थापिका सभा द्वारा कोई धर्म-विरोधी कानून न बने, अतः भावी शासन-विधानमें धार्मिक संरक्षणके लिए नियम होना चाहिए और इसका प्रयत्न करनेके लिए संघको ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटीके सन्मुख प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए।

(४) पास हुआ कि संघकी कार्य कारिणी समिति एक दैनिक पत्र प्रकाशित करनेकी व्यवस्था करे।

(५) पास हुआ कि अछूतोंको जो पूरे सनातनी है, और अपने भाई हैं जो बहकाये जारहे हैं, उनके भ्रमको दूर किया जाय।

(६) पास हुआ कि यह अधिवेशन अलवर राज्यकी कुचक्र-पूर्ण घटनाओंके प्रति दुख प्रकट करता है और सरकारसे आशा करता है कि वह महाराजा बहादुरके अधिकारोंकी रक्षा करेगी।

(७) पास हुआ कि देशकी प्रतिनिधि सत्तात्मक सब संस्थाओंमें सनातन धर्मी सदस्य पहुँचने चाहिएं।

(८)पास हुआ कि वाइसराय महोदयने शाही घोषणाओंके विरुद्ध एसेम्बलीमे उपस्थित धर्म विरोधी-मंदिर-प्रवेश बिल आदिको अनुमति देकर शाही घोषणाओंका विरोध किया है, अतः वे उन्हें आगे कानूनके रूप परिणत न होने दें अथवा सनातनी जनता इनके अनुसार चलनेके लिए बाध्य न होगी।

(९) निश्चय हुआ कि यह अधिवेशन एसेम्बलीके उन हिन्दू मेम्बरोंकी प्रशंसा करता एवं धन्यवाद देता है, जिन्होंने धर्म-विरोधी बिलोंके विरुद्ध आवाज उठाई है और उनकी निन्दा करता है, जिन्होंने इन बिलोका समर्थन किया है।

(१०) पास हुआ कि अधिवेशन सरकारसे अनुरोध करता है कि वह अपने शिक्षा विभागके उस आदेशको उठादे, जो यह कहता है कि जो स्कूल अछूतोंके लडकोंको दाखिल न करेगा, उसकी आर्थिक सहायता रुकजायगी, क्योंकि इस प्रथासे उच्च जातिके बालकोंके सुसंस्कारोंको नष्ट करनेवाली है।

(११) निश्चय हुआ कि चूंकि सरकारकी ओरसे भावी शासन विधान संबंधी किसी परामर्शदात्री सभा समितिमें सनातनियोंको अपना मत प्रदर्शनकरनेका अवसर नहीं दिया है, अतः एक कमेटी नियुक्त करके इस सम्बन्धमें आवश्यक कार्यवाही की जाय।

(१३) पास हुआ कि चूंकि कुछ नाममात्रकी सनातनी सभाओंने सनातन धर्मके विरुद्ध प्रचार करना आरम्भ कर दिया, है अतः सनातनी जनताको अपने धर्मविषयके संदेहोंका निवारण संघकी सहायतासे करें।

(१४) पास हुआ कि यह अधिवेशन उन सब कट्टर सनातनी नेताओंको धन्यवाद देता है और उनके त्यागकी प्रशंसकाता है कि उन्होंने सिद्धान्तोंकी रक्षाके लिए पंजाब प्रतिनिधि सभा एवं सनातन धर्म सभा प्रयागको त्याग दिया है।

देवालय–संरक्षण–समिति

अखिल भारत वर्षीय वर्णाश्रम स्वराज्य संघकी कार्यकारिणी समितिने अपनी २६–२७ सितम्बर सन् १९३३ ई० की बैठकमें प्रस्ताव स्वीकृत किया कि अ० भा० संघकी एक देवालय–संरक्षण–समिति स्थापितकी जाय, जिसका प्रधान कार्यालय कलकत्तामें रहे और उस कार्यालयके द्वारा समस्त देशमें आवश्यकतानुसार प्रान्तीय संघोंके कार्यालयोंके संघटित करते हुए एतत्सम्बन्धी आन्दोलन वैध एवं शान्त रीतिसे सम्पादित किया जाय और पास हुआ कि—

(क) यह समिति देवालय–संरक्षण–प्रधान कार्यालयकी स्थानीय समिति रहेगी, जो अपना समग्र कार्य एक नियमित रूपसे संचालित करेगी। और यह समिति अ० भा० समितिके सम्पूर्ण विधि–निषेधोंका पालन करते हुए उसके प्रति उत्तरदायी रहेगी।

(ख) इस समितिमें बंग प्रान्तीय संघ एवं अखिल भारतीय संघके सद्स्योंमें से सदस्य लिये जायं, एवं कलकत्ताकी अन्यान्य धार्मिक संस्थाओंसे सदस्य लिये जायं जिनका उद्देश्य संघके विरुद्ध न हो।

इस प्रस्तावके अनुसार देवालय-संरक्षणका प्रधान कार्यालय ९७।१ ए मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट (गोपाल-भवन) में सुव्यवस्थित किया गया और एक समिति स्थापित हुई, जिसकी नामावली परिशिष्ट में अंकित है।

कोषकी स्थापना

आज तीन माहसे यह कार्यालय कलकत्तामें स्थापित है और यह समिति देवालय-संरक्षणके मुख्यरूप से आजकलके इस प्रधानकार्यमें लगी हुई है कि एसेम्लीमें उपस्थित मंदिर-प्रवेश बिल जिसके विषयमें सरकारने ३० जून सन् १९३४ ई० तककी अवधि देकर, हिन्दू जनताके मत संग्रह करनेकी घोषणा की है और तब तकके लिये जिस उक्त बिलपर एसेम्बलीमें विचार करना स्थगित कर दिया गया है, पास न होने पावे। समिति ने इस कार्य को अग्रसर करने एवं उसका समग्र भारत व्यापी प्रभाव एवं फल होनेके निमित्त कलकत्ता नगर से विशेष-रूपसे तथा देशके अन्य स्थानोंसे साधारण रूपसे धन-संग्रह करने में एक शील जनक रूपमें पूर्ण भी हो गया है। इस ओर कलकत्ता की धन-मानी एवं धर्म-शील तथा धर्म परायण मारवाडी जाति ने अपनी लोक प्रसिद्ध दानशीलताका परिजय देकर समिति के कार्य में खूकी सुविधा, दृढता एवं पुष्टता उत्पन्न करदी है अवएव आशा है कि यद्यपि फलाफलतो ईश्वराधीन है, परन्तु तत्सम्बन्धमें समस्त देशमें भारी जागृति हो जायेगी। इस सम्बन्धमें समिति ने अपने समक्ष जो भावी कार्यक्रम रक्खा है वह निम्नांकित है:—

कार्य-क्रम.

(१) एक ऐसा शिष्ट-मण्डल समस्त देशमें भ्रमणकरते जाएगा, जिसमें उच्चकोटि के पार्वाश्चत्य एवं पौत्य वियाओंके अनुभवी विद्वान् रहेंगे, जो सनातनी वर्णाश्रमी जनता संस्थाओं एवं कार्यकर्त्ताओं की इन धर्म-विरोधी विन्योंके सम्बन्धमें अपना कर्त्तव्य संगठित रुपसे पालन करनेके लिये जागृत करना।

(२) भारतवर्षके सुप्रसिद्ध योग्य व्याख्यान दाताओंके लिये समग्र भारतवर्ष में भ्रमण करके अपने उपदेशद्वारा सनातनी जनता को जाग्रत

करने के लिये यावच्छक्य सब प्रकार की सुविधाकी जावेगी, जिससे समग्र भारतवर्ष में सनातनी जनताको अपना कर्तव्य पथ स्पष्ट रूप से विदित हो जाय और वह फिर धर्म रक्षा के लिये हर प्रकार नि तैयार हो जाय।

(३) प्रत्येक प्रादेशिक एवं सर्व साधारण भाषामें उक्त बिलों से होने वाली हानियों को तथा तत्सम्बन्धमें सनातनियों के कर्तव्य का दिग्दर्शन करानेवाले पर्चों को लाखों की संख्या में मुद्रितकर जनतामें बटवाने का प्रबन्ध किया जाय।

(४) उक्त बिलोंका विरोध करनेवाली जनताका व्यवस्थित रूप से मत संग्रह, विभिन्न प्रान्तों में कार्यकर्ताओं एवं कार्यालयों की संगठित व्यवस्था कर हस्ताक्षर एवं प्रस्ताव आदिके द्वारा किया जायगा।

(५) सनातनी हिन्दू जनता के विभिन्न श्रेणी की संस्थाओं एवं व्यक्तियों का सच्चा मत भारत सरकार एवं प्रान्तीय सरकारों में अभिव्यक्त करने के लिये व्यवस्था की जायगी।

(६) समस्त भारतवर्ष के देवालयोंकी सूची प्रस्तुत कर तत्सम्बन्ध में में आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

(७) एसेम्बली आदिके सदस्यों एवं उन सरकारी पक्षाधिकारियों को जिनका उक्त बिल से सम्बन्ध है, पूर्णरूप से प्रमझाने की चेष्टा की जाएगी किसे कोटि कोटि सनातनियों के सिद्धान्तों के ऊपर आघात देकर सनातन धर्म को कुचलने वाले कार्य से विरक्त होकर न्याय एवं उचित मार्ग गामी बने।

(८) समस्त धर्माचार्योंको लेकर विभिन्न प्रान्तोंमें एक दिग्विजयका प्रबन्ध किया जाय।

(९) इनके अतिरिक्त तत्सम्बन्धी सभी उपयोगी कार्य किये जायँ।

मन्दिर-मर्यादा-सप्ताह (२८ सितं० से ८ अक्टूबर)

यहाँ यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि इस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमकी घोषणा संघद्वारा गत विजयादशमीसे एक मंदिर-मर्यादा-सप्ताह मनाते हुए की गई थी। इस सप्ताहको देशके विभिन्न स्थानोंपर जिस धूमधाम, समारोह, एवं उत्साहके साथ सनातनी जनताने मनाया, उसने तत्सम्बन्धी उपरोक्त भावी कार्यक्रमपर आरूढ एवं उसे कार्यान्वित करनेके लिये संघके कार्यकर्त्ताओंको साधारण रूपसे उत्साहित किया। और वस्तुतः इस सप्ता-हकी सफलताहीके आधारपर यह आशा की जाती है कि देश इस

समितिके आदेशानुसार चलकर इसकी उद्देश्यप्राप्तिमें पूरा पूरा योगदान देगा। मंदिर-मर्यादा-सप्ताहके मनानेमें कैसी सफलता प्राप्त हुई, इसका परिचय संघके मुखपत्र "पंडितपत्र" में सन् १९३३ ई० के अंकोंके पढनेसे लग सकता है।

मंदिर-मर्यादा-सप्ताह मनानेके लिए अपील।

संघके प्रधानकार्यालयसे मंदिर-मर्यादा-सप्ताह मनानेके लिये जो अपील प्रकाशित हुई थी, इसके कार्य-क्रमका सारांश निम्नांकित है।

(१) विजया दशमी (२८) सितम्बर) को बस्ती बस्तीमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्रकी सवारी जलूस आदिके पूर्ण समारोहके साथ निकालकर सार्वजनिक सभाद्वारा मंदिर-प्रवेश एवं अस्पृश्यता निवारण बिलोंका पूर्ण विरोध करते हुए प्रस्ताव पास करना और जनताको तत्सम्बन्धी हानियोंको द्योतन करना।

(२) बस्ती बस्तीमें संघकी शाखा स्थापितकर एक मंदिर-मर्यादा-संरक्षण समिति स्थापित करना।

(३) उक्त समितिका अपने क्षेत्रके देवालयोंकी सूची तैयार करना और तत्सम्बन्धी कठिनाइयोंको दूर करना तथा आवश्यकता होनेपर संघ-कार्यालयको लिखना और सूचीकी एक प्रतिलिपिको भी कार्यलयको भेजना।

(४) देवालय-संरक्षण कोषके लिये धन संग्रह करना।

(५) देवालयोंमें पूर्ण समारोह, एवं पूर्ण श्रद्धा-भक्ति साथ उत्सव मनाना।

(६) देवालयके सत्य-सिद्धान्तोंके प्रचारका उद्योग करना और अन्त्यत जातियोंको हिन्दु वर्णाश्रमधर्मका निरूपण करके परम्परागत श्रेयस्कर धर्म एवं कर्तव्यकर्मको बनाकर सचेत करना कि सुधारक लोग उन्हें बहका कर उनको धार्मिक मर्यादासे किस प्रकार दूर ले जारहे हैं।

कार्य-विवरण।

समितिका उपरोक्त कार्य-क्रम अबतक कहाँतक और कितना कार्यान्वित हुआ है, उसका संक्षेप विवरण यहाँ दिया जाता है:—

समितिके कार्य-क्रमका कार्यान्वित करनेके लिये कलकत्तामें प्रधान कार्यालय एवं कोष स्थापित करके देशमें भ्रमण करनेके सिये एक शिष्टमण्डलकी योजना हो चुकी है और वह शिष्टमण्डल, जिसके सदस्योंकी

नामावली परिशिष्ट नं०.........में दी हुई है, कलकत्तासे २८ अक्टूबर १९३३ को यात्रा प्रारम्भकर नवम्बर मासके अन्ततक अर्थात पूरे एक मासतक यू० पी, सी० पी; पंजाब एवं देहली प्रान्तोंमें दौरा कर चुका है और राजपूताना के समीपस्थ पुष्करजीके गत आश्विन पूर्णिमा के भारी धार्मिक पर्व पंचतीर्थ के मेले पर राजपूताना की सनातनी जनताको भी वहां संघकी ओर से प्रचारका एक विराट आयोजन कर अपना संदेश सुना चुका एवं एतद्देशीय प्रान्तीय संघ का एक सुदृढ़ संगटन कर चुका है। और इसी प्रकार का एक आजोजन कानपूर में यू० पी०, राजपूताना एवं देहली प्रांतके सनातनी नेताओं एवं एवं कार्यकर्ताओं को १०,११ १२ नवम्बर को एकात्रित कर चुका है, जिसका फल यह हुआ है कि यू० पी० में देवालय संरक्षणका कार्य अग्रसर करनेके लिये उक्त प्रान्तों के उपस्थित उत्साही सनातनी नेताओं तथा कानपुरके स्थानीय सनातनी विद्वानों, रईसों, जमींदारों, एवं सेठ साहूकारोंने धन-संग्रह करनेका ऐसा प्रयत्न आरम्भ कर दिया है कि यू० पी० की ओरसे समितिको संतोष हो गया है और देहली और राजपूतानाकी ओरसे भी इस सम्बन्धमें अच्छी ही आशा है। चूंकि शिष्ट-मण्डलकी स्थापना एवं यात्रा कलकत्तासे हुई थी अतः वह बंगालके लिये तत्सम्बन्धी कार्य अग्रसर होनेके लिये पूरा प्रबन्ध कर चुका हैं, जिसके फलस्वरूप बंगालमें देवालय संरक्षणके पक्षमें एवं मंदिर-प्रवेश आदि धर्म विरोधी बिलोंके विपक्षमें जगह जगह साधारण प्रचार हो रहा है। अस्तु, इस प्रकार समितिका शिष्ट-मण्डल उत्तरी एवं मध्य भारतमें अपना संदेश दे चुका है और इस महाधिवेशनके उपरान्त इन भागों में अपने किये हुये कार्यको और सुदृढ एवं प्रभावशाली बनानेका यथेष्ट उद्योगकर भारतके दक्षिणी भाग में दौरा कर समस्त भारतवर्षकी समातनी जनता को इस प्रश्न पर शीघ्र संगठितकर अपने का पालन करना आवश्यक समझता है। उक्त दौरेका विशेष दौरा संघके प्रचार-कार्य के साथ पहले दिया जाचुका है।

इस दौरेके कार्यके अतिरिक्त समितिका ध्यान उक्त कार्यक्रमके सभी अंशोकी ओर है और वह उस ओर कार्यका भी करती है, जिसका पूरा दौरा एक अल्प रिपोर्ट द्वारा प्रकाशित होगा।

श्री बद्रीनाथाश्रम के हस्तांतरित होनेका प्रश्न और संघ

श्री बद्रीनाथ के मंदिर एवं उसके आसपास की भूमि को टेहरी राज्य को सौंपने का सवाल दिस० सन् १९३२ इ० में उठा था। सर्व प्रथम इस बात की सूचना की कि एक उक्त आशयका प्रस्ताव सरकार के सामने है, गढ़वाल के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर एफ० जी० ब्राउन द्वारा गढ़वाल प्रान्त के प्रतिष्ठित निवासियोंको एक विज्ञप्ति प्रकाशित करके दी गई थी। इस विज्ञप्ति में लिखा था कि श्रीबद्रीनारायण के मंदिर को उसके आस-पास की १६ वर्ग मील भूमिके साथ टेहरी राज्य के सौंपने का एक प्रस्ताव है। जब लोगोंने इस विज्ञप्ति को पढ़ा औरसे सुना, तब इसके विरोध में आवाज उठी। और जब गढ़वाल की जनता की ओरसे इस प्रस्ताव का अधिक विरोध किया गया, तब उक्त डिप्टी कमिश्नर महोदयने १६ मार्च सन् १९३३ ई० को निम्नलिखित विज्ञप्ति प्रकाशित की, जिसमें सब बातों को स्पष्ट करते हुए मुख्य रूपसे इस बातपर ज़ोर दिया गया है कि बजाय १६ वर्ग मील भूमि देने के, वास्तव में केवल एक आधमील भूमि ही को टेहरी को सौंपने का प्रस्ताव है, जिसमें बद्रीनाथ का मंदिर अवश्य है। चूंकि यह विज्ञप्ति इस बात को स्पष्ट करती है कि बद्रीनाथ को हस्तांतरित करने के विषयमें क्या प्रस्ताव है, इसलिए उसको यहाँ अविकल रूप से उद्धृत किया जाता है:—

गढ़वाल के डिप्टी कमिश्नर की विज्ञप्ति

" बद्रीनाथ पुरी को टेहरी राज्य को सौंपने के सम्बन्ध में निम्नलिखित सत्य सत्य बातें प्रकाशित की जाती हैं ताकि तत्सम्बन्धी वे भ्रमात्मक विचार जो इस समय गढ़वाल तथा अन्य स्थानोंमें फैले हुये हैं, दूर हो जायँ:—

(१) केवल श्री बद्रीनाथ पुरी और श्रीबद्रीनाथके मंदिर मार्गको उनके आस-पास की कुछ थोड़ीसी उजड़ भूमि के साथ, जो अलखनन्दा नदी और पहाड़ों के बीचमें है और जो आधी या एक वर्ग मीलसे अधिक नहीं है सरकार टेहरी नरेश को सौंपना चाहती है।

(२) ब्रिटिश गढ़वाल की १६ वर्ग मीलभूमि को टेहरी राज्य को सौंपने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(३) जोशी मठ, केदार नाथ अथवा अन्य मंदिर एवं किसी गांव या अन्य भूमि को टेहरी राज्य को सौंपने का कोई विचार नहीं है।

(४) यदि आधिपत्य के अधिकार भी हस्तांतरित हुए तो बद्रीनाथ पुरी को सौंपने से पहले यह शर्त की जायगी कि वहाँ के निवासियों के अधिकार व्यक्तिगत तथा भूमि-सम्बन्धी-पूर्ववत् ही रहेंगे और उनको सादर माना जायगा।

(४) यदि आधिपत्यके अधिकार भी हस्तान्तरित हुए तो बद्रीनाथ पुरीको सौंपनेसे पहले यह शर्त की जायगी कि वहाँ के निवासियोंके अधिकार व्यक्तिगत तथा भूमि-सम्बन्धी पूर्ववत् ही रहेंगे और उनको सादर माना जायगा।

देशमें दो मत और संघ

इस निश्चित विज्ञप्तिको पाकर देशमें दो मत हो गये। एक तो बद्रीनाथ धामको टेहरी राज्यमें सौंपने के पक्षमें दूसरा यह कि आवश्यक सुधारकर के बद्रीनाथधामको उसी अवस्थामें रक्खा जाय, जिसमें बह वर्तमान समयमें है। अस्तु, अब तक दोनों पक्षोंके सम्बन्धमें हर प्रकारसे काफी मत-प्रकाशन हो चुका है। संघने इस प्रश्नके महत्व को देखकर एवं पक्षविपक्षके मल्ल-युद्धको देखकर संघने यह उचित समझा कि इस प्रश्नके पक्ष-विपक्ष का सत्य एवं पूर्ण निर्णय करके सनातनी जनताके समक्ष न्याय की बात

उपस्थित करनी चाहिए। अस्तु, संघ की ओर से एक जाँच–कमीशन नियुक्त करने की योजना की गई। जाँच–कमीशनने बद्रीनाथधाम की यात्रा की और उसने सब परिस्थितिको पूर्ण खोजबीनके उपरान्त अपनी एक रिपोर्ट उपस्थित की, जो सनातनी जनता के सामने है। बद्रीनाथ जाँच कमीशन की नियुक्ति आदिके विषयमें संघकी ओर से जो कार्यवाही की गई, उसका पूर्ण विवरण निम्नांकित है:—

बद्रीनाथ–जाँच–कमीशनः—

गत उज्जैन के सिंहस्थ मेलेमें (सन १९३३ ई०) अखिल भारतवर्षीय वर्णाश्रम स्वराज्य संघ की ओर से सनातन धर्म का प्रचार करनेके लिए एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था। उस सम्मेलनमें ५ मई सन १९३३ ई० के दिन श्रीजगद्गुरु श्रीरामानुजाचार्य श्रीमद् अनन्ताचार्य जी महाराज के सभापतित्वमें इस आशय का एक प्रस्ताव सर्व सम्मतिसे पास हुआ कि यह सम्मेलन अ० भा० वर्णाश्रम स्वराज्य संघकी कार्यकारिणी समितिसे यह अनुरोध करता है कि श्री बद्रीनाथ धाम के हस्तान्तरित करनेका आज कल देश में जो आन्दोलन छिड़ा हुआ है, उस के विषयमें वह वहाँ जाकर वस्तु–स्थिति की जाँच करने के लिये एक जाँच–कमीशन नियुक्त करे, जाँच–कमीशन तत्सम्बन्ध में अपनी एक रिपोर्ट कार्यकारिणीके समक्ष उपस्थित करें और कार्यकारिणी समिति उस रिपोर्ट पर पूर्ण विचार करके उचित कार्यवाही करे।

सर्कुलर नं. २७

तदनुसार संघ के उस समय के स्थानापन्न प्रधान मंत्री महोदय पं० श्रीताराचरणाजी भट्टाचार्य ने १५ मई सन १९३३ ई० को संघ की कार्य कारिणी समिति के सदस्यों के नाम एक सर्कुलर भेजा, जिसका

क्रमागत नं० २७ था। उस सर्कुलर में उपरोक्त उज्जैन सम्मेलन के प्रस्तावनानुसार कार्यकारिणी समिति के सदस्यों से श्री बद्रीनाथ धामको एक जाँचकमीशन भेजने के लिये सम्मति माँगी गई, तथा कमीशन के मेम्बरों को निर्वाचित करने के लिए मत माँगा गया और कमीशन के व्यय के लिए दो हजार रुपये की स्वीकृत भी माँगी गई।

सर्कुलर का उत्तर

उपरोक्त सर्कुलर के उत्तर में निम्नालिखित सदस्यों की सहमति प्राप्त हुई:—

(१) गोस्वामी श्री १०८ गोकुलनाथ जी महाराज, बम्बई (सभापति)।

(२) श्री सत्येन्द्रनाथ सेन एम० ए०, एम० एल० ए० कलकत्ता।

(३) महामहोपाध्याय पं० श्री दुर्गाचरणाजी सांख्यवेदान्ततीर्थ, कलकत्ता।

(४) पं० श्रीमल्लादिरामकृष्णशास्त्री, मह्याग्निचित्, वेजवाडा।

(५) महामहोपाध्याय पं० श्री गिरधर शर्म्मा चतुर्वेदी, जयपुर।

(६) पं० श्री हरिकृष्ण शास्त्री, बम्बई।

(७) पं० श्री श्रीधर अष्ठाको शास्त्री, नासिक।

(८) पं० श्री घनश्याम शास्त्री, आगरा।

(९) पं० श्री धर्मनाथ त्रिपाठी, कलकत्ता।

(१०) पं० श्री जटाशंकर शास्त्री, मेवाड़।

(११) पं० श्री भाऊशास्त्री बझे, नागपूर।

(१२) पं० श्री गौतमजी ज्योतिषी, काशी।

(१३) पं० श्री सृष्टिनारायण झा, दरभंगा।

(१४) पं० श्री कमलनयनाचार्य, काशी ।

(१५) पण्डितराज श्रीराजेश्वरशास्त्री, काशी ।

(१६) श्री शिवानन्द ब्रह्मचारी, काशी ।

(१७) पं० श्री देवनायक आचार्य ।

(१८) स्वर्गीय श्री हीरालाल डाह्याभाई नानावटी, बम्बई ।

(१९) श्री सेठ लच्छीराम चूडीवाल, बम्बई ।

(२०) पं० श्री सभापति उपाध्याय, काशी ।

(२१) पं० श्री जीवन्यायतीर्थ एम. ए. कलकत्ता ।

(२२) श्री० नरेन्द्रनाथ सेठ, कलकत्ता ।

उक्त सब सदस्यों ने उपरोक्त सर्कुलर के पक्षमें अपनी पूरी सम्मति दी और विपक्ष में समिति के किसी सदस्य का भी मत प्राप्त नहीं हुआ। उक्त माननीय सदस्यों में से केवल सात सदस्यों ने यथा-सम्भव मितव्यय करनेकी सलाह दी और शेष सब सदस्यों ने सर्कुलर में लिखित दो हजार रुपये के व्यय के लिये सह-मति दी। कमीशन के सदस्यों के सम्बन्ध में बंग-प्रान्तीय स्वराज्य संघ ने, जिसके सदस्य अखिल संघ के कार्य-कारिणी समिति के सदस्य महामहोपाध्याय पं० श्रीदुर्गाचरणजी, पं० श्री जीवन्यायतीर्थ एम. ए. तथा श्रीनरेन्द्रनाथ सेठ भी थे उक्त सर्कुलरका पूर्ण समर्थन करते हुए कमीशनके सदस्योंमें पं० श्री सत्यन्द्रनाथसेन कलकत्ताको सम्मिलित होनेके लिये निर्वाचित किया। इस निर्वाचनके अतिरिक्त म० म० पं० श्री गिरधरशर्मा चतुर्वेदी. पं० श्री देवनायक आचार्य, पं० श्री यदुकुलभूषण, श्री ब्रजलाल त्रिभुवनदास पंडितराज श्री राजेश्वर. शास्त्री द्राविड, जगद्गुरु श्री शंकराचार्य श्री० १०८ भारती कृष्णातीर्थ महाराज, पं० श्रीद्वारिकाप्रसादचतुर्वेदी, पं० श्री जीवन्याय तीर्थ, स्वर्गीय श्री हीरालाल डाह्याभाई नानावटी, सेठ लच्छीरामजी चूड़ीवाला

श्री एम० के० आचार्य, पं० श्री बेचूमिश्रके नामके निर्वाचन भी प्राप्त हुए। इन निर्वाचित नामोंमेंसे बहुमत द्वारा निर्णय करनेके नियमके अनुसार ये चार सज्जन कमीशनके सदस्य चुने गये।

कमीशनके सदस्य

(१) पं० श्री सत्येन्द्रनाथ सेन एम० ए०, एम० एल० एम० कलकत्ता (सभापति)।

(२) पं० श्री देवनायक आचार्य, काशी।

(३) पं० श्री द्वारिकाप्रसाद चतुर्वेदी, प्रयाग।

(४) पं० श्री बेचू मिश्र शास्त्री एम० ए०, एल० एल० बी० काशी। (मंत्री)।

इन चार सज्जनोंके अतिरिक्त महामहोपाध्याय पं० श्री गिरधरशर्मा चतुर्वेदीके लिये भी बहुमत था। तदनुसार उन्हें तार द्वारा सूचना दी गई, परन्तु उन्होंने अपनी अस्वस्थता तथा आवश्यकीय कार्योंकी व्यग्रताके कारणोंसे कमीशनमें सम्मिलित होनेमें असमर्थता प्रकट की। इस प्रकार अन्ततः उपर्युक्त चार सज्जन ही बद्रीनाथ जाँच—कमीशनमें सम्मिलित हुए।

कमीशनका व्यय—भार

संघके प्रधान मंत्री और श्रीराजेश्वर शास्त्री, दानवीर धार्मिकवर सेठ लच्छीराम चूड़िवालके बुलाने पर १४ मई सन् १९३३ ई० को कलकत्ता गये थे। वहाँ आप लोगोंने संघके अन्याय कार्योंके साथ साथ इस बात पर भी प्रकाश डाला कि संघके सर्कुलर नं० २७ के अनुसार यदि संघ की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सम्मति श्री बद्रीनाथ जाँच-कमीशन नियुक्त करने की हुई, तो उसका व्यय—भार सहन करने के लिये

धन की आवश्यकता होगी। इस पर कलकत्ता के सेठ रामकुमार बाँगड़, सेठ रामजीदास बाजोरिया, सेठ लच्छीराम चूड़ीवाल आदिने पूर्ण आश्वासन दिया, जिसके अनुसार वहाँ के सेठ जयदयाल कसेराके द्वारा १८०३ रु० प्राप्त हुये।

कमीशनकी बद्रीनाथ यात्रा

अस्तु, इस प्रकार श्री बद्रीनाथ-जाँच कमीशन की नियुक्ति तथा उसके व्ययभारके वहन होने की व्यवस्था हुई और कमीशन के उपरोक्त मनोनीत चारों सदस्य अपने अपने स्थान से प्रस्थान कर १२ जून सन १९३३ ई० को रानीखेत में सम्मिलित हुए और वहाँ से कमीशन उसी दिन श्री बद्रीनाथ धामके लिये चला दिया। २१ से २५ जून तक कमीशन श्री बद्रीनाथ पूरीमें अपना कार्य करता रहा, एवं उसका इन काम तारीखोंसे पहले एवं बादको यात्रामें क्रमशः जाते और आते हुए भी विशिष्ट विशिष्ट स्थानोंपर भी होता रहा और इस प्रकार कार्य करते हुए लगभग ५ जुलाई तक कमीशनके सब सदस्य अपने अपने स्थान पर पहुँच गये।

कमीशनकी रिपोर्ट और संघकी कार्यकारिणी

कमीशनने श्रीबद्रीनाथ धामसे लौटनेपर तुरन्त अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी, जो संघ की कार्य्यकारिणी समिति की गत सूर्य-ग्रहणके अवसर पर (१९–२० अगस्त) काशीजीमें होनेवाली बैठक में वाद विवादके पूर्ण संघर्षके उपरान्त सर्व सम्मतिसे पास की गई और तत्सम्बन्धमें समितिने जो प्रस्ताव पास किया वह निम्नांकित है।

[अ] "अखिल भारतवर्षीय वर्णाश्रम स्वराज्य संघकी कार्यकारिणी समितिकी यह बैठक श्रीबद्रीनाथ जाँच-कमीशनके सदस्योंको उनके असाधारण

श्रम एवं न्याय-परायण कार्यके लिए धन्यवाद देते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है, एवं उनके द्वारा उपस्थित की गई रिपोर्टकी सर्व सम्मतिसे स्वीकार करती है। समितिकी दृष्टिमें कमीशनकी रिपोर्ट सर्वथा पूर्ण पक्षपात शून्य एवं धर्मानुकूल है।

(ब) समिति ने पास किया कि प्रधान मंत्री को अधिकार दिया जाता है कि वे इस रिपोर्ट को शीघ्र उचित स्थानों पर भेजने का प्रबन्ध करें एवं उसके मुद्रित कराने की यथा शीघ्र व्यवस्था करें तथा तत्सम्बन्धी अन्यान्य आवश्यक कार्यवाही करें।"

समिति के इस प्रस्तावके अनुसार रिपोर्ट की एक एक कापी वाइसराय महोदय और यू० पी० के गवर्नर महोदय तथा संघ के सभापति और संघकी कार्य-कारिणी समिति के सदस्यों के पास एवं सब समाचार पत्रों के लिये भेज दी गई। संघ अपनी निष्पक्ष रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वित होने के लिये पूर्ण उत्सुक है। उसने एक जाँच-कमीशन नियुक्त करके एवं उसकी रिपोर्ट को समय पर प्रकाशित करके अपने कर्त्तव्य-कर्म का पालन कर दिया है। अब इसका फलाफल ईश्वराधीन है।

उपसंहार

तात्कालिक करणीय काय

अस्तु गत दो वर्षोंकी यह रिपोर्ट आप महानुभावोंके समक्ष उपस्थित है। संघके इन दो वर्षोंकी प्रगतिसे यह प्रकट होता है कि संघ इस समय कितनी भारी उत्तर दायित्व-पूर्ण स्थितिमें जा पहुंचा है। संघ एक ओर विलायतमें ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटीके सन्मुख यह घोषित कर चुका है कि भारतवर्षमें सनातनी जनता ९५ फ़ी सदी है, जो बिलकुल यथार्थ है और दूसरी ओर हमारी इस घोषणाके सम्बन्धमें सत्यासत्य का निर्णय करनेके लिए एसेम्बलीमें उपस्थित मन्दिर-प्रवेश बिल लोकमत-संग्रहके लिए समुपस्थित है। इस समय हमारी परीक्षा है कि हम इस बिल के विरोधमें उपरोक्त घोषणाको सत्य प्रमाणित कर पाते हैं, अथवा नहीं। बस इस निकट भविष्यमें यही एक अति आवश्यक करणीय कार्य संघ समक्ष है। इस पर संघकी सम्पूर्ण मान-प्रतिष्ठा निर्भर है अतः इस ओर आप महानुभावो का ध्यान यह कहते हुए आकर्षित करता हूं कि इन आगाभी छै मासोंमें जो तत्सम्बन्धमें कार्य करने के लिए अभी शेष हैं, क्योंकि लोकमत संग्रह की अवधि ३० जूंन सन १९३४ ई. तक है, केवल इस एक कार्य को अपनी सम्पूर्ण शक्तिको लगाकर करना चाहिए और करना चाहिए सम्पूर्ण आवश्यकीय साधन सामग्रीको सर्वप्रथम जुटा कर।

संघकी अनिवार्य अवश्यताएं

यह तो रहा तात्कालिक करणीय कार्यके सम्बन्धमें, अब यहां मैं संघकी उन अनिवार्य अवश्यकताओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, जिनके कारण संघके कार्य के सुचारू रुपसे सञ्चालित होनेमें विघ्न उपस्थित होत है मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे संघ की स्थापना के बाद प्रथम दो वर्षों में उप--मंत्री रह कर और इन गत दो वर्षों में प्रधान मंत्री रह कर संघ की सेवा करने

का अवसर प्राप्त हुआ है। अतः संघ के कार्य को अग्रसर करने में संघकी इस ४ वर्षकी अल्पायु में संघ के कार्यकर्त्ताओं को जो कठिनाइयां अनुभव हुई हैं, उन सब को आद्यन्त में जानताहूं। अतएव मैं यहां संक्षेप में उन सब बातों की और आप महानुभावों का ध्यान आकर्षित करता हूं, जिनकी संघ को अनिवार्य आवश्यकता है। ये दो प्रकार की हैं एक अपने विचार के प्रचार एवं संगठन को दृढ़ करने के लिए हैं और दूसरी अपने विरोधियों को कम, तथा कमजोर करने एवं विफल बनाने के लिए हैं। संक्षेप में ये निम्नांकित हैं:—

धन—सर्व प्रथम तो धनकी अपृश्यकता एवं कमी, है जिसके लिए संघ के नेताओं को संतोष-जनक प्रबंध करना चाहिए !

समाचार-पत्र—संघ को अपने कार्य सञ्चालन के लिए अपने एक अंगरेजी के पत्र की, एक हिंदी के पत्र की और एक एक प्रत्येक प्रान्तीय भाषा के पत्र की भारी आवश्यकता है, जो दैनिक और साप्ताहिक रूप में बहु-संख्या में प्रकाशित होने चाहिएं ! अतः इस कमी को, इस ओर अबतक क्या स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए, पूर्ण करना चाहिए !

पुस्तक प्रकाशन—संघ को हिंदू शास्त्रों के विविध प्रचार-योग्य विषयों को पुस्तकों एवं पुस्तिकाओं के रूप में जनता के शिक्षणार्थ अंगरेजी हिंदी तथा विविध प्रान्तीय भाषाओं में प्रकाशित करना चाहिए और यह कार्य व्यापारिक ढंग से होना चाहिए।जिसके प्रबंध के लिए एक अलग विभाग होना चाहिए।

संस्कृतका प्रचार:—देश के प्रत्येक स्कूल कालेज में हिंदू विद्यार्थियों के लिए संस्कृत भाषा का विषय अनिवार्य होना चाहिए, जिसमें वे अपने साहित्य एवं इतिहास के, जो सब केवल संस्कृत भाषाही में प्राप्त हैं, समझने में समर्थ हों। यह परीक्षा विषयों में रहना चाहिये।

धार्मिक शिक्षा:—स्कूल और कालेज के हिन्दू विद्यार्थियों को हिंदू धर्म की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए और वह एक परीक्षा का विषय होना चाहिए।

नोट.—उपरोक्त दोनों बातों से " सुधारकों " की उत्पत्ति होनी कम एवं बन्द सी हो जायगी ।

चुनाव:—संघ के प्रतिनिधियों को समस्त जन सत्तात्मक संस्थाओं में पहुंचना चाहिए। अतः इनके चुनाव में संघको भागलेना चाहिए और " सुधारकों " के वहां के सब कृत्यों को विफल बना अपना कार्य सम्पादन करना चाहिए ।

सगठन—संघ के संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए भाषानुसार संघ द्वारा बनाये हुए सब प्रान्तों के प्रान्तीय संघो के अन्तर्गत जिला संघ, तहसील अथवा ताल्लुका संघ और परगना एवं ग्राम संघ स्थापित होने चाहिएं

कार्यकर्त्ता—संघ की ओर से देशके प्रत्येक बड़े कस्बे में एक वैतनिक कार्यकर्त्ता रहना चाहिए, जिसके सुपुर्द एक निश्चित क्षेत्र रहना चाहिए, जो उसक्षेत्रमें संघके समग्र कार्यको यथाविधि प्रसारित, संचालित एवं पुष्ट करता रहे।

धर्मवीर दल—उक्त प्रत्येक क्षेमें एक संगठित धर्मवीर दल रहना चाहिए जो समय पर संघ के कार्य के लिये तैयार रहे ।

इगलैंडमें प्रचार—चूंकि देशका राज्य इंगलैंडसे हो रहा है और राज्यका प्रभाव संघके कार्यपर अवश्यम्भावी है, अतः अपने विचारों का सत्य एवं प्रभावशाली प्रचार करने की भारी आवश्यकता है, जिसमें वहांके राजनितिज्ञो के भारतसम्बन्धी भ्रमात्मक विचार दूर हो जायं ।

उपदेशक विद्यालय—संघके सिद्धन्तों का सत्य सत्य प्रचार हो, इस काम के लिये एक उपदेशक विद्यालय स्थापित करके करना चाहिए ।

अस्तु, अब मैं इस रिपोर्ट को एवं उक्त अपने आवश्यकीय वक्तव्यको आप महानुभावों के समक्ष उपस्थित करने के उपरान्त अपने विषय में दो शब्द और निवेदन कर देना चाहता हूं ।

आत्म निवेदन

सहज श्रम, प्रमाद एवं अयोग्यता के कारण इस पदसे अपने कार्य-कालमें सम्भव है कि बहुतसी त्रुटियां हुई होंगी, जिनके लिये बार २ आप सज्जनों से प्रार्थना करके मैं क्षमा चाहता हूं और अब इस उपस्थित त्यागी एवं कर्मवीरों के संघमें से ऐसे भद्र व्यक्ति को अपेक्षा करता हूं जिस पर आप लोग इस कार्य भारका न्यास करके मुझे अन्य सेवा करने का अवसर देंगे।

अन्तमें जगन्नियन्ता सर्व शक्तिमान् सर्वाधार परमब्रह्म परमेश्वर को कोटिशः प्रणामपूर्वक प्रार्थना करता हूं कि—

सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखमाप्नुयात् ॥

मि. पौष शु. १३ — श्रीदेवनायक आचार्यः
शनिवार सं. १९९०
ता. २९ दिसम्बर सन् १९३३ ई.

अ० भा० वर्णाश्रम स्वराज्य संघ के प्रधान कार्यालय के

आयव्यय का हिसाब

ता० १६ दिसम्बर सन् १९३१ ई० से ता० ३० नवम्बर सन् १९३३ ई० तक

आय

	विवरण	रकम रु. आ.पा.
(१)	**बचत कोष धन खाते** पिछले वर्ष का बचा हुआ धन कोष में जमा	५११०—९—०
(२)	**संघ सहायतार्थ चन्दा खाते** संघ को सहायता मिली (देनेवालोंकी सूची अलग दी गई है)	२५५१४—५—३
(३)	**अमानत खाते जमा**	५५१—४—३
(४)	**सेठ लच्छी रामजी चूडीवाल खाते** हिसाब संघके जिम्में देना है	३७६—०—३
		जोड—३१५५२—२—९

Auditor's Report.

This is to certify that I have examined the accounts of the Head Office of the All-India Varnashram swaraj Sangh, Kashi from 16th December 1931 to 30th November 1933, and have found the same correet.

Dated Delhi,
18th December, 1933

Madan Gopal
Government Certified Auditor,

व्यय

विवरण	रकम रु. आ. पा.
(१) **वेतन विभाग खाते** ... ... कार्यकर्ताओं को तनखाह दिया गया दिसंबर ३१ से सितम्बर ३३ तक	३२१८—१२—३
(२) **संघ प्रचार विभाग खाते** उपदेशकों व प्रचारकों एवं कार्यकर्ताओंको प्रचार में भेजनेके लिये खर्च दिया रु. २१४२—५—९ प्रचारक मण्डल के युक्त प्रान्तमें रु. ११८८—७—३ भ्रमणार्थ खर्च पडा, ३३३०—१३—०	३३३०—१३—०
(३) **कलकत्ता महाधिवेशन स्वागत समिति खाते** कलकत्ता अधिवेशन में आने वाले प्रतिनिधियों के स्वागत में प्रधान कार्यालय की ओरसे खर्च हुआ, जो वहां के स्वागत समिति से नहीं लिया गया।	१४९८—७—३
(४) **सफर खर्च खाते** संघक कार्यकर्ताओं को बाहर जाने आने में संघ के कार्य के लिये दिया गया।	१७५०—१—३
(५) **मोटर विभाग खर्च खाते** मोटर की मरम्मत, सामान, पेट्रोल, मोबिल आइल, गैरेज किराया, ड्राइवरको तनखाह वगैरह खर्च पडा	२३४४—०—६
(६) **छपाई खर्च खाते** पिछले वर्ष की रिपोर्ट, नोटिसें, कार्यालय सम्बधी कागजातका छपाई खर्च	१०००—०—०
(७) **गुरुवायूर विशेषाधिवेशन खाते** दिग्विजय यात्रा सम्बधी खर्च, विशेषाधिवेशन सम्बधी खच प्रधान कार्यालय के द्वारा पडा, जो वहां के स्वागत समिति से नहीं लिया गया।	६५८६—२—९
(८) **दिल्ली विशेषाधिवेशन विभाग खाते** दिल्ली विशेषाधिवेशन में प्रधान कार्यालय की ओरसे खर्च हुआ, जो वहां के स्वागत समिति से नहीं लिया गया।	२५४९—६—०

(९) **बद्रीनाथ जांच कमिशन खाते** २०२९—३—०
जांच कमीशन को बद्रीनाथ भेजने तथा रिपोर्ट तैयार करने में खर्च पडा

(१०) **ब्राह्मण महासम्मेलन पंडित पत्र एवं संस्कृत मासिक पत्रिका विभाग खर्च खाते** ३६९४—९—०
ता. १।८।३२ से ता. ३०।११।३३ तक पत्रों की सहायता की गई।

(११) **कार्यालय प्रबन्ध विभाग खाते** ७६६—७—०
साइक्लोस्टाइल मशीन बाबत हिसाबके डी. गेस्टनर लि. को ७००—४—० दिया कार्यालय सम्बन्धी सामान, लेम्प, ताला, डेस्क, बिछौना इत्यादि ६६—३—०

(१२) **मकान केराया खाते** ६०३—१२—०
प्रधान कार्यालय के मकान केराया अक्तूबर ३१ से जून सन् ३३ तक दिया

(१३) **डांक खर्च खाते** ३३५—०—०
पोस्टेज स्टाम्प खरीदा

(१४) **तार खर्च खाते** २९९—१३—०
प्रेस मेसेज, टेलिग्राम भेजनेमें खर्च पडा

(१५) **स्टेशनरी खर्च खाते** १०४—१५—३
कार्यालय के लिये कागज रजिस्टर कलम, रोशनाई इत्यादि खरीदने में खर्च पडा।

(१६) **आफिस खर्च खाते** ३९६—११—९
लीगल एडवाइजर फी, कार्यकर्ताओं को सहायता, तेल-बत्ती, अखबार की कीमत व फुटकर खर्च दिया

३०४६८—२—३

कोषाध्यक्ष सेठ श्रीदेवीदास माधवजी ठाकरसी के पास संघ के हिसाब में जमा बाकी १०७६—०—०
नगद रोकड बाकी ८—०—६

जोड—३१५५२—२—९

Madan Gopal
Auditor